



वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा

2022-23





## विषय

5 संकल्पना एवं लक्ष्य

**6** सूचना 10 वर्ष के दौरान प्रबंधन

**11** निदेशक मंडल

**12** बैंकर एवं लेखा परीक्षक **14** अध्यक्ष का संदेश **19** संचालन आंकड़े 31 निदेशकगण का प्रतिवेदन

**129** सीएसआर प्रतिवेदन 140 अनुसंधान एवं विकास **144** कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

**150** प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 158
मुख्य कार्यपालक अधिकारी और
मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र

159 सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन का जवाब

178 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट **185** सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन **189** सेबी का विनियमन 33

**191** तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) **193** लाभ-हानि लेखा 195 नकदी एवं नकदी समतुल्य के प्रवाह का विवरण

197 इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

**199** कॉरपोरेट सूचना **200** महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति

**222** तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर टिप्पणियां **252** लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियां

**263** लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संकल्पना है – खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का लक्ष्य है – सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपरण करना है।









## भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

## BHARAT COKING COAL LIMITED Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar

(A Mini Ratna Company) (A Subsidiary of Coal India Ltd.) (www.bcclweb.in)

पं.का:- कोयला भवन कोयला नगर, धनबाद - 826005

Dhanbad - 826005

CIN: U10101JH1972GOI000918 द्वरभाष :0326-2230190 ई-मेल : cos.bccl@coalindia.in

## बोर्ड अचिवालय /Board Secretariat

Ref. No.BCCL:CS:F-AGM/2023/ 114

#### Dated: 14.07.2023

### भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 52वीं वार्षिक आम बैठक की अल्पकालिक सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद्द्वारा अल्पकालिक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय: कोयला भवन, डाकघर: कोयला नगर, धनबाद में दिनांक 21 जुलाई, 2023 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से होगी:

#### सामान्य कार्य

- 1. 31 मार्च, 2023 को अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरणी सहित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ही उसपर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचान एवं ग्रहण करने हेत्।
- 2. श्री समीरन दत्ता, डीआइएन सं. 08519303, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।
- 3. श्री आनंद जी प्रसाद, डीआइएन सं. 09461651, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

#### विशेष कार्य:

#### मद सं. 4.

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु: संकल्पित किया गया कि कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमित होने सहित), वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) ₹ 15,34,000.00 (पंद्रह लाख चौंतीस हजार रुपए मात्र) एवं करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 12.09.2022 को 392वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 392 पीओटी (3) के तहत एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है और एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

पंजीकृत कार्यालय:

कोयला भवन, पो. कोयला नगर, जिला - धनबाद

दिनांकः 14.07.2023

बोर्ड के आदेशानुसार

(बी. के. पारूई) कंपनी सचिव

#### टिप्पणी

- 1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 जिसके साथ-साथ 28 दिसंबर, 2022 तथा 13 जनवरी, 2021; 08 दिसंबर, 2021; 14 दिसंबर, 2021 तथा 08 अप्रैल, 2020; 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) को एक साथ पढ़ा जाए, एक सामान्य जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "मीटिंग") आयोजित करने की अनुमित दी है। एनसीए परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही है। वार्षिक आम बैठक के मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी की अधिकृत ईमेल आईडी से पहले ही लिंक प्रदान किया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा।
- 2. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के तहत / कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार एक कम समय की सूचना पर बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमित दें।
- 3. चूंकि, एमसीए परिपत्रों के अनुसार यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं हैं।
- 4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टरों को खुला रखना आवश्यक है, ताकि यह बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होगा।
- 5. एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार एक विवरण "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है।
- 6. इस बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का विवरण "अनुलग्नक ख" में दिया गया है।

#### प्रतिलिपि:

- i. बीसीसीएल के सभी निदेशकगण
- ii. मेसर्स एनसी बनर्जी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक
- iii. मेसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक
- iv. मेसर्स चंद्रा वाधवा एंड कं., लागत लेखा परीक्षक



#### सूचना का अनुलग्नक अनुलग्नक - क

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण दिनांक 12.07.2023 की संलग्न सूचना की मद संख्या 4 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

#### मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की संपृष्टि

निदेशक मंडल ने दिनांक 12.09.2022 को आयोजित अपनी 392वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 392 पीओटी (3) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। बोर्ड ने कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 148 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% की सीमा तक खर्च को छोड़कर) को भी मंजूरी दी लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता होगी।

निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा संपृष्टि के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर उक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या रुचि (वित्तीय या अन्यथा) नहीं रखते।

अनुलग्नक - ख

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:-सामान्य बैठक ("एसएस-2") पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित है-

निदेशक का नाम एवं पदनाम	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन	08519303	09461651
जन्मतिथि	20.08.1965	02.06.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	18.07.2019	03.01.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य	कार्मिक प्रबंधक एवं औद्योगिक संबंध में बी.कॉम, पीजी डिप्लोमा
कंपनी में शेयरधारिता	₹ 1000 का एक (1) इक्विटी शेयर/ कोल इंडिया लिमिटेड के नामित शेयरधारक	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और दूसरे केएमपी. के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठक में उपस्थिति	1 1	1 1
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद की सूची	शून्य	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार।
बीसीसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष /सदस्यता	बीसीसीएल की लेखा परीक्षा समिति	बीसीसीएल की सीएसआर सिमति, जोखिम प्रबंधन सिमति



## वर्ष 2022-23 दौरान प्रबंधन

## अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री समीरन दत्ता : (28.12.2021 से निरंतर)

## पूर्ण कालिक निदेशक

श्री समीरन दत्ता : वित्त (18.07.2019 से; 29.12.202i से 13.04.2023

तक निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभारं के साथ)

श्री संजय कुमार सिंह : तकनीकी (05.02.2022 से निरंतर) : श्री उदय ए कावले : तकनीकी (22.08.2022 से निरंतर) :

श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव : कार्मिक (01.06.2020 से; 31.07.2022 तक) श्री समीरण दत्ता : कार्मिक (01.08.2022 से 31.10.2022 तक

निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभार के साथ)

श्री हर्ष नाथ मिश्रा : कार्मिक (01.08.2022 से 23.02.2023 तक)

श्री मुरलीकृष्णा रमैया : कार्मिक (23.02.2023 से निरंतर)

## अंशकालिक निदेशक

श्री आनंदजी प्रसाद : परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय,

सरकार द्वारा नामित ( 03.01.2022 से निरंतर)

श्री बी. वीरा रेड्डी : निदेशक (तक.), सीआइएल, कोलकाता

(24.02.2022 से 23.08.2022 तक)

श्री देबाशीष नंदा : निदेशक (बीडी), सीआइएल, कोलकाता

(23.08.2023 से निरंतर)

#### स्वतंत्र निदेशक

श्री नरेंद्र सिंह : (10.07.2019 से 09.07.2022 तक)

श्रीमती शशि सिंह : (01.11.2021 से निरंतर) श्री अलोक कुमार अग्रवाल : (01.11.2021 से निरंतर) श्री सत्यव्रत पांडा : (01.11.2021 से निरंतर) श्री राम कुमार रॉय : (31.12.2011 से निरंतर)

#### कंपनी सचिव

श्री बी. के. पारुई : (01.09.2013 से निरंतर)

:

## निदेशक मंडल



श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

## सरकार द्वारा नामित निदेशकगण



श्री आनंदजी प्रसाद श्री देबाशीष नंदा परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, निदेशक (बीडी), सीआइएल, कोलकाता नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित



## पूर्णकालिक निदेशक



श्री उदय ए कावले निदेशक (तकनीकी)



श्री मुरलीकृष्णा रमैया निदेशक (कार्मिक)



श्री राकेश कुमार सहाय निदेशक (वित्त)

## स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती शशि सिंह



श्री आलोक कुमार अग्रवाल



श्री राम कुमार राय



श्री सत्यब्रत पंडा

## बैंकर एवं लेखा परीक्षक

बैंकर
भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

लेखा परीक्षक सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स एन. सी. बनर्जी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, बोकारो

शाखा लेखा परीक्षक मैसर्स सुशील कुमार शर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार, रांची मैसर्स वी रोहतगी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, रांची मैसर्स आर.के. जे. एस. एण्ड कं. एलएलपी सनदी लेखाकार, झरिया, धनबाद मैसर्स के. एल. बनर्जी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, धनबाद मैसर्स दत्ता पी. कुमार एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, गिरीडीह मैसर्स आर के जे एस एल वी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, धनबाद मैसर्स एडीडी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स अमोल एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, धनबाद

सचिवीय लेखा परीक्षक मैसर्स मेहता एण्ड मेहता, कोलकाता कंपनी सचिव

आतंरिक लेखाकार मैसर्स गृहा नंदी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स डी.एन. डोकानिया एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, धनबाद मैसर्स आरकेपी एसोसिएटस सनदी लेखाकार, सिलचर मैसर्स एम सी भंडारी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स केएएसजी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, धनबाद मैसर्स एच.पी. झुनझुनवाला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स एस के मलिक एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स डीबीके एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, 24 परगना (एस) मैसर्स वीके जिंदल एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, रांची मैसर्स डी चक्रवर्ती एण्ड सेन सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स प्रणब घोष एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, हुगली मैसर्स के बी डी एस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, दिल्ली मैसर्स जीजीएम एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, कोलकाता मैसर्स एस ए आर सी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार, नई दिल्ली लागत लेखा परीक्षक मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, दिल्ली मैसर्स जोशी अपटे एण्ड एसोसिएट्स, पुणे मेसर्स केबी सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ मेसर्स एमओयू बनर्जी एंड कंपनी, आसनसोल मेसर्स एस जी एंड एसोसिएट्स, कोलकाता मेसर्स केके दास एंड एसोसिएट्स, दुर्गापुर



# अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

#### प्रिय शेयरधारको.

मुझे बेहद खुशी हो रही है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के निदेशक मंडल की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वर्ष के मुख्य अंश को आपसे साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2023 में, कई बाधाओं एवं चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने भौतिक मोर्चे पर पर्याप्त प्रगित की है। कंपनी ने 32.00 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 36.18 मिलियन टन कच्चे कोयले का उत्पादन किया है। कंपनी की शुद्ध बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान  $\mp$  9445.58 करोड़ की तुलना में  $\mp$  12333.54 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई। बिक्री में इस उल्लेखनीय वृद्धि ने वेतन संशोधन के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे कंपनी का मुनाफा लगातार जारी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान  $\mp$ 111.62 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित मुनाफा (पीएटी)  $\mp$  645.01 करोड़ था। 31 मार्च, 2023 को कंपनी की कुल संपत्ति  $\mp$  3771.24 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए 1.43 मिलियन टन धुले हुए कोकिंग कोयले का भी उत्पादन किया, जिससे आयात कम करने में मदद मिली और विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

#### वर्ष के दौरान हासिल की गई कई उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच कोयला उत्पादन में उच्चतम वृद्धि (19%) और उपलब्धि (113%)।
- सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच उठाव में उच्चतम वृद्धि (10%) और उपलब्धि (111%)।
- लगातार दो वर्षों तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया गया और पिछले वर्ष सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच विकास दर के मामले में यह सबसे अधिक रहा।
- पिछले 6 वर्षों में सर्वाधिक कोयला उत्पादन एवं उठाव।
- सड़क मार्ग से अब तक का सर्वाधिक उठाव (9.86 मीट्रिक टन)।
- 1.43 मिलियन टन धुले हुए कोकिंग कोयले का उत्पादन किया गया, जो पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक है।
- वॉशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति बढ़कर 4.42 मिलियन टन हो गई है, जो पिछले 17 वर्षों में सर्वाधिक है।
- वेतन संशोधन के प्रभाव के बावजूद बीसीसीएल ने पिछले लगातार सात तिमाहियों और दो वित्तीय वर्षों में मुनाफा अर्जित है।
- कंपनी ने अपने प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न पुरस्कारों को प्राप्त किया है, अर्थात् कोयला मंत्री का पुरस्कार, गुणवत्ता जागरूकता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार और कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से शुद्ध बिक्री में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि का पुरस्कार।

कंपनी का उपर्युक्त प्रदर्शन आने वाले वर्षों में और बेहतर होने की संभावना है, प्रबंधन का ध्यान आरओएम (रेनोवेट-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत अनुबंध के माध्यम से उत्पादन के लिए नए पैच की पहचान करने, बीओएम (बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत नई वाशरी स्थापित करने और मौजूदा वाशरी के नवीनीकरण पर है। इस दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

- i. वर्ष 2022-23 के दौरान 10.767 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता वाले 16 किराए के पैचों की पहचान की गई। 3.23 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता वाले 7 पैचों के लिए अनुबंध पत्र (एलओए) जारी किया गया, 3 पैचों के लिए निविदा पूरी हो गई और शेष 6 पैच अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।
- ii. संचालन के एमडीओ मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 8.5 एमटीवाई क्षमता के एकीकृत एनटीएसटी कुजामा ओसीपी के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट (आरपीआर) को मंजूरी दे दी गई है।
- iii. संपूर्ण सीआईएल में, ब्लॉक-II ओसीपी में एमडीओ मोड में पहली हाईवॉल परियोजना।
- iv. राजस्व साझाकरण मोड के तहत 4 परित्यक्त खदानों के लिए एलओए जारी किया गया (दिनांक 21.03.2023 को सलानपुर-एजीकेसी, पीबी प्रोजेक्ट कोलियरी, लोयाबाद खदान और दिनांक 25.04.2023 को खरखरी खदान)।
- v. चार नई वाशरियों का निर्माण, अर्थात् 5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी (पूरा होने के करीब), 2.5 एमटीपीए पाथेरडीह वाशरी (निर्माणाधीन), 2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी (निर्माणाधीन) और 2.5 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी (निविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है)।
- vi. 04 पुरानी मौजूदा वाशरियों अर्थात् दुग्दा, महुदा, सुदामडीह और मधुबन वाशरी के मुद्रीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

#### 1.परियोजना प्रोफ़ाइल

आपकी कंपनी खदान के संचालन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस संबंध में कंपनी बीसीसीएल में पहली बार हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी और अपनी खदानों में कंटीन्यूअस माइनर तकनीक शुरू करने की प्रक्रिया में है।

एक सार्थक विकास के तहत, बंद पड़ी भूमिगत खदानों का संचालन पुनः शुरू करने के लिए राजस्व साझाकरण के आधार पर एमडीओ मोड के माध्यम से कुछ बंद खदानों को फिर से खोलने, विकसित करने और संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी चार खदानों अर्थात पीबी प्रोजेक्ट, सालानपुर-एजीकेसी, खरखरी एवं लोयाबाद के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं और एलओए जारी किया जा चुका है। बंद पड़ी खदानों का संचालन शुरू करने के लिए एमडीओ ऑपरेटरों की उत्साहजनक भागीदारी के साथ, राजस्व अर्जित करने के नए स्रोत की खोज में एक आदर्श बदलाव की परिकल्पना की गई है।

निष्क्रिय परिसंपत्तियों से राजस्व अर्जित करने की दृष्टि से, पुरानी वाशरियों के मुद्रीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने चार पुरानी मौजूदा वाशरियों के मुद्रीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

ऊर्जा के पारंपिरक स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसकी दो रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स से 7.25 KWH सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। भोजूडीह वाशरी में 25 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर निर्माणाधीन है और दुग्धा वाशरी में 20 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर के लिए एलओए जारी कर दिया गया है।

कंपनी ने अपने पुराने उपकरणों को नए उपकरणों से बदलने के लिए भी कदम उठाए हैं और भूमि अधिग्रहण में पर्याप्त निवेश किया है जो आने वाले समय में उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। वर्ष के दौरान, लक्ष्यित 900.00 करोड़ रुपये की तुलना में कैपेक्स 986.50 करोड़ रुपये था।

#### 2. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र में उपलब्धियाँ

व्यवसाय की सतत वृद्धि पर्यावरणीय सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) प्रबंधन की प्रमुख अवधारणा पर निर्भर करती है और बीसीसीएल ने हमेशा बीसीसीएल के कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों सहित स्थायी उपायों के साथ व्यापार करने का प्रयास



किया है। बीसीसीएल ने देश के एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बेहतर पर्यावरण के लिए निरंतर और बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं तथा इसे जारी रखे हुए हैं।

आपकी कंपनी निम्नीकृत खनन क्षेत्रों तथा ओबी डंपों पर प्राकृतिक वनों को पुनर्स्थापित करने के साथ-साथ कुछ निम्नीकृत खनन क्षेत्रों और ओबी डंपों पर इको-पार्क भी विकसित कर रही है और बीसीसीएल ईको-पार्क की स्थापना में खनन उद्योग में अग्रणी कंपनी रही है।

आपकी कंपनी, प्राकृतिक वनों के विकास के साथ-साथ निम्नीकृत खनन क्षेत्रों और ओबी डंपों पर इको-पार्क भी विकसित कर रही है और बीसीसीएल इको-पार्क स्थापित करने में खनन उद्योग में अग्रणी कंपनी बनकर उभरी है। इस अवधि के दौरान, कंपनी ने बेरा एवं कुईया में 2 इको-पार्कों को विकसित किए हैं। इको-पार्कों के निर्माण से 84.49 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि पर जैविक सुधार हुआ और 1.26 लाख से अधिक पौधों का रोपण हुआ है। हमने आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने के लिए 39 नग ऑनलाइन पीएम10 एनालाइजर की भी स्थापना की है और खदानों के परिधीय क्षेत्र में धूल-दमन करने के लिए 2 नग मिस्ट स्प्रिंकलर और 22 नग फॉग कैनन (ट्रक एवं ट्रॉली पर लगे) की अदद खरीद की गई है।

बीसीसीएल ने बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें पर्यावरण कार्यशालाओं की व्यवस्था, इको-माइनिंग पर्यटन का संचालन आदि शामिल है। प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किये गए हैं, जैसे धूल-दमन के लिए स्प्रिंकलर की तैनाती, पहिया धोने की व्यवस्था, सीएचपी, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि को समर्पित तरीके से अपनाया गया है।

#### 3. सुरक्षा उपाय

बीसीसीएल के एजेंडे में खान और खनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथिमकता है। बीसीसीएल सुरक्षा पहलुओं पर उतना ही महत्व देता है जितना कि वह अपने प्रदर्शन मानकों पर देता है। बीसीसीएल की प्राथिमक चिंता अपनी प्रमुख संपत्तियों– किमेंयों, खानों और मशीनों की सुरक्षा करना है। बीसीसीएल में, सभी खनन कार्यों को सुरक्षित और जोखिम मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों को समग्र रूप से देखा जाता है। 'शून्य दुर्घटना' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी नियमित रूप से योजनाबद्ध तरीके से खुद को तैयार करती है।

कर्मियों, खानों और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए गए हैं जैसे:

- i. सांविधिक प्रावधानों के अनुसार और डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमित की आवश्यकताओं के अनुसार खनन गितविधियों के पर्यवेक्षण,
   प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक व्यक्तियों की तैनाती,
- ii. सुरक्षा सिमति एवं कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण,
- iii. आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण,
- iv. आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण.
- v. डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों आदि द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।
- vi. बीसीसीएल अपने दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंदों (वीटीसी) के उन्नयन की प्रक्रिया में है, अर्थात् बरोरा जीवीटीसी और मुनीडीह वीटीसी को 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- vii. बीसीसीएल की सभी चालू खदानों का सुरक्षा ऑडिट 2022-23 का चरण I, II एवं III पूरा हो चुका है।
- viii.डीजीएमएस द्वारा माइंस रेस्क्यू स्टेशन धनसार को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गयी है।
- ix. सीआईएमएफआर (सिंफर) द्वारा 10 अग्नि प्रभावित खदान (फायरी माइंस) का ऑडिट किया गया है।
- प्रत्वरी, 2023 में बीसीसीएल की सभी खदानों में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह-2022 का आयोजन किया गया।
   निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के सुरक्षा प्रदर्शन का भी नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है।

### 4. उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता

बीसीसीएल सदा से ही निर्धारित ग्रेड के अनुरूप कोयला उत्पादन करने के लिए ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के प्रति प्रयत्नशील रहा है। उपभोक्ताओं की इस बढ़ती हुई उचित मांग को पूरा करने के अपने प्रयास में, कोयला प्रेषण के सभी तरीकों के संबंध में बीसीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कोयले के ग्रेड के रखरखाव और उपभोक्ताओं को क्रश्ड कोयले की आपूर्ति, आग लगे और बिना आग लगे कोयले के लिए अलग-अलग स्टॉक ढेर बनाए रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी लागू की गई है और जैसा कि कोयले की गुणवत्ता और ग्रेड पृष्टिकरण परिणामों में बाजार में सुधार से परिकल्पना की गई है, इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान रेफरी परिणामों के बाद ग्रेड पुष्टिकरण प्रतिशत पिछले वर्ष प्राप्त 81.7% से बढ़कर 83.9% हो गया है। गुणवत्ता पैरामीटर में अपनी उपलब्धि के मामले में, बीसीसीएल ने वर्ष-2021-22 के दौरान कोयला मंत्री के पुरस्कार में गुणवत्ता पैरामीटर में दूसरा पुरस्कार हासिल किया।

#### 5. कॉर्पोरेट प्रशासन

कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से, बीसीसीएल ने सार्वजिनक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है। और समय-समय पर कॉपोरेट कानूनों की आवश्यकतानुसार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है और बोर्ड को नियमित आधार पर कंपनी पर लागू विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में भी अवगत कराया जाता है। विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी गई बोर्ड की सभी उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर रही हैं और बोर्ड को अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और बोर्ड को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही हैं। कार्यरत कंपनी सचिव ने वर्ष-2022-23 के दौरान कॉपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद से, अधिक पारदर्शिता लाने और कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर साल सचिवीय ऑडिट आयोजित किया जा रहा है।

#### 6. झरिया मास्टर प्लान

बीसीसीएल, वर्ष 2009 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धंसान और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान लागू कर रहा है। झरिया कोयला क्षेत्र में सतही कोयला आग के चित्रण के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से बीसीसीएल द्वारा कोयला खदान अग्नि सर्वेक्षण शुरू किया गया था। वर्ष 2021-22 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, 27 स्थानों को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए निपटाया जाना है। एनआरएससी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 10 स्थानों पर आग काफी हद तक कम होकर 1.8 वर्ग किमी हो गई है।

#### 7. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी, अपनी कोयला खनन गतिविधियों को जारी रखते हुए, परिचालन क्षेत्रों में सामाजिक महत्व, शैक्षिक महत्व, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों के माध्यम से अपने कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, बीसीसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से, राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है। बीसीसीएल की सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 सीएसआर पर डीपीई दिशानिदेशों और सीआईएल की सीएसआर नीति के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बीसीसीएल ने हाशिए पर रहने वाले और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के समर्थन के लिए वर्ष के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों में सीएसआर मद के तहत ₹11.42 करोड़ की रिकॉर्ड राशि खर्च की है। कुछ प्रमुख गतिविधियों के तहत 500 की संख्या में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र, सीआईपीईटी में युवाओं का प्रशिक्षण, महिला सहायता समूह का कौशल विकास आदि के परिवर्तन के लिए राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता देना थीं।



#### 8. संकल्पना

बीसीसीएल लगातार अपने कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए, अपने कर्मचारियों की क्षमता में सुधार लाने और एक शक्तिशाली नेतृत्व क्षमता को विकास करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। संगठन के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मानव संसाधन के मोर्चे, उत्खनन और खनन से संबंधित कार्य, विपणन, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र आदि में विभिन्न पहल की गई हैं। कंपनी अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं में उच्च प्रदर्शन स्तर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाभप्रदता में सुधार लाने और इस प्रकार हितधारकों की संपत्ति में वृद्धि करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षता में सुधार, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर जोर देने के साथ, कंपनी की योजना नई ऊंचाइयों को छूने और आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के आयात प्रतिस्थापन के लक्ष्य में योगदान करने की है।

#### 9. आभार

में बीसीसीएल के निदेशक मंडल की ओर से हमारे विभिन्न हितधारकों जैसे कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केंदीय और राज्य सरकार के प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, यूनियनों, हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हुं।

में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चौबीसों घंटे काम करने के लिए ठेकेदारों, एचईएमएम ऑपरेटरों और उनके कर्मचारियों सिहत संपूर्ण बीसीसीएल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने कर्तव्य के प्रति आपके समर्पण और निष्ठा से कंपनी आने वाले वर्षों में और बेहतर प्रदर्शन करेगी और सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में जिम्मेदार कॉपीरेट नागरिक बनी रहेगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे साथी बोर्ड सदस्यों ने कंपनी को एक मूल्यवान एवं जिम्मेदार कॉपीरेट नागरिक बनाने के लिए अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर हमेशा अपने बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन दिए हैं, जिसके लिए मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हं।

(समीरन दत्ता) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक परिचालन आंकड़े-

					•					(र करोड़ में)
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1. (क) कच्चे कोयला का उत्पादन : ( मिलियन टन)										
भूमिगत	69'0	0.81	0.61	1.04	06.0	1.08	1.68	1.81	2.03	2.70
खुली खदान	35.49	29.71	24.05	26.69	30.14	31.53	35.36	34.05	32.48	29.91
क	36.18	30.51	24.66	27.73	31.04	32.61	37.04	35.86	34.51	32.61
(ख) मलवा हटाई (ओबीआर) (मिलियन घन मी.)	114.47	105.37	103.84	82.65	103.25	110.47	131.22	148.59	103.9	85.42
2. उठाव (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)	-								-	
बिजली	27.51	25.46	17.12	23.63	27.24	27.52	27.49	28.99	27.43	27.07
इस्पात	1.16	0.73	1.03	99.0	2.50	2.81	4.25	3.50	2.69	3.44
खाद (फरिलाइजर)	0.39	0.64	0.94	0.98	0.92	0.86	1.10	1.03	96.0	1.12
कोलियरी में खपत	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	90.0	0.08
अन्य	6.47	5.42	4.04	3.48	2.39	2.15	2.03	2.63	2.52	2.68
कुल	35.53	32.25	23.13	28.76	33.07	33.36	34.92	36.20	33.66	33.04
3. औसत श्रमशक्ति	37976	40032	42287	44722	47383	49947	52409	54861	27506	60329
4. उत्पादकता										
(क) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्षे (टन)	952.68	762.14	583.16	620.05	625.09	652.89	706.75	653.65	600.11	540.54
(ख) प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टन)	0.27	0.24	0.16	0.32	0.25	0.23	0.25	0.25	0.26	0.31
(ii) ओपनकास्ट (टन)	6.49	7.53	5.93	6.11	6.75	7.05	8.99	8.52	8.34	9.38
(iii) कुल मिलाकर (टन)	3.78	4.16	3.13	3.62	3.87	3.56	3.46	3.20	2.96	2.64



# वित्तीय स्थिति (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

यालन आकड़					(1111111)	i Gi Tirian	(Ina AS)	
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) जो स्वामित्व में है								
सकल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	4,605.95	3,838.25	3,161.95	2,551.68	2,459.85	2,153.47	2,007.83	1,913.17
घटाएं: मूल्यहास और हानि	1,701.77	1,506.52	1,277.09	1,131.35	1,025.98	796.65	490.87	229.14
(क) शुद्ध संपत्ति, संयत्र और उपकरण	2,904.18	2,331.73	1,884.86	1,420.33	1,433.87	1,356.82	1,516.96	1,684.03
(ख) जारी पूंजीगत कार्य	1,299.83	1,447.35	1,389.92		1,542.92	1,403.17	ĺ ,	785.7
<ul><li>(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ</li></ul>	155.36		· ·	1,702.26		ĺ í	1,138.98	/83./.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		167.13	417.88	645.16	552.26	563.44	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	15.68	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	18.58	-	-	-	-	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) निवेश	-	-	-	-	-	-		
(ii) ऋण	-	-	-	0.07	0.15	0.27	0.50	0.7
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	705.86	607.18	528.13	471.86	389.96	297.78	303.40	197.0
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,055.81	867.08	971.44	573.35	549.14	856.46	387.10	285.1
(ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	620.85	349.91	357.66	751.66	501.72	132.08	149.47	128.6
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (क)	6,757.57	5,788.96	5,549.89	5,564.69	4,970.02	4,610.02	3,496.41	3,081.3
वर्तमान परिसंपत्तियाँ  (क) माल-सूची (इन्वेंटरी)  (i) कोयले, कोक आदि की सूची  (ii) भंडार और पुर्जों की सूची  (iii) अन्य सूची (इन्वेंटरी)  (ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ  (i) निवेश  (ii) व्यापार प्राप्य	934.46 85.05 9.55 79.72 1,251.15	898.10 73.05 7.30 - 1,037.01	1,126.84 54.97 6.07 - 3,004.80	630.50 63.11 7.16 4.00 2,414.72	709.83 58.05 6.21 26.40 613.72	968.47 53.69 6.63 0.77 1,459.92	1,226.98 53.07 9.42 45.99 2,636.38	828.6 50.0 9.5 71.9 2,637.6
(iii) नकद और नकद समकक्ष	586.62	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.6
(iv) अन्य बैंक शेष	567.58	7.24	126.99	1,423.31	2,015.02	900.00	1,283.69	1,107.7
(v) <del></del> 表可	- 50.00	36.31	- 274.68	233.06	412.63	387.82	- 85.98	77.4
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	58.98 168.57	151.44	122.72	89.50	12.61	41.61	46.59	20.5
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	2,817.51	2,549.23	2,112.88	1,912.05	1,802.60	1,355.73	1,059.04	744.1
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)	6,559.19	5,377.01	6,878.62	6,811.71	5,743.56	5,367.53	6,485.01	6,117.2
वर्तमान देयताएँ								
(क) वित्तीय देयताएँ								
(i) उधारियां	-	-	2,052.08	583.07	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	58.85	43.93 800.26	1 200 52	- 967.82	1 666 50	1 2/2 96	983.61	877.
(iii) व्यापार देय (iv) अन्य वित्तीय देयताएं	912.91 1,448.40	1,507.01	1,208.53 1,462.63	1,439.31	1,666.59 773.42	1,343.86 833.45	970.23	580.
(छ) अन्य वर्तमान देयताएँ (ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	1,968.63	2,058.26	1,769.81	2,238.49	2,795.20	2,019.67	1,675.22	1,711.
(ख) अन्य वर्तमान वर्षाल् (ग) प्रावधान	2,430.74	1,032.78	877.63	979.44	960.86	1,757.68	1,663.55	1,370.
कुल वर्तमान देयताएँ (ग)	6,819.53	5,442.24	7,370.68	6,208.13	6,196.07	5,954.66	5,292.61	4,541.
युर्त वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ख-ग) शृद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ख-ग)	-260.34	-65.23	-492.06	603.58	-452.51	-587.13	1,192.40	1,576.
कुल (क)	6,497.23	5,723.73	5,057.83	6,168.27	4,517.51	4,022.89	4,688.81	4,657.4

## संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(ख) जो बकाया है								
(क) वित्तीय देयताएँ								
(i) उधारियां	_	-	-	_	2,350.92	2,176.78	2,015.54	1,866.24
(ii) पट्टा देयताएं	153.79	156.35	_	_	-	-	_	-
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	296.51	283.71	232.75	88.45	82.27	65.83	63.15	38.44
(ख) प्रावधान	2,112.98	1,535.59	1,732.65	1,777.15	1,026.30	1,146.70	683.04	690.84
(ग) आस्थगित कर देयताएँ		-	_	_	-	-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	149.82	474.31	3.62	5.01	5.70	4.88	0.96	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ (ख)	2,713.10	2,449.96	1,969.02	1,870.61	3,465.19	3,394.19	2,762.69	2,595.52
इक्विटी								
1. इक्विटी शेयर पूंजी	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी भाग			·	·				
211 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	_	_	_	_	1,057.52	1,057.52	1,057.52	1,057.52
3. अन्य इक्विटी	-872.87	-1,383.23	-1,568.19	-359.34	-2,123.20	-2,546.82	-1,249.40	-1,113.61
कुल इक्विटी	3,784.13	3,273.77	3,088.81	4,297.66	1,052.32	628.70	1,926.12	2,061.91
कल (क+ख)	6,497.23	5,723.73	5,057.83	6,168.27	4,517.51	4,022.89	4,688.81	4,657.43
<b>3</b>	,	,	,	,	,	,	,	,



# — लाभ एवं हानि विवरणी —— (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में)

## संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) से अर्जित:								
1. सकल बिक्री	16,337.56	12,867.34	8,521.62	12,224.47	12,899.98	10,493.56	11,505.53	11,001.01
घटाएं: लेवी	4,004.22	3,421.76	2,371.81	3,256.91	3,522.30	3,193.77	2,883.17	1,936.13
कुल बिक्री	12,333.34	9,445.58	6,149.81	8,967.56	9,377.68	7,299.79	8,622.36	9,064.88
2. अन्य परिचालन राजस्व (क) निकासी सुविधा								
शुल्क (ख) रेत-भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के	214.40	185.50	112.86	143.28	167.95	51.19	-	-
लिए सहायता	-	-	-	-	-0.82	0.43	2.03	3.74
<ul><li>(ग) परिवहन और लोडिंग लागत की वस्ली</li></ul>	733.19	496.78	304.62	315.17	330.07	252.66	225.36	230.8
	947.59	682.28	417.48	458.45	497.20	304.28	227.39	234.6
संचालन से राजस्व (1 + 2)	13,280.93	10,127.86	6,567.29	9,426.01	9,874.88	7,604.07	8,849.75	9,299.4
3. अन्य आय								
(क) जमा आदि पर ब्याज	59.08	22.56	56.87	159.24	153.18	137.78	140.47	181.9
(ख) अन्य गैर-परिचालन आय	358.24	429.41	125.41	603.38	194.07	310.31	174.74	84.0
<ul><li>(ग) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज</li></ul>								
	-	-	-	4.13	25.63	6.71	7.17	3.3
कुल (क)	13,698.25	10,579.83	6,749.57	10,192.76	10,247.76	8,058.87	9,172.13	9,568.7
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त: 1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक								
(क + ख + ग + घ + ङ) (क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	7,358.12	5,788.32	5,565.72	5,761.35	5,866.95	6,417.58	5,143.94	4,602.9
् (ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में	5,670.31	4,504.03	4,164.10	4,155.12	4,183.93	4,338.09	3,361.17	3,343.5
योगदान योगदान	739.70	662.94	667.47	647.57	784.26	495.60	394.74	394.1
(ग) ग्रेच्युटी	210.39	191.66	226.72	240.04	390.23	1,264.19	191.89	157.3
(घ) अवकाश नकदीकरण	388.90	100.68	86.09	220.24	163.61	40.21	223.92	101.7
(ङ) अन्य	348.82	329.01	421.34	498.38	344.92	279.49	972.22	606.0
2. स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	-23.53	229.13	-463.45	79.48	258.35	134.00	-397.74	-76.1
3. उत्पाद शुल्क	12.26	2.00	- 6 12	- 6.01	1 42	148.11	582.58	572.4
<ol> <li>सीएसआर खर्च</li> <li>खपत सामग्रियों की लागत</li> </ol>	13.36 989.82	2.99 634.63	6.12 475.09	6.01 397.15	1.43 517.78	2.74 499.84	11.45 559.81	50.6 591.2
5. खपत सामाग्रया का लागत 6. बिजली और ईंधन	239.88	244.10	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.7
7. मरम्मत	117.11	144.64	138.76	201.49	224.49	250.82	277.84	239.4
8. संविदागत व्यय	2,391.35	1,962.11	1,476.37	1,211.50	1,312.57	1,292.86	1,491.93	1,532.0
<ol> <li>श. वित्त लागत</li> </ol>	55.69	77.75	121.69	221.83	200.66	189.84	173.50	163.1
10. मूल्यहास / परिशोधन / हानि								
11	304.11	315.48	208.79	197.53	248.52	276.03	262.80	221.3
11. प्रावधान	18.26	36.57	29.16	186.65	38.92	169.15	251.31	38.9
12. बहे खाते में	-	-	-	1.07	0.85	-	6.04	137.
13. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	701.30	88.44	-193.17	49.72	100.64	-148.41	-121.95	-150.3
14. अन्य खर्च	1,029.90	864.36	736.13	654.14	687.37	668.02	899.19	718.3
कुल (ख)	13,195.37	10,388.52	8,326.63	9,201.64	9,690.71	10,184.12	9,435.21	8,963.0

(₹ 'करोड़ में) (भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

								2015 16
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
कर से पहले लाभ / हानि (क - ख)	502.88	191.31	-1,577.06	991.12	557.05	-2,125.25	-263.08	605.68
कर व्यय	-142.13	79.69	-374.58	72.44	268.28	-734.03	-93.10	-3.39
अवधि के लिए लाभ / हानि (ग)	645.01	111.62	-1,202.48	918.68	288.77	-1,391.22	-169.98	609.07
अन्य व्यापक आय	-179.94	98.01	-8.51	-308.64	134.85	135.74	32.88	65.38
ओसीआई पर कर कुल अन्य व्यापक आय (घ)	-45.29 -134.65	24.67 73.34	-2.14 -6.37	-96.30 -212.34	134.85	41.94 93.80	11.38	22.62 42.76
g .	-134.03	/3.34	-0.57	-212.34	134.63	93.80	21.50	42.70
कुल व्यापक आय (ग + घ)	510.36	184.96	-1,208.85	706.34	423.62	-1,297.42	-148.48	651.83
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित 1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या (ii) शेयरधारकों का निधि	4,65,70,000	4,65,70,000	4,65,70,000	4,65,70,000	2,11,80,000	2,11,80,000	2,11,80,000	2,11,80,000
क) इक्विटी शेयर पूंजी ख) अधिमानी शेयर पूंजी का	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	2,118.00 1,057.52	2,118.00 1,057.52	2,118.00 1,057.52	2,118.00
इक्विटी अंश ग) सामान्य रिजर्व	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	1,037.32	1,037.32	1,057.52 140.99
घ) प्रतिधारित आय	-1,026.75	-1,671.76	-1,783.38	-580.90	-1,499.58	-1,788.35	-397.13	-227.15
ड.) अन्य व्यापक आय	12.89	147.54	74.20	80.57	292.91	158.06	64.26	42.76
<b>पिछले वर्षों से संचित हानि</b> 31 मार्च को संचयी लाभ / हानि	-1,530.77	-1,642.39	-439.91	-1,358.59	-1,647.36	-256.14	-86.16	-695.23
	-885.76	-1,530.77	-1,642.39	-439.91	-1,358.59	-1,647.36	-256.14	-86.16
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3,771.24	3,126.23	3,014.61	4,217.09	1,816.93	1,528.16	2,919.38	3,089.36
2. दीर्घकालिक उधार 3. नियोजित पूंजी	3,755.56	3,126.23	5,066.69	4,800.16	2,350.92 4,167.85	2,176.78 3,704.94	2,015.54 4,934.92	1,866.24 4,955.60
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	2,904.18	2,331.73	1,884.86	1,420.33	1,433.87	1,356.82	1,516.96	1,684.03
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6,559.19	5,377.01	6,878.62	6,811.71	5,743.56	5,367.53	6,485.01	6,117.20
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-260.34	-65.23	-492.06	603.58	-452.51	-587.13	1,192.40	1,576.13
(डब्ल्य / सी) 5. वर्तमान देयताएँ	6,819.53	5,442.24	7,370.68	6,208.13	6,196.07	5,954.66	5,292.61	4,541.07
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1,251.15	1,037.01	3,004.80	2,414.72	613.72	1,459.92	2,636.38	2,637.66
ख) नकद और नकद समकक्ष	586.62	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
ग) अन्य बैंक बैलेंस	567.58	7.24	126.99	1,423.31	2,015.02	900.00	1,283.69	1,107.73
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:	05.05	<b>50.05</b>	54.0=		50.05	52.60	50.05	50.05
क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध)	85.05	73.05	54.97	63.11	58.05	53.69	53.07	50.05
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	934.46	898.10	1,126.84	630.50	709.83	968.47	1,226.98	828.60
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध) ( <b>ख) लाभ</b> / <b>हानि से संबंधित</b>	79.05	64.01	59.04	60.58	55.87	53.38	51.56	52.01
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	862.68	584.54	-1,246.58	1,410.48	1,006.23	-1,659.38	173.22	990.23
ख) सकल लाभ	2,208.18	1,124.93	-850.62	1,541.32	1,462.56	-1,422.68	896.88	1,516.27
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	502.88	191.31	-1,577.06	991.12	557.05	-2,125.25	-263.08	605.68
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	645.01	111.62	-1,202.48	918.68	288.77	-1,391.22	-169.98	609.07
ङ) टीसीआई (कर से पहले)	322.94	289.32	-1,585.57	682.48	691.90	-1,989.51	-230.20	671.06
च) टीसीआई (कर के बाद)	510.36	184.96	-1,208.85	706.34	423.62	-1,297.42	-148.48	651.83

(₹ 'करोड़ में) (भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

					(भारताय व	नेखा मानक	(Ind AS)	ઋ अनुसार)
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
	16 227 56	12.07.24	0.531.63	12 224 47	12 800 08	10 402 56	11 505 52	11 001 01
2. क) सकल बिक्री	16,337.56	12,867.34	8,521.62	12,224.47	12,899.98	10,493.56	11,505.53	11,001.01
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	12,333.34	9,445.58	6,149.81	8,967.56	9,377.68	7,299.79	8,622.36	9,064.88
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	12,309.81	9,674.71	5,686.36	9,047.04	9,636.03	7,433.79	8,224.62	8,988.75
3. वस्तुओ की बिक्री की लागत	11,072.75	9,002.93	7,417.91	7,884.69	8,412.32	9,026.75	7,952.87	7,783.22
4. क) कुल व्यय	13,195.37	10,388.52	8,326.63	9,201.64	9,690.71	10,184.12	9,435.21	8,963.09
ख) वेतन और मजदुरी	7,358.12	5,788.32	5,565.72	5,761.35	5,866.95	6,417.58	5,143.94	4,602.90
ग) उपभोग की गई सामग्री	989.82	634.63	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.20
घ) बिजली और ईंधन	239.88	244.10	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.70
ङ) वित्त लागत और मूल्यहास 5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	359.80	393.23	330.48	419.36	449.18	465.87	436.30	384.55
6. वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	82.49	52.89	39.59	33.10	43.15	41.65	46.65	49.27
०. वन मन्यास मानस्य आसारा अस्तास	37,976.00	40,032.00	42,287.00	44,722.00	47,383.00	49,947.00	52,409.00	54,861.00
(क) लाभप्रदता अनुपात								
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में								
क) सकल मार्जिन	6.99	6.19	-20.27	15.73	10.73	-22.73	2.01	10.92
ख) सकल लाभ	17.90	11.91	-13.83	17.19	15.60	-19.49	10.40	16.73
	4.08	2.03	-25.64		5.94	-29.11	-3.05	6.68
ग) शुद्ध लाभ 2) कुल व्यय के % के रूप में	4.08	2.03	-23.04	11.05	3.94	-29.11	-3.03	0.08
2) कुल व्यय के % के रूप म क) वेतन और मजद्री	55.76	55.72	66.94	(2.61	60.54	62.02	54.52	51.25
	55.76	55.72	66.84	62.61	60.54	63.02	54.52	51.35
ख) उपभोग की गई सामग्री	7.50	6.11	5.71	4.32	5.34	4.91	5.93	6.60
ग) बिजली और ई्धन	1.82	2.35	2.71	2.54	2.40	2.78	3.12	3.58
घ) वित्त लागत और मूल्यहास 3) नियोजित पूंजी के % के रूप में	2.73	3.79	3.97	4.56	4.64	4.57	4.62	4.29
क) सकल मार्जिन	22.97	18.70	-24.60	29.38	24.14	-44.79	3.51	19.98
ख) सकल लाभ	58.80	35.98	-16.79	32.11	35.09	-38.40	18.17	30.60
ग) कर से पहले लाभ	13.39	6.12	-31.13	20.65	13.37	-57.36	-5.33	12.22
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री) (ख) तरलता अनुपात	0.90	0.95	1.21	0.88	0.90	1.24	0.92	0.86
1) वर्तमान अनुपात	0.96	0.99	0.93	1.10	0.93	0.90	1.23	1.35
2) त्वरित अनुपात	0.81	0.81	0.77	0.98	0.80	0.73	0.98	1.15
(ग) टर्नओवर अनुपात								
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात 2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार	3.26	2.89	1.99	2.09	8.91	11.61	4.48	4.40
क) सकल बिक्री	0.92	0.97	4.23	2.37	0.57	1.67	2.75	2.88
ख) शुद्ध बिक्री 3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में	1.22	1.32	5.86	3.23	0.79	2.40	3.67	3.49
	0.10	0.11	0.49	0.27	0.07	0.20	0.31	0.29
क) विविध देनदार			l		l			0.29
ख) कोयले का स्टॉक 4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक	0.08	0.10	0.18	0.07	0.08	0.13	0.14	0.09
क) औसत / वार्षिक खपत	0.08	0.10	0.12	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.03	1.38	1.39	1.91	1.35	1.29	1.14	1.02
<ol> <li>कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में</li> </ol>	0.01		2.20	0.04	0.00	1.50	1.70	
	0.91	1.11	2.38	0.84	0.88	1.56	1.79	1.11
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.01	1.20	1.82	0.96	1.01	1.29	1.85	1.28
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री (घ) संरचनात्मक अनुपात	0.91	1.14	2.20	0.84	0.91	1.59	1.71	1.10
9						1.02	0.05	0.00
क) ऋण : इक्विटी	-	-	-	-	1.11	1.03	0.95	0.88
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-	-	-	1.29	1.42	0.69	0.60
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	0.81	0.67	0.65	0.91	0.86	0.72	1.38	1.46
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.77	0.75	0.63	0.34	0.79	0.89	0.52	0.55

# वित्तीय स्थिति (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी (₹ 'करोड़ में)

मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
(क) जो स्वामित्व में है		
सकल अचल परिसंपतियाँ	4919.78	4796.21
घटाएं: मूल्यहास और हानि	3599.27	3414.62
(1) शुद्ध अचल परिसंपतियाँ	1320.51	1381.59
(2) पूँजीगत जारी कार्य	768.71	503.85
(3) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	113.91	-
(4) गैर-वर्तमान निवेश	-	13.85
(5) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	134.15	56.50
(6) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	114.43	-
(7) वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
(i) (क) कोयले, कोक आदि की सूची	754.53	618.75
(ख) भंडार और पुर्जों आदि की सूची	53.97	63.68
(ग) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	7.21	6.24
(ii) व्यापार प्राप्य	1600.60	1570.15
(iii) नकद और बैंक शेष	2578.34	2287.72
(iv) वर्तमान निवेश	13.86	13.86
(v) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	878.00	810.72
(vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	314.48	375.43
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7)	6200.99	5746.55
(8) कम वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
(क) अल्पावधि उधार	649.64	481.59
(ख) व्यापार देय	80.79	65.57
(ग) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	2371.67	2452.9
(घ) लघु अवधि के प्रावधान	1722.76	1461.26
कुल वर्तमान देयताएं (8)	4824.86	4461.32
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	1376.13	1285.23
कुल (क)	3827.84	3241.02
(ख) जो बकाया है		
(1) दीर्घकालिक उधार	-	-
(2) विलंबित कर उत्तरदायित्व		
(3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	10.55	8.98
(4) दीर्घकालिक प्रावधान	687.59	966.72
कुल (ख)	698.14	975.70

परिचालन सांख्यिकी (₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
<b>कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)</b> निम्नलिखित के द्वारा निरूपित	3129.70	2265.32
1. इक्विटी पूंजी	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00
3. रिजर्व और अधिशेष	(1527.30)	(2391.68)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3129.70	2265.32
नियोजित पूंजी	3129.70	2265.32
w\		

# लाभ एवं हानि विवरणी (बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में) परिचालन सांख्यिकी

चालन साख्यिका		(र कराइ म
। मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
(क) से अर्जित:		
1. सकल बिक्री	9947.01	10099.92
घटाएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क)	1905.28	1811.93
शुद्ध बिक्री	8041.73	8287.99
2. अन्य परिचालन राजस्व		
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	2.38	
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	215.93	183.46
	218.31	187.32
परिचालनों से राजस्व (1 + 2)	8260.04	8475.31
3. अन्य आय		
(क) जमा आदि पर ब्याज	233.62	223.46
(ख) आरबीआई पावर बॉन्ड पर ब्याज	2.06	3.24
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता+B2	-	-
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	-	-
(ङ) अन्य गैर-परिचालन आय	113.12	592.79
(च) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	-	
कुल (क)	8608.84	9294.80
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:		
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	4593.93	4410.83
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	3311.12	3271.73
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	383.31	380.72
(ग) ग्रेच्युटी	165.28	115.36
(घ) अवकाश नकदीकरण	138.42	112.76
(ङ) अन्य	595.80	530.26
2. स्टॉक में वृद्धि / कमी	(136.48)	138.25
3. कल्याण व्यय	0.00	
4. सीएसआर खर्च	14.33	20.00
5. खपत सामग्रियों की लागत	580.15	564.08
6. बिजली और ईंधन	319.45	312.03
7. मरम्मत	195.71	173.30
8. संविदागत व्यय	1031.48	815.27
	1031.40	013.27
		•

22	2014 17	(१ क्श्इन)
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
9. वित्त लागत	3.42	30.22
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	212.98	261.14
11. प्रावधान एवं बहे खाते में डालना	78.75	30.03
12. आबीआर समायोजन	(25.03)	(99.03)
13. अन्य खर्च	585.93	553.17
14. पूर्व अवधि समायोजन / अपवादात्मक मर्दे / असाधारण मर्दे	0.00	(3.50
कुल (ख)	7454.62	7205.79
वर्ष के लिए लाभ / हानि (क - ख)	1154.22	2089.01
कर व्यय	391.08	374.60
शुद्ध लाभ	763.14	1714.35
पिछले वर्षों से संचित हानि	(2290.44)	(4106.03)
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(1527.30)	(2391.68)
* 2014-15 में पिछले वर्ष से संचित घाटा, क्रमशः ₹ 140.99 करोड़ के आस्छगित कर और		
₹ (-) 39.75 करोड़ के अवमूल्यन के समायोजन के बाद है।		
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित		
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000	21180000
(ii) अधिमानी शेयरों की संख्या	25390000	25390000
(iii) शेयरधारकों की निधि		
क) इक्विटी शेयर कैपिटल	2,118.00	2,118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी	2,539.00	2,539.00
ग) रिजर्व	0.00	0.00
घ) संचित लाभ / हानि	(1527.30)	(2391.68)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3,129.70	2,265.32
2. दीर्घकालिक उधार	0.00	0.00
3. नियोजित पूंजी	3129.70	2265.32
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	1320.51	1381.59
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6200.99	5746.55
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	1376.13	1285.23
5. वर्तमान देयताएँ	4824.86	4461.32
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1600.60	1570.15
ख) नकदी और बैंक	2578.34	2287.72

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:		
क) स्टोर और पुर्जों (शुद्ध)	53.97	63.68
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	754.53	618.75
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	58.83	68.85
(ख) लाभ / हानि से संबंधित		
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1370.62	2380.37
ख) सकल लाभ	1157.64	2119.23
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	1154.22	2089.01
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	763.14	1714.35
2. क) सकल बिक्री	9947.01	10099.92
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	8041.73	8287.99
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	7905.25	8426.24
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	6887.51	6198.98
4. क) कुल व्यय	7454.62	7205.79
ख) वेतन और मजदूरी	4593.93	4410.83
ग) स्टोर और पुर्जे	580.15	564.08
घ) बिजली और ईंधन	319.45	312.03
ड़) वित्त लागत और मूल्यहास	216.40	291.36
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	48.35	47.01
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	58875	60329
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित)	0.00	0.00
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च		
7. क) वर्धित मूल्य		
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य		
(क) लाभप्रदता अनुपात		
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में		
क) सकल मार्जिन	17.04	28.72
ख) सकल लाभ	14.40	25.57
ग) शुद्ध लाभ	14.35	25.21
2) कुल व्यय के % के रूप में		
क) वेतन और मजदूरी	61.63	61.21
ख) स्टोर और पुर्ने	7.78	7.83
ग) बिजली और ईंधन	4.29	4.33
घ) वित्त लागत और मूल्यहास	2.90	4.04

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में		
क) सकल मार्जिन	43.79	105.08
ख) सकल लाभ	36.99	93.55
ग) कर से पहले लाभ	36.88	92.22
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.86	0.75
(ख) तरलता अनुपात		
1) वर्तमान अनुपात	1.29	1.29
2) त्वरित अनुपात	1.12	1.13
(ग) टर्नओवर अनुपात		
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियाजित पूंजी)	2.57	3.66
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार		
क) सकल बिक्री	1.93	1.87
ख) शुद्ध बिक्री	2.39	2.27
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में		
क) विविध देनदार	0.20	0.19
ख) कोयले का स्टॉक	0.09	0.07
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक		
क) औसत / वार्षिक खपत	0.10	0.12
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.12	1.35
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक		
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.15	0.88
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.31	1.20
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.13	0.90
(घ) संरचनात्मक अनुपात		
क) ऋण : इक्विटी	-	-
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	1.48	1.07
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.42	0.61

## निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, शेयर धारकगण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद

#### महोदय,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परीक्षित लेखा सिहत 52वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 में कुल लाभ ₹ 184.96 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में ₹ 510.36 करोड़ की कुल लाभ अर्जित किया है। अंकेक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां तथा सिचवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

#### 1.0. 2022-23 के दौरान प्रदर्शन का अवलोकन

## 1.1. वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन

茐.	ç	<b>2021-22</b> इकाई				2020-21	पिछले वर्ष र्व	ो तुलना में वृद्धि
सं.	विवरण इका		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्त (%)	वास्तविक	वास्तविक	(%)
i)	कच्चा कोयला (खान के	प्रकार के अन्	नुसार)					
	भूमिगत	मि. टन	1.0	0.686	68.57	0.81	-0.12	-14.88%
	खुली खदान	मि. टन	31.0	35.493	114.49	29.71	5.79	19.48%
	कुल	मि. टन	32.0	36.179	113.06	30.51	5.67	18.58%
ii)	कोयले के प्रकार के अनु	सार						
	कोकिंग कोल	मि. टन	29.925	33.716	112.67	29.04	4.67	16.10%
	गैर-कोकिंग कोल	मि. टन	2.075	2.463	118.70	1.47	0.99	67.55%
	कुल	मि. टन	32.0	36.179	113.06	30.51	5.67	18.58%
iii)	मलबा हटाई	मि. ट. घन मी	130.00	114.109	87.776	105.37	9.10	8.64%
iv)	उत्पादकता (ओएमएस)							
	भूमिगत	टन	0.27	0.19	69.84	0.24	-0.02	-8.33%
	खुली खदान	टन	6.49	8.72	134.43	7.53	1.08	14.37%
	कुल	टन	3.78	4.75	125.50	4.16	0.79	18.99%
v)	कोयला उठाव	मि. टन	32.00	35.53	111.03	32.25	3.28	10.16%

## 1.2. धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति

स्टील क्षेत्र में धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति वर्ष 2021-22 में 11.72 लाख टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 14.22 लाख टन थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में (+) 21.30% की वृद्धि को दर्शाता है। वाशरी को 44.20 लाख टन से अधिक कच्चा कोयला फीड किया गया है, जो पिछले 17 वर्षों में सर्वाधिक है।



## 1.3 धुले हुए कोयले एवं विद्युत उद्योग हेतु धुले हुए कोयले का उत्पादन

(मि. टन में)

	2022 -	23	2021	1 -22	2020 -21		
प्रकार	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
उत्पादन							
धुला हुआ कोयला (कोकिंग)	1.862	1.435	1.691	1.209	0.684	0.750	
विद्युत के लिए धुला कोयला	3.855	2.485	3.246	1.817	1.021	1.507	
कुल	5.717	3.920	4.937	3.026	1.705	2.257	

#### 2. प्रबंधन

(क) दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई:

1.	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	28.12.2021	;	निरंतर
2.	श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तक.), सीआईएल	:	24.02.2022	से	23.08.2023
3.	श्री देबाशीष नंदा, निदेशक (बीडी), सीआईएल	:	23.08.2022	;	निरंतर
4.	श्री आनंदजी प्रसाद, निदेशक	:	03.01.2022	;	निरंतर
5.	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	:	18.07.2019	;	29.12.2021 से निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ
6.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक	:	01.06.2020	से	31.07.2022
7.	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (कार्मिक)	:	01.08.2022	से	31.10.2022 (निदेशक कार्मिक के अतिरिक्त प्रभार के साथ)
8.	श्री हर्ष नाथ मिश्रा	:	01.11.2022	से	23.02.2023
9.	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक	:	05.02.2022	;	निरंतर
10.	श्री उदय ए कावले	:	22.08.2022	;	निरंतर
11.	श्री मुरलीकृष्णा रमैया	:	23.02.2023	;	निरंतर
12.	श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	10.07.2019	से	09.07.2022
13.	श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	;	निरंतर
14.	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	;	निरंतर
15.	श्री सत्यव्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	;	निरंतर
16.	श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक	:	31.12.2021	;	निरंतर

## (ख) वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की 11 (ग्यारह) बैठकें हुईं थी।

## 3. शिफ्ट ऑवर के संबंध में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग

	44.00.00	44.00.00	सीएमप	ीडीआई	उ	पलब्धता ब	ानाम उपय	ोग							
उपकरण	31.03.23 को संख्या	31.03.22 को संख्या	मानक (%)		11 1 1		11 1 1		2022-	2022-23 (%)		2021 -22 (%)		अंतर % में	
	(कुल)	(कुल)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता (%)	उपयोग (%)	उपलब्धता	उपयोग					
ड्रैगलाइन	1	1	85	73	51.1	38.4	72.1	44.1	-29.2	-12.9					
शॉवेल	90	101	80	58	80.8	47.3	75.2	42.4	7.4	11.4					
डंपर	318	335	67	50	78.6	25.6	74.2	27.1	5.9	-5.7					
डोजर	95	96	70	45	71.5	14.7	69.1	14.2	3.5	3.2					
ड्रिल	80	77	78	40	69.4	24.4	73.5	26.8	-5.6	-9.1					

## 4. धारक कंपनी-सीआइएल

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी हुई है।

#### 5. अवरोध

कोयला उत्पादन में कमी की दृष्टि से वर्ष के दौरान बीसीसीएल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोध:

## (1) कोयला उत्पादन में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2022-23	2021-22	
(i)	विद्युत बाधा			
(ii)	अनुपस्थिति की प्रवृत्ति			
(iii)	वर्षा/ डुबाव			
(iv)	यांत्रिक गड़बड़ी			
(v)	औद्योगिक संबंध			
(vi)	रेत भराई में पिछड़ना	इस मद में कोई घाटा नहीं है		
(vii)	भूमि की अनुपलब्धता/ भूमि विवाद आदि			
(viii)	आग			
(ix)	भूगर्भ-खनन बाधा/ रूफ गड़बड़ी			
(x)	डीजीएमएस प्रतिबंध			
(xi)	अन्य			
	कुल			

## (2) धुले हुए कोयले की कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2022-23	2021-22
(i)	विद्युत बाधा	1.30	0.058
(ii)	विद्युत एवं यांत्रिक गड़बड़ी	4.19	0.299
(iii)	कच्चे कोयले की कमी	2.23	4.259
(iv)	सी सी बंकर का भरा होना	0.07	0.032
(v)	वर्षा/ डुबाव	0.00	0.000
(vi)	परिचालन संबंधी बाधाएं	9.56	0.442
(vii)	रखरखाव संबंधी रूकावट	0.77	0.102
(viii)	माध्यमों की कमी	0.00	0.000
(ix)	अन्य	2.19	0.563
	कुल	20.31	5.754



## 6. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

## 6.1विद्युत की उपलब्धता

क्र. सं.	औसत विद्युत आवश्यकता (एमवीए)	औसत उपलब्धता (एमवीए)	बाधित घंटे (अवधि)
2022-23	177.75	172.59	1200.00
2021-22	177.75	176.03	1449.00

#### 6.2 विद्युत उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैप्टिव सेटों का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डीजी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

		2022	-23	2021-22		
कैप्टिव डीजी सेट	स्थापित क्षमता (एमवीए)	उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे	उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे	
मुनिडीह	$2 \times 1.1 + 4.4$	5805	19.17	2470.50	12.84	
कुल		5805	19.17	2470.50	12.84	

### 6.3 विद्युत उपलब्धता हेतु वैकल्पिक उपाय

### (1) सीपीपी मुनिडीह (2 X 10 एमवी):

सीपीपी मुनिडीह की स्थापना वाशरी अपिशिष्टों का उपयोग करने, मुनिडीह (एक तृतीय डिग्री की खदान) में विद्युत की अप्रत्यािशत मांग को पूरा करने और अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिए की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1986 में इस पिरयोजना को अनुमोदित किया गया था। अंततः 1995 में यह संयंत्र चालू हुआ था और नवंबर, 1996 में विभागीय श्रमशक्ति की मदद से इसका व्यावसायिक परिचालन होने लगा था, जो वर्ष 2003 तक चला था।

पुन: इस संयंत्र को मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 18.03.2010 को लीज पर दे दिया गया था और अप्रैल, 2011 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। यद्यपि, ईंधन आपूर्ति एवं पॉवर-टैरिफ से संबंधित दर का कुछ विवाद होने के कारण पट्टाधारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया।

वर्तमान में, बीसीसीएल मुद्रीकरण योजना के तहत विचार करने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है

#### 7. वित्त

#### 7.1 पूंजीगत संरचना

प्राधिकृत शेयर पूंजी	(₹ 'करोड़ में)
₹ 1000/- मूल्य के 5,10,00,000 इक्विटी शेयर	5,100.00
कुल	5,100.00
सब्सक्राइब्ड एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
₹ 1000/- मूल्य के 20330126 इक्विटी शेयर, प्रत्येक नकद में पूर्ण प्रदत्त	2,033.01
₹ 1000/- मूल्य के 26239874 इक्विटी शेयर, नकद के अलावा प्राप्त पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रदत्त के लिए आबंटित के रूप में	2,623.99
कुल	4,657.00

#### 7.2 वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को पिछले वर्ष ₹111.62 करोड़ की तुलना में ₹ 645.01 करोड़ का कुल लाभ/ (हानि) हुआ है। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
मूल्यहास एवं नुकसान, ब्याज, कर तथा परिशोधन	862.68	584.54
(ईबीआईडीए) से पहले लाभ (+)/ हानि (-)		
घटाएं: मूल्यह्रास एवं नुकसान	304.11	315.48
ब्याज, कर और परिशोधन से पहले लाभ	558.57	269.06
घटाएं: ब्याज	55.69	77.75
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	502.88	191.31
घटाएं: कर व्यय	-142.13	79.69
कर के बाद कुल लाभ	645.01	111.62
कुल व्यापक आय	510.36	184.96

# 7.3 पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	बजट	वास्तविक खर्च
वित्त वर्ष 2022-23	1000.00	986.50
वित्त वर्ष 2021-22	850.00	864.50

# 7.3.1 बीसीसीएल में कैपेक्स पर एमओयू (2022-23) पैरामीटर की स्थिति

एमओयू की क्रम संख्या	पैरामीटर का नाम	भारिता	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि
3.	कैपेक्स	14	900	986.50

# 7.4 बीसीसीएल में कैपेक्स पर एमओयू (2022-23) पैरामीटर की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

	2022-23				2021-22	2020-21
विवरण	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय	राजकोष कुल	कुल	कुल
कोयले की रॉयल्टी	0	1413.76	-	1413.76	1163.15	911.48
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमफटी)	0	400.83	-	400.83	361.12	268.15
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमइटी)	0	0	27.74	27.74	21.23	17.90
कोयले पर उपकर	33.06	0	-	33.06	3.42	53.92
कोविड उपकर	0	34.86	-	34.86	38.31	12.73
वन पारगमन शुल्क	0	13.01	-	13.01	15.12	3.37
विक्रय कर/वैट	0	0	-	0	-	1.66
केंद्रीय विक्रय कर	0	0	-	0	-	3.20
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0	0	-	0	0.91	0.00
बाजार कर (MADA)	0	42.55	-	42.55	51.61	59.96
पेशाकर	0.1	4.04	-	4.14	5.90	8.44
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर	0	0	227.25	227.25	164.66	138.67



	2022-23				2021-22	2020-21
विवरण	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय	राजकोष कुल	कुल	कुल
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	0.05	227.20	-	227.25	164.66	138.67
अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवाकर	0	0	11.71	11.71	3.41	15.27
जीएसटी (राज्य को क्षतिपूर्ति) उपकर	0	0	1306.78	1306.78	1290.69	900.14
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0	0	0	0	12.39	0.00
	कुल			3742.94	3296.59	2533.56

# 8. दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (नवोन्मेष)

#### 1. आईटी नवोन्मेष

- i. डेटा कनेक्टिविटी और ईआरपी कार्यान्वयन के लिए बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों, जैसे सड़क तौल-सेतु (रोड वे-ब्रिज), बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थलों, परियोजना कार्यालयों आदि पर एमपीएलएस-वीपीएन लिंक प्रदान किए गए हैं।
- ii. पहले चरण में बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली को बरोरा, ब्लॉक -2, कुसुंडा, पीबी, बास्ताकोला एवं मुख्यालय में प्रतिष्ठापन किया गया है। वेतन तैयार करने में मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए उक्त उपस्थिति प्रणाली को एसएपी के साथ भी एकीकृत किया गया है।
- iii. कोयला भवन के सभी विभागाध्यक्षों के साथ-साथ प्रकार्य निदेशकों के उपयोग के लिए की-टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और ऐ काम कर रहे हैं।
- iv. अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए केंद्रीय अस्पताल धनबाद और बाघमारा अस्पताल, बरोरा क्षेत्र में लैन नेटवर्क बनाया गया है।
- v. विभिन्न क्षेत्रों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के प्रतिष्ठापन के लिए 400 जीपीएस उपकरणों की खरीद पूरी कर ली गई है।
- vi. इंटरनेट से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक स्थानों, जैसे नए सड़क तौल-सेतु (रोड वे-ब्रिज), परियोजना कार्यालयों, कार्मशाला आदि पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

#### 9. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी में लागू है। समय-समय पर नए सदस्यों को शामिल कर बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित है:-

- 1. श्री सत्यब्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल, अध्यक्ष
- 2. श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी)/संचालन और परियोजना व योजना, सदस्य
- 3. श्री उदय ए कावले, परियोजना व योजना, सदस्य
- 4. श्री मुरलीकृष्णा रमैया, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल, सदस्य

मायने रखने वाले विभिन्न जोखिमों (आरटीएम) की पहचान की गई है। विभागाध्यक्षों के परामर्श से और जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन टीम ने बीसीसीएल के जोखिमों (आरटीएम) की नियमित और निरंतर निगरानी के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिकल्पित शासन प्रक्रिया को कार्यान्वित किया है।

#### 10. कंप्यूटर एवं प्रणाली:

#### एसएपी (सिस्टम एनालायसिस प्रोग्राम) का शुभारंभ

कोल इंडिया सभी सहायक कंपनियों में एसएपी आधारित ईआरपी समाधान लागू कर दिया है। बीसीसीएल के पद्धित विभाग ने कंपनी में सैप कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटेग्रेटर मैसर्स एसेंचर के साथ मिलकर एफआईसीओ, एमएम, पीएम, एसडी, पीपी, प्रोजेक्ट सिस्टम और मानव पूंजी प्रबंधन जैसे सभी सात मॉड्यूलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

- 🗲 पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपाय शुरू किए गए हैं जैसे आंतरिक प्रेषण वास्तविक समय के आधार पर किया जा रहा है।
- बीसीसीएल में आईओसीएल की डीजल डिस्पेंसिंग इकाइयां भी एसएपी से जुड़ी हुई हैं, जो वास्तविक समय में डीजल की खपत दर्ज कर रही हैं।
- ≽ बैंक इंटरफेस लागू किया गया है।
- बीसीसीएल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जिसमें रोगियों के पंजीकरण, निदान और दवाएं जारी करने से लेकर पूरी प्रक्रिया
  को स्वचालित किया गया है।

# 11. भूगर्भीय अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

#### 11.1 बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में 23 नग पेइज़ोमेट्रिक कुओं की ड्रिलिंग और की स्थापना।

बीसीसीएल ने एमओईएफसीसी से 16 क्लस्टरों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) आदेश में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों का पालन करना एक वैधानिक आवश्यकता है। ऐसी ही एक शर्त में कहा गया है: "मौजूदा कुओं का एक नेटवर्क स्थापित करके और नए पेइजोमीटर का निर्माण करके भूजल स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी ..."।

उक्त मामले पर सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर, भूविज्ञान विभाग ने एनआईटी के अनुसार निर्धारित समय के भीतर बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में 23 पेइज़ोमेट्रिक कुओं को सफलतापूर्वक स्थापित करने का काम किया है। स्थापित पेइज़ोमेट्रिक कुओं का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	क्लस्टर	कुओं का नाम	ड्रिल की गहराई (मी. मे.)	स्थान
1	I PZ-1A PZ-1B		40	दामोदा कोलियरी कार्यालय के उत्तर-पश्चिम में स्थित पानी की टंकी के पास 'डीएमएस' भवन के
2			115	अंदर। पुराने CISF क्वार्टर के सामने,
3	II	PZ-2A	87	केसरगढ़ प्राथमिक विद्यालय के सामने पुराने सैनिक ट्रांसपोर्टर कार्यालय भवन के अंदर,
4	11	PZ-2B	77	महेशपुर एसआईएलओ के पास,
5		PZ-3A	172	महेशपुर थाना से 100 मीटर उत्तर में स्थित औषधालय भवन के सामने,
6	III	PZ-3B	30	कैल्डीह मध्य विद्यालय के परिसर के अंदर,
7		PZ-3C	124	कर्णूडाह मध्य पिद्याराय के पारसर के जपर,
8	IV	PZ-4A	70	
9	1 V	PZ-4B	240	एजेंट बंगलो गैसलिटांड के अंदर,
10	V	PZ-5A	35	सेंद्रा बांसजोरा कोलियरी कार्यालय के अंदर,
11	V	PZ-5B	94	शिव मंदिर गरेडिया बस्ती के पास,
12		PZ-7A	159	शिव मंदिर के पास, धनसार माइन्स रेस्क्यू स्टेशन से 150 मीटर की दूरी पर, बैंकमोर की ओर,
13	VII	PZ-7B	35	सिमलाभाल कोलियरी कार्यालय के अंदर
14		PZ-7C	105	कुईया तिसरा बस्ती के पास
15	VIII	PZ-8A	140	भेराकट्टा गांव के पास सड़क के बगल में
16	IX	PZ-9A	85	एनटीएसटी कोलियरी के निकट दृष्टिकोण,
17	IΛ	PA-9B	99	कौहरमल चौक, डिगवाडीह
18	X	PZ-10A	134	भौरा -19, बीएलए साइडिंग के पास, भौरा
19	XI	PZ-11A	300	ट्रेनी हॉस्टल के सामने, मुनीडीह
20	XIII	PZ-13A	80	भाटडीह कोलियरी पिट ऑफिस के सामने नागदा गांव, इंकलाइन नंबर -18 से सटे
21	VIV	PZ-14A	30	
22	XIV	PZ-14B	162	लोहापट्टी कोलियरी अस्पताल परिसर के अंदर, लोहापट्टी कोलियरी कार्यालय के पास
23	XVI	PZ-16A	90	दहीबाड़ी-बसंतीमाता ओसीपी के कर्मशाला के बाहर, कर्मशाला निर्माण और फॉल्ट प्लेन के बीच में



#### 11.2 आउटसोर्स किए गए एचईएमएम पैच के लिए कोयले की मात्रा की जांच:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आउटसोर्स किराए पर लिए गए एचईएमएम पैचों (3.00 एमटी से कम रिजर्व के लिए) के 19 प्रस्तावों के लिए कोयले की मात्रा की समयबद्ध जांच की गई थी।

#### 12. अनुसंधान एवं विकास

बीसीसीएल के अनुसंधान एवं विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	पदनाम
1.	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
3.	सदस्य	निदेशक (वित्त)
4.	सदस्य सचिव	महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास)
5.	सदस्य	महाप्रबंधक (वाशरी प्रभाग)
6.	सदस्य	विभागाध्यक्ष ( परियोजना व योजना)
7.	सदस्य	संबंधित विभाग (परियोजना पर निर्भर)

बीसीसीएल की अनुसंधान एवं विकास समिति के अध्यक्ष को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यकता के आधार पर उद्योग/प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान/सरकारी एजेंसियों के दो विशेषज्ञों को सहयोजित करने का अधिकार है।

#### 12.1 आधुनिकीकरण

कंपनी यह प्रयास कर रही है कि भूमिगत खानों के परिचालन में एसडीएल जैसे मध्यम स्तरीय तकनीक को बदलकर उसके स्थान पर लांगवाल एवं कंटीन्यूअस माइनर तकनीक जैसे व्यापक उत्पादन वाली तकनीक को अपनाया जाए। कंपनी बीसीसीएल में पहली बार हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है। बीसीसीएल ने रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर एमडीओ मोड के माध्यम से अपनी कुछ बंद भूमिगत खानों से उत्पादन फिर से शुरू करने की पहल की है।

#### 12.2 लॉगवाल तकनीक

वर्तमान में मुनिडीह खदान में, XVI (T) सीम के लॉन्गवॉल फेस के साथ-साथ XV सीम के ड्रेवेज से कोयले का उत्पादन चल रहा है। वर्ष 2022-23 में 0.552695 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है।

मुराईडीह भूमिगत खदानों में लॉन्गवॉल टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दो इंकलाईनों के एयर शाफ्ट और ड्राइवेज का सिंकिंग। पूरा हो गया है। फीडर ब्रेकर और शटल कारों के साथ बोल्टर माइनर को भूमिगत तक पहुँचाया गया। एक बार वन मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद इस खदान से गैलिरियों के इन-सीम ड्राइव द्वारा कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा।

# 12.3 कंटीन्यूअस माइनर प्रौद्योगिकी:

कंटीन्यूअस माइनर की शुरुआत के लिए फुलारीटांड़ भूमिगत सेक्शन की प्योर बेनेडीह लाइन माइन और समामेलित ब्लॉक-II ओसी माइन की संपत्ति पर विचार करते हुए सीएमपीडीआई में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्योर बेनेडीह - ब्लॉक- II भूमिगत खदान (1.83 एमटीवाई क्षमता) की ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा दिनांक 06.03.2023 को प्रस्तुत की गई थी। सीएमपीडीआई में बीसीसीएल के सुझावों को शामिल किया जा रहा है।

#### 12.4 हाईवॉल खनन प्रौद्योगिकी:

वर्तमान में बीसीसीएल में दो हाईवॉल खनन परियोजनाओं की शुरूआत की गई है - एक अमलगमेटेड ब्लॉक- II ओसीपी (एबीओसीपी) में और दूसरी राजापुर ओसीपी में। ब्लॉक- II क्षेत्र के एबीओसीपी में हाईवॉल माइनिंग तकनीक की शुरूआत के लिए दिनांक 26.10.2022 को एलओए जारी किया गया है और इस संबंध में दिनांक 23.01.23 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 17.02.2023 को राजापुर में एक और हाईवॉल खनन परियोजना के लिए एनआईटी मंगाई गई है और पार्ट-1 बोली खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 19.05.2023 है। हाईवॉल खनन के कार्यान्वयन के लिए तीन और स्थलों की पहचान की गई है और इन स्थलों पर अध्ययन चल रहा है।

# 12.5. बंद हो चुकी भूमिगत खानों में एमडीओ की भागीदारी:

बीसीसीएल द्वारा राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ मोड के माध्यम से कुछ बंद खदानों को फिर से खोलने, विकास और संचालन के लिए पहचान की गई है। बंद पड़ी 08 खदानों के लिए टेंडर निकाले गए।

इन 08 खदानों में से चार खदानों नामत: पीबी परियोजना, सालनपुर-एजीकेसी, लोयाबाद और खरखरी खदानों के लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं। बोलियों के मूल्यांकन के बाद, पीबी परियोजना, सालनपुर-एजीकेसी और लोयाबाद खदानों और खरखरी खान के संबंध में सफल बोलीदाताओं को एलओए जारी कर दिए गए हैं।

शेष 04 (चार) खदानों यथा अमलाबाद, लोहापट्टी, मधुबंद एवं बेगुनिया की निविदाएं कोई भी बोली के प्राप्त न होने के कारण निरस्त कर दी गई हैं। इन चारों खदानों के लिए पुनः निविदा (री-टेंडरिंग) की गई है।

दो और बंद खदानों यानी समामेलित पूर्वी भगतडीह सिमलाबाहल और धर्माबांध पुनर्संगठित परियोजना के लिए निविदा अगली किश्त में ली जाएगी।

# 12.6. चालू खनन परियोजनाएं:

क्रम सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
1.	मुराईडीह भूमिगत (बरोरा क्षेत्र) (9वीं वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 20.435 एमटी) पूंजी : ₹ 339.875 करोड़	2.00	<ul> <li>पूर्ण टर्नकी आधार 9 वार्षिक उत्पादन अविध में न्यूनतम गारंटीशुदा 20.435 मिलियन टन के लिए व्यापक उत्पादन तकनीकी पैकेज द्वारा मुराइडीह भूमिगत खान के सीम I/III को कोयले तक अभिगम और निष्कर्षण के लिए विकसित करने का अनुबंध मैसर्स मिनोप-माहेश्वरी माइनिंग - बीएचईसी (चीन) कंसोटिंयम को दिया गया। बोर्ड द्वारा यह परियोजना दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित की गयी और करार पर दिनांक 22.06.2012 को हस्ताक्षार हुए।</li> <li>डीजीएमएस द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण शाफ़्ट सिंकिंग और इंक्लाइन ड्राइवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से रुका रहा। कार्य के बंद रहने के दौरान शाफ्ट सिंकिंग 13 मीटर तक की गयी जबिक इंक्लाइन क्रमश: 52 मीटर और 48.5 मीटर चलाई गयी और इसने कोल सीम (III) को छू लिया।</li> <li>इन दौरान, दिनांक 01.06.2016 से मैसर्स मिनोप संवेदक द्वारा करार में भुगतान की कुछ शर्तों में आशोधन के लिए सभी कार्य लंबित रखे गए।</li> <li>यह कार्य शुरु करने के लिए मैसर्स मिनोप को पुन: बोला गया। स्थल पर दिनांक 01.01.2020 से डीजीएमएस के अनुमोदन से कार्य शुरू हुआ।</li> <li>2 इंक्लाइन और एयर शाफ्ट की सिंकिंग के लिए सुरंग मार्ग बनाने का कार्य पूरा हो चुका है।</li> <li>एक बार वन मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद, गैलरी की इन-सीम ड्रिवेज द्वारा इस खदान से कोयला उत्पादन</li> </ul>
2.	मुनिडीह XV सीम भूमिगत (डब्ल्यू जे एरिया) (पीएसएलडब्ल्यू) (न्यूनतम गारंटी उत्पादन- 9 एपीपी में 22.5 एमटी) पूंजीः ₹ 1230.27 करोड़	2.50	शुरू हो जाएगा।  • दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.08.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में किए अनुमोदन के अनुसार मैसर्स इंदू-एससीसीएल-सीमजीएसई कंसोर्टियम को 9 वर्ष की वाणिज्यिक उत्पादन अविध के दौरान कुल न्यूनतम 22.50 मिलियन टन गारंटीशुदा उत्पादन, बीमा व माल ढुलाई समेत कुल पूंजी लागत ₹ 1230.273 करोड़ पर कार्य सौंप दिया गया है। इसके बाद कंसोर्टियम के साथ अप्रैल, 2014 में करार हुआ।  • प्रारंभ में, भूमि व अन्य समस्याओं के कारण परियोजना में विलंब हुआ। 420.90 मीटर गहराई को पारकर शाफ्ट सिंकिंग पूरी हो गयी है (XV सीम तक पहुंच गये) और 345.5 मीटर की लंबाई के ड्रिफ्ट को XVI सीम से XVसीम तक चलाया गया।



क्रम सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)		वर्तमान स्थिति		
			<ul> <li>दोनों इंक्लाइनों के लिए सुरंग निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। ट्रंक रोड, संप और लोंगवाल पैनल के निर्माण के लिए इन-सीम ड्राइवेज चल रहा है।</li> <li>कंसोर्टियम के भागीदारों में से एक, मेसर्स सीजीएमई, को यूरोप में अपनी निर्माण इकाई से लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति करनी थी, जो बंद हो चुकी थी। मेसर्स सीजीएमई को लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति के लिए यूक्रेन से मेसर्स कोरम ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में 15.02.2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लॉन्गवॉल उपकरणों के लिए एलसी 05.05.2022 को खोला गया है।</li> <li>रूस के साथ युद्ध से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति के कारण, यूक्रेन में मैसर्स कोरम का बहुत सारा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और उन्हें अपने विनिर्माण आधार को चेक गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अपनी एक सहयोगी कंपनी यानी एमएसटी मशीनरी की सुविधा को पट्टे पर लेना पड़ा।</li> <li>उपर्युक्त के मद्देनजर, बीसीसीएल ने दिनांक 06.12.2022 को आयोजित अपनी 395वीं बोर्ड बैठक में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी, जैसे i) मैसर्स कोरम के पत्रे में परिवर्तन, ii) लोडिंग पोर्ट के लिए संशोधन और iii) मूल देश के लिए संशोधन।</li> </ul>			
3.		6.0 (संशोधित 8.5 एमटीवाई)	<ul> <li>6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ए आरए मैनेजमेंट कंसिल्टंग सर्विसेज लिमि को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 304 वीं बोर्ड की 304वीं बैठक में बोर्ड द्वारा ₹ 55 आर के साथ पूरी तरह एचईएमएम आधा</li> <li>यह परियोजना संचालित की जा रही है। व इस परियोजना का पिछले 3 वर्षों का उत्पादन (मि.ट.)</li> <li>उत्पादन (मि.ट.)</li> <li>8.5 एमटीवाई क्षमता के समामेलित एन (आरपीआर) को बीसीसीएल बोर्ड द्वार 04.01.2023 को एमडीओ मोड में परिएएमडीओ के चयन के लिए दिनांक 19. 21.02.2023 को खोली गई। निविदा द</li> <li>6.0 एमटीवाई क्षमता की मौजूदा परिये एमटीवाई) की संशोधित परियोजना रिप्</li> </ul>	टेड द्वारा इसकी वित्तीय म् बैठक और तदनुसार, र् 5,52 करोड़ के पूंजीगत र पर परियोजना चलाने वे वर्तमान में, दो हायर्ड एचः वर्तमान में, दो हायर्ड एचः वर्तमान में सारणीबद्ध है: 2020-21 3.70 2.26 टीएसटी कुजामा ओसीर्प र दिनांक 12.09.2022 योजना के कार्यान्वयन के 11.2022 को निविदा नि स्तावेजों का मूल्यांकन प्र	पूल्यांकन रिपोर्ट को दिनां देनांक 12.02.2014 व व्यय का अनुमोदन 18.5 के लिए किया गया है। इएमएम पैच से उत्पादन 2021-22 2.90 3.17 ो के लिए एक संशोधित ह लीए अनुमोदित किया नेकाली गई था। भाग- I क्रियाधीन है।	क 03.02.2014

# 12.7 त्वरित लदाई पद्धति (रैपिड लोडिंग सिस्टम- आरएलएस)

क्रम खदान / परियोजना सं. का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
महेशपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग पद्धति (आरएलएस) पूंजी - ₹ 134.24 करोड़	5.0	SILO की स्थित  दिनांक 5.4.2011 को मैसर्स एस. के. सामंता एंड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में कार्य तथा सेवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया था और करार पर दिनांक 18.05.2011 को हस्ताक्षर हुए थे।  SILO के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।  दिनांक 18.09.2020 को पीजी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह दिनांक 15.10.2019 से परिचालित है।  साइडिंग की स्थिति  महेशपुर में आएलएस के साथ रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा स्वीकृति पत्र मैसर्स एचसीपीएल .एमबीपीएल (जेवी), देवघर को सौंपा गया है।  बीसीसीएल और पूर्व मध्य रेल के 25.9 एकड़ भूमि के लिए दिनांक 16.06.2020 को भूमि पट्टा करार हुआ।  एजेंसी ने दिनांक 02.03.2020 से सिविल कार्य करना शुरू कर दिया।  ब्रिज नंबर 1 और ब्रिज नंबर 3 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।  लगभग 1.5 किमी पर साइलो से आगे साइडिंग के अंतिम बिंदु तक निर्माण कार्य प्रगति पर है।  बाधाएं  3.5 किमी रूट लंबाई में से, 2.60 किमी लंबाई मैसर्स राइट्स को सौंप दी गई है। 0.90 कि.मी. मार्ग की लंबाई पर बाधाओं की स्थिति नीचे दी गई है:  • सड़क निर्माणः चिताही बस्ती को जोड़ने वाली 640 मीटर तक की ब्लैक टॉप सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अंतिरिक्त, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 640 मीटर तक की ब्लैक टॉप रोड के विकल्प के रूप में 280 मीटर की और सड़क की मांग की गई है। इस कार्य के लिए एलओए दिनांक 19.07.2022 को जारी किया गया है। डब्ल्यूबीएम रोड और पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।  सोनारडीह लेवल एक्स-आईएनजी से हिंदुस्तान जिंक सीमा तक रेलवे सिम्मिलंग केबल का स्थानांतरण। रेलवे द्वारा जारी एलओए और अप्रैल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

# 12.8नयी स्वीकृत परियोजना

बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 12.09.2022 को और सीआईएल बोर्ड द्वारा 04.01.2023 को 8.5 एमटीवाई क्षमता के समामेलित एनटीएसटी कुजामा ओसीपी के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट (आरपीआर) को एमडीओ मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।

# 12.9 पूंजीगत परियोजनाएं और योजनाएं

i) वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित ₹ 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पूरी की गई खनन परियोजनाएं

#### शून्य

ii) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली खनन परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं।

शून्य



- iii) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत ₹20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएं शून्य
- iv) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली गैर खनन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)
1	2.5 एमटीपीए मुनिडीह कोकिंग कोल वाशरी	30.07.2022	454.30
2	भोजूडीह वाशरी, बीसीसीएल में 25 MWp ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	24.09.2022	163.00
3	दुग्दा वाशरी, बीसीसीएल में 22 MWp ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	05.01.2023 (एफडी में डीपीआर का अनुमोदन)	150.15

V. अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली आरपीआर/आरसीइएस

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत क्षमता (एमटीपीए)	स्वीकृत पूंजी
1	एनटीएसटी कुजामा ओसीपी	12.09.2022 – बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 04.01.2023 - बीसीसीएल बोर्ड द्वारा	8.5	कुल : ₹7094.3686 Cr बीसीसीएल का हिस्सा: ₹4011.8508 करोड़

VI. वर्ष 2022-23 के दौरान बंद परियोजनाएं - शून्य

# 12.10 सीएमएम/सीबीएम परियोजना

मुनिडीह कोलियरी के XVI सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन

- एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में मुनिडीह कोलियरी XVI टी सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन किया गया।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पर अनुमोदन के पश्चात दो बार निविदा जारी की गई थी, पहली दिनांक 07.09.2018 को और दूसरी एनआईटी में संशोधन के बाद दिनांक 09.07.2019 को। परंतु दोनों मौके पर निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि दो समय विस्तार के बाद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।
- निविदा जारी करने के लिए संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज पर अनुमोदन के बाद दिनांक 31.03.2020 को नयी निविदा जारी की गयी। बोली दिनांक 28.09.2020 को खोली गई, और एक बोलीदाता मेसर्स डीप सीएच4 लिमिटेड ने निविदा में भाग लिया, लेकिन तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया, इसलिए बोली को अस्वीकार कर इसे रद्द कर दिया गया।
- सीएमपीडीआई को XVI टॉप सीम से मीथेन के प्री-ड्रेनेज के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 09.10.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया।
- मुनिडीह XVIT सीम पैनल विकास और निष्कर्षण एक साथ किया जा रहा है और वर्तमान में कोई अग्रिम पैनल विकास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, सीबीएम विकास के लिए एक चित्रित सीबीएम ब्लॉक- I राजस्व साझाकरण के आधार पर मैसर्स पीईपीएल को दिया गया है और प्रस्तावित एमएम प्री-ड्रेनेज परियोजना झरिया सीबीएम ब्लॉक- I के तहत है जो अन्वेषण चरण के तहत है।

• उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीएमपीडीआई ने दिनांक 20.01.2023 को मेल के माध्यम से सूचित किया कि कोयला सीम को डीगैसीफाई करने के लिए अग्रिम पैनल विकास की आवश्यकता है और इसलिए अग्रिम पैनल विकास के बिना मुनिडीह यूजी खदान से सीएमएम के पूर्व-जल निकासी की योजना बनाना मुश्किल है। सीएमपीडीआई ने आगे सूचित किया कि चूंकि सीएमएम के प्री-ड्रेनेज का प्रस्तावित क्षेत्र मैसर्स पीईपीएल को दिए गए झिरया सीबीएम ब्लॉक-I के भीतर है, इसलिए यदि मुनिडीह भूमिगत खदान के XVIT सीम से सीएमएम ड्रेनेज के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के चयन के लिए निविदा जारी की जाती है तो कानूनी अनिवार्यता हो सकती है।

#### झरिया सी बी एम/सीएमएम ब्लॉक से मिथेन का दोहन

- बीसीसीएल में कपूरिया, मुनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉकों के खनन पट्टाधारित लगभग 26.55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वाणिज्यिक विकास के लिए चिह्नित किया गया है।
- 26.55 वर्ग कि.मी. के इस चिह्नित क्षेत्र में 25 बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) के गैस-इन-प्लेस का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक विस्तृत 30 वर्षीय उत्पादन प्रोफाईल तैयार की गयी है।
- पिरयोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गयी और इसे दिनांक 03.08.2018 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 345 वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित किया गया।।
- निविदा दिनांक 30.10.2020 को जारी की गयी और मैसर्स पीईपीएल योग्य पाया गया। तत्पश्चात, दिनांक 8 जून 2021 को बीसीसीएल द्वारा एलओए जारी किया गया।
- राजस्व बंटवारा अनुबंध दिनांक 20 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था और बैंक गारंटी 30 अक्टूबर, 2021 को जमा की गई।
- सीएमपीडीआईएल द्वारा ईएमपी तैयार किया गया है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिनांक 31 मार्च 2022 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।
- दिनांक 06.05.2022 को आयोजित अपनी 389वीं बैठक में बीसीसीएल बोर्ड द्वारा झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 (अन्वेषण चरण के लिए) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को अनुमोदित किया गया था।
- ईसी आवेदन में संशोधन के लिए संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) बीसीसीएल को प्रस्तुत की गई है। अन्वेषण चरण के लिए ईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

#### 12.11 बीसीसीएल में कोल ब्लॉक

सीएमएसपी अधिनियम के तहत बीसीसीएल को आवंटित दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) पूर्वी कोयला ब्लॉक की स्थिति निम्नलिखित है:-

# दामागोरिया का पूर्वी कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी)

- कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम-2015 के अंतर्गत बीसीसीएल को पत्र सं. CBA2-13011/1/2017-CBA2 दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से ईस्ट दामागोरिया कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी) आवंटित किया है। दिनांक 26.09.2019 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी तथा बीसीसीएल के अधिकृत पदाधिकारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 25.10.2019 को कोयला मंत्रालय को 50% अग्रिम भुगतान के एवज में ₹ 62.50 करोड़ रूपये तथा निर्धारित राशि के एवज में ₹ 17.341668 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन प्रतिभूति के तौर कोयला मंत्रालय को ₹ 124.3328 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी है।
- आदेश सं. F. No. 103/2/2015-NA-Part (1) दिनांकित 21.11.2019 के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया गया।
- सीएमपीडीआई द्वारा ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ब्लॉक के तहत आंशिक भूमि वाली एक खनन योजना तैयार की गई है और दिनांक 06.05.2020 को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।



- इस कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीतारामपुर ब्लॉक और सेल एवं ईसीएल के शेष लीजहोल्ड क्षेत्रों के साथ कल्याणेश्वरी ब्लॉक का एक सीमा ओवरलैप मुद्दा है।
- बीसीसीएल द्वारा कल्याणेश्वरी ब्लॉक के सीमा से संबंधित मुद्दों को शीघ्र समाधान करने और सीतारामपुर ब्लॉक को बीसीसीएल को आवंटन करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
- ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई में तैयार की जा रही है। कल्याणेश्वरी की ब्लॉक सीमा एवं सीतारामपुर ब्लॉक के आवंटन से संबंधित मुद्दों के संबंध में कोयला मंत्रालय से निर्णय लेने के बाद परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- सेल के रामनगर ब्लॉक पर मिलकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीसीसीएल के कल्याणेश्वरी ब्लॉक और सेल के रामनगर ब्लॉक पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए बकाया मुद्दों के समाधान के लिए दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से एक समिति गठित की गई है।

#### 12.12 उत्पादन कार्ययोजनाः

बीसीसीएल द्वारा अगले तीन वर्षों तक कोयला उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन-योजना बनायी गयी है:-

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
उत्पादन (मि.टन)	36.178	41	45	50
वृद्धि (%)	****	13.33	9.75	11.11

#### 12.13 रेलवे साइडिंग अवसंरचना

<ol> <li>गोविंदपुर क्षेत्र में महेशपुर साइडिंग का आरएलएस के साथ निर्माण</li> </ol>	साइट पर कई बाधाओं के बावजूद, सिविल कार्य की भौतिक प्रगति की उपलब्धि 45% है। कार्य जारी है और दिसंबर, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
<ol> <li>बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्ण रेक लंबाई बनाने के लिए बोर्रागढ़ साइडिंग का विस्तार।</li> </ol>	विस्तार का कार्य पूरा हो चुका है।
<ol> <li>लोदना क्षेत्र में सीके वेस्ट साइडिंग को भावी ओपनकास्ट के लिए विखंडन करना</li> </ol>	सीके वेस्ट साइडिंग विखंडित कर दिया गया है।

#### 12.14 भूमिगत उत्पादन

# वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान भूमिगत उत्पादन:

विवरण	(2022-23)	(2021-22)	पिछले साल की तुलना में वृद्धि (%)
एसडीएल उत्पादन (टन में)	133109	211920	(-) 37.19
उत्पादन (एमटी) XVI सीम लॉन्गवॉल मुनिडीह	441200	439890	10.02
उत्पादन (एमटी), XV सीम मुनिडीह  (विकास)	111495	153751	(-)7.25
कुल मुनिडीह	552695	593641	(-) 6.90
कुल बीसीसीएल	685804	805561	(-) 14.86

#### कम उत्पादन के कारण:

कम उत्पादन के कारण निम्नानुसार हैं:

- अक्टूबर, 2021 में अचानक पानी भर जाने के कारण सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी कोलियरी, कतरास क्षेत्र के सालनपुर कोलियरी और केशलपुर/एकेडब्ल्यूएमसी में एसडीएल उत्पादन रोक कर दिया गया।
- 2. सुरक्षा मुद्दों के कारण अक्टूबर, 2021 से बास्ताकोला कोलियरी का एसडीएल उत्पादन रोक दिया गया और खदान को ओपन कास्ट में बदल दिया गया।
- 3. लॉन्गवॉल पैनल के स्थानांतरण के कारण मुनिडीह में XVI सीम का उत्पादन कम हो गया।
- 4. XV सीम में विकास कार्य जारी है और अप्रैल, 2025 से लॉन्गवॉल विधि के माध्यम से उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

# मुराईडीह लॉन्गवॉल परियोजना की स्थिति

खदान/परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	वर्तमान स्थिति
मुराईडीह यूजी (बरोरा क्षेत्र) (9 वार्षिय योजना अवधि में न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन 20.435 मि. टन) पूंजी – ₹ 339.875 करोड़	2.00	<ul> <li>कुल चक्रानुक्रम आधार पर 9 वर्षिय उत्पादन अविध में 20435 मिलियन टन के न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन के लिए मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पैकेज (पीएसएलडब्ल्यू) द्वारा मुराईडीह यूजी खान की I/III सीम से कोयले की पहुंच और निष्कर्षण सहित विकास के लिए एक अनुबंध मैसर्स मिनोप के साथ किया गया था –</li> <li>माहेश्वरी माइनिंग-बीएचईसी (चीन) कंसोटिंयम। इस परियोजना को बोर्ड द्वारा दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित किया गया था और दिनांक 22.06.2012 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।</li> <li>डीजीएमएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण शाफ्ट सिंकिंग और इनक्लाइन ड्रिवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से निलंबित कर दिया गया था। काम के निलंबन के समय, शाफ्ट सिंकिंग 13 मीटर तक की गई थी, जबिक झुकाव क्रमशः 52 मीटर और 48.5 मीटर तक चलाया गया था और कोयला सीम (III) को छू गया था।</li> <li>इस बीच, ठेकेदार, मेसर्स मिनोप द्वारा दिनांक 01.06.2016 से सभी काम को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें समझौते में भुगतान की कुछ शर्तों में संशोधन की मांग की गई थी।</li> <li>सभी वैधानिक प्रतिबंधों के अनुपालन और मैसर्स मिनोप के अनुसरण के बाद जनवरी, 2020 से फिर से काम शुरू कर दिया गया है।</li> <li>दिनांक 28/02/2023 को दो इंक्लाइनों के ड्रिवेज और एक एयर शाफ्ट के सिंकिंग का काम पूरा हो गया इंक्लाइन 1: 927.00 मी. इंक्लाइन 2: 927.00 मी. एयर शाफ्ट: 125.00 मी.</li> <li>वन स्वीकृति के मुद्दे के कारण आगे के ड्रिवेज कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।</li> </ul>



# अगले 4 वर्षों के लिए उत्पादन रोड मैप:

वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
प्रस्तावित उत्पादन (मि.टन)	1.425	4.415	8.374	10.194
अपेक्षित वृद्धि (%)	113%	210%	90%	22%

# बंद भूमिगत खदानों का एमडीओ कार्यक्रम:

एमडीओ मोड पर संचालन के लिए 22 (बाईस) बंद भूमिगत खदानों की पहचान की गई है। प्रथम चरण में राजस्व साझेदारी के आधार पर एमडीओ में परिवर्तन के लिए 08 खानों पर विचार किया गया है। निम्नलिखित चार्ट इस संदर्भ में की गई कार्रवाइयों की स्थिति दर्शाता है।

क्र. सं.	खदान का नाम	नि.आ.सू. तिथि	बोली खुलने की तिथि	भाग लेने वाले बोलीदाताओं की सं.	टिप्पणी		
1	लोहापट्टी यूजी	29.03. 2023	18.05.2023	-			
2	मधुबन यूजी	29.03. 2023	22.05.2023	-			
3	अमलाबाद यूजी	29.03. 2023	16.05.2023	-			
4	खरखरी	28.10.2022	27.02.2023	05	25.04.2023 को स्वीकृति पत्र जारी		
5	बेगुनिया	29.03.2023	20.05.2023	-			
6	लोयाबाद यूजी	दिनांक 21.03.2023 को 7.29% पर मेसर्स वेंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को एलओए जारी किया गया					
7	एजीकेसी सहित सलानपुर	दिनांक 21.03.2023 को मैसर्स आर.के. ट्रांसपोर्ट को 9.0% पर एलओए जारी किया गया					
8	भागाबंध केबी 10/12 और ईसी	दिनांक 21.03.2023 को 6.0% पर मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को एलओए जारी					
	केंदुआडीह सहित पीबी परियोजना	किया गया					

# 13. भू-संपदा

वर्ष	दिए गए नियोजन	भूमि	भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में) क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)		भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में) क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में) पंजीकरण एवं अन्य लागत		पंजीकरण एवं अन्य लागत	कुल राशि (₹ करोड़ में)
		एल. ए.	सी.बी.ए.	क्रय	भूमि के बदले में	नियोजन के बदले में	(₹ करोड़ में)	
2022-23	00	00	00	7.085	14.696	0.047	1.481	16.22485

#### 14. विदेशी सहयोग


बीसीसीएल में वर्तमान में विदेशी सहयोग से चलने वाली कार्यान्वयन के लिए कोई परियोजना नहीं है।

#### 15. विपणन

# 15.1 कच्चे कोयले की आपूर्ति का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य (मि. टन)	वर्ष 2022-23 में वास्तविक (मि. टन)	% उपलब्धि	वर्ष 2021-22 में वास्तविक	(मि. टन) पिछले वर्ष से % वृद्धि
पॉवर (सीपीपी समेत)	20.95	27.51	131%	25.46	8%
स्टील	1.20	1.16	97%	0.73	58%
उर्वरक	0.70	0.39	56%	0.64	-39%
ई-ऑक्शन (एसएफई के अतिरिक्त)	1.50	1.23	82%	1.23	0%
अन्य एन आर एस लिंकेज	1.10	0.82	74%	0.63	31%
वाशरी के लिए	6.55	4.42	67%	3.56	24%
आंतरिक उपभोग	0.00	0.00	0%	0.00	0%
कुल	32.00	35.53	111%	32.25	10%

टिप्पणीः सीआईएल के एएपी लक्ष्य के अनुसार





### 15.2 (क) बिक्री पर की गई वस्ली

पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल बिक्री की तुलना में प्राप्ति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	वर्ष	सकल बिक्री (र करोड़ में)	वसूली (र करोड़ में)	वसूली का %
1	2022-23	17245.39	17211.29	99.80%
2	2021-22	13583.90	15916.82	117.17%
3	2020-21	8959.95	8005.91	89.35%
4	2019-20	12705.84	10004.21	78.74%
5	2018-19	13422.92	15046.9	112.10%

#### 15.2(ख) बकाया राशि का निपटान:

विभिन्न एफएसए उपभोक्ताओं के साथ पुराने विवादित बकाया के निपटान के लिए वर्ष 2021-22 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। डीवीसी तथा अन्य उपभोक्ताओं के साथ द्विपक्षीय समझौता बैठकें आयोजित की गई। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की बकाया राशि में काफी आई है।

### 15.3ई-नीलामी

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न ई-नीलामी योजनाएं संचालित की गईं और ई-नीलामी के लिए कुल 135.38 लाख टन कोयले की पेशकश की गई और बेची गई वास्तविक मात्रा 34.99 लाख टन थी। विभिन्न ई-नीलामी का योजना-वार प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला एवं कोयला उत्पादों के लिए स्पॉट ई-नीलामी योजनाएं आयोजित की गई थीं और स्पॉट ई-नीलामी के लिए कुल 33.24 लाख टन की मात्रा की पेशकश की गई थीं तथा बेची गई वास्तविक मात्रा 26.80 लाख टन थी। स्पॉट ई-नीलामी का प्रदर्शन इस प्रकार है:

2022-23					
योजना का नाम	बोली की मात्रा (लाख टन में)	उठाव की मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)		
विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी	-	0.05	-		
एक्सक्लूसिव ई-नीलामी	-	1.23	-		
स्पॉट ई-नीलामी	33.24	24.88	1002.01		
विशेष स्पॉट ई-नीलामी	-	0.00	-		
आयात प्रतिस्थापन के लिए विशेष स्पॉट ई-नीलामी	-	0.64	-		
कुल बीसीसीएल	33.24	26.80	1002.01		

टिप्पणी: सीआईएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल स्पॉट ई-नीलामी आयोजित की जानी आवश्यकता है, क्योंकि सभी नीलामियों को एक ही खिड़की (विंडों) में जोड़ा जाता है। ई-नीलामी में पिछले वर्ष की बुकिंग के मुकाबले उठाई गई मात्रा में प्रेषण भी शामिल है।

# 15.4 वर्ष 2022-23 में एफएसए के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के उपभोक्तावार आपूर्ति

विद्युत कंपनी का नाम	वर्ष 2022-23 में एसीक्यु (लाख टन में)	कोयला एवं कोयला उत्पाद की आपूर्ति (लाख टन में)	% पूर्ति
डीवीसी	103.16	109.72	106%
एनटीपीसी	36.83	51.91	141%
डब्ल्यूपीडीसीएल	-	16.77	-
यूपीआरवीयूएनएल	26.13	30.09	115%
एचपीजीसीएल	11.6	15.89	137%
पीएसईबी	3.33	11.38	342%
डीपीएल	6.2	5.79	93%
एमपीएल	18.43	26.04	141%
बज बज (इकाई-III)	4.58	4.03	88%
एमजीटीपीपी	8.89	11.68	131%
पानीपत	-	-	-
रोपर	-	-	-
कुल बिजली उपयोगिता	219.15	283.30	129%

# विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय विदेशी मुद्रा का व्यय

मद	2022-23 (₹ करोड़ में)	2021-22 (₹ करोड़ में)	2020-21 (₹ करोड़ में)
स्टोर, स्पेयर्स एवं कंपोनेंट	शून्य	शून्य	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य	शून्य	शून्य

16.2 एचईएमएम की खरीद 2022-23 के दौरान निम्नलिखित मशीनरी को बंद कर दिया गया था:

क्र. सं.	मद विवरण	मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ करोड़ में)	पी.ओ. तिथि
1	250 एमएम ड्रिल	2	9.92	16-05-2022
2	280 एचपी मोटर ग्रेडर	2	6.54	18-10-2022
3	28 केएल वाटर स्प्रिंकलर	2	4.58	21-10-2022
4	5-6 क्यु.मी. शॉवेल	5	59.38	26-10-2022
5	60टी रियर डम्पर	26	114.40	16-11-2022
6	410 एचपी डोजर	4	25.95	16-11-2022
7	160 एमएम ड्रिल	4	25.24	16-11-2022
8	30टी क्रेन	4	8.79	09-03-2023
		कुल	254.80	



> वर्ष 2022-23 के लिए कुल खरीद के % के रूप में GeM से खरीद के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) मानदंड (25%), जो कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.10.2022 के वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश में दिए गए सूत्र पर आधारित है।

जेम के अनुसार वर्ष के दौरान जेम पोर्टल से क्रय की गयी वस्तुएं और सेवाएं

संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्रय

247.61 Crores

222.76 Crores

X 100= 1.16 %

- 2. वर्ष 2022-23 के दौरान अनुपालन पैरामीटर के क्रम संख्या 4, 5 व 6 के संदर्भ में अनुपालन की स्थिति निम्नलिखित है-
- (क) क्रम संख्या-4 का अनुपालन संबंध पोर्टल के अनुसार एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्रय रु. 222.7670 करोड में से रू. 174.7326 करोड़ था जो कि लक्ष्य 25% के बदले 78.44% था।
- (ख) क्रम संख्या-5 का अनुपालन संबंध पोर्टल के अनुसार एस सी/ एस टी एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्रय ₹ 222.7670 करोड में से ₹ 5.7389 करोड़ था जो कि लक्ष्य 4% के बदले 2.58% था।
- (ग) क्रम संख्या-6 का अनुपालन संबंध पोर्टल के अनुसार महिला एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का कुल क्रय रु. 222.7670 करोड में से रू. 17.2615 करोड़ था जो कि लक्ष्य 3% के बदले 7.75% था। टिप्पणी: वस्तुओं और सेवाओं की उपरोक्त कुल खरीद ईडी (एम एंड सी), सीआईएल पत्र संख्या 169 दिनांक 01 जून, 22 के अनुसार गैर- छुट वाली वस्तुओं के कुल खरीद मृल्य पर आधारित है।


#### स्क्रैप निपटान

मानदंड	2021-22 (₹ करोड़ में)	2022-23 (₹ करोड़ में)	वृद्धि (%)
स्क्रैप निपटान से प्राप्त राशि	12.37	16.26	31.44%

#### 17. गुणवत्ता नियंत्रण

#### 17.1 नम्ना एकत्रण (तृतीय पक्ष द्वारा नम्ना एकत्रण की स्थिति)

- क) बीसीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयला प्रेषण के सभी तरीकों के लिए सभी लोडिंग पॉइंट्स पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग का सफल कार्यान्वयन किया गया है। एफएसए और एमओयू के अनुसार, बीसीसीएल द्वारा थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए सभी लागू शर्तों को पूरा किया गया है। यदि किसी अपिरहार्य पिरिस्थित (पिरिस्थितियों) के लिए तृतीय-पक्ष नमूनाकरण एजेंसियां नमूना कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो संयुक्त नमूनाकरण लोडिंग एंड पर किया जाता है (विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ निष्पादित ईंधन आपूर्ति समझौता खंड संख्या 4.7.6 (ए)), निजी उपभोक्ताओं के लिए खंड संख्या 5.7.6 (ए) और अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक खंड)।
- (ख) तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए नमूना एकत्रण एवं विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिए घोषित ग्रेड के अनुरूप कुल प्रतिशत इस प्रकार है:-



\*NOTE: Referee results for FY 2022-23 received for 3 months only (i.e., for April'22, May'22 & August'22). Referee results for the remaining period are yet to be received. B&R in the chart for PY 2022-23 depicting Grade Confirmation % After Referee Results shows the Grade Confirmation % for the said seriod only. (ग) वित्त वर्ष 2022-22 के लिए, अप्रैल, 22, मई, 22 एवं अगस्त, 22 से तीसरे पक्ष के नमूने के कारण चुनौतीपूर्ण रेफरी नमूनों के विश्लेषण के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, वहीं शेष का अभी प्राप्त होना है। अप्रैल, 22, मई, 22 एवं अगस्त, 22 की अवधि के लिए रेफरी नमूने विश्लेषण परिणामों की प्राप्ति के बाद, उक्त अवधि का तीसरे पक्ष नमूने के कारण ग्रेड पृष्टि प्रतिशत 81.3% से बढ़कर 87.0% हो गया है। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में ग्रेड प्राप्ति में लगातार सुधार हुआ है।

#### 17.2 वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्धिया:

- (क) वर्ष 2021-22 के लिए, रेफरी के परिणाम प्राप्त होने के बाद तृतीय पक्ष सैंपलिंग के आधार पर ग्रेड की पुष्टि 81.7% से बढ़कर 88.3% हो गई है।
- (ख)वर्ष 2022-23 में इस तिथि को अप्रैल'22 से जनवरी'23 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष (रेफरी परिणामों के बिना) के कारण घोषित ग्रेड की पुष्टि करने वाला समग्र प्रतिशत 82.1% (अनंतिम) रहा. जबकि वित्त वर्ष 2021-22 (रेफरी परिणामों के बिना) के दौरान यह 81.7% था।
  - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ग्रेड पृष्टिकरण कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।
- (ग) वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न कोलियरियों के 7 (सात) सीमों के ROM अंश के एक नए ग्रेड को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान 1 (एक) सीम के ग्रेड को गैर-कोकिंग से कोकिंग में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।
- (ঘ) कोयला मंत्री पुरस्कार 2021-22 में बीसीसीएल को गुणवत्ता पैरामीटर में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।





(ड.) बीसीसीएल को सीआईएल के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुणवत्ता जागरूकता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।



# 17.3 गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

- 1) ग्रेड के रखरखाव के लिए एसओपी तैयार किया गया है और बीसीसीएल के क्षेत्रों में वितिरत किया गया है। एसओपी कोयला उत्पादन एवं प्रेषण, उपभोक्ताओं को बोल्डर तथा बाहरी सामग्री से मुक्त पिसे हुए कोयले की आपूर्ति करने के हर चरण में कार्यकारी (अधिकारियों) की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
- 2) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रेषित कोयले के ग्रेड की जांच नियमित तौर पर साईडिंगों में की जाती है और इसके बाद प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।
- 3) प्रत्येक क्षेत्र की ग्रेड स्लिपेज रिपोर्ट मासिक आधार पर संकलित की जाती है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों को भेजा जाता है।
- 4) बीसीसीएल के क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है।
- 5) गुणवत्ता, आकार प्रेषण, तीसरे पक्ष के नमूने आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह सभी क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधकों / क्षेत्रीय गुणवत्ता प्रबंधकों के साथ गुणवत्ता समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- 6) तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण कार्य की निगरानी के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर प्रत्येक पाली में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों का एक समर्पित दल तैनात किया गया है। टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जाता है कि तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसी द्वारा नमूने को समुचित तरीके से एकत्र एवं तैयार जाय।
- 7) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाता है।

- 8) उत्पादन एवं डिस्पैच से सीधे तौर पर जुड़े सभी सुपरवाईजरी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन करें:-
  - 1. चयनित खनन पद्धति अपनाएं
  - 2. उचित ड़िलिंग/ब्लॉस्टिंग पैटर्न को अपनाए
  - 3. पत्थरों एवं शेल को अपने स्तर पर ही अलग कर दें
  - 4. फेस एवं स्टॉक यार्ड में ट्रकों में लोडिंग के समय सावधानियां बरतें।
  - 5. सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध किया जाय।
- 9) कार्यस्थल/कोल डंप/रेलवे साइडिंग में उचित प्रकाश का प्रबंध है।
- 10) फायरी एवं गैर-फायरी कोयले का भंडारन अलग-अलग किया जाता है।
- 11) अग्नि प्रभावित सीम के मामले में, सीसीओ द्वारा आग और गैर-अग्नि क्षेत्रों के कोयला सीम विशेष के लिए अलग-अलग ग्रेड घोषित किए गए हैं।
- 12) घोषित ग्रेड के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन और प्रेषण हेतु उपचारात्मक उपायों के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर विचार-मंथन कर ग्रेड स्लिपेज को कम किया जाता है।
- 13) उपभोक्ताओं की संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता और आकार के प्रेषण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल के उपभोक्ताओं के साथ बैठक (बैठकें), टेलीफोन / टेक्स्ट संदेश वार्तालाप किया जाता है।
- 14) बिजली घर (घरों)/उपभोक्ताओं से प्राप्त बड़े आकार की असंगत सामग्री के साथ मिश्रित खराब गुणवत्ता वाले कोयले और बड़े आकार के कोयले की कथित प्राप्ति के संबंध में शिकायत तुरंत संबंधित प्राधिकारी को उसी दिन के भीतर भेजी जाती है। संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और विपणन एवं विक्रय विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे साइडिंग, डंप और कोयले का आकलन करने के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करते हैं और भविष्य के लिए शिकायत (शिकायतों) को खत्म करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और क्रश्ड कोयले के प्रेषण के संबंध में क्षेत्र के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है।।
- 15) प्रत्येक महीने के अंत में, बीसीसीएल और संबंधित बिजली घर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न बिजली घरों में पत्थर का मूल्यांकन किया जाता है (एफएसए के अनुसार)।

# 17.4 गुणवत्ता जागरूकता अभियान

बीसीसीएल के क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता जागरूकता अभियान चलाए गए। खदानों, साइडिंगों, क्रशिंग व्यवस्थाओं, अनुकूल परिस्थितियों, कोयला विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला आदि का त्रैमासिक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया।












#### 18. ऊर्जा संरक्षण


# 18.1 वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में बीसीसीएल की विशिष्ट ऊर्जा खपत

विवरण	2022-23	2021-22
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/टन) (कोयले के लिए)	22.20	26.37
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/क्यू.मी.) (कोयले एवं ओबी के लिए)	5.86	6.37
कुल ऊर्जा खपत (एमकेडब्ल्यूएच)	803.09	804.50

#### 18.2 ऊर्जा की खपत:

विवरण	2022-23	2021-22
खरीदी गई यूनिट (एमकेडब्लूएच)	803.09	804.50
कुल बिल राशि (₹ करोड़ में)	448.78	434.50
* बिल की राशि में वृद्धि डीवीसी द्वारा एफपीपीपीए (ईंधन मूल्य और	बिजली खरीद समायोजन) शुल्क क	ो शामिल करने के कारण हुई है।





# 18.4 ऊर्जा संरक्षण

क. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	एल ई डी लाइट	बीसीसीएल ने जीएलएस लैंप, ट्यूब फिटिंग और ट्यूब लाइट की खरीद बंद कर दी है। सभी सरकारी/औद्योगिक परिसरों में जीएलएस लैंप और अन्य पारंपरिक लाइट फिटिंग्स को एलईडी लाइट फिटिंग से बदल दिया गया है। वित्त वर्ष 22-23 में 17196 एलईडी लाइटें खरीदी गई हैं।
2.	ऊर्जा दक्ष ए सी	वित्त वर्ष 22-23 में 117 ऊर्जा दक्ष एसी की खरीद की गई है।
3.	ई-व्हीकल	वित्त वर्ष 22-23 में 15 ई-वाहनों को किराए पर लेने के लिए कार्यादेश दिया गया।
4.	ऊर्जा दक्ष मोटर	वित्त वर्ष 22-23 में 21 ऊर्जा दक्ष मोटरों के खरीद के लिए कार्यादेश दिया गया।

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
5.	हाइमास्ट प्रकाश स्तंभ	8X400W एलईडी लाइट फिटिंग के साथ 16M हाई मास्ट लाइटिंग टॉवर के 100 नग की खरीद के लिए निविदा जारी की गई।
6.	स्वनियंत्रक स्विच	वित्त वर्ष 22-23 में 88 ऑटो टाइमर स्विच लगाए गए हैं।
8.	ऊर्जा दक्ष सुपर पंखा	बीसीसीएल अब पारंपरिक सीलिंग पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष सुपर पंखों की खरीद कर रहा है। वित्त वर्ष 22-23 में कुल 194 नग सुपर पंखें खरीदे गए हैं। अन्य 731 बीएलडीसी पंखों के खरीद के लिए कार्यादेश दिया गया है।
9.	कैपेसिटर बैंक	वित्त वर्ष 22-23 में 12125 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक के 10 सेट लगाए गए हैं।

# ख. सौर ऊर्जा पहल

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थिति निम्नलिखित है:

	क1. बीसीसीएल में रूफ़ टॉप सौर परियोजना की स्थिति			
क्र. सं.	परियोजना	ग्रिश (करोड़ ₹ में)	स्थिति	
1.	1660 KWp एग्रीगेट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट	7.33	• 1.66 MWp स्थापित और चालू किया गया है*।	
2.	बस्ताकोला, डब्ल्यूजे और तेतुलमारी क्षेत्र कार्यालय में 297 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर प्लांट।	1.15	<ul> <li>दिनांक 13.12.2021 को मेसर्स ग्रीनॉन एनर्जी सर्विसेज को कार्य आदेश दिया गया।</li> <li>पार्टी को कार्यस्थल समर्पण पत्र 07/03/22 को जारी किया गया था। लेकिन कई बार स्मरण पत्र के बाद भी फर्म ने काम शुरू नहीं किया।</li> <li>इसलिए कार्यादेश निरस्त किया जा रहा है।</li> </ul>	
3.	बीसीसीएल के 44 अलग-अलग स्थानों पर 2.428 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा।	14.97	<ul> <li>7 फरवरी, 23 को निविदा जारी की गई।</li> <li>14 मार्च, 23 बोली को खोली गई।</li> <li>कमी के लिए दिनांक 12.04.2023 को टीसी आर पर हस्ताक्षर किया गया। कमी दस्तावेजों की जांच की जा रही है।</li> </ul>	

<sup>\*</sup>सौर **ऊर्जा संयंत्र** को चालू करने के लिए एमओयू मानक निम्नानुसार था:

मानक का नाम	इकाई	भारिता	लक्ष्य	वास्तविक
सौर ऊर्जा संयंत्र का चालू होना	मेगावाट	2	1.2	1.66

	ख2. बीसीसीएल में ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं की स्थिति			
क्र. सं.	परियोजना	राशि (₹ करोड़ में)	स्थिति	
1.	भोजुडीह वाशरी में 25 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा	163	<ul> <li>दिनांक 06.10.2022 को एलओए प्रस्तुत किया गया है।</li> <li>07.04.2023 को कार्यादेश दिया गया।</li> </ul>	
2.	दुग्धा वाशरी के पास 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र	150.15	<ul> <li>20 फरवरी, 23 को निविदा जारी की गई।</li> <li>7 अप्रैल, 2023 को बोली खोली गई। एकल बोली प्राप्त हुई।</li> <li>दिनांक 13.04.2023 को कमी के लिए टीसीआर पर हस्ताक्षर किया गया। कमी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अंतिम टीसीआर पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।</li> </ul>	
3.	कैपेक्स मोड में 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना	के अनुसार प्रचलित बाज़ार दर/ मंत्रालय तल चिह्न दर	<ul> <li>ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट हेतु भूमि की पहचान के लिए एक सिमित का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित भूमि चिन्हित की गई है:</li> <li>पू.झ. क्षेत्र: सुदामडीह और चंद्राबाद में 25.43 एकड़।</li> <li>पश्चिमी झिरया क्षेत्र: महुदा, भाटडीह और नागदा में 176.76 एकड़।</li> <li>28 दिसंबर, 22 को सीआईएल और सीएनयूएल को इसकी सूचना दे दी गई है।</li> <li>11 जनवरी, 23 को सीएनयूएल के अधिकारियों ने साइट का दौरा किया।</li> <li>तथािप, चिन्हित भूमि की मंजूरी पर ध्यान दिया जा रहा है।</li> </ul>	

# वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन

संयंत्र का नाम	संयंत्र क्षमता	सौर संयंत्र के प्रकार	कुल विद्युत उत्पादन (केडब्ल्यूपी) (1.4.2022 से 31.3.2023 तक)
कोयला भवन और सीएचडी में 350 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर	350 केडब्ल्यूपी	रूफ टॉप	324047
बीसीसीएल में 19 विभिन्न स्थानों पर 1.2 एमडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर	1200 केडब्ल्यूपी	रूफ टॉप	460978



#### 19. सुरक्षा

#### 19.1वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दुर्घटना संबंधी आंकड़े:

दुर्घटना का विवरण	2021-22	2022-23
प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	1	4
मृतकों की संख्या	1	5
गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	3	4
गंभीर चोटों की संख्या	3	4

# 19.2 नियमानुसार खदानों में सुरक्षा स्थिति की मॉनिटरिंग की प्रक्रियाः

कर्मियों, मशीनों और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल की खदानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- (i) डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमित के अनुसार नियमत: खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक कर्मियों की तैनाती।
- (ii) डीजीएमएस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार खदानों का संचालन।
- (iii) सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण।
- (iv) समय सारणी के अनुसार आईएसओ द्वारा खानों का निरीक्षण।
- (v) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण।
- (vi) डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।
- (vii) सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना।
- (viii) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण।
- (ix) एसएमपी में खदान के जोखिमों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।
- (x) बीसीसीएल की सभी परिचालन खदानों ने साइट विशिष्ट, जोखिम आधारित एसएमपी तैयार किया है।
- (xi) किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन को पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है।

#### 19.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन -

20 अगस्त, 2021 को आयोजित 145वीं सीएमडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बीसीसीएल क्षेत्रों द्वारा "व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण" के लिए एक 'कार्य योजना' तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, जैसा कि दिनांक 22.10.2021 को आयोजित सीएमडी की 147वीं बैठक में निर्णय लिया गया, यह प्रस्तावित किया गया है कि-

"बरोरा क्षेत्र जीवीटीसी और मुनिडीह वीटीसी को वर्ष 2022-23 में उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा।" मार्च, 2023 में बरोरा जीवीटीसी के उन्नयन के लिए एनआईटी मंगाई गई है।

# $^{19.4}$ सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए बीसीसीएल खानों में लागू सीआईएल के विभिन्न हालिया निर्देश:

- I. सुरक्षा मित्र मंडली (सुरक्षा सर्कल) का गठन खान स्तर, क्षेत्र स्तर, सहायक स्तर और सीआईएल स्तर पर कामगार निरीक्षक, पीएससी सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी आईएसओ, नोडल अधिकारी (सुरक्षा मित्र) सीआईएल शामिल हैं।
- II. "टेक 5" सुरक्षा दृष्टिकोण की अवधारणा "रुकें और सोचें, खतरों को देखें, जोखिम का आकलन करें, परिवर्तन करें और सुरक्षित रूप से काम करें" की अवधारणा को अपनाने के लिए।
- III. **सुरक्षा दृष्टिकोण का "एबीसीडी" -** ए-एवेयरनेस (जागरूकता), बी- बीवेयर (सावधान), सी- कंसिसियस (जागरूक), डी- डिलिजेंट (मेहनती)

- IV. "शून्य दुर्घटना / शून्य नुकसान" प्राप्त करने के लिए सुरक्षा लक्ष्य के लिए रोड मैप कार्यपालक निदेशक (सुरक्षा), सीआईएल द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है , जिसमें "सुरक्षा संस्कृति" और "सुरक्षा वातावरण" दोनों समानांतर चलेंगे, इसमें प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट के साथ, 52 सप्ताह की अविध के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाने वाले कार्य सिम्मिलत होंगे। विभिन्न कार्य और कार्रवाई योग्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं-
  - 1. सुरक्षा दृष्टिकोण, व्यवहार, चेतना में सुधार
  - 2. कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-संचालित सुरक्षा संस्कृति, समावेशी सुरक्षा संस्कृति, साथी भावना, सहानुभूतिपूर्ण सोच के माहौल को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा सर्किलों / सुरक्षा समूहों का गठन।
  - 3. केस स्टडी आधारित सुरक्षा वार्ता' और 'सुरक्षा वीडियो साझा करना' शुरू करके सुरक्षा के लिए "अधिगम संस्कृति" विकसित करना।
  - 4. सुरक्षा के उद्देश्य पर 'प्रेरणादायक मॉडल' का प्रदर्शन।
  - 5. सुरक्षा के लिए विशिष्ट 'संगठनात्मक अनुशासन और व्यवहार' में सुधार।
  - 6. आईएसओ (नोडल) और महाप्रबंधक (सुरक्षा) द्वारा स्थिति के अनुसार रोड मैप गतिविधियों को जोड़ने और संशोधित करने के लिए हर 3 महीने में नियमित समीक्षा।
- V. व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श" की अवधारणा को लागू करना सुरक्षित प्रथाओं और सुरक्षा वातावरण पर प्रश्नावली के बाद सलाह, सुझाव, सहायता, मदद, समर्थन और मार्गदर्शन के रूप में व्यक्तिगत परामर्श, परिवार परामर्श और रेफरल द्वारा परामर्श।
- VI. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की तैयारी/संशोधन- बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में चल रही मौजूदा 'आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' को सभी बीसीसीएल खानों के लिए 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक समान आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' तैयार करने के लिए फिर से देखा गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का मसौदा बीसीसीएल की सभी खानों को परिचालित कर दिया गया है।
- VII. विशिष्ट खनन गतिविधियों के लिए एक समान अभ्यास अनुसूची (एसओपी) वर्तमान में प्रचलित विभिन्न खनन गतिविधियों के एसओपी की समीक्षा/संशोधन आईएसओ द्वारा 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए एक समान एसओपी' विकसित करने और तैयार करने के लिए की गई है।

#### 19.5 वर्ष 2022-23 में अन्य सुरक्षा उपाय

मानदंड	कार्यान्वयन स्थिति
एसएमपी (सुरक्षा प्रबंधन योजना)	बीसीसीएल की सभी कार्यरत खदानों द्वारा एसएमपी तैयार किया गया है और इन एसएमपी की समीक्षा आईएसओ के सहयोग से की गई है।
सुरक्षा लेखा परीक्षा : 2022-23	बीसीसीएल की सभी कार्यरत खदानों के सुरक्षा लेखा परीक्षा- 2022-23 के चरण I, II और III को पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सुरक्षा लेखापरीक्षा के तीनों चरणों में बताई गई किमयों को संबंधित खानों द्वारा ठीक करने की प्रक्रिया में है।
ए-16 प्रारूप के अनुसार एचओई की विशेष लेखापरीक्षा	बीसीसीएल के सभी हायर्ड पैच में सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रारूप के प्रारूप ए16 के तहत निर्धारित एचओई अनुबंधों की एक विशेष लेखापरीक्षा की गई है।
महाप्रबंधक (एस एंड आर) की क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें	सभी महीनों में नियमित रूप से आयोजित
संविदात्मक श्रमशक्ति के लिए आईएसओ द्वारा जारी दिशानिर्देश	अनुबंधित व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए सीआईएल द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देश कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्रों को सूचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसओ नोडल अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करते हैं कि संविदा कर्मचारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और इसकी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक टिप्पणियों को दर्ज किया गया है और अनुपालन की स्थिति की निगरानी की जाती है।
आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का निरीक्षण	बीसीसीएल की खदानों के आईएसओ अधिकारियों द्वारा प्रति माह औसतन 15 निरीक्षण किए गए हैं।



#### 19.6 अन्य सुरक्षा उपाय

(i) आग, बाढ़ और डंप स्लोप स्थिरता पर मॉक रिहर्सल - वर्ष 2022-23 में, आग, बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के मामले में तैयारियों की जांच के लिए बीसीसीएल की विभिन्न खानों में कुल 92 (बानवे) मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए हैं-

विवरण	2021-22	2022-23
बीसीसीएल की सभी खदानों में आग, बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता पर मॉक रिहर्सल	76	92

(ii)

II. बीसीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ खान अधिकारियों के साथ **द्वि-पक्षीय निरीक्षण** (क्षेत्र स्तर) टीम बीसीसीएल की खानों / वाशरियों का निरीक्षण करती है।

निरीक्षण की तिथि	खदानों का निरीक्षण किया
05.08.2022	गोविंदपुर क्षेत्र
20.08.2022	सिजुआ क्षेत्र
07.09.2022	कुसुंडा क्षेत्र
21.09.2022	भोजूडीह एवं पाथरडीह वाशरी
04.11.2022	कतरास क्षेत्र
28.11.2022	पू.झ. क्षेत्र
12.12.2022	सी.वी. क्षेत्र
15.12.2022	लोदना क्षेत्र
22.12.2022	ब्लॉक-11 क्षेत्र
27.12.2022	प.झ. क्षेत्र
05.01.2023	बरोरा क्षेत्र
25.01.2023	पी.बी. क्षेत्र
27.02.2023	मुनिडीह एवं मधुबन वाशरी
20.03.2023	बस्ताकोला क्षेत्र

(iii) III.वर्ष 2021 में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्र सुरक्षा समिति के साथ क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई।

2022-23		
बैठक की तिथि	क्षेत्र का नाम	
29.06.2022	बस्ताकोला क्षेत्र	
28.10.2022	कतरास क्षेत्र	
16.12.2022	प.झ. क्षेत्र	
21.12.2022	बरोरा क्षेत्र	
23.12.2022	सिजुआ क्षेत्र	
28.12.2022	गोविंदपुर क्षेत्र	

2022-23			
बैठक की तिथि	क्षेत्र का नाम		
12.01.2023	कतरास क्षेत्र		
17.01.2023	ब्लॉक-II क्षेत्र		
14.02.2023	पी बी क्षेत्र		
24.02.2023	पू.झ. क्षेत्र		

(iv) कंपनी स्तरीय द्वि-पक्षीय सुरक्षा समिति- डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन एवं सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित की गयी बैठक का विवरण निम्नलिखित है:

2022-23			
बैठक की तिथि	क्षेत्र का नाम		
3 अगस्त, 2022	तल-3 सभागार, कोयला भवन, बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद		
18 जनवरी 2023.	तल-3 सभागार, कोयला भवन, बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद		

#### 19.7 वैज्ञानिक अध्ययन:

कोयला खान अधिनियम-2017 के विनियम संख्या 106(2), 196, और विनियम संख्या 123(1) के अनुपालन में, मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट वर्किंग के मामले में 'अल्टीमेट पिट स्लोप, इंप स्लोप और स्लोप स्टेबिलिटी' के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन (पंजीकरण संख्या) 106(2)), ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196), 'स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी)' - पंजीकरण संख्या 123(1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2)) बीसीसीएल के अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया है। सिंफर, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी सिंदरी, एनआईटी जोधपुर, आदि जैसी 'वैज्ञानिक एजेंसियों' के माध्यम से बीसीसीएल की खदानें, 2017 में पंजीकरण संख्या 106 (2) की स्थापना से लेकर मार्च 2023 तक बीसीसीएल की विभिन्न खानों में किए गए विभिन्न मानकों पर वैज्ञानिक अध्ययनों की स्थिति निम्नानुसार है-

मानदंड	संख्या
ओसीपी में अल्टीमेट पिट ढलान, डंप ढलान, और ढलान स्थिरता	30
ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196)	14
स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी) - पंजीकरण संख्या 123(1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2) और संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण	12
कुल	56

#### 19.8 प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2021-22	2022-23
1	बेसिक	206	370
2	रिफ्रेशर	5481	5164
3	विशिष्ट एवं अन्य	1039	1044
4	सुरक्षा सम्मेलन के अनुसार	1639	1634
	कुल	8365	8212



#### (ख) संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2021-22	2022-23
भूमिगत सुरक्षा जागरूकता	521	1056
ओसीपी सुरक्षा जागरूकता	884	809
कुल	1405	1865

# (ग) 2022-23 में बीसीसीएल में सिम्युलेटर प्रशिक्षण

	31.03.2021 तक	2021-22	2022-23
शॉवेल	199	87	161
डंपर	1215	53	284
डोजर	शून्य	शून्य	52
ड्रेगलाईन	शून्य	शून्य	10
ड्रील	शून्य	शून्य	61
कुल	1414	140	573

<sup>\*\*</sup>सभी विभागीय एचईएमएम ऑपरेटरों को एनसीएल सिंगरौली और ओईएम सुविधा केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है।

### 19.9 अप्रैल-मार्च, (2022-23) निम्नलिखित सुरक्षा सामग्रियों की खरीद के लिए कृत कार्रवाई की स्थिति निम्नलिखित है:

सामग्री का नाम	खरीद सामग्रियों संख्या	खरीद की स्थिति	जिस क्षेत्र में वितरण किया गया
SCSR-30 मिनट की अवधि का	296	आपूर्ति	बरोरा क्षेत्र में 272 एवं एमआरएस में 24 वितरित किया जाना
खनन जूते	22000 जोड़ी	आपूर्ति	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र
हेलमेट	10101	आपूर्ति	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र
गमबूट	9995 जोड़ी	खरीदा गया	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र
अग्निशमक	500	खरीदा गया	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र
स्कूप स्ट्रेचर	40	खरीदा गया	एमआरएस, धनसार
मीथेन गैस टेस्टिंग चेंबर	03	खरीदा गया	बरोरा, बस्ताकोला एवं कतरास वी.टी.सी. केंद्रों पर

## 19.10माइंस रेस्क्यु स्टेशन, बीसीसीएल

क. परिचय: - माइन्स रेस्क्यू स्टेशन (एमआरएस) धनसार ने भारत के कोयला खनन उद्योगों को वर्ष 1941 से 1985 तक सेंट्रल कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, केंद्र सरकार की संस्था के तहत सेवाएं प्रदान किया। वर्ष 1985 के बाद यह प्रशासनिक रूप से बीसीसीएल द्वारा नियंत्रित हो गया और बीसीसीएल, टाटा-स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी खानों को एमआरएस और इसके तीन बचाव कक्ष आरआर मुनीडीह, आरआर सुदामडीह और आरआर मधुबन के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्थान:- माइंस रेस्क्यू स्टेशन बीसीसीएल धनबाद-झरिया रोड के पश्चिम में धनसर में स्थित है, और धनबाद रेलवे स्टेशन से 4.0 किमी दूर है।

बचाव कक्ष मुनिडीह रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यह निकटतम रेलवे स्टेशन करकेंद से 6 किमी और मुनिडीह परियोजना बीसीसीएल के पास है। बचाव कक्ष सुदामडीह धनबाद रेलवे स्टेशन, धनबाद से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन भौरा के पास और क्षेत्रीय अस्पताल सुदामडीह के ठीक सामने है।

बचाव कक्ष मधुबन रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन जमुनी हाल्ट है।

#### ख. एमआरएस और इसकी तीन इकाइयों का कार्यक्षेत्र :-

क्र.सं.	इकाई का नाम	नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या	जिन कोलियरी में सेवा प्रदान की जानी है	
1.	एमआरएस, धनसार	9931188280	बीसीसीएल, टाटा स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।	
2.	आर आर, मुनिडीह	9931188284	लोहापट्टी कोलियरी को छोड़कर पीबी क्षेत्र और डब्ल्यूजे क्षेत्र की सभी कोयला खदानें।	
3.	आर आर, सुदामडीह	9931188281	ईजे क्षेत्र और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।	
4.	आर आर, मधुबन	9931188285	कतरास, गोविंदपुर, बरोरा, ब्लॉक- II क्षेत्र और लोहापट्टी कोलियरी की सभी कोयला खदानें।	

# ग. एमआरएस के तहत कुल बचाव प्रशिक्षित कर्मचारी = 296 (बीसीसीएल कर्मचारी= 231, टाटा-स्टील कर्मचारी= 41, सेल-सीडी = 24)

- **घ. उपकरण विवरण: -** एमआरएस, धनसार और इसकी तीन इकाइयों में किसी खदान दुर्घटना से निपटने के लिए सभी उपकरण खान बचाव नियम 1985 नियम 11(1) एवं (2) के अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के अनुसार रखे जाते हैं।
  - 1.एससीबीए-157
  - 2.रिवाइविंग उपकरण- 25
  - 3.एसी रेस्क्यू वैन 1
  - 4.फायर टेंडर-1
  - 5.बकेट स्ट्रेचर- 4
  - 6.एयर लिफ्टिंग बैग- 2 सेट
  - 7.डमी बॉडी 3
  - 8.वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर-2
  - 9.टेलीस्कोपिक टाइप लैडर 1
  - 10.एलईडी सर्च लाइट -2
  - 11.हाइड्रोलिक कॉम्बी-टूल -1 सेट

# ङ. उपलब्धि (2022-23)

#### 1. 2022 के दौरान इमरजेंसी में कार्य

- बचाव कार्य-
  - क) दिनांक 21.04.2022 को चांच कोलियरी के धंसे मैदान से व्यक्तियों का पता लगाया गया।
  - ख) दिनांक 04.05.2022 को दक्षिण गोविंदपुर के बंद चानक से 1 व्यक्ति का बचाया गया।
  - ग) एमआरएस में किया गया मॉक रिहर्सल अभ्यास 04
  - घ) विभिन्न कोलियरी में किया गया मॉक रिहर्सल 38
  - ङ) अग्निशमन -36 स्थान (शॉवेल आग, डंपर आग, कोयले के भंडार में आग, वैगन में आग, झाड़ी एव अपार्टमेंट की आग)।



#### च. अन्य उपलब्धियां:-

- प्रशिक्षण और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डीजीएमएस द्वारा स्वीकृति।
- एमआरएस धनसार में प्राथमिक चिकित्सा और क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता 2022 में 4 विभिन्न पुरस्कार प्राप्त।
- दिनांक 01.07.2022 को पहले बैच का एससीएसआर परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न।
- दिनांक 14.06.2022 को रक्तदान शिविर का आयोजन।

#### 20.कार्मिक

#### 20.1 श्रमशक्ति से संबंधित सामान्य आंकड़े


बीसीसीएल की श्रमशक्ति 1 अप्रैल, 2022 को 38945 थी और 31 मार्च, 2023 को यह 38915 थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इसमें 1878 (4.83%) की कमी आयी है।


#### श्रमशक्ति की स्थिति:

दिनांक 01.04.2022 की तुलना में 31.03.2023 को कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित है:-

		स्थिति		वृद्धि/(हास)	
क्र.सं.	श्रेणी	01.04.2022	31.03.2023	अप्रैल,2022 से मार्च, 2023 तक	
I	अधिकारी	1905	2001	+96	
II	मंथली रेटेड	5781	5635	-146	
III	डेली रेटेड	30630	28719	-1911	
IV	पीस रेटेड	3	0	-3	
V	प्रशिक्षु	596	682	+86	
	कुल	38915	37037	-1878	

01.04.2022 की तुलना में मौजूदा श्रमशक्ति में 1878 (4.83%) की शुद्ध कमी।





श्रमशक्ति में हुई कमी का विवरण				
विवरण	1 अप्रैल,2022 से 31 मार्च, 2023 तक			
सेवानिवृत्त	1894			
मृत्यु	469			
कंपनी से अलग होना (बर्खास्त एवं सेवा समाप्ति के कारण)				
	19			
त्यागपत्र	21			
ईआरएस	2			
अन्य कंपनी में स्थानांतरण	97			
कुल कमी	2502			

श्रमशक्ति में हुई वृद्धि का विवरण					
विवरण	1 अप्रैल,2022 से 31 मार्च, 2023 तक				
नई नियुक्ति	150				
एनसीडब्लूए 9.3.0 के अंतर्गत आश्रित नियोजन	365				
जमीन के बदले आश्रित नियोजन	0				
पुनर्बहाली/काम पर पुनः योगदान	1				
वीआरएस (एफ)	0				
अन्य कंपनी से स्थानांतरित होकर आना	108				
कुल वृद्धि	624				

# शुद्ध कमी (2022-23 के दौरान) = 1878

# 20.2 श्रमशक्ति बजट (गैर-अधिकारियों के लिए)

2022-23 के लिए स्वीकृत श्रमशक्ति बजट का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	01.04.2022 को वर्तमान में कुल श्रमशक्ति (अधिकारी को छोड़कर)	37433
2.	वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कुल श्रमशक्ति	27606
3.	वर्ष 2022-23 में बजट में कुल श्रमशक्ति आधिक्य	9827




लक्षित उत्पादन कार्यक्रमों के लिए आने वाले वर्षों में खानों में मशीनीकरण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध मशीनों एवं श्रमशक्ति स्रोतों पर श्रमशक्ति बजट आधारित होता है। प्रत्येक परियोजना अथवा स्थापना में श्रमशक्ति की आवश्यकता के अनुसार शून्य आधारित बजट की अवधारणा का पालन किया जाता है।

उत्पादन लक्ष्य और सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सांविधिक, पैरामेडिकल प्रमुख एवं आवश्यक पदनामों/श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति का आवश्यकता आधारित प्रावधान बनाया जाता है।

# 20.3 नियुक्ति एवं चयन

#### श्रमशक्ति एवं नियोजन विभाग की उपलब्धि

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियां (संख्या)	टिप्पणी
1.	एनसीडब्ल्युए के अंतर्गत अनुकंपा नियोजन	425	
2.	एनसीडब्ल्युए के अंतर्गत नियोजन के बदले आर्थिक मुआवजा	07	
	कुल	432	
	क. अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण	207	
	ख. अंतर कंपनी स्थानांतरण	12	
3.	ग. श्रमशक्ति युक्तिकरण	77	भूमिगत से सतह में परिवर्तन- 77
	घ. संवेदनशील स्थानांतरण	38	



अनुकंपा रोजगार दावों के लिए उत्कर्ष नामक ऑनलाइन फ़ाइल ट्रैकिंग एनं प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत:

- भरोसे एवं पारदर्शिता के लिए एक सुनियोजित कदम
- दावेदार द्वारा दावे की स्थिति देखने के लिए।
- नियोजन संबंधी दावों की चरण दर चरण ट्रैकिंग एवं गतिविधि देखने के लिए।
- नियोजन के दावों के लिए एक निगरानी उपकरण।

#### भर्ती मामला (2022-23)

टीएंडएस ग्रेड-सी में 77 जूनियर ओवरमैन की भर्ती हेतु एससी/एसटी/ओबीसी के लिए स्पेशल ड्राइव ओपन भर्ती शुरू की गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी की तैनाती के लिए अंतिम रूप देने के कारण, मामला एफडी के समक्ष रखा गया था और दिनांक 20.02.2023 को एफडी के विचार-विमर्श के बाद इसे समाचार पत्रों में प्रकाशन और बीसीसीएल वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुमोदित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 02.05.2023 को प्रकाशित की गई है और उम्मीद है कि इसे दिनांक 30.06.2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

दिनांक 01.04.2022 को संविदात्मक जनशक्ति की स्थिति					
	संविदा श्रमिकों की कुल संख्या		अनुसूचित जाति के	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी संविदा
गतिविधियां	पुरूष	महिला	संविदा श्रमिकों की संख्या	के संविदा श्रमिकों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
खनन	4336	34	601	136	1853
परिवहन	657	58	113	40	242
सिविल	16	4	26	9	15
पहरा एवं निगरानी	147	39	25	18	74
अन्य	704	11	100	61	119
कुल	6030	146	865	264	2303
	6176				

दिनांक 01.04.2022 को संविदात्मक जनशक्ति की स्थिति					
	संविदा श्रमिकों की कुल संख्या		अनुसूचित जाति के संविदा श्रमिकों की	अनुसूचित जनजाति के संविदा श्रमिकों	ओबीसी संविदा
गतिविधियां	तेविधियां पुरूष महिला संख्या	क सविदा श्रीमकी की संख्या	श्रमिकों की संख्या		
खनन	4076	3	487	169	1857
परिवहन	793	19	127	36	198
सिविल	215	52	25	5	20
अन्य	253	6	82	35	113
कुल	5337	80	721	245	2188
	54	117			



ठेकेदारों द्वारा सीएल (आर एंड ए) अधिनियम 1970 के तहत वैधानिक कल्याण सुविधाओं के अनुपालन पर कार्यशाला और सीआईएल दिशानिर्देशों के अनुसार बीसीसीएल में संविदा श्रमिकों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य/कल्याण सुविधाएं



"झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का रोजगार अधिनियम -2021" के अनुपालन पर जिला रोजगार कार्यालय -धनबाद के सहयोग से कार्यशाला।

# दिनांक 04.11.2022 को पेंशन निदान शिविर



दिनांक 05.12.2022 से 07.12.2022 तक तीन दिवसीय शिकायत निवारण शिविर:



फरवरी, 2023 में बीसीसीएल आपके द्वार:





#### 21. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली एवं रणनीति का उद्देश्य कर्मचारियों के कौशल, दक्षता, प्रतिबद्धता, प्रेरणा एवं वफादारी सहित श्रमशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु बाज़ार के बदलते हुए परिस्थितियों के आलोक में उनके मौजूदा ज्ञान एवं क्षमताओं को लगातार बढ़ाकर और उनकों प्रशिक्षण एवं पुन:प्रशिक्षण प्रदान कर एक नया एवं कुशल कर्मचारी बनाना है, तािक अन्य के मुकाबले स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हािसल किया जा सके।

एचआरडी कॉम्प्लेक्स, कल्याण भवन के आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रों में अवस्थित 11 समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरे वर्ष सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा, कंपनी ने देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था की है, जिसमें आईआईसीएम, रांची भी शामिल है। सभी संवर्गों के प्रबंधन प्रशिक्षुओं को आईआईसीएम, रांची में आरंभिक प्रशिक्षण, तकनीकी/कार्यात्मक और प्रबंधकीय कौशल विकास कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाता है।

विभाग औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के छात्रों को कॉर्पोरेट जगत से भी परियच कराता है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी द्वारा 1113 छात्रों को औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, बीसीसीएल प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न संवर्गों/व्यावसायों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारत और । भारत की। वित्त वर्ष 2022-23 में 1150 प्रशिक्षुओं (अर्थात ठेका श्रमिकों सहित श्रमशक्ति का 2.55%) को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

#### 1. प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या का लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण:

	2022-23			2021 -22		
स्थान	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति %	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति %
मानव संसाधन विकास विभाग	4607	5767	125.2	3794	4429	116.7
समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	7719	8212	106.4	8183	8365	102.2
कुल	12326	13979	113.4	11977	12794	106.8

#### 2. सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या:

विवरण	2022-23	2021-22
माइन मैनेजरशिप	64	50
ओवरमैनशिप	35	18
माइनिंग सरदारशिप	18	31
सर्वेयरशिप	06	16
बाइंडिंग इंजन ऑपरेटर	00	12
गैस टेस्टिंग	111*	138
इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर	157	201
कुल	280	466

<sup>\*</sup>कुल गैस टेस्टिंग = 111 (पीडीपीटी- 92, कर्मचारी- 19)

## 3. प्रशिक्षित की गई महिला कर्मचारियों की संख्या

विवरण	2022-23	2021-22
अधिकारी	357	187
सुपरवाइजर	41	49
श्रमिक	212	140
कुल	610	376

## 4. आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

संस्थान का नाम	2022-23	2021-22
एम.डी.डी.	3187	2583
एम.टी.डी.	912	811
इ.एम.टी.डी.	1668	1035
कुल	5767	4429

## 5. बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

बाह्य प्रशिक्षण	2022-23	2021-22
आई आई सी एम, रांची	396	267
देश में	861	260
विदेश	00	03
कुल	1257	530

## 6. समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

विवरण	2022-23	2021-22
बुनियादी	370	206
पुनश्चर्या	5164	5481
विशेष एवं अन्य प्रशिक्षण	1044	1039
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अनुशंसा के अनुसार	1634	1639
कुल	8212	8365

# 7. समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ठेका मजदूरों की संख्या:

2022-23	2021-22
1865	1405



8. तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदान किया गया नि:शल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण:

2022-23	2021-22
1113	880

9. वर्ष 2022-23 के दौरान शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या:

श्रेणी	ट्रेड	2022-23	2021-22
ट्रेड एप्रेंटिस (आईटीआई)	विभिन्न ट्रेड	567	617
फ्रेशर एप्रेंटिस एवं कौशल प्रमाणपत्र धारक		29	
टेक्निशियन एप्रेंटिस (पीडीपीटी)	खनन	286	253
	गैर-खनन	150	159
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (पीजीपीटी)	खनन	03	07
	गैर-खनन	115	108
कुल		1150	1144

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा आयोजित कुछ विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

1. "बीसीसीएल के नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) के लिए आइस ब्रेकिंग सत्र" संकायः एचजी अमोघ लीला प्रभुजी, उपाध्यक्ष, इस्कॉन, दिल्ली / ब्रह्मा कुमारी सुमन, विरष्ठ मैडिटेशन शिक्षक, माउंट आबू / डॉ प्रमोद पाठक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद दिनांक: 13-04-2022

2. "नियोजन एवं प्रोन्नित में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संवैधानिक/नीतिगत दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम"

संकाय:श्री वाई. हरकुमार, उप महाप्रबंधक (का./औ.सं.), एसईसीएल

दिनांक: 10-05-2022

3. "ड्राफ्ट सीआईएल एचआर विजन - 2025 पर कार्यशाला" संकाय:श्री चार्ल्स जस्टर, महाप्रबंधक (का.), एनसीएल दिनांक:11-06-2022

4. "आनंदमय जीवन के माध्यम से तनाव प्रबंधन" संकाय:भारतीय योगा एवं प्रबंधन संस्थान

दिनांक: 28 से 30-09-2022 तक

5. "रिकॉर्ड कीपिंग"

संकाय: श्री श्री ओ. पी. खोरवाल, कंसलटेंट - स्कोप एंड सीईओ - एक्सेल इंजीनियर्स एंड कंसलटेंट

दिनांक:17-10-2022

- 6. "सामूहिक जागरूकता और मूल्य आधारित कार्य संस्कृति का समावेश" संकाय: डॉ प्रमोद पाठक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद दिनांक:03-11-2022
- 7. "घरेलू जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही" संकाय:श्री कल्लोल दत्त, पूर्व अतिरिक्त श्रमायुक्त, पश्चिम बंगाल दिनांक : 20 और 21-02-2023 को
- 8. "रचनात्मकता और नवाचार पर कार्यशाला" संकाय: श्री मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (का.), बीसीसीएल
- 9. "इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण" संकाय:रेनबो टेक्नोलॉजीज, कोलकाता दिनांक: 09.01.2023 से 14.01.2023 तक

"बीसीसीएल में नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए आइस ब्रेकिंग सत्र" संकाय: एचजी अमोघ लीला प्रभुजी, कुलपति, इस्कोन, दिल्ली/ब्रह्मा कुमारी सुमन, वरिष्ठ मैडिटेशन शिक्षक, माउंट आबू/ डॉ प्रमोद पाठक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद दिनांक: 13-04-2022





मानव संसाधन विकास विभाग, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में श्री पी.वी.के.आर.एम. राव, निदेशक (कार्मिक) के कुशल मार्गदर्शन एंव श्री विकास कुमार महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) के नेतृत्व मे नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं चिकित्सकों के लिए दिनांक 13-04-2022 को आइस ब्रेकिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नवनियुक्त अधिकारियों का मार्गदर्शन तथा उनके मनोबल का उत्थान करना था। सत्र में लगभग 150 नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

इस आयोजन में श्री पी.वी.के.आर.एम. राव, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल मुख्य अतिथि थे और श्री विनय काजला, डीआईजी (सीआईएसएफ), धनबाद विशिष्ट अतिथि रहे।

इस सत्र में अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस्कॉन संस्थान के श्री एच. जी. अमोघ लीला प्रभुजी, वाइस प्रेसिडेंट द्वारका दिल्ली और ब्रह्मा कुमारी संस्था से ब्रह्मा कुमारी सुमन, माउंट आबू मुख्यालय और श्री प्रमोद पाठक, रिटायर्ड प्रोफेसर, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, संकाय सदस्य के रूप में शामिल हुए और सभी प्रतिभागियों से एथिकल वैल्यूज, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में गीत-संगीत एवं भारतीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिली।

इस कार्यक्रम के आयोजन में के श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक मानव संसाधन विकास विभाग और श्री देव कृष्ण मिश्रा, अपर महाप्रबंधक, मानव संसाधन विकास विभाग ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन श्री मनिकांत पाण्डे, मुख्य प्रबंधक (खनन), मानव संसाधन विकास विभाग और देवांशी जैन, लिपिक, मानव संसाधन विकास विभाग ने किया।



"नियोजन एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संवैधानिक/नीतिगत दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम"

संकाय:श्री वाई. हरकुमार, उप महाप्रबंधक (का./औ.सं.), एसईसीएल दिनांक: 10-05-2022





दिनांक 10-05-2022 को बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी), कल्याण भवन में "नियोजन एवं प्रोन्नित में अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित के आरक्षण के लिए संवैधानिक/नीितगत दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संकाय सदस्य के तौर पर श्री वाई. हरकुमार, उप महाप्रबंधक (का./औ.सं.), एसईसीएल ने उपर्युक्त विषय पर अनुसूचित जाित तथा अनुसूचित जनजाित रिजर्वेशन से संबंधित संवैधानिक/ नीितगत दिशानिर्देशों को विस्तार पूर्वक बताया। उनके अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल नौकरी देने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

"ड्राफ्ट सीआईएल एचआर विजन - 2025 पर कार्यशाला" संकाय:श्री चार्ल्स जस्टर, महाप्रबंधक (का.), एनसीएल दिनांक:11-06-2022





बीसीसीएल के मानव संसाधन विभाग, कल्याण भवन में शनिवार, दिनांक 11-06-2022 को 'ड्राफ्ट कोल इंडिया एचआर विजन 2025' विषय पर विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के साथ-साथ कार्मिक विभाग के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल के महाप्रबंधक (कार्मिक) चार्ल्स जस्टर ने अपनी टीम के साथ सत्र संकाय के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा कोल इंडिया के निदेशक (कार्मिक) श्री विनय रंजन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। उक्त कार्यशाला दो सत्रों में आयोजित की गयी। प्रथम सत्र में एनसीएल के महाप्रबंधक श्री चार्ल्स जस्टर ने संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया। वहीं दूसरे सत्र में प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित किया गया और 'ड्राफ्ट कोल इंडिया एचआर विजन 2025' के बारे में उनके विचारों को जाना गया तथा विषय के संबंध में उनकी राय भी ली गयी। मौके पर बीसीसीएल के महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री विद्युत साहा, महाप्रबंधक (कर्मचारी स्थापना) श्री डीके बेहरा, महाप्रबंधक (एचआरडी) श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक श्री डीके मिश्रा व मुख्य प्रबंधक श्री मणिकांत पांडेय आदि उपस्थित थे।"

### "आनंदमय जीवन के माध्यम से तनाव प्रबंधन" संकाय:भारतीय योगा एवं प्रबंधन संस्थान दिनांक : 28 से 30-09-2022 तक





बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी), कल्याण भवन द्वारा कोयला नगर, अन्नपूर्णा हॉल बीसीसीएल में भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान, मुरथल के सौजन्य से दिनांक 28, 29 एवं 30 सितंबर, 2022 को "आनंदमय जीवन के माध्यम से तनाव प्रबंधन" विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला को आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन पर कोयला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यशाला में बीसीसीएल के 50 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पहले चरण में वैसे अधिकारियों को शामिल किया गया था, जो अपने कार्यक्षेत्र में काफी तनाव महसूस करते है। उन्हें तनाव दूर करने और चुनौतियों से हंसकर जूझने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के सूत्रधार श्री राजीव कुमार नायर ने विशेष रूप से वर्तमान समय में योग एवं ध्यान के संतुलन के माध्यम से जीवन शैली प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए इन सत्रों का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रतिभागियों को सुखदायक ध्यान के साथ-साथ विभिन्न योग मुद्राएं सिखाई, जो मन, शरीर एवं आत्मा के लिए एक संभावित कायाकल्प के रूप में कार्य करेगा।

बीसीसीएल के वरीय सलाहकार श्री पीवीआरकेएम राव ने बताया कि हर किसी के जीवन में किसी ने किसी रूप में तनाव है। उस तनाव के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। तनावमुक्त रहेंगे, तभी वे सकारात्मक विचार का अदान प्रदान करेंगे। जब सकारात्मक सोच आएगी तो इसका असर परिवार के साथ साथ संस्थान में भी दिखेगा। शुक्रवार देर शाम यह कार्यशाला संपन्न हुई।

"रिकॉर्ड कीपिंग" संकाय: श्री श्री ओ. पी. खोरवाल, कंसलटेंट – स्कोप एंड सीईओ – एक्सेल इंजीनियर्स एंड कंसलटेंट दिनांक: 17-10-2022







बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी), कल्याण भवन द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को "रिकॉर्ड कीपिंग" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 49 कोयला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में श्री. ओ. पी. खोरवाल, सलीहकार स्कोप (SCOPE) एवं सीईओ, एक्सेल इंजिनीयर्स ऐंड कंसल्टेंट (Excel Engineers & Consultant) संकाय सदस्य के रूप में उपस्थित थे।श्री खोरवाल ने सत्र के दौरान रिकॉर्ड कीपिंग की महत्ता पर प्रकाश डाला और इससे सम्बंधित विभिन्न कानूनी पेहलुओं की जानकारी दी।

"सामूहिक जागरूकता और मूल्य आधारित कार्य संस्कृति का समावेश" संकाय: डॉ प्रमोद पाठक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद दिनांक:03-11-2022

### "सामूहिक जागरूकता और मूल्य आधारित कार्य संस्कृति का समावेश" संकाय: डॉ प्रमोद पाठक, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद दिनांक:03-11-2022





सामूहिक जागरूकता द्वारा मूल्य आधारित कार्य संस्कृति निर्माण के महत्व पर आयोजित कार्यशाला के माध्यम से दिनांक 03-11-2022 को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आई.आई.टी-आई.एस.एम के पूर्व प्राध्यापक, प्रबंधन विशेषज्ञ तथा मनोवैज्ञानिक कोच डॉ. प्रमोद पाठक इसके मुख्य वक्ता थे।

"घरेलू जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही" संकाय:श्री कल्लोल दत्त, पूर्व अतिरिक्त श्रमायुक्त, पश्चिम बंगाल दिनांक : 20 और 21-02-2023







कंपनी के कार्मिक अधिकारियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए, श्री समीरन दत्ता, सीएमडी, बीसीसीएल के निर्देशानुसार 20 और 21 फरवरी, 2023 को मानव संसाधन विकास विभाग, मानव संसाधन विकास भवन, बीसीसीएल में "घरेलू जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों एवं मुख्यालय से कार्मिक संकाय के 52 अधिकारियों ने भाग लिया। श्री विद्युत साहा, जीएम (पी एंड आईआर) और श्री कलोल दत्त, पूर्व अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त ने दीप प्रज्वलित किया और उपरोक्त विषय पर सत्र लिया।

"रचनात्मकता और नवाचार पर कार्यशाला" संकाय: श्री मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (का.), बीसीसीएल दिनांक: 25-03-2023









दिनांक 25-03-2023 (शनिवार) को बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी), कल्याण भवन में "रचनात्मकता और नवाचार" (क्रिएटिविटी ऐंड इनोवेशन) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के संकाय सदस्य के रूप बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) श्री मुरली कृष्ण रमैय्या ने प्रतिभागी कोयला अधिकारियों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित किया। निदेशक कार्मिक ने क्रिएटिविटी को आधुनिक मैनेजमेंट की आत्मा बताया तथा उनका कहना था कि यदि किसी संस्थान को बदलते परिवेश और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाते हुए प्रगित के पथ पर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए क्रिएटिविटी ऐंड इनोवेशन की भूमिका सर्वाधिक होती है। निदेशक कार्मिक ने कहा कि क्रिएटिव लोग अपनी असाधारण रूप से अभिप्रेरित होते हैं और सकारात्मक मानसिक क्षमता से जीवन के सभी क्षेत्रों में चमत्कार करते हैं। ऐसे लोग विभिन्न समस्याओं की त्वरित पहचान करके उनके प्रभावी समाधान निकालने में लीक से हटकर सोचने में सक्षम होते है। कार्य के दौरान अधिकारी कभी निराश ना हो, बिल्क खुद के साथ अपने अधिनस्थ को भी जागरूक करें, अपने कार्यों का उत्साहपूर्वक निष्पादन करें और अपने मैनेजमेंट स्कील को डेवलप करें, तािक कंपनी के साथ-साथ का खुद का भी विकास सुनिश्चित हो।

### "इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) और सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण" संकाय:रेनबो टेक्नोलॉजीज, कोलकाता दिनांक: 09.01.2023 से 14.01.2023 तक



सर्वेयिंग कार्य हेतु भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 15 नयी ETS मशीन एवं सॉफ्टवेयर (Electronic Total Station – Leica TS10 – R – 1000 - Survey Equipment) रेनबो टेक्नालॉजी, कोलकाता (Rainbow Technologies, Kolkata) के द्वारा मुहैया कराया गया। उसके साथ ही मशीन आपूर्ति कर्ता द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों एवं खानों में कार्यरत सर्वेयरों एवं सर्वे अधिकारियों को दिनांक 09.01.2023 से 14.01.2023 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से मानव संसाधन विकास विभाग, कल्याण भवन में संपन्न हुआ। उक्त प्रशिक्षण द्वारा उच्च तकनीकी से सर्वे कार्य को ज्यादा बेहतर, सटीक एवं सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।



## 22. कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

बीसीसीएल प्रारंभ से ही अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रबंधन, निगरानी तथा विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है। वर्ष 2022-23 की प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

## 1.शिक्षण सुविधाएँ

हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए तथा समाज में बड़े पैमाने पर ज्ञान फैलाने के उद्देश्य से, बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा हम निम्नलिखित अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं-

#### क) स्कूल

## परियोजना और अर्ध परियोजना स्कूल:

उपर्युक्त उद्देश्य के साथ, बीसीसीएल ने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे डीएवी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा सरस्वती विद्या मंदिर के साथ एम ओ यू (समझौता ज्ञापन) निष्पादित किया है, जहां हमारे किमयों के बच्चे रियायती दरों पर अन्य सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। परियोजना स्कूलों की श्रेणी में कुल मिलाकर 06 डीएवी स्कूल जो कि कोयला नगर, अलकुसा, कुसुंडा, लोदना, दुग्दा, मुनीडीह में एक-एक और 02 सरस्वती विद्या मंदिर एक भूली तथा एक सिनीडीह में जबिक सेमी-प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में बरोरा और महुदा में 02 अन्य डीएवी तथा धनबाद में 01 दिल्ली पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इन स्कूलों के छात्र अकादिमिक के साथ-साथ खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, बीसीसीएल के कमान क्षेत्र में चल रहे इन ग्यारह सीबीएसई स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या 22,825 है।

आवश्यकता पड़ने पर इन स्कूलों को प्रदान की जाने वाली अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ वर्ष 2022-23 में इन सभी ग्यारह स्कूलों के लिए रेफ्रिजरेटर भी खरीदे जा चुके हैं।

## प्राइवेट समिति द्वारा संचालित स्कूल

प्राइवेट सिमिति द्वारा संचालित 17 स्कूल, जिन्हें विधिवत गठित सिमिति द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद अनुशंसित किया गया था, को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल ₹ 40,12,000 (चालीस लाख बारह हजार रुपये) की सहायता अनुदान मंजूर किया गया है। वृत्तिमूलक स्कूलों के लिए वर्ष 2022-23 का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

## ख) कर्मचारियों के बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

एनसीडब्ल्यूए के खंड के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में तकनीकी शिक्षा की लागत के लिए ₹ 44,06,194/- की वित्तीय सहायता उन कर्मचारियों को प्रदान की गई थी, जिनके बच्चे आईआईटी, एनआईटी या किसी भी सरकारी संस्थानों में बी.टेक या एमबीबीएस कर रहे थे।

## ग) कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना

कोल इंडिया द्वारा प्रचलित मानदंडों के अनुसार संबंधित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीसीसीएल के कर्मचारियों के बच्चों के बीच ₹ 36,120 सीआईएल छात्रवृत्ति की राशि के तौर पर वितरित की गई थी।

## 2. बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी

साथी कर्मचारियों के प्रति परोपकार की भावना से बीसीसीएल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी का गठन किया गया था।

### वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान योजना-वार वित्तीय सहायता :

क्रम सं.	वित्तीय सहायता	राशि (₹)
1	मृत्यु के मामले	1,70,65,000.00
2	लंबी बीमारी	2,36,680.00
3	मानदेय	13,000.00
	कुल	1,73,92,880.00

## 3. खेल एवं मनोरंजन

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, हमारे कर्मचारियों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खेल (अंतर-क्षेत्रीय) कार्यक्रम आयोजित किए गए।

## वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताएं

I. बीसीसीएल ने जियलगोरा स्टेडियम में बीसीसीएल बनाम सीआईएसएफ बीसीसीएल यूनिट के बीच **महिला क्रिकेट** का आयोजन किया।



II. पहली बार बीसीसीएल ने सिजुआ स्टेडियम में सीएमडी इलेवन और सीआईएसएफ बीसीसीएल यूनिट के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया।





# III. सीआईएल अंतर अनुषंगी कैरम टूर्नामेंट

बीसीसीएल द्वारा दिनांक 08.12.2022-10.12.2022 तक सीआईएल अंतर कंपनी कैरम टूर्नामेंट का आयोजन सामुदायिक भवन, कोयला नगर में किया गया। टूर्नामेंट में सीआईएल के सभी अनुषंगियों के साथ-साथ एससीसीएल ने भाग लिया। टूर्नामेंट का परिणाम निम्नलिखित है-

टीम विजेता	ओपन सिंगल	डबल्स
विजेता - डब्ल्यूसीएल	विजेता – सीएमपीडीआईएल	विजेता - डब्ल्यूसीएल
द्वितीय विजेता – एससीसीएल	द्वितीय विजेता - डब्ल्यूसीएल	द्वितीय विजेता – एससीसीएल

## IV. वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित अन्य खेल और कार्यक्रम निम्नानुसार हैं: -

क्रम सं.	आयोजन	तिथि	स्थान
1	लॉन टेनिस	09.08.2022	मुख्यालय
2	फुटबॉल	17.08.2022 से 22.08.2022 तक	सिजुवा क्षेत्र
3	टेबल टेनिस	23/24.08.2022	गोविंदपुर क्षेत्र
4	कैरम	26/27.08.2022	सीसीडब्ल्यूओ
5	शतरंज	01.09.2022 से 03.09.2022 तक	कुसुंडा क्षेत्र
6	ब्रिज	05/06.09.2022	बस्ताकोला क्षेत्र
7	सांस्कृतिक बैठक	09/10.09.2022	ब्लाक II क्षेत्र
8	विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय खेलकूद	क्षेत्र -1- 19/20.09.2022	विभिन्न क्षेत्रों में
		क्षेत्र -2- 22/23.09.2022	
		क्षेत्र -3- 26/27.09.2022	
		क्षेत्र -4- 28/29.09.2022	

क्रम सं.	आयोजन	तिथि	स्थान
9	एथलेटिक्स (केंद्रीय खेलकूद)	14/15.10.2022	जिएलगोरा स्टेडियम, लोदना क्षेत्र
10	वॉलीबाल	20/21.10.2022	कतरास क्षेत्र
11	क्रिकेट	14.11.2022 से 22.11.2022 तक	लोदना क्षेत्र
12	बैडमिंटन	14/15.12.2022	बरोरा क्षेत्र
13	हॉकी	27-28.10.22	ई जे क्षेत्र
14	कबड्डी	14 से 19.11.22 तक	पीबी क्षेत्र

## 4. कल्याणकारी सुविधाओं के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय दौरा

संपूर्ण बीसीसीएल में फिल्टर प्लांट, अस्पताल/डिस्पेंसरी, कैंटीन, पेयजल आपूर्ति, वॉशरूम, रैंप और अन्य कार्यस्थल सुविधाओं का विभागीय निरीक्षण किया गया।

कल्याणकारी सुविधाओं की सख्त निगरानी से पूरे बीसीसीएल में कल्याणकारी सुविधाओं में सकारात्मक सुधार हुआ है, जो निम्नलिखित है –

- पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं का निर्माण,साथ ही मौजूदा शौचालयों कीमरम्मत / रखरखाव भी।
- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नवीकरण और विकास कार्य।
- क्षेत्रीय अस्पताल सिजुआ में एक्स-रे मशीन का प्रतिष्ठापन।
- सीएचडी में नवीकरण कार्य।
- कार्यस्थलों पर दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लिए रैंप और रेलिंग की सुविधा।

## 5. कल्याणकारी पहल के तहत अंतर-क्षेत्र प्रतियोगिता:

कल्याणकारी पहल के तहत अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कल्याण बोर्ड के सदस्यों तथा कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद फिल्टर प्लांट, अस्पतालों/औषधालयों और अन्य कार्यस्थल सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। कर्मचारी कल्याण से संबंधित विकास कार्य जारी रखने हुए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को प्रेरणा के रूप में गणतंत्र दिवस, 2023 में पुरस्कृत किया जाना है जो इस प्रकार है -

कल्याणकारी पहल के तहत सर्वश्रेष्ट क्षेत्र	प्रथम	पश्चिम झरिया क्षेत्र
कल्याणकारी पहल के तहत दूसरा सर्वश्रेष्ट क्षेत्र	द्वितीय	बस्ताकोला क्षेत्र
फ़िल्टर प्लांट	प्रथम	पश्चिम झरिया क्षेत्र
फ़िल्टर प्लांट	द्वितीय	पुटकी बलिहारी क्षेत्र
चिकित्सा सुविधाएं (अस्पताल+डिस्पेंसरी+एम्बुलेंस)	प्रथम	पश्चिम झरिया क्षेत्र
चिकित्सा सुविधाएं (अस्पताल+डिस्पेंसरी+एम्बुलेंस)	द्वितीय	सिजुआ क्षेत्र
कार्यस्थल पर सुविधाएं (रैंप+पेयजल,शौचालय/ वॉशरूम+कैंटीन और पिट हेड बाथ+क्रेच)	प्रथम	बस्ताकोला क्षेत्र
कार्यस्थल पर सुविधाएं (रैंप+पेयजल,शौचालय/वॉशरूम+कैंटीन और पिट हेड बाथ+क्रेच)	द्वितीय	बरोरा क्षेत्र
स्वच्छता	प्रथम	पुटकी बलिहारी क्षेत्र
स्वच्छता	द्वितीय	बरोरा क्षेत्र
विशेष उपलब्धियां (नर्सरी (पौधा) - स्नेह स्मृति उपवन)	प्रथम	ब्लाक – II क्षेत्र
विशेष उपलब्धियां (फुटबॉल ग्राउंड)	द्वितीय	चांच विक्टोरिया क्षेत्र



#### 23. पेंशन

बीसीसीएल का पेंशन सेल सीएमपीएफ योजना 1948 एवं सीएमपीएस 1998 के तहत शासित पीएफ एवं पेंशन के दावों को समय पर जमा करने और अग्रेषित करने के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। विभाग का विशेष ध्यान 'मिशन बिस्वास' पर रहता है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ-पेंशन दावों को सुचारू रूप से संसाधित करने के लिए सीएमपीएफ अधिकारियों और क्षेत्र/ इकाइयों के साथ नियमित रूप से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाता है सीएमपीएफओ द्वारा इन प्रस्तुत दावों का समयबद्ध निपटान किया जा सके।

## 1. सीएमपीएफ कार्यालय में 'मिशन विश्वास' के तहत जमा किए गए पेंशन दावों के आंकड़े:

(क)

वर्ष 2022-23 यानि अप्रैल 22 से मार्च 23 के दौरान	वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत और अग्रेषित किए गए		
प्रस्तुत किए जाने वाले पेंशन दावे	पेंशन दावे ( <b>मिशन बिस्वास</b> )		
1896	1613		

#### (ख)

वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त पेंशन दावे	वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमपीएफओ को प्रस्तुत पेंशन दावे
(मिशन बिस्वास के अलावा)	(मिशन बिस्वास के अलावा)
2307	2307

## 2. सीएमपीएफ कार्यालय द्वारा पेंशन दावों के निपटान के आंकड़े:

वर्ष 2022-23के दौरान प्रस्तुत किए गए पेंशन दावे	वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाए गए पेंशन दावे
3920	2307

#### 3. विभाग की विशेष गतिविधियाँ:

#### क. वाईवाई स्टेटमेंट का वितरण

वर्ष 2021-2022 के लिए वाईवाई स्टेटमेंट की प्रति कर्मचारियों के बीच वितरित कर दी गई वर्ष 2022-23 के वाईवाई स्टेटमेंट अब एसएपी-ई आरपी पर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिसे सदस्यों को समय पर वितरण करने का निर्देश दिया गया है ताकि कर्मचारियों को सीएमपीएफ और पेंशन में उनके योगदान के बारे में पता चल सके।

## ख. सीपीई 03/2022 के लिए वार्षिक सीएमपीएफ वीवी स्टेटमेंट प्रस्तुत करना:

सभी क्षेत्रों/इकाइयों/मुख्यालय ने सीपीई 03/2022 का वीवी स्टेटमेंट विहित प्रपत्र में भरकर सीएमपीएफओ, धनबाद के पास जमा कर दिया है। सीपीई 2023 के लिए वीवी एसएपी-ईआरपी में उपलब्ध हैं जिसे सीएमपीएफ कार्यालय को समय पर जमा करने के लिए जाँच किया जा रहा है|

### ग. सेमिनार/कार्यशालाएं/समन्वय बैठकें:

पेंशन सेल ने पीएफ-पेंशन दावों को शीघ्र संसाधित करने हेतु इसके निपटान प्रणाली में सुधार तथा मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए इस कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों एवं यूनियनों के साथ समन्वय बैठक के दौरान एक एसओपी एवं दिशानिर्देश जारी किया है। विभाग ने प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए यूनियन के प्रतिनिधियों तथा सीएमपीएफओ के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुलझाया है।

### 1. सीएमपीएफओ, धनबाद के समन्वय से दो पेंशन निदान शिविर का आयोजन:-

क) पीपीओ का निपटान/वितरण:-

पेंशन निदान शिविर की तिथि	वितरण किए गए पीपीओ की संख्या
21.07.2022	79
04.11.2022	312

- ख) मौके पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करना और इसकी जानकारी के लिए जागरूकता पैदा करना
- ग) नि: शुल्क चिकित्सा जांच का आयोजन
- घ) शिकायत निवारण डेस्क

## 2) पेंशन अदालत

क्रम सं.	पेंशन अदालत की तारीख/महीना	क्षेत्र का नाम
1	मई, 2022	मुख्यालय (डी I एवं डी II)
2	जून, 2022	मुख्यालय (डी I एवं डी II)
3	जुलाई, 2022	मुख्यालय (डी I एवं डी II)
4	07.10.2022	बरोरा और ब्लॉक -2
5	21.10.2022	बस्ताकोला
6	30.11.2022	बरोरा क्षेत्र
7	01.12.2022	ब्लाक -II
8	02.12.2022	सिजुआ
9	03.12.2022	कतरास
10	05.12.2022 गोविंदपुर	
11	06.12.2022	लोदना
12	24.03.2023	सीएमपीएफ रिजन डी-II के तहत आने वाले सभी क्षेत्र

#### 3. समन्वय बैठक :-

सीएमपीएफएफ/सीएमपीएस दावों के लंबित रहने और उसके निपटान के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए सीएमपीएफ के सहायक आयुक्त, डी-1 और डी-2 तथा कोयला कंपनी के अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय बैठक के माध्यम से विस्तृत विचार-विमर्श। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ इकाई स्तर पर 8 समन्वय बैठक आयोजित।

## घ. पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हेतु जागरूकता:

पेंशनभोगियों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया, बैनर आदि के माध्यम से अभियान चलाया गया है। पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए यूएसबी फिंगर प्रिंट स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है और क्षेत्रवार अभियान भी चलाया गया है। मार्च, 2022 से पेंशन प्रकोष्ठ ने एंड्राइड मोबाइल फ़ोन पर आधार नंबर पर आधारित फेस रिकिनशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है। एंड्राइड फेस ऐप की मदद से, पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान, फेस ऐप के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट - एक हैंड आउट पेश किया गया था जो प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ और अन्य दस्तावेजों के साथ जागरूकता पैदा करने और उपयोग के लिए दिया जाता है।



### ड. ठेका श्रमिक का पीएफ और पेंशन:

बीसीसीएल में आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए ठेका श्रमिकों के पीएफ दावों के प्रक्रिया एवं निपटान के लिए विभाग सीएमपीएफओ के संपर्क में है। सदस्यता के पंजीकरण के लिए ठेका श्रमिक को सीएमपीएफओ के दायरे में लाने के लिए यह विभाग निरंतर प्रयासर करता है। तथापि, 100% ठेका श्रमिकों के पास सीएमपीएफ/ईपीएफ की सदस्यता है।

#### च. सीएमपीएफओ दावा निपटान के लिए एसओपी:

सीएमपीएफओ द्वारा परिचालित एसओपी के साथ पीएफ-पेंशन दावा प्रस्तुत करने और प्रक्रिया के मानक अभ्यास के लिए इकाइयों और क्षेत्रों के बीच एसओपी वितरित किए गए हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

- छ. नया सहज फॉर्म और नामांकन फॉर्म पूरी तरह से लागू किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
- ज. लंबित पीएफ-पेंशन दावों पर रिपोर्ट: लंबित पीएफ-पेंशन दावों पर माह-वार संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जा रही है और पारदर्शिता के लिए इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा सीएमपीएफओ ने अप्रैल, 2023 से प्रभावी समन्वय समिति की बैठक, पेंशन अदालत और संयुक्त रिपोर्टिंग आयोजित करने के लिए एसओपी पेश की है, जिससे मौजूदा प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आई है।

झ.संयुक्त रिपोर्टिंग योजना: संदर्भ सं. PF/120/System Improvement/Joint reporting/VIG/HQ/119 दिनांक 18.05.2022, के माध्यम से सभी अनुषंगियों के निदेशक (का.), निदेशक (का.) सीआईएल, सीवीओ (सीआईएल) तथा सभी अनुषंगियों के सीवीओ को भेजे गए परामर्श के अनुसार पहले चरण में दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अविध के दौरान बीसीसीएल द्वारा प्राप्त और संदर्भित सभी मामलों को संकलित किया गया और निपटान के लिए उन्हें भेजे गए प्रत्येक दावे की स्थिति को इंगित करने के लिए सीएमपीएफओ को भेजा तथा मासिक समन्वय बैठक के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अविध में मामलों के निपटान के आंकड़ों को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:


अवधि	प्राप्त मामलों की संख्या	25.03. 2022 तक	18.05. 2022 तक	23.06. 2022 तक	31.07. 2022 तक	18.08. 2022 तक	30.09. 2022 तक	31.10. 2022 तक	11.01. 2023 तक	21.02. 2023 तक	20.04. 2023 तक
जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक	3516	198	123	81	65	55	40	31	23	22	15

बाद के महीनों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, अर्थात जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 और जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक जैसा की तालिका-2 में दिया गया है:-

माह	प्राप्त मामलों की सं.	निपटान किए गए मामले	सीएमपीएफओ में लंबित	बीसीसीएल में लंबित मामले
जनवरी -22	445	441	1	3
फरवरी -22	358	354	1	3
मार्च -22	397	393	3	1
अप्रैल -22	327	321	5	1
मई -22	276	271	3	2
जून -22	319	311	3	5
जुलाई -22	317	311	3	3
अगस्त -22	281	276	3	2
सितम्बर -22	334	326	4	4

माह	प्राप्त मामलों की सं.	निपटान किए गए मामले	सीएमपीएफओ में लंबित	बीसीसीएल में लंबित मामले
अक्टूबर -22	243	227	7	9
नवम्बर -22	287	257	26	4
दिसम्बर -22	345	256	79	10
जनवरी -23	248	201	34	13
फरवरी -23	355	193	144	18
मार्च -23	290	124	151	15
कुल	4822	4262	467	93

दिनांक 03/2023 तक पेंशन दावों की स्थिति



चित्र: जनवरी, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान उत्पन्न पेंशन दावों की स्थिति। संयुक्त रिपोर्टिंग के क्रियान्वयन के बाद दावों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है: -

- बीसीसीएल और सीएमपीएफओ के पास लंबित मामलों की संख्या के साथ-साथ लंबित मामलों के कारण के बारे में सटीक जानकारी होगी, जिससे संबंधित प्रबंधन को लंबित दावों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
- 2. दावेदार/ सदस्य / आश्रितों को अपने दावों की स्थिति के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
- 3. सीएमपीएफओ और बीसीसीएल अधिकारियों के बीच निर्धारित मासिक बैठक में लंबित दावों पर चर्चा की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा।



## जुलाई और नवंबर 2022 में आयोजित पेंशन निदान शिविर



#### 24. औद्योगिक संबंध और विधिक अद्यतन

## 24.1 वर्ष 2022-23 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृष्य

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निपटान के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सुव्यवस्थित द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है।

कैलेंडर वर्ष 2022-23 में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकें इकाई, क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट स्तर पर आयोजित की गईं और इस तरह कार्यस्थल पर एक प्रभावी सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित किया गया, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान औद्योगिक संबंध की 22 संरचनात्मक बैठकें आयोजित की गई। हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक प्रतिनिधियों के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, वर्ष 2022 -23 के दौरान एक केंद्रीय सलाहकार सिमिति की बैठक आयोजित की गई थी। विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है।

बीसीसीएल में एक ऑनलाइन और मोबाइल अनुकूल शिकायत निवारण पद्धति प्रचलित है जहां प्राप्त शिकायतों को प्राप्त एवं पंजीकृत किया जाता है तथा समय सीमा के अंदर निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है।

सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध मधुर, सद्भावपूर्ण एवं शांतिपूर्ण बना रहा और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच परस्पर सद्भाव की समझ विकसित हुई।

#### औद्योगिक संबंध स्थिति रिपोर्ट

	वर्ष	
विवरण	2021-22	2022-23
हड़ताल	01	-
भूख हड़ताल	_	_
घेराव	_	_
प्रदर्शन	_	05
हमला	_	_
बाधा/ व्यवधान	_	_
धीरे चलो	_	_
धरना	_	01
कामबंदी	_	_
अन्य, जैसे प्राणघातक दुर्घटना	_	04

#### हडताल, प्रदर्शन और धरना का विवरण:

#### 2021-22

हड़ताल –1. बीएमएस को छोड़कर इंटक, एटक, एचएमएस और सीटू आदि से संबद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 से 29 मार्च, 2022 तक दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी ड़ताल का आह्वान किया गया।

#### 2022-23

#### हड़ताल –शून्य

प्रदर्शन- 1. बीसीसीएल के 25% विनिवेश की सूचना के विरुद्ध डीसीकेएस (बीएमएस) द्वारा दिनांक 03.06.2022 को बीसीसीएल मुख्यालय गेट पर एक दिवसीय प्रदर्शन।

- 2. डीसीकेएस (बीएमएस) द्वारा बीसीसीएल प्रबंधन को सीआईएल अध्यक्ष को संबोधित मांग पत्र सौंपा गया था, जिसे पत्र सं. 3772-73 दिनांक -29.09.2022 के माध्यम से सीआईएल के कार्यकारी निदेशक/विभागाध्यक्ष (श्रमशक्ति एवं औ.सं.) को अग्रेषित किया गया है।
- 3.बीसीसीएल, मुख्यालय गेट पर बीसीकेयू (सीटू) द्वारा लगभग 2-3 घंटे तक प्रदर्शन तथा मांग प्रस्तुत करना जिसमें (क) बीसीसीएल के 25% विनिवेश के निर्णय को वापस लेने की मांग (ख) बीसीसीएल/ईसीएल/सीएमपीडीआईएल को सीआईएल से अलग करने की योजना वापस लेने (ग) एमएनपी के अनुसार मालिकों को 160 कोलियरी देने के प्रस्ताव को वापस लेने और (घ) जेबीसीसीआई -11 का शीघ्र निर्णय लेना शामिल है। शेष मांगें बीसीसीएल से संबंधित थी। विधि-व्यवस्था सामान्य रही।



- 4. जेएमएस के सदस्य, जेबीसीसीआई/महासचिव श्री सिद्धार्थ गौतम के पत्र सं. 423 दिनांक 11.11.2022 (दिनांक 11.11.2022 को ईमेल के माध्यम से सीआईएल को सूचित किया गया) के अनुसार, दिनांक 15.11.2022 को लगभग शाम 4:00 बजे बीसीसीएल, मुख्यालय गेट पर 10-12 लोगों ने इकट्ठा होकर एनसीडब्ल्यूए XI पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन आधे घंटे तक जारी रहा जो शांतिपूर्वक चला |
- बीसीसीएल के कुछ इलाकों में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। विधि-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं।
- 5. दिनांक 27.03.2023 को जेएमएस (बीएमएस) द्वारा 19% एमजीबी के कुछ क्रियान्वयन तथा एनसीडब्ल्यूए XI के लिए प्रदर्शन किया गया था। दिनांक 24.03.2023 और 27.03.2023 को जेएमएस के पत्र और ज्ञापन को ईमेल के माध्यम से सीआईएल भेजा गया। विधि-व्यवस्था सामान्य रही।

## अन्य घटनाएं प्राणघातक दर्घटनाएं

- 1. भौरा दक्षिण (प.झिरया क्षेत्र) में दिनांक 10.08.2022 को लगभग रात 1:30 बजे (10.08.2022 की रात्रि पाली) आंधी के साथ भारी बारिश शुरू हुई तथा अचानक देर रात करीब सवा दो बजे प्लिमंग स्टेशन के पास गर्म राख के साथ बारिश का पानी भर गया और भाप के झोंके से वहां मौजूद चार लोग झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सीएचडी, धनबाद भेजा गया। इसके बाद गुलाब चंद महतो (पंप ऑपरेटर) को बेहतर इलाज के लिए बीजीएच, बोकारो रेफर किया गया, जहां उन्होंने दिनांक 12.08.2023 (सुबह) को दम तोड़ दिया और हिर शंकर गौड़ (पंप ऑपरेटर) को दिनांक 13.08.2022 को विवेकानंद अस्पताल, दुर्गापुर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने दिनांक 23.08.2022 की रात 8:23 बजे दम तोड़ दिया।
- 2. दिनांक 19.11.2022 को रात्रि लगभग 10:40 बजे (प्रथम पाली) ओपिंदर पासवान और अकबर अंसारी को खदान के पश्चिमी हिस्से में द्वितीय-सीम सम्प में स्थापित 4000 जीपीएम पंप की डिलीवरी रेंज के रिसाव की मरम्मत के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही एक पे-लोडर को ऊपरी बेंच के ठीक ऊपर काम के लिए लगाया गया, जिससे कुछ पत्थर पलट / लुढ़क गए जिससे ओपिंदर पासवान और अकबर अंसारी नाम के व्यक्ति को चोट लग गई |उन्हें फ़ौरन इलाज के लिए सीएचडी भेजा गया, जहां से उन्हें दर्गापुर के
  - पासवान और अंकबर अंसारी नाम के व्यक्ति को चोट लग गई |उन्हें फ़ौरन इलाज के लिए सीएचडी भेजा गया, जहां से उन्हें दुर्गापुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान, ओपिंदर पासवान, टंडेल(42 वर्ष) ने दिनांक 20.11.2022 को सुबह 6:30 बजे दम तोड़ दिया।
- 3. दिनांक 31.12.2022 को श्री घनश्याम भुईया (50 वर्ष), डंपर ऑपरेटर, ओबी डंप/3, कुसुंडा क्षेत्र को डंपर सं.-60774 आवंटित िकया गया था। उसने डंपर को पार्किंग से लेकर ओबी फेस पर ड्राइव करने के बजाय ओबी डंप की ओर चला गया। सुबह करीब 6:45 बजे पता चला िक ओबी डंप पर एक डंपर ने उसे कुचल दिया है। डंपर नंबर-60774 के टायरों पर खून देखा गया। इस प्रकार उसे आवंटित िकया गया डंपर उसके शरीर पर चढ़ जाता है। डंपर शव से 60-70 मीटर दूर शव के समानांतर खड़ा था और इससे यह स्पष्ट है िक कोई अनिधकृत अज्ञात व्यक्ति वाहन चला रहा था। जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
- 4. दिनांक 21.03.2023 को एक्सकेवेटर वोल्वो 480 क्रं सं. 109 को पिछले शिफ्ट से V/VI सीम पर तैनात किया गया था। शाम 07:00 बजे से बारिश होने के कारण हॉल रोड फिसलन भरी थी, जिसके परिणामस्वरूप अपराह्न 08:00 बजे से काम रोक दिया गया था। दिनांक 21.03.2023 की रात्रि पाली में श्री तारा प्रसाद महतो को उस शावेल में प्रतिनियुक्त किया गय। वह रात की पाली में मशीन को चलाने के लिए पर्यवेक्षक के साथ प्रेक्षण स्थान पर इंतजार कर रहा था। अचानक उन्होंने खुदाई स्थल के पास तेज धधकती आग देखी। तुरंत वे पानी के टैंकर के साथ एक्सकेवेटर के पास पहुंचे और एक्सकेवेटर को जलते देखा और उन्होंने पानी के टैंकर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की। इस क्रम में वह झुलस उन्हें तुरंत अशर्फी अस्पताल और फिर बोकारो जनरल अस्पताल, बोकारो में इलाज के लिए भेजा गया। उपचार के दौरान तारा प्रसाद महतो ने दिनांक 22.03.2023 की रात 09:30 बजे दम तोड़ दिया।

## हड़ताल के कारण नुकसान

विवरण	2021-2022	2022-23
कार्यदिवस-हानि	0	0
उत्पादन-हानि (टन)	0	0
वेतन-हानि	0	0

#### 24.2 विधिक अद्यतनः

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2022 तक लंबित	31 मार्च, 2023 तक लंबित	वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी	वर्ष के दौरान लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि / हास
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	31	36	5	16.12% की वृद्धि
उच्च न्यायालय	970	937	33	3.40% की कमी
जिला न्यायालय	330	691	361	109.39% की वृद्धि
पंचाट	07	07	0	कोई बदलाव नहीं
कुल	1338	1671	333	24.88% की वृद्धि

#### 25. चिकित्सा

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 12158 कर्मचारियों का पीएमई किया गया।
- कोयला श्रमिकों में 'न्युमोकोनियोसिस' का कोई नया मामला नहीं पाया गया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 80 शिविर लगाये गए।

## शिविरों के नाम:

- निःशुल्क मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप
- महिला दिवस समारोह: "स्वस्थ नारी, समर्थ समाज" नामक एक स्वास्थ्य देखभाल शिविर का आयोजन विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही एवं अनदेखी जैसी विषयों पर चर्चा की गई। इस शिविर के माध्यम से मासिक धर्म, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, गर्भाशय ग्रीवा एवं स्तन कैंसर जैसे स्वास्थ्य समस्याओं के रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। यौवन, मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान आमतौर पर देखे जाने वाले भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर जोर दिया गया तथा सलाह दी गई।
- परिवार नियोजन जागरूकता शिविर।
- मास्क एवं सेनेटाइजर वितरण शिविर।
- कोविड-19 जागरूकता शिक्षा शिविर।
- स्वास्थ्य जांच एवं तनाव प्रबंधन शिविर।
- स्वास्थ्य जागरूकता तथा जीवन शैली परिवर्तन शिविर।
- मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।
- कोविड-19 के बाद के मरीजों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर।
- विश्व गुर्दा दिवस।
- विश्व क्षय रोग दिवस।
- 🔷 "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत जनवरी के पहले सप्ताह में 12 स्वास्थ्य और कल्याण शिविर आयोजित किए गए थे।

वर्ष 2022 के दौरान आयोजित शिविरों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	
80	6472	

## एम्बुलेंस: -

> 02 एएलएस एम्बुलेंस की खरीद की गई है और उन्हें केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में तैनात किया गया है। बीसीसीएल में कुल 63 एम्बुलेंस (विभागीय और संविदात्मक दोनों) हैं।

डीएनबी कोर्स: केंद्रीय चिकित्सालय में डीएनबी इन सर्जरी, जेनरल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन कोर्स शुरू किया गया



#### वर्ष 2022 में केंद्रीय अस्पताल, धनबाद की उपलब्धियाँ

- > एहतियाती खुराक सहित सीएचडी में किए गए टीकाकरण की कुल संख्या -21756
- > दिनांक 15-10-2022 को 960 एलपीएम की क्षमता वाले 02 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र प्रतिष्ठापित और चालू किए गए है जो 24x7 चल रही है।
- अस्पताल के तरल अपिशष्ट के उपचार के लिए 02 बिहस्राव उपचार संयंत्र (जिसमें एक की क्षमता 30 केएलडी और दूसरे की क्षमता 5 केएलडी) स्थापित और चालू किए गए हैं।
- > सीएचडी में बायो मेडिकल अपशिष्ट के उपयुक्त पृथक्करण और निपटान के लिए बार कोडिंग प्रणाली लागू की गई है
- 🗲 बायो मेडिकल अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए सीएचडी में प्लास्टिक श्रेडिंग मशीन लगायी गई है।
- 🤛 एसीपी के साथ सीएचडी बिल्डिंग और स्वागत द्वार के अग्रिम उन्नयन का कार्य प्रगति पर है और इसे बहुत जल्द पुरा कर लिया जाएगा।
- सीएसआर गतिविधि के तहत सार्वजिनक शौचालय परिसर का उन्नयन किया गया है।
- > रोगियों के परिचरों के लिए प्रतीक्षालय (पुरुष और महिला दोनों) का नवीकरण किया गया है।
- प्रवेश द्वार पर 30 वाहनों की पार्किंग के लिए बटरफ्लाई कार पार्किंग शेड का निर्माण प्रा हो गया है।
- 🗩 ओपीडी के पास बाइक पार्किंग के लिए मोटर साइकिल पार्किंग शेड का निर्माण पुरा जिसमे 80 मोटर साइकिल पार्किंग हो पाएंगे
- > 16 निजी केबिन सहित सभी शौचालयों की मरम्मत और नवीकरण का कार्य प्रा हो गया है।
- > नियो नेटल आईसीयू, ब्लड बैंक और लेबर रूम की मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा।
- > डीएनबी के लिए आठ छात्रों ने पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पाठ्यक्रमों में, चार ने जनरल मेडिसिन में, दो ने जनरल सर्जरी में और दो ने फैमिली मेडिसिन में दाखिला लिया है।
- ≻ 24 अप्रैल को संत निरंकारी आश्रम, धनबाद और 10 मई, 2022 को सीएचडी में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।
- > 1 जुलाई 2022 को पहला कदम में विकलांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था।
- > 6 अप्रैल, 2022 को टुंडी स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
- 😕 कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में बीसीसीएल पेंशनर के लिए स्वास्थ्य शिविर (चिकित्सा एवं नेत्र जांच) का आयोजन किया गया।
- > 3 नवंबर से 10 नवंबर तक सर्वाइकल और स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए शिविर लगाकर 246 रोगियों की जाँच की गई|
- कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर आई ओपीडी में अंधेपन की रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 70
  रोगियों की जांच की गई।
- » विश्व ग्लूकोमा दिवस की पूर्व संध्या पर 12 मार्च, 2022 को ग्लूकोमा शिविर का आयोजन किया गया है। कुल 83 रोगियों की जांच की गई और उनमें से ग्लूकोमा के संदिग्ध 26 लोग थे (18 अनुवर्ती रोगी और 08 नए रोगी थे)।
- > 17 नवंबर, 2022 से अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) सीएचडी में शुरू की गई।
- 🗲 कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 27-05-2022 को सीएचडी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया।
- > सभी पारंपरिक विद्युत ट्यूब लाइट फिटिंग को ऊर्जा की बचत करने वाले एलईडी ट्यूब लाइट फिटिंग में परिवर्तित किया गया है।
- » डायलिसिस रोगी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए डायलिसिस यूनिट को 3 नई डायलिसिस मशीन के साथ अपग्रेड किया गया। डायलिसिस यूनिट में कुल 8 बेड को भी अपग्रेड किया गया।
- ⊳ वर्ष 2022 में कुल 2218 डायलिसिस किया गया |वर्तमान में 2 शिफ्ट में डायलिसिस में किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए, नेत्र विभाग में ऑटो रेफ्रैक्टोमीटर, नन-कांटेक्ट टोनोमीटर, ए-स्कैन मशीन, विजुअल फील्ड एनालाइजर (पेरिमीटर), ओसीटी और एनडी: याग लेजर जैसे कई नए चिकित्सा उपकरण प्रतिष्ठापित किए गए हैं और हाई इंडेक्स ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की खरीद प्रक्रियाधीन है।
- ईएनटी ओपीडी में नाक की एंडोस्कोपी और माइक्रो कान की जांच करने के लिए ईएनटी ओपीडी वर्क स्टेशन स्थापित किया गया है।
- > 3 हाई एंड एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, 6 मल्टीपैरा मॉनिटर, हिस्टेरोस्कोप, एफईएसएस, 3 और 5 पार्ट हेमोटोजी एनालाइजर आदि खरीद प्रक्रिया के अधीन है।
- > गाइनी लैप्रोस्कोप और सर्जरी लैप्रोस्कोप खरीद प्रक्रिया में है और बहुत जल्द खरीदे जाने की संभावना है।

- डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित की गई है जो चालू है। डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित और चालू की गई है। धनबाद में पहली बार इस प्रकार का रेडियोग्राफी सिस्टम लगाया गया है।
- > 2022 में धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में पहली बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसी नई सर्जरी शुरू की गई है। अब तक 06 टीएचआर तथा 15 टीकेआर सफलतापूर्वक की गई है। इन 06 टीएचआर में से 03 व्यक्ति 45 वर्ष से कम आयु के हैं।
- > वर्ष 2022 के दौरान की गई सर्जरी की कुल संख्या इस प्रकार है:-

क्रम सं.	विभाग	किए गए कुल सर्जरी
1	ओर्थोपेडिक	411
2	जेनरल सर्जरी	1002
3	गायनी व प्रसूति	446
4	नेत्र	865
5	ईएनटी	47
	कुल	2771

## चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की तैनाती:-

• नियमित आधार पर नए भर्ती हुए और तैनात किए गए चिकित्सक-13

### लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग केंद्र का पैनल

• सीजीएचएस दरों पर सभी लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक और इमेजिंग के लिए आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर, सरायढ़ेला, धनबाद सूचीबद्ध

#### 26. राजभाषा

### बीसीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगित की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों की विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, हमारी कंपनी ने सभी हितधारकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और सर्वोत्तम संभव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उपयोग करने की भी पहल की है। हमारी कंपनी ने अपने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2022-23 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। कंपनी निरंतर निगरानी और विभिन्न स्तरों पर नियमित प्रयासों के माध्यम से अपने वार्षिक कार्यक्रम के सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

#### त्रैमासिक समीक्षा बैठकें:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें निर्धारित समय पर हुई। वर्ष के दौरान सभी चार त्रैमासिक समीक्षा बैठकें 03 जून 2022, 21 जुलाई 2022, 27 नवंबर 2022 और 20 मार्च 2023 को आयोजित की गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सुझावों के तहत समीक्षा अविध के दौरान कई नई पहल किए गए। मुख्य पहल के रूप में, राजभाषा पखवाड़ा के अलावा राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष के दौरान हिंदी के प्रचार के लिए कुल 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रत्येक तिमाही में निर्धारित वार्षिक राजभाषा-कैलेंडर के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित की गई।



### कार्यशालाएं:

अधिकारियों और कर्मचारियों प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तािक वे अपने नियमित कार्य आसानी से हिंदी में कर सकें। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में उपलब्ध तकनीकी और आईटी सुविधाओं जैसे कंठस्थ ट्रांसलेशन मेमोरी टूल ,यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग, वॉयस टाइपिंग, हिंदी ओसीआर, फॉन्ट कन्वर्टर, मशीन अनुवाद, ई-डिक्शनरी आदि के लिए गहन प्रशिक्षण भी दिया गया। वर्ष के दौरान बीसीसीएल मुख्यालय, मानव संसाधन विकास और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 55 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

#### सेमिनार, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम:

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर,13 जनवरी 2023 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति, धनबाद के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर के राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह पांच सत्रों में आयोजित किया गया जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविदों ने व्याख्यान दिए थे। सेमिनार का उद्घाटन बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिंदी पुस्तक मेला और राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई।

21 फरवरी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए एक अन्य कार्यक्रम विभागीय 'कवि सम्मेलन' का भी आयोजन किया गया | इस कार्यक्रम में मुख्यालय के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों से आए 7 प्रतिभावान कवियों ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 श्रोता भी उपस्थित थे।



#### हिंदी प्रकाशन:

हमारी कंपनी नियमित रूप से अपनी अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका 'कोयला भारती' नाम से प्रकाशित करती है। यह कॉर्पोरेट पत्रिकाओं के बीच एक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका है। इस पत्रिका के 37वें और 38 वें अंक वर्ष 2022-23 के दौरान प्रकाशित किए गए। पत्रिका के ये अंक क्रमशः 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर और 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जारी किए गए। वर्ष के दौरान नगर अधिकारिक कार्यान्वयन समिति, धनबाद की अर्धवार्षिक पत्रिका 'राजभाषा संदेश' के दो अंक भी प्रकाशित हुए। वर्ष के दौरान बीसीसीएल के कर्मियों के लिए 'कार्यालय सहायिका' नामक एक पॉकेट साइज बुकलेट भी प्रकाशित की गई।

इन प्रकाशनों के अलावा, दो अन्य हिंदी पत्रिकाएं 'लोदना दर्पण' और 'कोल रश्मि' भी क्रमशः लोदना और बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा प्रकाशित की गई।

#### राजभाषा पखवाडाः

राजभाषा पखवाड़ा 14 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 तक मनाया गया। पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी अनुवाद और शब्दावली प्रतियोगिता, स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के लिए हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, गृहिणियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। बीसीसीएल मुख्यालय में कुल 62 अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों और छ: विभागों (तकनीकी एवं गैर तकनीकी श्रेणी) को वर्ष के दौरान अपने कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रदर्शन के लिए "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति राजभाषा सम्मान" से सम्मानित किया गया। इन कार्यालयों का चयन कॉरपोरेट स्तरीय राजभाषा निरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार किया गया। पुरस्कार और शील्ड दिनांक 28 सितंबर 2022 को राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में श्री बालेन्दु शर्मा दधीची,निदेशक (स्थानीय और भारतीय भाषाएँ), माइक्रोसॉफ्ट को बीसीसीएल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्हें "बीसीसीएल कोयला भारती राजभाषा सम्मान" से सम्मानित किया गया।

## केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय और आईटी अवसंरचना:



हमारी कंपनी के पास एक सुस्थापित केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय है। वर्तमान में साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, कंप्यूटर, जीवन प्रबंधन और अन्य विषयों पर कुल 4623 मानक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर साल सैकड़ों महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी में उपलब्ध सभी कंप्यूटर सिस्टम यूनिकोड मानक और द्विभाषी टाइपिंग सुविधा द्वारा समर्थित हैं। बदलते परिदृश्य में,राजभाषा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 'कंठस्थ ट्रांसलेशन मेमोरी टूल का प्रशिक्षण दिया है। बीसीसीएल मुख्यालय के सभी कार्यालय हिंदी और अंग्रेजी में वॉयस टाइपिंग सुविधा से लैस हैं।



## नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

हमारी कंपनी 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति' के मंच के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार में अग्रणी रही है। हमारी कंपनी के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति धनबाद के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रयासों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा मान्यता दी गई। वर्ष 2022-23 में टॉलिक की पहली बैठक 05 जुलाई,2022 को और दूसरी बैठक 28 नवम्बर,2022को हुई थी।

## निरीक्षण:

कंपनी में राजभाषा निरीक्षण भी राजभाषा नियमों के अनुसार किया गया। आंतरिक निरीक्षण समिति ने वर्ष के दौरान अधि.स्था., कर्म.स्था., जनसूचना, सामग्री प्रबंधन, औद्योगिक अभियंत्रण, गुणता नियंत्रण, ईडीपी, सुरक्षा एवं बचाव, उत्खनन, सिविल, सीएसआर, टेलीकॉम एवं श्रमशक्ति एवं नियोजन 13 'मुख्यालय विभागों सिहत पूर्वी झिरया, लोदना, ब्लाक -2, बरोरा, कतरास तथा सिजुआ क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किया है।

## पुरस्कार और अन्य उपलब्धियां:

- बीसीसीएल के नेतृत्व में 'टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति', धनबाद द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 दिसंबर, 2022 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में श्री अजय कुमार मिश्रा, गृह मंत्री (राज्य) द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय पुरस्कार और वर्ष 2021-22 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा 28 नवंबर 2022 को आयोजित इसकी अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक में प्रथम पुरस्कार (राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।



#### 26. सतर्कता

वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ निवारक सतर्कता, दंडात्मक कार्रवाई, निगरानी एवं जांच पर बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त टिप्पणी:

#### प्रस्तावना

किसी भी संस्थान में सतर्कता विभाग प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होता है तथा यह नैतिकता ,सत्यिनष्ठा तथा पारदर्शिता में मूल्य आधारित उन्नयन के जिए संस्था को इसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है |इससे समाज में संस्था /कंपनी की बेहतर सार्वजानिक छिव निखारने में मदद मिलती है |केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को वर्तमान में विशेष महत्व दिए जाने के कारण यह किसी संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अपने लेनदेन या कार्यों में साफ सुथरी छिव के सूचक के रूप में अति उच्च पैमाने पर अपनी पहचान बनाए |कंपनी के ध्येय एवं मिशन को पूरा करने के ख्याल से सतर्कता विभाग /बीसीसीएल ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत भ्रष्टाचार से लड़ने, इसकी रोकथाम, अनियमितताओं को दूर करने और समता, सत्यिनष्ठा एवं पारदर्शिता के उन्नयन के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनायी है जो इस प्रकार है :-

#### 1. निवारक:

जैसा कि यह शब्द स्वयं संकेत करता है कि यह एक ऐसी पहल है जिससे ''सतर्कता के दृष्टिकोण'' से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। इस प्रविधि में जागरूक करने तथा अन्य व्यावहारिक उपाय जैसे जहां आवश्यक हो प्रबंधन के साथ मिलकर प्रणाली विकास के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर भ्रष्टाचार से बचने के रास्ते बंद करना, विभिन्न स्तरों पर संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना शामिल है।

#### 2.दण्डात्मकः

इस पहल के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जो ''सतर्कता'' के दृष्टिकोण से किसी गलत कार्य के लिए दोषी पाये जाते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई प्रायः समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत है।

#### 3.निगरानी:

यह तरीका शिकायत, समाचार पत्र आदि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित औचक निरीक्षण करने से संबंधित है। ऐसे निरीक्षण का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अपने उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

#### निवारक सतर्कता

#### क) औचक जांच

वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने 26 औचक जांच किए। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

- i. रेलवे साइडिंग से कोयले के परिवहन में अनियमितताएं।
- ii. सिविल टेंडरिंग/मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं।
- iii. वजन घर (वे-ब्रिज)।
- iv. कोल स्टॉक का मापन।
- v. डीजल की चोरी।
- vi. आउटसोर्सिंग पैच/सी एम सी में निविदा प्रक्रिया।
- vii. आईटी (IT) कार्यों का क्रियान्वयन।

#### ख) गहन जाँच:-

सीटीई प्रकार के कार्यों की गहन जांच का महत्व निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण है। सतर्कता विभाग ने कुल 09 सीटीई प्रकार के गहन जाँच शुरूकिए। सभी की जांच चल रही है।



#### ग) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

सचिव,सीवीसी द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 022/VGL/029 दिनांक 08.09.2022 में निहित सीवीसी आयोग के निर्देशानुसार 31.10.2022 से 06.11.2022 तक "भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकिसत राष्ट्र"थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 मनाया गया तथा सीवीसी द्वारा संप्रेषित दिशानिर्देशों के अनुपालन में संगठनात्मक ढांचे में ऊपर से नीचे तक जागरूकता लाने के लिए सरकारी कामकाज एवं संबंधित गतिविधियों में भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियमों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे बीसीसीएल एवं इसके कार्यालयों में 30.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया | इस अवसर पर थीम पर आधारित कॉर्पोरेट एवं क्षेत्रीय स्तर पर, विभिन्न प्रतियोगिताओं /गतिविधियों का आयोजन कर अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सिक्रय भागीदारी सुनिश्चित की गई,और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में अपने निरंतर प्रयासों को निवेश करते हुए सभी को निस्वार्थ और निष्पक्ष तरीके से सभी सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

सप्ताह के दौरान, संवेदीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत बीसीसीएल मुख्यालय और बीसीसीएल के 45,000 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी क्षेत्रों/इकाई/कोलियरियों में "अखंडता शपथ" समारोह के साथ हुई।

## घ. कंपनी के अंदर आयोजित गतिविधियां/कार्यक्रम

- क) सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2022" के कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 31.10.2022 को सुबह 11:00 बजे बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के गणतंत्र के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजिल देकर और कारपोरेट गीत बजाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय स्तर पर बीसीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सिहत समस्त महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारिगण और संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर में अधिकारियों/ कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित जानकारी का अनावरण करने के साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन से संबंधित दिशानिर्देशों और सभी गतिविधियों / कार्यक्रम वीएडब्ल्यू-2022 के व्यापक प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया। इसके बाद कार्यकारी निदेशकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गृह पत्रिका "चेतना" एवं "ई-संग्रह" का विमोचन किया गया।
- ख) सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा गुब्बारों को उड़ाना और 'सतर्कता रथ' का रवानगी: दिनांक 31.10.2022 को उद्घाटन समारोह के बाद, सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा नारे एवं जागरूकता के संदेशों से युक्त गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ाये गए और 'सतर्कता रथ' रवाना किया गया। विकास एवं समृद्धि की उंचाई को छूने के लिए भारत की अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले गुब्बारे छोड़े गए।

इस अवसर पर **सतर्कता रथ** को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सतर्कता रथ एक चार पहिया वाहन है जो चारों ओर से सतर्कता संदेशों से ढका हुआ है और एक पब्लिक ऑडियो डिवाइस के साथ पूरे सप्ताह धनबाद शहर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा ताकि आम जनता को विषय और अन्य मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

पूरे सप्ताह के दौरान वीएडब्ल्यू थीम के साथ आम जनता को संवेदनशील बनाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित सतर्कता रथ (चार पहियों वाला वाहन जो चारों ओर सतर्कता संदेशों से ढका हुआ है और एक पब्लिकऑडियो डिवाइस के साथ) चलाया गया है:

हरी झंडी दिखाकर रवाना	जिन क्षेत्रों में रथ घुमाए गए
बीसीसीएल मुख्यालय	पूरे धनबाद शहर में
बरोरा क्षेत्र	बरोरा एवं ब्लॉक - II क्षेत्र में
कुसुंडा	कुसुंडा, डब्ल्यूजे एवं पीबी क्षेत्र में
लोदना	लोदना, ईजे एवं बस्ताकोला क्षेत्र
सीवी क्षेत्र	सीवी क्षेत्र
कतरास	सिजुआ, गोविंदपुर एवं कतरास क्षेत्र

- III. दिनांक 30.10.2022 को एचआरडी, कल्याण भवन, बीसीसीएल में "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" के विषय पर सामूहिक जागरूकता और मूल्य आधारित कार्य संस्कृति का समावेश पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- IV. दिनांक 31.10.20 22 को मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल में "लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- V. दिनांक 04.11.2022 को सामग्री प्रबंधन विभाग मुख्यालय, बीसीसीएल द्वारा एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ लेवल-III सम्मेलन कक्ष, बीसीसीएल मुख्यालय के सम्मेलन हॉल में विक्रेताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
- VI. दिनांक 26.09.2022 को हायर किए गए एचईएमएम और परिवहन ठेकेदारों के सभी संभावित बोलीदाताओं के साथ संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा तल-III सभागार, कोयला भवन, बीसीसीएल में विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## ड. प्रतियोगिताओं का आयोजन (कंपनी के अंदर आयोजित गतिविधियां/कार्यक्रम):

शहर/स्थान	विशिष्ट कार्यक्रम (वाद-विवाद/वक्तृत्व कला/पैनल चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद (झा.)	अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	13
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद (झा.)	जीवनसाथी के लिए निबंध प्रतियोगिता	03
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद (झा.)	कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	20
बरोरा, धनबाद (झारखंड)	कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	19
ब्लॉक- ∐,धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	50
ब्लॉक- II, धनबाद (झा.)	वाद-विवाद प्रतियोगिता	30
ब्लॉक- II, धनबाद (झा.)	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	30
ब्लॉक II, धनबाद (झा.)	पैनल चर्चा	20
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	30
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	समूह-चर्चा प्रतियोगिता	30
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	वाद-विवाद प्रतियोगिता	30
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	स्लोगन राइटिंग	30
कतरास, धनबाद (झा.)	कर्मचारियों के बीच निबंध प्रतियोगिता	30
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	12
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद (झा.)	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	15
कुसुंडा क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	15
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद (झा.)	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	22
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	25
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद (झा.)	वाद-विवाद प्रतियोगिता	13
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	10
लोदना, धनबाद (झा.)	वाद-विवाद प्रतियोगिता	11



शहर/स्थान	विशिष्ट कार्यक्रम (वाद-विवाद/वक्तृत्व कला/पैनल चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या
पश्चिमी झरिया क्षेत्र, धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	11
सी.वी. क्षेत्र, बराकर (पश्चिम बंगाल)	निबंध प्रतियोगिता	18
सी.वी. क्षेत्र, बराकर (पश्चिम बंगाल)	वग्मिता प्रतियोगिता	12
वाशरी डिविजन धनबाद (झा.)	निबंध प्रतियोगिता	40
वाशरी डिविजन धनबाद (झा.)	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	40
	कुल	579

क्रम सं.	गतिविधियां	विवरण
1.	पैम्फलेट/बैनर का वितरण	388 पैम्फलेट / 290 स्टीकर
2.	कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन	यथोपरि
3.	जर्नल/न्यूज़लेटर का निर्गम	सतर्कता विभाग की पत्रिका 'चेतना' की 250 प्रतियां प्रकाशित की गईं और बीसीसीएल के कर्मचारियों के लिए ई-संग्रह 2022 का अनावरण किया गया।
4.	कोई अन्य गतिविधियाँ	

# ढ. कंपनी से बाहर की गतिविधियां

# क) स्कूली बच्चों की भागीदारी

शहर /गांव/राज्य का नाम	स्कूल का नाम	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तिथि	प्रतिभागी छात्रों की संख्या
बीसीसीएल,मुख्यालय, धनबाद (झा.)	डीएवी, कोयला नगर	निबंध प्रतियोगिता	17
बीसीसीएल,मुख्यालय,धनबाद (झा.)	डीपीएस, कार्मिक नगर	निबंध प्रतियोगिता	15
बरोरा ,धनबाद (झा.)	डी ए वी स्कूल, बरोरा	चित्रकला प्रतियोगिता	50
बरोरा ,धनबाद (झा.)	नेहरु बालिका उच्च विद्यालय, डुमरा	चित्रकला प्रतियोगिता	50
ब्लॉक-II,धनबाद (झा.)	नेहरु बालिका उच्च विद्यालय, डुमरा	निबंध प्रतियोगिता	100
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	सरस्वती विद्या मंदिर,सिनीडीह	निबंध प्रतियोगिता	50
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद (झा.)	सरस्वती विद्या मंदिर, सिनीडीह	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	50
गोविंदपुर क्षेत्र,धनबाद (झा.)	सरस्वती विद्या मंदिर,सिनीडीह	भाषण प्रतियोगिता	10
गोविंदपुर क्षेत्र,धनबाद (झा.)			20
कतरास, धनबाद (झा.)	बालिका उच्च विद्यालय,कतरास	पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता	30
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद (झा.)	नेहरु वालिका विद्यालय	निबंध प्रतियोगिता	15
कुसुंडा क्षेत्र, धनबाद (झा.)	डीएवी,कुसुंडा	निबंध प्रतियोगिता	75
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद (झा.)	एएसयू विद्यालय,गोलकडीह	निबंध प्रतियोगिता	50
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद (झा.)	एएसयू विद्यालय,गोलकडीह	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	40

शहर /गांव/राज्य का नाम	स्कूल का नाम	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तिथि	प्रतिभागी छात्रों की संख्या
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद (झा.)	एएसयू विद्यालय,गोलकडीह	चित्रकला प्रतियोगिता	40
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद (झा.)	डीएवी ,अलकुसा	थीम आधारित पेंटिंग	243
लोदना,धनबाद (झा.)	डीएवी,बनियाहीर	अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता	50
लोदना,धनबाद (झा.)	डीएवी,बनियाहीर	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	50
लोदना,धनबाद (झा.)	डीएवी,बनियाहीर	चित्रकला प्रतियोगिता	50
पूर्वी झरिया क्षेत्र,धनबाद (झा.)	विद्या विहार बालिका विद्यालय,सुदामडीह	निबंध प्रतियोगिता	27
पूर्वी झरिया क्षेत्र,धनबाद (झा.)	विद्या विहार बालिका विद्यालय,सुदामडीह	वाद-विवाद प्रतियोगिता	10
पूर्वी झरिया क्षेत्र,धनबाद (झा.)	विद्या विहार बालिका विद्यालय, सुदामडीह	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	15
पूर्वी झरिया क्षेत्र,धनबाद (झा.)	विद्या विहार बालिका विद्यालय, सुदामडीह	चित्रकला प्रतियोगिता	44
पश्चिमी झरिया, धनबाद (झा.)	यूएम विद्यालय, मुनिडीह	चित्रकला प्रतियोगिता	45
		कुल	1146

#### ii) जागरूकता ग्राम सभाएं

राज्य का नाम	शहर/नगर/गांव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तिथि	भाग लेने वाले जनता/नागरिकों की संख्या
झारखंड	कतरास, धनबाद	लकरका गाँव	दिनांक 04.11.2022 को ग्राम सभा का आयोजन	50

## iii) अन्य गतिविधियाँ

क्रम सं.	गतिविधियाँ	विवरण
1.	बैनर/पोस्टर आदि का प्रदर्शन।	25 पैम्फलेट / 50 स्टिकर
2.	आयोजित शिकायत निवारण शिविरों की संख्या	सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान की पूरी अवधि के दौरान 07 शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 214 कर्मचारियों /हितधारकों की शिकायतों का निवारण किया गया।
3.	सोशल मीडिया का उपयोग	सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों को पोस्ट करने के लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे संगठन के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया।

## प्रणाली में सुधार:-

कार्यक्षेत्रों,प्रणालियों में समग्र सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग की सिफारिश पर कार्यक्षेत्र /कार्यक्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र /दिशानिर्देश जारी किए गए थे :-



- 1. सीपीआरएमएसई (अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकेयर स्कीम) के अंतर्गत चिकित्सा दावों की प्रक्रिया के लिए एक एसओपी जारी की गई है। इसके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 12.11.2022 को एसओपी जारी की गया।
- लंबे समय से लंबित सीएमपीएफ और पेंशन मामलों के निरंतर निपटान और सीएमपीएफ/पेंशन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सीएमपीएफ की संयुक्त रिपोर्टिंग की जाती है।
- 3. कोयला डंप फीडरब्रेकर साइडिंग से विभिन्न परिवहन अनुबंधों के अनुबंध तत्व की निगरानी हेतु उपयुक्त प्रणाली बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड के रख-रखाव का मानक प्रारूप। कंपनी क्वार्टरों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।। इसके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.02.2022 को एसओपी जारी किया गया।
- 4. डीजल वितरण इकाई (डीडीयू) का स्वचालन तथा पारदर्शी लेनदेन और विभागीय एचएसडी खपत के लेखाजोखा के लिए भूमिगत भंडारण टैंकों की रीडिंग। तदनुसार, एसएपी (SAP) प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
- 5. बीसीसीएल के परिवहन मार्गों के दोनों तरफ कोयले को वजन करने के कार्य का क्रियान्वयन। पूर्ण सहायक उपकरण के साथ 60 टन क्षमता वाले 22 इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिजों के प्रतिष्ठापन तथा शुरूआत करने के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है।
- 6. बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बीसीसीएल में एक केंद्रीय निगरानी प्लेटफार्म में विभिन्न आईटी मॉड्यूल का उन्नयन और एकीकरण। इस संबंध में दिनार 12.01.23 को निदेशक तक. (परि.), बीसीसीएल को पत्र भेजा गया है।
- 7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के "रिकार्ड प्रबंधन" संबंधी दिशा-निर्देशों के आलोक में सतर्कता विभाग के गोपनीय अनुभाग में रखे गए पुराने अभिलेखों की स्कैनिंग/डिजिटलीकरण किया जाता है।
- 8. बीसीसीएल में एमपीएलएस-वीपीएन सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए बीएसएनएल को जारी एलओए के विशेष संदर्भ के साथ संविदाओं के एनआईटी/एलओए/अनुबंधों में उप-अनुबंध खंड।
- 9. बीसीसीएल के ठेकेदारों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों के एचपीसी मजदूरी का भुगतान और सीएमपीएफ/ईपीएफ की सही राशि की कटौती एवं प्रेषण। इस संबंध में दिनांक 30/31.12.2022 को महाप्रबंधक (का. एवं औ.सं.) द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है।

#### ख.) दण्डात्मक सतर्कता

वर्ष 2022-23 के दौरान जांच के लिए उठाए गए मामलों के विवरण की समेकित स्थिति निम्नलिखित है:-

जांच के लिए लिए गए मामलों की संख्या		06		
वैसे मामले जिनकी जांच पूरी नहीं हुई	वैसे मामले जिनकी जांच परी नहीं हुई		02	
अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाये गए मामलों की	ो संख्या	मामले	व्यक्ति की संख्या	
i)	बड़ा	01	01	
ii)	छोटा	04	19	
·	संपन्न विभागीय जांच		व्यक्ति की संख्या	
सपन्न विभागाय जाच			12	
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जुरमाना लगाया गया है		मामले	व्यक्ति की संख्या	
i)	बड़ा	05	26	
ii)	छोटा	05	07	
किए गए औचक जाँच/निरिक्षण की संख्या		2	2.6	
किए गए कार्य /अनुबंध की गहन जांच		0	)9	
अभियोजन स्वीकृति की संख्या		যূ	शून्य	

उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीबीआई ने 02 बीसीसीएल अधिकारियों के खिलाफ अवैध रिश्वत, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक कदाचार आदि से संबंधित 02 मामले दर्ज किए हैं।

#### ग.निगरानी जांच

निगरानी सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना की पहचान करना और उसकी पृष्टि करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पुलिस अधिक्षक, सीबीआई, धनबाद के परामर्श से बीसीसीएल के लिए सहमत सूची तैयार की गई थी। उक्त अविध के संदिग्ध सत्यिनष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गई थी।

## घ.सतर्कता अनापत्ति/ स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2022-23 (01.04.2022 से 31.03.2023) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा 8327 कर्मियों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

## 28. बीसीसीएल में ट्रांजेक्शन ऑडिट पारास और सूचना का अधिकार मामलों की स्थिति

(संदर्भ: भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 24.01.2018)

## क. 31.03.2023 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्र.सं	क्षेत्र	आईआर की अवधि	पैरा का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1	एम ऐंड एस	2017-20	स्वयं की वाशरी से लाभ का गलत निर्धारण और उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 19.52 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	वाशरी डिविजन	2016-20	कच्चे कोयले की कम प्राप्ति के कारण वाशरीज़ बेकार पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.00 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
3	बरोरा	2017-21	अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप 4.9 लाख टन आरओएम कोयले की कमी हो गयी जिसका मूल्य रु. 58.72 करोड़ है।	जवाब प्रक्रियाधीन
4	निदेशक (तक./संचालन)	2020-22	रु. 94.88 करोड़ आर्थिक दंड लगाया गया।	जवाब प्रक्रियाधीन

## ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ऐंड एजी) को जवाब दिए गए भाग IIA IR पैरा का विवरण

क्र.सं	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1	सामग्री प्रबंधन	2014-16	1	सेनवैट क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण ₹ 18.81करोड़ की परिहार्य हानि।	जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।

ग. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उत्तर दिए गए भाग IIB IR पैरा और लंबित निपटान का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	दर्जा	टिप्पणियां
1	संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	2018-20	2	एनआईटी के विभिन्न खंडों में अस्पष्टता क) योग्यता मानदंड ख) जांच/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए ईएमडी को रोकने के संबंध में एनआईटी उपबंध की अनुपस्थिति। ग) कार्यशील पूंजी में अस्पष्टता घ) पर्यावरणीय स्वीकृति शर्त के उल्लंघन से संबंधित दंड उपबंध की अनुपस्थिति। ङ) कार्य बाधा अविध उपबंध में अस्पष्टता	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
2	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	2017-19	3	(ए) एचईएमएम का खराब प्रदर्शना (बी) डीजल की अत्यधिक खपत।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
3	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2019-20	2	निष्क्रिय विभागीय क्रिशंग क्षमता की उपलब्धता के बावजूद किराए के क्रशरों के उपयोग के लिए परिहार्य भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
4	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2019-20	3	ऊर्जा मीटर के संस्थापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप वास्तविक खपत के लिए विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं हुई	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
5	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2020-22	1	ठेकेदार द्वारा बोली की वैधता का विस्तार न करने के बावजूद निविदा प्रक्रिया का जारी रहना एक गंभीर निगरानी चूक को दर्शाता है जिसके कारण तुलाचौकी की खरीद में देरी हुई।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
6	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	2020-22	4	निविदा आमंत्रण सूचना उपबंध में स्पष्टता का अभाव	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
7	कतरास	2017-20	1	एचईसामग्री प्रबंधन और दीर्घकालिक कोयला परिवहन अनुबंधों के निष्पादन में कमी	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
8	विपणन एवं विक्रय	2017-20	3	क) बकाया राशि पर ब्याज की वसूली न होना। बी) कोयले की कम लोडिंग के कारण राजस्व की हानि।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
9	सामग्री प्रबंधन विभाग	2019-22	1	फीडर ब्रेकरों की स्थापना और चालू करने में गलत प्रबंधन हुआ और इसके परिणामस्वरूप फंड ब्लॉक हुआ उअर क्रशिंग प्रभारों के परिहार्य भुगतान हुआ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
10	सामग्री प्रबंधन विभाग	2019-22	3	द्वितीयक क्रशरों के क्रय पर 75.64 लाख रूपए का निष्फल व्यय	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
11	परियोजना व योजना प्रभाग	2020-21	2	खान जल के बहुउद्देशीय उपयोग पर निष्फल व्यय।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
12	परियोजना व योजना प्रभाग	2020-21	5	भोजूडीह में 25 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में देरी।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	दर्जा	टिप्पणियां
13	सिजुआ	2012-15	2	ठेकेदारों को रु. 26.8 लाख का अधिक भुगतान।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
14	सिजुआ	2015-22	1	फीडर ब्रेकर के चालू न होने के परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रुपये का निवेश निष्क्रिय हुआ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
15	सिजुआ	2015-22	3	खदान बंदी गतिविधियों के प्लांटीकरण लागत का गलत मूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय का प्रमाणन नहीं हुआ।	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।
16	पश्चिमी झरिया क्षेत्र	2017-21	3	लो पावर फैक्टर (पीएफ) से ऊर्जा प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान हुआ	उत्तर दिया	निपटान के लिए लंबित।

# ग. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निपटान के लिए लंबित सीएजी को दिए गए उत्तर के भाग IIB IR पैरा का विवरण।

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
1	बरोरा	2017-21	1	परिहार्य व्यय राशि रू0 1.70 करोड़	उत्तर प्रक्रियाधीन है
2	बरोरा	2017-21	2	फुलारीटांड़ कोलियरी के पैच-बी में खनन कार्य में विविध विसंगतियां (ए) ओबी की अनुचित डंपिंग (बी) निजी ठेकेदार से विलंब शुल्क की वसूली नहीं होना	उत्तर प्रक्रियाधीन है
3	बरोरा	2017-21	3	विविध अनियमितताएं (ए) अनवेटेड कोयले की आपूर्ति (बी) एसडीएल की ग्राउंडिंग के लिए निर्देशों का पालन न करना	उत्तर प्रक्रियाधीन है
4	बस्ताकोला	2013-15	1	ठेकेदार से अतिरिक्त सेवा कर प्रतिपूर्ति की वसूली न करने के कारण 2.47 करोड़ रुपये का नुकसान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
5	बस्ताकोला	2015-18	2	कोयले की कमी के कारण 7.31 करोड़ रुपये का नुकसान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
6	बस्ताकोला	2018-21	1	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना बाधा मुक्त साइट प्रदान न करने से लीड घंटों में वृद्धि हो सकती है।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
7	बस्ताकोला	2018-21	2	2(ए) बिजली लोड फैक्टर छूट की अनुपलब्धता के कारण 2.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ अर्जित करने का अवसर चला गया। 2(बी) जमानत राशि जमा न करने पर 33.74 लाख रुपये का परिहार्य जुर्माना लगाया जाना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
8	बस्ताकोला	2018-21	3	विविध अनियमितताएं 3(ए) सरप्लस मैनपावर की तैनाती 3(बी) प्रोफेशनल टैक्स की वसूली के तहत 3(सी) लाइसेंस फीस की वसूली के तहत रु. 2.32 लाख।	उत्तर प्रक्रियाधीन है

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
9	ब्लॉक-II	2015-18	1	24.92 करोड़ रुपये की कोयले की कमी।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
10	ब्लॉक-II	2015-18	2	पुर्जों की खरीद के लिए 35.44 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
11	ब्लॉक-II	2015-18	5	वाशरी को कच्चे कोयले का प्रेषण और उसे धोए गए पावर कोयले के रूप में बेचना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
12	ब्लॉक-II	2018-22	1	(ए) विभागीय एचईएमएम का उपयोग नहीं होने के कारण 7.18 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
				(बी) 9.56 करोड़ रुपये तक डीजल की अविवेकपूर्ण खपत	
13	ब्लॉक-II	2018-22	2	कैपेसिटर बैंकों की खरीद में असामान्य देरी के कारण 10.87 करोड़ रुपये के ऊर्जा शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ	उत्तर प्रक्रियाधीन है
14	ब्लॉक-II	2018-22	3	कोयला परिवहन ठेकेदार को 3.54 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण भुगतान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
15	ब्लॉक-II	2018-22	4	ठेकेदार से 4.86 करोड़ रुपये की वसूली की अत्यल्प संभावनाएं	उत्तर प्रक्रियाधीन है
16	ब्लॉक-II	2018-22	5	(ए) मधुबन वाशरी में कच्चे कोयले की कमी के कारण 10.65 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि (बी) मधुबन वाशरी में कच्चे कोयले की 1.79 करोड़ रुपये की कमी	उत्तर प्रक्रियाधीन है
17	ब्लॉक-II	2018-22	6	85टी डंपरों का समय पूर्व सर्वे ऑफ	उत्तर प्रक्रियाधीन है
18	संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	2018-20	1	वेतन वृद्धि की गणना के लिए गलत कारक पर विचार करने के कारण 2.83 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
19	संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	2018-20	3	17.20 करोड़ रुपये मूल्य के 66154 मिलियन टन कच्चे कोयले की कम प्राप्ति का गैर-समाधान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
20	संविदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	2018-20	4	विलम्ब शुल्क और अंडरलोडिंग/ओवरलोडिंग शुल्कों का परिहार्य भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
21	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	3	परियोजना विद्यालयों को घाटे से अधिक की वित्तीय सहायता के रूप में 404.18 लाख रुपये का भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
22	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	5	झरिया एक्शन प्लान के तहत अग्निशमन गतिविधियों के लिए फैंड का गैर लेखांकन।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
23	निदेशक (कार्मिक)	2016-19	7	भूमि मुआवजे के मद में भारी मात्रा में ब्याज का संचय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
24	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2019-20	1	अपूर्ण रैपिड लॉजिंग सिस्टम के अविवेकपूर्ण संचालन के कारण रू 2.17 करोड़ का निष्फल व्यय	उत्तर प्रक्रियाधीन है

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
25	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2019-20	4	विविध अनियमितताएं (ए) बिजली शुल्क के शीघ्र भुगतान पर छूट का लाभ न लेना (बी) एसी और स्टेबलाइजर्स की दोषपूर्ण आपूर्ति।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
26	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2020-22	2	एचईएमएम अनुबंध को बंद करने में देरी से ब्याज की हानि हुई	उत्तर प्रक्रियाधीन है
27	निदेशक (तकनीकी/ संचालन)	2020-22	3	हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट देने में एनआईटी के नियमों और संहिताओं का उल्लंघन	उत्तर प्रक्रियाधीन है
28	पूर्वी झरिया	2013-15	3	ईजे क्षेत्र के अंतर्गत सुदामडीह में 5 नंबर साइडिंग के प्रस्तावित विस्तार पर पुलिया पीसीसी ड्रेन लोकेटिंग प्लेटफॉर्म और घाट की दीवार के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की खराब गुणवत्ता।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
29	पूर्वी झरिया	2018-22	1	कोयला घनत्व के अविवेकपूर्ण प्रयोग के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ	उत्तर प्रक्रियाधीन है
30	पूर्वी झरिया	2018-22	2	निजी ठेकेदार को 2.59 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
31	पूर्वी झरिया	2018-22	3	बाधाओं की अनुचित अनुमति	उत्तर प्रक्रियाधीन है
32	पूर्वी झरिया	2018-22	4	घटिया ग्रेड के कोयले की आपूर्ति के परिणामस्वरूप ग्रेड स्लिपेज हुआ	उत्तर प्रक्रियाधीन है
33	पूर्वी झरिया	2018-22	5	विविध कमियां (ए) प्रभार भत्ते का अविवेकपूर्ण भुगतान (बी) भूमिगत खानों में जनशक्ति का तर्कहीन परिनियोजन। (सी) 1.08 करोड़ रुपये के दंडात्मक बिजली मांग शुल्क का भुगतान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
34	गोविंदपुर	2016-19	4	कोयले की कमी के कारण 91 लाख रुपये का नुकसान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
35	गोविंदपुर	2016-19	5	नवनिर्मित केंद्रीकृत कार्यालय में महाप्रबंधक कार्यालय को स्थानांतरित न करने के परिणामस्वरूप 3.48 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
36	गोविंदपुर	2016-19	6	34.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
37	गोविंदपुर	2016-19	7	98.52 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
38	निदेशक (वित्त)	2012-13	7	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी पात्रता से अधिक आवास पर कब्जा- कम किराए की वसूली के कारण संभावित हानि।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
39	कतरास	2017-20	2	ब्रेकडाउन वाहनों पर रोड टैक्स और बीमा प्रीमियम का भुगतान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
40	कतरास	2017-20	3	मूल्य बोलियों के मूल्यांकन में अपनाई गई अनुचित प्रक्रिया	उत्तर प्रक्रियाधीन है



क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
41	कतरास	2017-20	4	विविध अनियमितताएं (ए) प्राप्तियों के रूप में खान बंद करने के व्यय की अधिक बुकिंग (बी) ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन (सी) अग्रिमों के समायोजन में देरी	उत्तर प्रक्रियाधीन है
42	कुसुंडा	2014-17	1	खान क्षमता और उत्पादन योजना के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप 179.44 करोड़ रुपये की लागत पर एचईएमएम अनुबंध दिया गया।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
43	कुसुंडा	2014-17	4	अंतर वेतन की गलत गणना के कारण 68.29 लाख रुपये का अधिक भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
44	कुसुंडा	2014-17	6	खनिक क्वार्टर के निर्माण पर 22.70 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
45	कुसुंडा	2014-17	7	एचईएमएम ठेकेदारों को 29.47 लाख रुपये का अनुचित भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
46	कुसुंडा	2014-17	8	ग्रेड स्लिपेज के कारण परिहार्य हानि।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
47	लोदना	2016-19	1	कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समग्र अनुबंध को विभाजित करने की गुंजाइश की तलाश न करना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
48	लोदना	2016-19	2	चूककर्ता ठेकेदार के पास रू. 6.34 करोड़ लंबित बकाया राशि की वसूली नहीं	उत्तर प्रक्रियाधीन है
49	लोदना	2016-19	3	वेतन वृद्धि और विलम्ब शुल्क का अधिक भुगतान रु. 4.60 करोड़।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
50	विपणन एवं विक्रय	2017-20	1	कच्चे कोयले और वाशरी उत्पादों के मूल्य निर्धारण में देरी।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
51	विपणन एवं विक्रय	2017-20	2	कोयले की डीम्ड डिलीवर की गई मात्रा का मिलान न करना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
52	सामग्री प्रबंधन	2017-19	3	ई-कचरे का गैर-निपटान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
53	सामग्री प्रबंधन	2017-19	4	स्कैनिया टिप्पर की खरीद पर ठेकेदार को अनुचित लाभ।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
54	सामग्री प्रबंधन	2017-19	5	हॉरिजॉन्टल पम्प सेटों की समयपूर्व विफलता।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
55	सामग्री प्रबंधन	2019-22	2	3.69 करोड़ रुपए के हॉरिजॉन्टल पंप की अविवेकपूर्ण खरीद	उत्तर प्रक्रियाधीन है
56	सामग्री प्रबंधन	2019-22	4	कैपेसिटर बैंकों की खरीद में असामान्य देरी से ऊर्जा शुल्क का अतिरिक्त भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है

क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
57	परियोजना व योजना प्रभाग	2020-21	1	सीआईएसएफ बैरकों के निर्माण में अत्यधिक विलंब।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
58	परियोजना व योजना प्रभाग	2020-21	3	ईसी की शर्तों का पालन न करना (ए) 2.24 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान। (बी) वैध ईसी के बिना जयरामपुर कोलियरी का संचालन (सी)उपचारात्मक योजना के निष्पादन में देरी।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
59	परियोजना व योजना प्रभाग	2020-21	4	बालू खनन पट्टे का अभ्यर्पण न करना	उत्तर प्रक्रियाधीन है
60	पुटकी बलिहारी	2018-22	1	गुणवत्ता कटौती की कम/वसूली न होने के कारण राजस्व हानि (ए) गुणवत्ता कटौती की राशि की वसूली के तहत गोपालीचक किराए के पैच की हानि हुई (बी) निम्न श्रेणी के कोयले की आपूर्ति	उत्तर प्रक्रियाधीन है
61	पुटकी बलिहारी	2018-22	2	प्रभार भत्ते का अनुचित भुगतान	उत्तर प्रक्रियाधीन है
62	पुटकी बलिहारी	2018-22	3	पानी भरी खदान से पानी निकालने के लिए कम पंपों को लगाने के कारण उत्पादन बंद होना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
63	पुटकी बलिहारी	2018-22	4	विविध और चिकित्सा अग्रिम का गैर-समायोजन	उत्तर प्रक्रियाधीन है
64	सिजुआ	2012-15	1	12 टिप्परों की खरीद पर 8.93 करोड़ रुपये का निष्फल व्यया	उत्तर प्रक्रियाधीन है
65	सिजुआ	2012-15	3	भूमिगत भत्तों का अनियमित भुगतान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
66	सिजुआ	2012-15	4	किराए पर लिए गए एचईएमएम ठेका कर्मचारी को देय विभिन्न मजदूरी की गलत गणना।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
67	सिजुआ	2015-22	2	खनन अनुबंधों का अनुचित निष्पादन (ए) किए गए कार्य की मात्रा सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त भुगतान जारी करना (बी) अनुबंध की शर्तों के विचलन में जुर्माना न लगाना	उत्तर प्रक्रियाधीन है
68	सिजुआ	2015-22	4	विविध अनियमितताएं (ए) डीजल की अधिक खपत (बी) शोवेल को फिर से चालू करने की संभावनाओं की तलाश नहीं करने के परिणामस्वरूप इसका समय से पहले सर्वे ऑफ हो गया।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
69	डब्ल्यूडब्ल्यू जेड	2012-14	3	हाथ से चुने गए रिजेक्ट पर माल ढुलाई शुल्क के भुगतान के कारण 274.98 लाख रुपये के राजस्व की हानि।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
70	वाशरी डिवीजन	2016-20	1	पाथेरडीह की 5 एमटीपीए नई वाशरी के कम उपयोग के कारण दंडात्मक विद्युत मांग प्रभार रु. 63.08 लाख।	उत्तर प्रक्रियाधीन है



क्र.सं.	क्षेत्र/यूनिट	आईआर का वर्ष	पैरा संख्या	विषय	टिप्पणियां
71	वाशरी डिवीजन	2016-20	2	महुदा वाशरी के निष्फल संचालन के परिणामस्वरूप रु. 4.43 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
72	वाशरी डिवीजन	2016-20	3	सेल को घटिया ग्रेड के धुले हुए कोयले की आपूर्ति के कारण 9.36 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
73	वाशरी मुख्यालय	2011-14	2	वाशरी लेंड पर प्राप्त कच्चे कोयले की ग्रेड स्लिपेज।	उत्तर प्रक्रियाधीन है
74	पश्चिमी झरिया	2017-21	1	कैप्टिव पावर प्लांट का संचालन न करना	उत्तर प्रक्रियाधीन है
75	पश्चिमी झरिया	2017-21	2	मुनिडीह भूमिगत परियोजना के XV सीम पर विकासात्मक कार्य पूरा करने में विलंब	उत्तर प्रक्रियाधीन है
76	पश्चिमी झरिया	2017-21	4	कोयला उत्पादन शुरू करने में देरी के कारण कोयले के उत्पादन में 0.91 मिलियन टन की हानि हुई	उत्तर प्रक्रियाधीन है
77	पश्चिमी झरिया	2017-21	5	दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र (I) कंपनी के रिकॉर्ड से LW-35 डम्पर का गायब होना। (ii) NHAI से भूमि मुआवजा प्राप्त न होना	उत्तर प्रक्रियाधीन है

### ङ. वर्ष 2022-23 के लिए आरटीआई के आंकड़े

विवरण	सं.
प्राप्त आवेदन की सं.	1690
उत्तर दिये गए आवेदन की सं.	1618
अस्वीकृत आवेदन की सं.	72
प्राप्त अपील की सं.	177
निपटान किए गए अपील की सं.	177
नामित सीपीआईओ की सं.	16
प्रथम अपीलीय प्रधिकारण की सं.	16

### • वर्ष 2022-23 में कोई जुर्माना या किसी अन्य प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई।

## च. आरटीआई अधिनियम के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नानुसार है:-

- 1. अनुकंपा नियुक्ति 9.4.3, 9.4.0 तथा भूमि के बदले नियोजन योजना से संबंधित प्रश्न।
- 2. निविदा/एनआईटी विवरण से संबंधित।
- 3. पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि सेवाओं से संबंधित मामले।
- 4. पेंशन/सीएमपीएफ मामलों का भुगतान।
- 5. आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित विवरण।
- 6. स्थानांतरण/पोस्टिंग से संबंधित विवरण।

## 29. बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण वर्ष 2022-23 में उपलब्धियां

🟲 2.5 एमटीपीए मूनीडीह कोल वाशरी की स्थापना के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

- बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर के माध्यम से सेल के इस्पात संयंत्रों को 0.85 मिलियन टन गुणवत्ता वाले धुले हुए कोकिंग कोयले का सफल प्रेषण, टीएसएल की अप्रयुक्त धुलाई क्षमता का उपयोग करते हुए बीसीसीएल के अधिशेष कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए डिजाइन किया गया।
- > बीसीसीएल की पुरानी मौजूदा वाशरीज के मुद्रीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी

#### बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

- परिचय
- 🕨 बीसीसीएल अपने उपभोक्ताओं (स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट) को बेहतर गुणवत्ता वाला एवं समान आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
- » बीसीसीएल स्वदेशी धुलाई वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- > बीसीसीएल ने 2023-24 तक अपनी कोयला धुलाई क्षमता को बढ़ाकर 16.1 एमटीपीए करने की योजना बनाई है।
- 🗲 1.6 एमटीपीए दहीबाड़ी वाशरी और 5.0 एमटीपीए पाथेरडीह वाशरी को पहले ही वाणिज्यिक परिचालन में डाल दिया गया है।
- > 04 वाशरियां बीओएम अवधारणा के तहत कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
  - बीओएम आधार पर लागू होने के लिए बनने वाली नयी वाशरियों की वर्तमान स्थिति र्तमान में, बीसीसीएल 12.0 एमटीपीए धुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए 04 वाशरियों को स्थापित करने में जुटा हुआ है। इन 4 वाशरियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वाशरी	क्षमता (एमटीपीए)	बीओएम ऑपरेटर	वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि	स्थिति
1	मधुबन	5.0	एचईसी लि.	April-23	ट्रायल रन पूरा हो चुका है। दो मिश्रित रेक सेल को क्रमशः 19.08.2022 और 08.11.2022 को भेज दी गई है। निष्पादन गारंटी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।
2	पाथरडीह II	2.5	एसीबी (इंडिया) लि.	Jan-24	40 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल और संरचनात्मक कार्य, उपकरणों की खरीद, स्थापना आदि प्रगति पर हैं।
3	भोजूडीह	2.0	एसीबी(इंडिया) लि.	June-23	75 फीसदी निर्माण पूरा हो गया है। डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल और संरचनात्मक कार्य, उपकरणों की खरीद, स्थापना आदि प्रगति पर हैं।
4	मुनिडीह	2.5	अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है	June-26	निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड को 17.08.2022 को एलओआई जारी कर दिया गया है। एमओईएफ और सीसी से ईसी प्राप्त करने के लिए 04.03.2023 को जन सुनवाई आयोजित की गई थी।
	कुल	12.0			

#### वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क. बी.ओ.एम. अवधारणा के तहत नयी वाशरियों का निर्माण (बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन)

### 1. 1.5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी

- वाशरी का ट्रायल रन पूरा हो चुका है।
- वाशरी से सेल को क्रमशः 19.08.2022 और 08.11.2022 को दो मिश्रित रेक भेजे गए हैं।
- निष्पादन गारंटी परीक्षण शीघ्र ही प्रारंभ होगा



### 2. 2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

• प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है।

#### 3. 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

### • बीओबीआर ट्रैक हपर का निर्माण

निविदा पूरी हो चुकी है और दिनांक 28.02.2022 को एल-1 बोलीदाता, मैसर्स एसीबीआईएल-एसआईपीएस (जेवी) को कार्यादेश जारी किया गया और दिनाक 09.03.2022 को कार्यस्थल सौंप दिया गया।इस स्थान पर उत्खनन पूरा हो चुका है। पीसीसी/आरसीसी शुरू हो चुका है।

### • रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण

सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी पूरा कर लिया है। करीब 70 फीसदी सिविल वर्क पूरा हो चुका है। प्लांट और मशीनरी की सप्लाई भी शुरू हो गई है।

### 4. 2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी

- निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और एल-1 बोली लगाने वाले मेसर्स एसीबीआईएल को 17.08.2022 को एलओआई जारी कर दिया गया है।
- पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 04.03.2023 को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्टसीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में तैयार की जा रही है।

### ख. नई वाशरीज के लिए रेलवे साइडिंग का विकास

### 1. 2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी

- सिविल कार्य पूरा 95%।
- ओएचई का काम पूरा 40%।
- एस एंड टी कार्य पूरा- 80%।

### 2. 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

- सिविल कार्य पूरा 70%।
- ओएचई का काम पूरा 50%।

### 3. 2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी

- सिविल कार्य प्रगति पर है (50%)
- रेल की खरीद और आपूर्ति शुरू।

### 4. 2.5 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी

अंतिम एफएसआर मैसर्स राइट्स द्वारा 02.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था और बीसीसीएल द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद इसे 17.03.2023 को अनुमोदन के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को प्रस्तुत किया गया था।

### वर्ष 2022-23 में नई वाशरीज के निर्माण में पुंजीगत व्यय

वाशरी का नाम	अनुमोदित बजट (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	% उपयोगिता
5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी	5	3.3	66.00 %
2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	60	31	51.67 %
5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	50	20	40.00%
2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी	100	89	89.00%
कुल	215	143.3	66.65%

#### नई पहल

### 1. बीसीसीएल की पुरानी मौजूदा वाशरियों का मुद्रीकरण।

- i. बीसीसीएल बोर्ड ने परिपत्र संकल्प संख्या 3/2022 के माध्यम से बीसीसीएल की पुरानी मौजूदा वाशरीज की 4 (चार) के मुद्रीकरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
- ii. इन 04 मौजूदा वाशरियों के मुद्रीकरण की लेनदेन योजना तैयार करने के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में मैसर्स एसबीआई कैप को काम दिया गया है।
- iii. मैसर्स एसबीआईकैप ने फरवरी 2023 में 2.0 एमटीपीए दुगड़ा वाशरी के मुद्रीकरण के लिए लेनदेन योजना प्रस्तुत की है।
- iv. बीसीसीएल बोर्ड ने 08.02.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कुछ संशोधनों के साथ दुग्दा कोल वाशरी के लिए लेनदेन योजना को मंजूरी दे दी है।
- v. यह अनुमोदन अंतिम अनुमोदन के लिए सीआईएल और एमओसी को भेजा गया है।

### 2. 2022-23 में BCCL-TSL वाशिंग वेंचर का प्रदर्शन

- i. टीएसएल वाशरीज को आपूर्ति किए गए कच्चे कोकिंग कोल- 1.59 मिलियन टन।
- ii. धुले हुए उत्पादों का प्रेषण:

उत्पाद	धुले हुए कोयले से इस्पात संयंत्रों तक (मिलियन टन)
2020-21	0.37
2021-22	0.63
2022-23	0.85
2021-22 के संबंध में 2022-23 में वृद्धि	34.01 %

#### iii. आयात प्रतिस्थापन

वर्ष 2022-23 में इस्पात संयंत्रों/देश के लिए 0.85 मिलियन टन वाश्ड कोकिंग कोल।

- iv. इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से धुले हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति के कारण सेल के इस्पात संयंत्रों में स्वदेशी धुले कोकिंग कोयले की खपत 3600 टीपीडी से बढ़कर 5700 टीपीडी हो गई।
- v. सेल ने इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से आपूर्ति किए गए धुले हुए कोकिंग कोल [@ 18.5% राख स्तर] की निरंतर गुणवत्ता की सराहना की है।



2.0 एमटीपीए भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी निर्माणाधीन





5.0 एमटीपीए मधुबन एनएलडब्ल्यू वाशरी निर्माणाधीन





2.5 एमटीपीए पाथेरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी निर्माणाधीन

# 30. झिरया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति आग, भू-धंसान एवं पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान


भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलिफल्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ और रानीगंज कोलफील्ड्स के लिए ₹ 2661.73 करोड़ के अनुमानित निवेश साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए अनुमोदित किया था। इसकी कार्यान्वयन अविध को 10+2 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो 11 अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया।

कैबिनेट सचिव के निर्देशानुसार 25 अगस्त 2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अनुमोदन के अधीन है।

### भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की सार- स्थिति।

आग से निपटना: झिरया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से बीसीसीएल द्वारा कोयला खदान अग्नि सर्वेक्षण/अध्ययन शुरू किया गया था। 2021-22 के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, 27 स्थानों से उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आग बुझाया जाना है। उनमें से, 16 स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया और अब वे प्रचालन में हैं। शेष 11 स्थानों से, एनआरएससी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 10 स्थानों पर आग में कमी या मामूली आग दिखाई गई है, और समग्र सतही आग क्षेत्र घटकर 1.8 वर्ग किमी तक हो गयी है। इसलिए इन स्थानों पर सरफेस ब्लैंकेटिंग से आग बुझायी जा रही है। शेष 1 स्थान पर आग बुझाने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई जिसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए सीआईएल को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

पुनर्वास- मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थलों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। सिंफर, आईएसएम, व्हिज़ मंत्रा और जेआरडीए ने 2020 में 595 साइटों का सर्वेक्षण इस प्रकार पूरा कर लिया है:



बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप "झरिया विहार" में 6352 आवासों का निर्माण किया गया है जिसमें 5035 आवास आवंटित किए गए हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों से 2687 परिवारों (गैर एलटीएच) को नए आवासों में स्थानांतरित किया गया है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, निर्माण हेतु 15713 घरों में से 11798 घरों को मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया है और बीसीसीएल के 4205 कर्मचारियों को इन घरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जेआरडीए को 8000 घर सौंपे जा रहे हैं।

#### 31. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

• बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण प्रबंधन है, जो कंपनी के कर्मचारियों और समर्पित प्रबंधन प्रणाली के ठोस प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि कामकाजी वातावरण में परिवर्तन गतिशील हैं, इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उसी के अनुसार पहल किया जाता है। पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मुख्यालय में एक समर्पित पर्यावरण विभाग है और सभी क्षेत्रों में इससे संबद्ध पर्यावरण इंजीनियरों को रखा गया है।

बीसीसीएल ने पर्यावरण सुधारने के लिए सतत और बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। पर्यावरणीय स्थिति/गतिविधियों का सारांश निम्न प्रकार है:-



### (क) बीसीसीएल की खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति

बीसीसीएल ने पर्यावरण संबंधी अनुमित प्राप्त करने तथा प्रबंधन के लिए अपनी सभी चालू, परित्यक्त एवं प्रस्तावित (पिट हेड वाशिरयों सिहत) खदानों को 17 क्लस्टरों का समूह बनाकर क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित किया है। बीसीसीएल कोयला उद्योग में ईआईए-ईएमपी तैयार करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमित की स्वीकृति के लिए क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित करने वाली अग्रणी कंपनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रलाय (एमओईएफसीसी) ने इस क्लस्टर अवधारणा का अनुमोदन दिसंबर, 2009 में किया है तथा पर्यावरण संबंधी अनुमित की मंजूरी हेतु इसके सभी क्लस्टरों के लिए ईआईए-ईएमपी तैयार करने की सलाह दी है।

### खदानों की पर्यावरण मंज्री (ईसी) की स्थिति: आज की तिथि में

- सभी चालू, बंद तथा प्रस्तावित खदानों के 17 क्लस्टरों की पर्यावरण संबंधी अनुमित प्राप्त है।
- क्लस्टर क्षमता को बरकरार रखते हुए व्यक्तिगत खदान आवश्यकता के अनुसार पर्यावरणीय संशोधन प्राप्त किया जाता है। उत्पादन आवश्यकता के अनुसार, क्लस्टर VIII के पर्यावरणीय संशोधन को 28.03.2023 को प्राप्त किया गया है ताकि कुया कोलिएरी और बस्ताकोला कोलिएरी को सुविधा प्रदान की जा सके।
- 17 क्लस्टरों की कुल उच्चतम क्षमता 93.04 एमटीपीए है।

#### वाशरी

- प्रत्येक 1.6 एमटीपीए की मानक क्षमता के लिए मुनिडीह वाशरी, सुदामडीह वाशरी और दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरणीय मंजूरी क्रमशः क्लस्टर XI, X और XVI के तहत उपलब्ध है।
- पाथरडीह कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए तथा प्रस्तावित पाथरडीह कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, मधुबन कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, दुदा कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, भोजुडीह कोल वाशरी 2 एमटीपीए के लिए पर्यावरणीय मंजुरी उपलब्ध है।
- क्लस्टर XI के विस्तार हेतु न्यू मूनीडीह वाशरी 2.5 एमटीपीए के लिए दिनांक 04 मार्च, 2023 को जनसुनवाई की गयी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आरओ द्वारा दिनांक 03 और 04 अप्रैल, 2023 को निरीक्षण किया गया। अंतिम पर्यावरणीय प्रबंध योजना निर्माणाधीन है।

#### पर्यावरणीय अनुपालन

बीसीसीएल द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है और अनुपालन रिपोर्ट नियामक प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जा रही है। इसे बीसीसीएल के आधिकारिक वेवसाइट पर मंजूरी पत्रों के साथ अपलोड किया जाता है।

- ईसी की शर्तों के अनुसार, जेएसपीसीबी, रांची के परामर्श के आधार पर मॉनिटरिंग लोकेशन क्लस्टर आधार पर तय की जाती है। सीएमपीडीआई, आरआई-II को खदान/वाशरियों की पर्यावरणीय निगरानी का काम सौंपा गया है।
- ईसी के तहत आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। भूजल की निगरानी, उपग्रह आधारित भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण मानचित्रण, सड़क पिरवहन को कम करके प्रदूषण में कमी आदि का काम सीएमपीडीआई को सौंपा गया है।
- एनईईआरआई, नागपुर के माध्यम से किए गए स्रोत विभाजन अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, सभी हितधारकों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा की गई है।
- मौजूदा पारंपरिक मोबाइल पानी छिड़काव के बेड़े के अतिरिक्त,
  - पिछले 03 वर्षों में उत्खननन विभाग द्वारा 18 नंबर के मिस्ट सिस्टम वाले पानी छिड़काव वाहन खरीदे और संचालित किए गए हैं, जिनमें से 02 वर्ष 2022-23 में खरीदे गए हैं।
  - 08 मोबाइल धुंध कैनन और 07 ट्रॉली माउंटेड धुंध कैनन संचालित हैं। 2022-23 में 16 ट्रॉली माउंटेड धुंध कैनन खरीदे गए हैं और ये संचालनाधीन
- खदानों, साइडिंग और वाशरीज के लिए 40 ऑनलाइन पीएम10 एनालाइजर खरीदे गए, जिनमें से 39 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोर्टल से जुड़े हैं और शेष 01 कनेक्टिविटी की प्रक्रिया में हैं।
- 2022-23 में 12 सीओएएक्यूएमएस के लिए टेंडर किया गया है। सीओएएक्यूएमएस की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जुलाई 23 तक जारी किए जाएंगे।
- 01 मैकेनिकल स्वीपर की खरीद के लिए क्रय आदेश दिया गया है और यह जून 2023 तक आपूर्ति की जाएगी। 02 मैकेनिकल स्वीपर की खरीद के लिए टेंडर लांच किया गया है।
- भूजल निगरानी के लिए बीसीसीएल कमांड क्षेत्र की खानों के एक समूह के लिए 23 पीजोमीटर कुओं की स्थापना पूरी कर ली गई है। DWLR को 5
   पीजोमीटर में भी स्थापित किया गया है और अन्य पीजोमीटर में प्रक्रियाधीन है।
- एनआरएससी ने टाइम सीरिज कोल माइन फायर मैपिंग (थर्मल इंफ्रारेड) कर वर्ष 2014, 2018 एवं 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है।
- वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) को लगातार विकसित किया जा रहा है।

### (ख) वानिकी मंज्री:

बीसीसीएल द्वारा राज्य वन विभाग, राज्य भू-राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार वन भूमि की पहचान की जा रही है और आवश्यकतानुसार वानिकी मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

- राज्य सरकार द्वारा कुया कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में 16.49 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का स्टेज-1 प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफसीसी को भेजा गया।
- मुराईडीह कोलियरी के आईएफसी प्रस्ताव के प्रसंस्करण के लिए जीएम जेजे भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित है। जिला प्राधिकारियों के साथ आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- (ग) भूजल अनापत्ति प्रमाण पत्र: बीसीसीएल ने सीजीडब्ल्यूए के तहत अपने सभी खदानों के लिए भूजल मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- (घ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमित : खदानों के सभी क्लस्टरों के सीटीओ को नवीकृत किया गया है।
- (घ) भौतिक एवं जैविक पुनर्स्थापना (पारिस्थितिकी पुनरूद्धार)



### जैविक पुनर्स्थापना

- 1) वर्ष 2022-23 तक, बीसीसीएल ने 1596.03 हेक्टेयर भूमि पर 34,28,799 वृक्षारोपण और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 35,544 बाड़युक्त वृक्षारोपणकर कर जैविक सुधार का कार्य किया है।
- 2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 84.49 हेक्टेयर भूमि पर निम्नलिखित हरित कार्य किए गए हैं
  - I. बीसीसीएल की 61.3 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि/ओबी डम्प्स/डीप सीटेड कोयला क्षेत्रों में जैविक पुनरुद्धार/वनरोपण किया गया है। ii.20 हेक्टेयर से अधिक अस्थायी ओबी डंप की घास भी निकाली गई है।
  - iii.ब्लॉक-2, गोविंदपुर, सिजुआ और कुसुंदा क्षेत्र में 3508 एवेन्यू प्लांटेशन किया गया है। (3.19 हेक्टेयर के बराबर)



पारिस्थितिक पुनर्स्थापन स्थल, मुरलीडीह, पश्चिमी झरिया क्षेत्र।



वनरोपण स्थल, एबीजीसी, गोविंदपुर

### (ड.) ईको पार्क:

बीसीसीएल द्वारा विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर प्राकृतिक वनरोपण करने के साथ-साथ कुछ विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर ईको-पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ने, के उद्देश्य से खनन क्षेत्रों में ईको-पार्क विकसित किए जा रहे हैं। BCCL ने गोकुल इको-कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र, वृंदावन इको पार्क, कुसुंडा क्षेत्र, पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र, तेतुलमारी बायो-डाइवर्सिटी पार्क, सिज्आ क्षेत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इको-पार्क और गोवर्धन इको-पार्क, बस्तकोला क्षेत्र, पंचवटी इको-पार्क कोयला नगर नाम से 07 इको पार्क विकसित किए हैं।





गोवर्धन इको पार्क, बेरा, बस्ताकोला क्षेत्र

### (छ) खदान बंदी योजना का कार्यन्वयन

बीसीसीएल ने खदानों/खानों के समूह के लिए 56 खान बंदी योजनाएं तैयार की हैं। 56 खदानों में से 14 खदानें पिरचालन में नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रों खाते में वार्षिक बंदी लागत को जमा रखा जा रहा है और बीसीसीएल ने खान बंदी के कार्य के कार्यान्वयन के लिए एस्क्रों खाते में प्रतिभूति जमा के रूप में दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 577.30 करोड़ जमा किया है, जो बीसीसीएल के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीसीओ ने ₹ 43.88 करोड़ प्रतिपूर्ति के लिए जारी कर दिए हैं, जिसमें प्रगतिशील बंदी गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के एवज में 20 खदानों के ₹ 36.415 करोड़ (दावा की गई राशि का 50%) तदर्थ प्रतिपूर्ति और 06 खदानों अंतिम भुगतान सिम्मिलत है। दूसरे चरण के खदान बंदी लेखा परीक्षा के लिए कोयला मंत्रालय अधिसूचित एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।



#### (ज.) पर्यावरण संबंधी जगरूकता


बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु बीसीसीएल द्वारा सभी स्टेक होल्डरों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क) ईको-माइनिंग परिभ्रमण (Eco Mining Tourism): वर्ष 2016-17 से बीसीसीएल अपने खनन क्षेत्रों और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर ईको माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य कंपनी और अन्य हित धारकों के बीच खाई को पाटना तथा खनन गतिविधियों को प्रदर्शित कर कंपनी की सकारात्मक छिव बनाना और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों/ ईको पार्क को विकसित करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों से लोग इस पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल तथा ईको-पार्क को यह जानने के लिए देखने आते हैं कि विकृत हो चुकी खिनत क्षेत्रों को किस तरह से मनोरम भू-दृश्य में पुनरुद्धारित किया गया है।



### (ख) बीसीसीएल का पर्यावरण संबंधी न्यूज-लेटर:

पर्यावरण पर बीसीसीएल की तिमाही न्यूज-लेटर "पर्यावरण दर्पण" का प्रकाशन लोगों में पर्यावरण एवं खनन की विविध संकल्पनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। यह वर्ष 2015 से सर्वोत्तम कार्य अभ्यास तथा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने का मंच प्रदान कर रहा है। जागरूकता फैलाने के लिए इस न्यूजलेटर को बीसीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।



- (ग) पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने के लिए, आस-पड़ोस के लोगों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को संवेदनशील बनाने तथा कंपनी की छवि पर्यावरण मित्र की बनाने के लिए बीसीसीएल का पर्यावरण विभाग सोशल मीडिया पर सिक्रय रहता है तथा सेमिनारों एवं कार्यक्रमों में भाग लेता है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, स्कुली बच्चों की सिक्रय सहभागिता में विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव का आयोजन किया गया।
- (घ) सभी पर्यावरणीय मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी अनुपालनों को जन सूचना के लिए बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसे क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तरों पर लगे सूचनापटों पर प्रदर्शित भी किया जाता है। बीसीसीएल की वेबसाइट पर बीसीसीएल प्रबंधन की विभिन्न पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

### (ञ.) प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

### क. वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

I. पिरवहन वाले रास्तों (हॉल रोड) पर उड़ने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से इसपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के लिए मोबाइल वाटर िस्प्रंकलर को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, धूल को प्रभावकारी तरीके से कम करने के लिए फुहारे लगे 16 वाटर स्प्रिंकलर, 08 ट्रक माउंटेड फॉग कैनन तथा 07 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 16 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन संचालनाधीन हैं।







- ii. कतरास, पूर्वी झरिया, सिजुआ,सिजुआ, कुसुंडा, बस्ताकोला क्षेत्रों और मुनीडीह वाशरी में व्हील वाशिंग व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
- iii. सीएचपी से बाहर उड़ने वाले कोयले के धुल (कोल डस्ट) की रोकथाम के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) की घेराबंदी की जा रही है।
- iv. डस्ट इक्स्ट्रैक्टर युक्त ड्रिल/गीला ड्रिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।
- v. धूल उत्सर्जन के रोकथाम के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डेन (ओबी) पर घास उगाया जाता है।
- vi. वायु-गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

### ख. जल प्रदुषण नियंत्रण के उपाय

- i. i.बीसीसीएल की विभिन्न खानों के कार्मशालाओं से निकलने वाले तेल एवं ग्रीस के रोकथाम से जल प्रदृषण नियंत्रण किया जा रहा है।
- ii. ओबी डंपों से गाद और सतही अपवाह से बचने के लिए ओबी डंपों के चारों ओर टो वॉल और गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है।
- iii. बहते हुए तेल एवं ग्रीस के अवशेष से तेल को इकट्टठा करने के लिए अवशेष को ड्रमों में एकत्र किया जाता है और उसे एक उंची एवं पक्की जगह पर रखा जाता है और उसके बाद इसके तलछट वाले तेल को जमा किया जाता है। वाहनों एवं एचइसामग्री प्रबंधन के रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए तेल एकत्र किए जाते हैं और इसे लीक प्रूफ ड्रम में ढक्कन बंद करके रखा जाता है। उपयोग किए गए तेल, जो हानिकारक अपिशष्ट (श्रेणी 5.1) की श्रेणी में आता है, के भंडारण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग विधिवत रूप से प्राधिकार-पत्र लिया जाता है। इस्तेमाल किये गए इस तेल को ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत रिसायकलरों को नीलाम किया जाता है, तािक इसका किसी न किसी रूप में पुन: प्रयोग हो सके।
- iv. खदान के पानी का धूल दमन, अग्निशामक जैसे औद्योगिक उपयोग के अलावा, इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। पीने के पानी के रूप में उपयोग के लिए खदान के पानी को प्रेशर फिल्टर / रैपिड ग्रेविटी फिल्टर / स्लो सैंड फिल्टर से ट्रीट किया जाता है। खान जल के लाभकारी उपयोग के लिए सीआईएल, सीएसआर विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार बीसीसीएल से खदान के पानी का उपयोग कर योजनाओं को लागू करेगी।
- v. भूजल को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/सीआईएसएफ कैंप/बीसीसीएल क्वार्टरों में 18 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भूजल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर लगाया गया है और इसके लिए डीडब्ल्यूएलआर लगाया जा रहा है।
- vi. खदान के पानी के उपयोग की मात्रा निर्धारित करने के लिए टेलीमेट्री के साथ 138 फ्लो मीटर की स्थापना के लिए बोली 31.03.2023 को आमंत्रित की गई है।







#### ग. तेलयुक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के तहत आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत अनुमित लिया जाता है और इन अपशिष्टों को खास तौर पर बनाए गए शेडों में रखा जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सार्वजनिक संग्रह एवं निपटान स्थल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

### घ. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

उपकरणों से निकलने वाली ध्वनियों को नियमित रखरखाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लास्टिंग का कार्य केवल 14:00 से 15:00 बजे के बीच, यानी पाली परिवर्तन के दौरान किए जाते हैं। कर्मचारियों को जहां भी आवश्यकता होती है वहां ईयर-मफ और ईयर-प्लग दिए जाते हैं।

#### ङ. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में इन-हाउस इंसीनरेटर कार्यरत है, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट का निपटान अधिकृत CBWTF के माध्यम से किया जा रहा है।

### (ट) कानूनी अनुपालन

• पलवल जितेन्द्र रेड्डी बनाम भारत संघ के मामले में ओए नंबर 01/2018 में, एमओईएफसीसी ने अपने एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ), रांची के माध्यम से एक प्रतिवादी होने के नाते 18.04.2022 को एक और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने 1 सामान्य स्थिति की सूचना दी है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया, आंशिक अनुपालन के रूप में 12 विशिष्ट स्थितियाँ, अनुपालन करने के रूप में 18 विशिष्ट स्थितियाँ/अनुपालन किया जा रहा है लेकिन आगे की कार्रवाई की आवश्यकता, आंशिक रूप से अनुपालन के रूप में 2 सामान्य स्थितियाँ और अनुपालन के रूप में 7 सामान्य स्थितियाँ लेकिन आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है। एमओईएफसीसी ने 03.06.2022 को एक व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें बीसीसीएल के अधिकारी उपस्थित हुए और अमलगमेटेड जॉयरामपुर कोलियरी में पहले किए गए अनुपालन की स्थिति और आग से निपटने के उपायों को प्रस्तुत किया। संयुक्त सचिव ने एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया और महाप्रबंधक, लोदना ने ईमेल द्वारा दिनांक 29.06.2022 को एमओईएफसीसी को इस संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने था।

ईसी में प्रस्तुत मूल आवेदन में ईसी देने से पहले बीसीसीएल द्वारा कथित ओपनकास्ट खनन पर, एमओईएफसीसी ने निष्कर्ष निकाला कि बीसीसीएल की ओर से ईआईए अधिसूचना, 2006 का कोई स्पष्ट उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि, यह भी नोट किया गया कि अग्नि प्रबंधन पर इस एक साल के संविदात्मक कार्य से परे कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसे परिवहन से संबंधित, ओबी डंप, और वृक्षारोपण से संबंधित कथित गैर-अनुपालन के साथ गैर-अनुपालन मानते हुए, इसने पर्यावरण क्षित लागत लगाने और छह महीने के भीतर अनुपालन के लिए एसपीसीबी को सिफारिश की। एनजीटी में मामला एमओईएफसीसी की सिफारिश के साथ निपटाया गया था। जेएसपीसीबी ने अमलगमेटेड जयरामपुर कोलियरी में आग से निपटने के अभियान को बंद करने के लिए 6,03,98,438/- रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जेएसपीसीबी को 07.03.2023 को जवाब दिया गया, अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है।

• जेएसपीसीबी के आदेश संदर्भ सं. B-180 दिनांक 21/01/2022 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय अस्पताल धनबाद को जैव चिकित्सा अपिशष्ट नियम, 2016 (अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रोके गए) का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किया और उसके बाद, सदस्य सचिव, जेएसपीसीबी द्वारा जारी मेमो नं. JSPCB/B-548 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से सीविपणन एवं विक्रय, सीएचडी को दिनांक 31.03.2022 को बंदी-आदेश प्राप्त हुआ। बाद में बंदी-आदेश करे रद्द कर दिया गया और विपणन एवं विक्रय, जेएसपीसीबी द्वारा इसे वापस ले लिया गया। सीविपणन एवं विक्रय, सीएचडी ने जैव चिकित्सा अपिशष्ट नियम, 2016 के सभी अनुपालन सुनिश्चित किए और तरल अपिशष्ट के उपचार के लिए खरीदे गए 30 केएलडी के अतिरिक्त ईटीपी के साथ 5 केएलडी क्षमता का एक ईटीपी भी स्थापित किया गया है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश संदर्भ सं. बी-180 दिनांक 21/01/2022 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय चिकित्सालय धनबाद पर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) न लगाने और लिक्विड एफ्लुएंट को अलग न करने पर बायो-मेडिकल वेस्ट रूल्स, 2016 का पालन न करने के लिए रू0 1,37,46,250.00 (रू0 एक करोड़ सैंतीस लाख छियालीस हजार दो सौ पचास मात्र) का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का नोटिस जारी किया। सीएचडी ने अनुपालन सुनिश्चित किया और 29.03.2022 को 5 केएलडी का ईटीपी स्थापित और चालू किया। जीईएम पोर्टल पर की गई बोली के माध्यम से 31.03.2022 को 30 केएलडी के अतिरिक्त ईटीपी के लिए कार्य आदेश भी दिया गया है। हालाँकि, सीएमएस, सीएचडी द्वारा 31.03.2022 को मेमो संख्या-JSPCB/B-548 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से मामले को बंद करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसे सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। अपील सं. 07/2022 पैनल एडवोकेट श्री अनूप मेहता के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी में दायर किया गया है जिसमें राजस्व बोर्ड, रांची, झारखंड सरकार द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और अधिवक्ता द्वारा 15.07.2022 को इसकी सूचना दी गई है, तदनुसार, पूरक हलफनामा तैयार किया गया है और बीसीसीएल के पैनल अधिवक्ता श्री अनूप मेहता द्वारा दायर किया गया है। राजस्व मंडल रांची, झारखंड सरकार में सुनवाई के लिए बैठक दिनांक 21.09.2022 को निर्धारित की गई थी और स्थिगित कर दी गई थी, अगली तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

- झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विजय शर्मा बनाम झारखंड राज्य के मामले में मूल आवेदन संख्या 269/2021 के लिए एनजीटी द्वारा की गई सिफारिश के संदर्भ में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 02.08.2022 को किए गए निरीक्षण के आधार पर आदेश संदर्भ सं. बी-1948 दिनांक 19/09/2022 द्वारा परियोजना अधिकारी, एबीओसीपी बीसीसीएल पर गैर-अनुपालन के संबंध में रुपये 75,93,750.00 का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का नोटिस जारी किया। । इस संबंध में, एबीओसीपी, खान द्वारा अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्र संख्या-BCCL/परियोजना अधिकारी/22/3906 दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के माध्यम से विभिन्न तथ्यों और दलीलों पर लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे को माफ करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि जेएसपीसीबी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण संमित की सिफारिशों को पहले से ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा, JSPCB के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक अंतरिम आवेदन (IA) भी दायर किया गया था और परियोजना अधिकारी, एबीओसीपी ने मैसर्स एएमपीएल (कार्यरत ठेकेदार) को भी 75,93,750.00 रुपये राशि के बराबर राशि की जमानत /गारंटी जमा करने का निर्देश दिया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी सुनवाई दिनांक 22.11.2022 में बीसीसीएल के आईए आवेदन को खारिज कर दिया है और बीसीसीएल को मुआवजे की निर्धारित राशि का भुगतान करने और आदेश की सिफारिश के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील की गई है। सुनवाई की तारीख का इंतजार है।
- (ठ) विविध: सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक सतत विकास प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ खनन एवं खनन के बाद के पिरदृश्य में समुदायों के लाभ के लिए नई पहल की पहचान कर रहा है।

#### 32. सिविल

### 32.1 2022-23 के दौरान सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा शुरू किए गए और पूरी की गयी प्रमुख गतिविधियाँ।

	अनुभागः कल्याण	
क्र.सं.	उपलब्धि	₹ लाख
1	जीएलआईएस पोर्टल पर बीसीसीएल की पूरी बिल्डिंग का बिल्डिंग डेटा अपडेट किया गया	NIL
2	सीएचडी बिल्डिंग का बाहरी फेसलिफ्टिंग पूरा	323.00
3	कार्मिक नगर औषधालय का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण	6.00
4	कोयला नगर के डीएवी स्कूल के सामने आरओ फिल्टर प्लांट लगाया गया	5.00
5	कोयला नगर, जगजीवन नगर, कार्मिक नगर टाउनशिप में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए एएमसी शुरू	160.00
6	कार्मिक नगर और जगजीवन के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए बाहरी पाइप लाइन के उन्नयन का कार्य पूरा किया गया।	106.32
7	डायरेक्टर्स एनक्लोजर के पास वर्टिकल गार्डन का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।	92.50
8	ए-टाइप, सेक्टर-1 के पास बहुउद्देशीय हॉल (जुबली हॉल) का निर्माण पूरा	56.34
9	नेहरू कॉम्प्लेक्स, कोयला नगर के बाहरी फेसलिफ्टिंग के साथ सीआईएसएफ खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण पूरा।	67.97
10	कोयला नगर में वीआईपी गेस्ट हाउस के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।	140.04
11	ब्लैक-डायमंड क्लब के पास सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण पूरा	64.63
12	सीएचडी में दो नंबर ईटीपी और कोयला नगर अस्पताल में एक नंबर ईटीपी स्थापित।	40.80
13	कार्मिक नगर, जगजीवन नगर, एचआरडी भवन के क्वार्टरों की छत उपचार का कार्य पूर्ण	74.79
14	कोयला नगर बस्ती में तीन (03) नंबर लकड़ी के बैडिमंटन कोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	64.62



	सकल योग	7131.28
	उप कुल	2217.00
1	खुदिया (11.05 करोड़) और कटरी (11.12 करोड़) में दो पुलों के निर्माण के लिए एलओए जारी किया गया और जल्द ही दिया जाएगा।	2217.00
	खंड: औद्योगिक	
	उप कुल	4914.28
22	स्टील गेट चौक से सीआईएसएफ चेक पोस्ट तक पार्किंग सुविधा के साथ फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	
21	कोयला नगर टाउनशिप के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डीपीआर तैयार।	11.56
20	जगजीवन नगर और कार्मिक नगर टाउनशिप में अतिरिक्त शौचालय के प्रावधान के साथ सी एंड डी टाइप क्वार्टर का उन्नयन शुरू किया गया।	685.56
19	कोयला नगर टाउनशिप में ए और बी टाइप क्वार्टर की बालकनियों का नवीनीकरण और उन्नयन शुरू हुआ।	219.26
18	कोयला नगर टाउनशिप में ए और बी टाइप क्वार्टर की बालकनियों का नवीनीकरण और उन्नयन शुरू हुआ।	344.46
17	कोयला नगर टाउनशिप में अतिरिक्त शौचालय के प्रावधान के साथ सी और डी टाइप क्वार्टर का उन्नयन शुरू किया गया।	
16	कोयला नगर के ए, बी, सी और डी टाइप क्वार्टर में एपीपी से रूफ ट्रीटमेंट का काम शुरू	290.79
15	बेसमेंट में प्रवेश लॉबी का उन्नयन और प्रशासनिक ब्लॉक में पोर्च का निर्माण तथा कोयला भवन, बीसीसीएल में अन्य विविध कार्य अवार्ड किए गए	

#### 33. जनसंपर्क

जनसंपर्क विभाग, बीसीसीएल, कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनी के सभी हितधारकों को रणनीतिक और सामरिक संचार सेवाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य " ब्रांड की पहचान को बढ़ाना और एक सुनियोजित मीडिया रणनीति के माध्यम से लक्षित दर्शकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना है जो सही समय और स्थान पर विशिष्ट संदेश प्रदान करता है।"। विभाग जनसंपर्क और कॉर्पोरेट संचार में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनसंपर्क विभाग पारंपरिक और नए व डिजिटल दोनों मीडिया चैनलों की मदद से लक्षित दर्शकों के लिए मुख्य संदेश "कोकिंग कोल के साथ भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार खनन प्रथाओं के साथ" को संप्रेषित करने का लक्ष्य रखता है। विभाग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट प्रकाशन, वीडियो और वेब के माध्यम से सभी दर्शकों को बीसीसीएल ब्रांड स्टोरी बताता है। विभाग कंपनी के ब्रांड प्रमोशन, इंटरैक्टिव मीडिया प्रबंधन, विज्ञापन परियोजनाओं, हितधारकों के लिए संचार और जनसंपर्क के क्षेत्रों में कार्य करता है।

जनसंपर्क विभाग का काम मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आता है: मीडिया में समाचार, विज्ञापन और सोशल मीडिया। ये समूह अलगाव में कार्य नहीं करते हैं; बल्कि, वे एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा जनसंपर्क विभाग प्रेस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। समाचार पत्रों में बीसीसीएल के समाचार कवरेज अधिकतर सकारात्मक होते हैं। कंपनी के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में समाचार पत्रों में लगभग 10824 समाचार लेख प्रकाशित किए गए हैं।

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनसंपर्क विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

Major Activities	Details	Major Activities	Details	
Publicity Campaigns (Various Campaigns during the year)	<ul> <li>□ BCCL Golden jubilee Celebration</li> <li>□ Azadi ka Amrit Mahotsav</li> <li>□ Har Ghar Tiranga</li> <li>□ G-20</li> </ul>	Video Documentaries (Total 07 Video Documentaries	☐ Welfare Activities ☐ Gokul Dham Park Lodna ☐ Panchavati Eco Park ☐ Parasnath Udhyan Katras ☐ CSR Initiatives of BCCL	
Sponsorships (Total 21 Events	☐ Academic - 07 ☐ Media Houses - 03	Created)	□ Sustainable Development □ BCCL fire Dousing	
Sponsored during the year)	☐ Industrial Seminars/Events - 06☐ Social & Other Evets - 05☐	Exhibitions (BCCL Participated	☐ AKAM by DPE at Gandhi Nagar (May' 22)☐ First World Coal Conclave (Oct'22)☐ Divini Mala Ranchi (Oct'22)☐	
Advertisements	BCCL Ads in impaneled News Papers	in 03 Exhibitions)	Diwali Mela Ranchi (Oct'22)	
( <b>08</b> Special Ads in Local News Papers and	☐ Labor Day ☐ Environment Day ☐ Yoga Day	Pres Conferences and Press Meets	☐ Yearly Review (01 April 2022) ☐ Anand Mela (Jan' 23) ☐ Hon'ble Governor Visit (Jan' 23)	
18 Advertisement in various Magazines Couvenirs accros the country)  Independence Day CIL Foundation Day Independence Day Republic Day	☐ CIL Foundation Day	Press Release & Clippings	<ul> <li>Total 162 press release</li> <li>All The News Clippings are available in scanned Digital format.</li> </ul>	
	☐ News papers foundation days.	Publications	☐ Monthly Newsletter (BCCL Darpan)	
Articles & BCCL Stories	☐ 26 in Local Media☐ 05 in National Media			

बीसीसीएल अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से उपस्थिति रहता है। 31 मार्च, 2023 तक, बीसीसीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों के फॉलोअर्स की संख्या निम्नलिखित थी:

फेसबुक: 11,201ट्विटर: 14,162

#### 34.निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों के भाग में टिप्पणी -2 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणी-38 के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में -

### यह पृष्टि की जाती है कि:

- क. वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें से किसी भी प्रकार के भौतिक तथ्यों को नहीं हटाया गया है।
- ख. इस प्रकार की लेखाकरण नीतियों का चयन किया एवं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं एवं औचित्य पूर्ण निर्णय लिये गए है तथा प्राक्कलन तैयार किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सत्य एवं सही चित्र प्रस्तुत हो सके।
- ग. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा उनके अनुरक्षण, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त अन्वीक्षण हेतु समुचित एवं भरपूर ध्यान रखा है।



- घ. चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ङ. 31 मार्च, 2023 समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया है, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है, जिनका संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है।
- च. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली की खोज की है, जो पर्याप्त है और जिनका संचालन प्रभावी तरीके से होता है।

#### 35. बीसीसीएल के वार्षिक लेखा का निरीक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारक की मांग पर उनके निरीक्षण हेतु बीसीसीएल के कंपनी सचिवालय में वार्षिक लेखा उपलब्ध रहेगा।

#### 36. व्हिसलब्लोअर नीति

बीसीसीएल की व्हिसलब्लोअर नीति लागू है। बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई। वर्ष के दौरान, इस तंत्र के तहत कोई प्रकटीकरण प्राप्त होने की सूचना नहीं है।

### 37. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन

कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकता और उक्त अधिनियम के तहत सीआईएल की नीति के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कोयला भवन स्थित बीसीसीएल मुख्यालय सहित बीसीसीएल में आंतरिक शिकायत सिमति (आईसीसी) काम कर रही है। सभी महिला कर्मचारियों (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) को उक्त नीति के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। बीसीसीएल मुख्यालय के आईसीसी सदस्य इस प्रकार हैं:

- 1. श्रीमती निर्मला किरण, वरीय प्रबंधक (कार्मिक), कल्याण, मुख्यालय- पीठासीन अधिकारी
- 2. श्री पुष्पक कुमार लाला, वरीय प्रबंधक (कार्मिक), विधि, मुख्यालय
- 3. श्रीमती अर्चना कुमारी, प्रबंधक (कार्मिक), प्रशासन, मुख्यालय
- 4. श्रीमती मौसमी दास, अध्यापक, डी.ए.वी. कोयला नगर

बीसीसीएल में वर्ष 2021-22 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच चल रही है।

#### 38. सत्य निष्ठा समझौता का कार्यान्वयन

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा संधि लागू है। सत्यनिष्ठा संधि को लागू करने के लिए दिनांक 04 मार्च, 2009 को धनबाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओय) पर हस्ताक्षर किया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में सत्यनिष्ठा संधि में शामिल की गई निविदाओं (वस्तुओं, सेवाओं और अनुबंधों सहित) का प्रतिशत निम्नानुसार है।

वर्ष	निविदा का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी.के तहत निविदाओं का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी. बनाम निविदाओं का कुल मूल्य को शामिल करते हुए निविदाओं का प्रतिशत
2022-23	932176.03	902562.33	96.82%
2021-22	538794.62	509646.32	94.59%

### 39. बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा

लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें वर्ष 2022-23 में बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई।

#### 40. वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (ए) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसार, 31 मार्च 2023 को वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर को उपलब्ध है।

#### 41. धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा

निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

- 1. श्रीमती शशि सिंह
- 2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल
- 3. श्री राम कुमार राय
- 4 श्री सत्यब्रत पांडा

### 42. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता एवं अनुभव (दक्षता सहित)

वर्ष 2022-23 के दौरान बीसीसीएल बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया। श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक, जिन्हें 10 जुलाई, 2019 को नियुक्त किया गया था, अपने 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 09 जुलाई, 2022 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई

- 1: श्रीमती. शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक;
- 2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक;
- 3. श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक, और
- 4. श्री राम कुमार रॉय, स्वतंत्र निदेशक

उपर्युक्त नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप नियम 5 के संदर्भ में खुद को आईआईसीए के साथ पंजीकृत कराया और श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक और श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक दोनों ने वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मृल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है।

हालाँकि, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक को ऑनलाइन दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है क्योंकि वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनके पास 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 579(E) दिनांक 19.08.2021 के तहत कंपनियों के नियम 6(4) (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के दूसरे प्रावधान के अनुसार ऑनलाइन दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है।

### 43. निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति, जिसमें धारा 178 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई योग्यताएं, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता और अन्य मामले निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं।

एमसीए ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए उपर्युक्त छूट दी थी।

### 44. निदेशकों, केएमपीएस और वरिष्ठ प्रबंधन की पारिश्रमिक नीति-धारा 178(4).

एमसीए ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों के निदेशकों को उपर्युक्त छूट दी थी।

### 45. बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक

### मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है, इसका संकेत देने वाला एक वक्तव्य।

एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों के लिए मूल्यांकन तंत्र को छूट दी थी।

#### 46. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा एक सहकर्मी-समीक्षित कंपनी सचिव फर्म मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा आयोजित किया था। उनकी नियुक्ति को 24 अप्रैल, 23 को आयोजित बीसीसीएल की 400वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट' एमआर-3 के रूप में प्राप्त की है और उनकी टिप्पणी की प्रतिक्रिया अनुबंध VIII में संलग्न है।



#### आभार

कंपनी की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार खासकर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिए गए अपिरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके जिला स्तरीय अधिकारियों सिंहत अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी के बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले रचनात्मक परामर्श के लिए भी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी है। वर्ष के दौरान जब महामारी के कारण पूरा देश किसी न किसी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में था ऐसे में कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देने वाले कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

#### परिशिष्ट

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्न है :

I.सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।
II.अनुसंधान एवं विकास।
III.कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट।
IV.प्रबंधन का विश्लेषण एवं वार्ता रिपोर्ट।
V.स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक।
VI.कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग द्वारा लेखा की समीक्षा।
VII.सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी की वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त संस्करण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: www.bcclweb.in

कृते, निदेशक मंडल की ओर से ह/-(समीरन दत्ता) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान – धनबाद।

# परिशिष्ट-।

### 1. बीसीसीएल में सीएसआर की संक्षिप्त रूपरेखा

विश्व के वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में, किसी संगठन की भलाई उस समाज की भलाई पर भी निर्भर करती है जिसमें वह अपना व्यवसाय संचालित करता है। परिणामस्वरूप, व्यवसाय आज अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रकार के लाभ अर्जित करने के तरीकों का उपयोग करने के साथ अपनी छिव को सुधारने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसायों के रूप में खुद के स्थापित करते हैं। बीसीसीएल, अपनी कोयला खनन गतिविधियों को अंजाम देने के साथ-साथ सीएसआर गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो मुख्य रूप से इसके परिचालन क्षेत्रों में और इसके आसपास रहने वाले समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है।


सीआईएल ने 08.04.2021 से अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। दिनांक 17.06.2021 को आयोजित 379 वीं बैठक में बीसीसीएल बोर्ड ने सीएसआर नीति पर विचार-विमर्श कर उसे अपनाया। सीआईएल, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं के साध-साथ समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिदेशानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं को शामिल करने के बाद तैयार की गई सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करते समय नीति के निम्न क्षेत्रों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है:

- i) भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।
- ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं
- iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और विरष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के प्रति होने वाली असमानताओं को दर करने के लिए उपाय करना।
- iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पितयों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सिहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना।
- v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।
- vi) सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।
- vii) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।
- viii) सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) याकेंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोषों में योगदान देना।
- ix) (क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इनक्यूबेटरों को सहायता उपलब्ध कराना और
  - (ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी); परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), औषध विभाग, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व अन्य निकायों के अंतर्गत कार्यरत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा स्वायत्त निकायों को सहयोग प्रदान करना।

- x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान देना।
- xi) मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) का विकास करना।
- xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

बीसीसीएल अपनी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहने वाला एक जिम्मेदार कारपोरेट रहा पिछले साल से, बीसीसीएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास आदि से संबंधित अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का प्रयास किया है।

बीसीसीएल अपने संचालन क्षेत्र अर्थात धनबाद जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड राज्य में एक प्रमुख सामाजिक विकास संचालक रहा है। निम्नलिखित ग्राफ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक धनबाद तथा झारखंड में सीएसआर व्यय की वृद्धि को दर्शाता है:-



चित्र 1- वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर बजट बनाम व्यय

वित्तीय वर्ष	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर बजट (₹ करोड़ में)	नीति के अनुसार सीएसआर बजट (₹ करोड़ में)	सीएसआर बजट आवंटित (₹ करोड़ में)	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
2021-22	0	4.93	4.93	4.93
2022-23	0	6.1	11.42	*11.42

\* ₹ 11.42 करोड़ की व्यय राशि में से ₹ 2.92 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2022-23 की चल रही परियोजनाओं के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में जमा किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इस प्रकार है:-

#### क) कौशल विकास:

- I. सीआईपीईटी में युवाओं का प्रशिक्षण:- बीसीसीएल ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें केंद्रीय प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रांची के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्लास्टिक इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। सिपेट, रांची में कुल 40 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय ₹ 28.00 लाख है।
- II. जीडीए- एडवांस्ड: एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल और पैरामेडिक्स में 120 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है; जिनमें से 80% एससी/एसटी/ओबीसी हैं। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹ 27.60 लाख है।

## ख)धनबाद के दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना

- I. पहला कदम स्कूल में बच्चों का पार्क: पहला कदम स्कूल जगजीवन नगर, धनबाद में दिव्यांगों के लिए एक स्कूल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए, बीसीसीएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत स्कूल में एक बच्चों के पार्क का निर्माण कर रहा है। इस गतिविधि के तहत, बीसीसीएल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लाभ के लिए नरम फर्श और उपकरण स्थापित कर रहा है। यह बच्चों को शांत करने के लिए ऊर्जा के अपव्यय का साधन भी प्रदान करेगा। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹ 16.5 लाख है।
- II. **दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण:** बीसीसीएल दिव्यांगों को उनके दैनिक कार्यों में सहायता के लिए व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ई-ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ब्लाइंड स्टिक खरीद रहा है। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹ 58.71 लाख है।
  - ग) कमजोर तबके के लोगों को सहायता प्रदान करना
- I. लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम, धनबाद: धनबाद में लालमणि आश्रम वृद्ध निराश्रितों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था प्रदान करता है। यह उन बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल है जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया है। ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए, बीसीसीएल अपनी सीएसआर पहल के तहत, ₹ 27.53 लाख के अनुमानित व्यय पर आश्रम में एक बहुउद्देशीय हॉल, शौचालय (02), रसोई और बरामदे का निर्माण कर रहा है।
- II. **निर्मला कुष्ठ रोग केंद्र:** इस केंद्र में रहने वालों की मदद के लिए, बीसीसीएल ₹ 26.6 लाख के अनुमानित व्यय पर 1.00 लाख लीटर की भंडारण क्षमता के साथ एक भूमिगत जल टैंक का निर्माण कर रहा है।
  - घ) सहायक स्कूल: स्वास्थ्य एवं शिक्षा
- I. धनबाद के 03 सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था: ऐ स्कूल धनबाद के आदिवासी इलाकों में स्थित हैं और यहां धनबाद के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पूरी करते हैं। इस परियोजना पर अनुमानित व्यय ₹ 7.68 लाख है।
- II. साइंस लेब व साइकिल स्टैंड: धनबाद के विनोद बिहारी महतो इंटर मिहला महाविद्यालय के बच्चों के लिए साइंस लैब व साइकिल स्टैंड का निर्माण 12.47 लाख की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।
- III. **धनबाद के आदिवासी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में वृद्धि:** कक्षा 6-8 में पढ़ने वाले स्कूलों के बच्चों के लिए इंटरजेनरेशनल लर्निंग सेंटर मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय ₹ 20.00 लाख है।
- 2. वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का विवरण

क्र.सं.	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
01	सीएसआर समिति की 30वीं बैठक	18.06.2022
02	सीएसआर समिति की 31वीं बैठक	20.07.2022
03	सीएसआर समिति की 32वीं बैठक	05.12.2022
04	सीएसआर समिति की 33वीं बैठक	23.01.2023
05	सीएसआर समिति की 34वीं बैठक	16.03.2023



#### 2.

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सीएस आर समिति बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या
1	श्री नरेन्द्र सिंह (06/02/2020 से सदस्य के रूप में और 06/01/2021 से 09/07/2022 तक अध्यक्ष के रूप में)	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	5 (5 में से 1 अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया था)	1
2	श्रीमती शशि सिंह (30/11/2021 से सदस्य के रूप में और 20/07/2022 से अध्यक्ष के रूप में बनी हुई हैं)	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	5	1 (सदस्य के रूप में) /4 (अध्यक्ष के रूप में)
3	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव (08/06/2020 से सदस्य के रूप में और 31/07/2022 तक)	सदस्य/निदेशक (कार्मिक)	5 (5 में से 2 उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित किए गए थे)	2
4	श्री संजय कुमार सिंह (दिनांक 27/02/2022 से सदस्य के रूप में बने हुए हैं)	सदस्य/निदेशक (तकनीकी)	5	4
5	श्री उदय ए कावले (19/09/2022 से सदस्य के रूप में बने हुए हैं)	सदस्य/निदेशक (तकनीकी)	5 (5 में से 3 उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित किए गए थे)	3
6	श्री हर्ष नाथ मिश्रा (03/11/2022 से 23/02/2023 तक सदस्य के रूप में)	सदस्य/निदेशक (कार्मिक)	5 (5 में से 2 उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित किए गए थे)	2
7	श्री मुरली कृष्ण रमैया (17/03/2022 से सदस्य के रूप में बने हुए हैं)	सदस्य/निदेशक (कार्मिक)	5 (5 में से 1 उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया था)	1

<sup>3.</sup>वेबलिंक - जहां सीएसआर सिमति के गठन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं (वार्षिक कार्य योजना) की जानकारी कंपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है-

#### Web-link - https://www.bcclweb.in/?page\_id=13446

4.कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो। - लागू नहीं।

5.कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं।

#### **6.** (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ₹ (131.54) करोड़ है।

	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)									
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि								
1	2021-22	191.31								
2	2020-21	(1577.06)								
3	2019-20	991.12								
4	कुल	(394.63)								
5	औसत	(131.54)								
6	औसत का 2%	(2.63)								

7.(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार बीसीसीएल के औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ (2.63) करोड़ होगा।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है तथा सीएसआर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की नीति का अनुपालन करती है। इसकी सीएसआर नीति के तहत बीसीसीएल नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीएसआर फंड का आवंटन करेगा:

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के लिए, सीएसआर के लिए निधि का आवंटन निम्नलिखित दो राशियों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा:

i.कंपनी अधिनियम के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%; अथवा

ii.तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन ₹ 2.00 प्रति टन।

अपनी सीएसआर नीति का पालन करते हुए, बीसीसीएल ने ऊपर दिए गए बिंदु (ii) के आधार पर सीएसआर निधियों का आवंटन निम्नानुसार किया:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोयला उत्पादन ------ **30.51 मी.टन.** वित्तीय वर्ष 2020-21 में  $\neq$  2.00 प्रति टन कोयला उत्पादन ----- **₹ 6.1 करोड़ (निकटतम पूर्णांक)** 

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बीसीसीएल के कोयला उत्पादन के अनुसार सीएसआर बजट ---- ₹ 6.1 करोड़ सीएसआर बजट आवंटित ---- ₹ 11.42 करोड़

- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से बाकी अधिशेष शून्य
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित (सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यादि कोई हो शून्य
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): ₹ 0 (कंपनी अधिनियम के अनुसार)
- (ड.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व: ₹ 6.1 करोड़ (सीएसआर नीति के अनुसार)
- 7. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य): ₹ 11.42 करोड़।
- (ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शुन्य
- (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लाग् हो: एनए
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]: ₹11.42 करोड़
- (ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

	3:	अव्ययित (खर्च न की गयी) राशि (₹ करोंड़ में)										
वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	सीएसआर खाते	5 अनुसार अव्ययित 1 में अंतरण की गई 1 राशि	धारा 135(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरण की गई राशि									
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख							
11.42**	2.92	26.04.2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं							

<sup>\*\* ₹ 11.42</sup> करोड़ के व्यय राशि में से ₹ 2.92 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2022-23 की चालू परियोजनाओं के लिए 'अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट' में जमा किया गया है।

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए किसी भी राशि पर विचार नहीं किया गया है\*



क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	0 (नकारात्मक होना)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	11.42
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	11.42
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों, यदि कोई हो	शून्य
(vi)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	11.42

<sup>#</sup> वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 4.93 करोड़ की राशि समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध थी, जिसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से अधिक खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 11.42 करोड़ की राशि समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध है। समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध कुल राशि ₹ 16.35 करोड़ है।

8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

<b></b>	पूर्ववर्ती	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	आलोच्य वित्तीय वर्ष में खर्च की गई	धारा 135(6) निर्दिष्ट कि	ो VII के तहत तरित राशि,	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि।		
सं.	वित्तीय वर्ष	म अतारत सारा (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	(₹ करोड़ में)	
1	2021-22	1.94	1.94	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
2	2020-21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
3	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

- 9. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है: लागू नहीं क्योंकि परिसंपत्तियों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
- 10. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है लागू नहीं

ह./- ह./- ह./- ह./- (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) (अध्यक्ष, सीएसआर समिति) [अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्देष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

विवरण
न्
राशि का ि
गआर
गीएस
AS.
화
प्त
ار ام
E
<del>ठ</del> ो∖ त्र
श्र
0
ल
ક
ख्रे
न
ਰੋ
प्र
5 लिए चालू परि
च `⊐
जिए
र्वा
23
022
£ 2(
0
वित्तीय व
<u>जि</u>

	(8)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण सं.	लागू न ही	लागू नहीं	लाम मही
प्रवरण	3)	कार्यान्वयन कार्यान्वयन एजे	गाम	ता न म ता प्रम	लागू नहीं	ताम म म स
के लिए चालू परियोाजनाओं के अलावा अन्य के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण	(7)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं)		<sup>3</sup> hc	od °	%िंट
लिए व्यय की गई	(9)	परियोजना के लिए ज्यय की गई राशि (लाख हे में)		249.75	486.22	5.00
π अन्य के 1	(	जना थान	<u>ज</u>	प म ह	धनबाद	दम्बाद
गें के अलाव	(5)	परियोजना का स्थान	राज्य	झारखंड	झारखंड	झारखं ड
ारियोाजना	(4)	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)		% िं€	আঁ	<b>ু</b>
वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए चालू प	(3)	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद		निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना
वित्तीय इ	(2)	परियोाजना का नाम		सीवी क्षेत्र के पास झुमी वासियों सहित ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" के तहत चिरकुंडा नगर परिषद के बाढ़ प्रभावित 111 परिवारों के लिए कम लागत वाले घरों का निर्माण (धनबाद जिला प्रशासन के माध्यम से)	धनबाद जिले में 500 आंगनवाड़ियों का विकास	सीएसआर कॉन्क्लेव
	(1)	क्र.सं		1	2	n

विवरण
ठ
साक्ष
Ħ
गीएस३
div.
भ
व्यय व
लेत्
용
अन्य
अलावा
<del>\8</del>
ह्य
ारियोाजना
प्र ट
र चाल
3 के लिए चा
\ <del>8</del>
-23
। वर्ष 2022
अर्ष १
तीय र
<u> </u>

	(8)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	सीएसआर पंजीकरण सं.	लामू म न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
नेवरण	3)	कार्यान्वयन कार्यान्वयन एङे	म	लागू न हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू न हीं	
के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण	(7)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं)		³hc	*hc	र्ग	مَارْ ما	
लिए व्यय की गई	(9)	परियोजना के लिए घ्यय की गई राशि (लाख रे में)		27.60	8.80	0.18	1.65	779.20
॥ अन्य के	(	जना थान	जना	ध <u>ू</u> स्	धनबाद	धनबाद	थन बाद	
ाँ के अलाव 	(5)	परियोजना का स्थान	राज्य	झारखंड	झारखंड	झारखंड	झारखंड	
रियोजनाङ	(4)	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)		* <del> </del>   <del> </del>    <del> </del>	°hc	जा <sup>©</sup>	<b>ੀ</b>	
वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए चालू प	(3)	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद		दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, बुबुगों और विकलांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, बुबुगों और विकलांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	ह क
वित्तीय व	(2)	परियोाजना का नाम		हर घर तिरंगा अभियान पर खर्च	सर्दी के मौसम में गरीबों को कंबल वितरण	चिकित्सा शिविरों के लिए व्यय	बस्ताकोला क्षेत्र के माध्यम से एसएचजी/महिलाओं के लिए मसाला ग्राइंडर की स्थापना	
	(1)	क्र.सं		4	5	9	7	

## वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए चालू परियोाजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

फ्र.सं	रयोाजना का नाम	रयो।जना का नाम	परियोाजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)		पारयाजना का स्थान	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (लाख ₹ में )	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि ( लाख रू में	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खता में अंतरित राशि (लाख ह में )	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका –	कार्यान्वयन एजेसी के माध्यम से
	म	अधिनियम के	स्य	सञ्च	जिला	परि	परियोजन	चाल वित्तीर	धारा 135(6) अन्ययित	कार्यान्वयन क	गाम	सीएसआर पंजीकरण सं.		
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी) में 40 उम्मीदवारों के लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण	अनुसूची VII के मद सं. (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	28.00	14.00	14.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं		
2.	धनबाद में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	58.71	0.00	58.71	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं		
3.	धनबाद के लाभार्थियों के लिए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (जीडीए) में कौशल विकास प्रशिक्षण	अनुसूची VII के मद सं. (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	27.60	5.52	22.08	नहीं	प्रमिथ फाउंडे शन	सीए स आर 0000 2914		
4.	पहला कदम स्कूल, जगजीवन नगर, धनबाद में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए विकासशील गतिविधियां	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद		16.50	0.00	16.50	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं		
5.	गोविंदपुर, धनबाद में कुष्ठ रोग केंद्र परिसर में पानी टंकी का निर्माण	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद		28.90	8.31	20.59	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं		

6.	लालमणि वृद्ध सेवा आश्रम , धनबाद में अधारभूत संरचनात्मक कार्य	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 ਕਥੀ	27.53	9.09	18.44	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	विनोद बिहारी महतो अंतर महिला महाविद्यालय तोपचांची, धनबाद के आधारभूत संरचनात्मक विकास कार्य	अनुसूची VII के मद सं. (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	12.47	4.62	7.85	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	'हेल्दी एजिंग इंडिया' के माध्यम से झारखंड राज्य के आदिवासी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए सीएसआर फंडिंग	अनुसूची VII के मद सं. (ii)					20.00	4.00	16.00	नहीं	हेल्दी एजिंग इंडिया	सीएसआर 0000 5412
9.	धनबाद जिला के टुंडी एवं पूर्वी टुंडी प्रखंड के 03 महाविद्यालयों (1) सिब् सोरेन इंटर कॉलेज, टुंडी (2) सिब् सोरेन डिग्री कॉलेज, टुंडी (3) बिनोद बिहारी महतो इंटर कॉलेज, पूर्वी टुंडी में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था।	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 ਕਥੰ	7.68	6.19	1.49	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	घरेलू उपयोग के लिए पलाशिया गांव में जलापूर्ति व्यवस्था	अनुसूची VII के मद सं. (i	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 ਕਥੀ	13.40	11.96	1.44	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	जोगरद बस्ती में जल आपूर्ति की व्यवस्था	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	7.58	7.21	0.37	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	घरेलू उपयोग के लिए खदान के पानी के उपयोग हेतु नीचे देवघरा गांव में जलापूर्ति व्यवस्था करना	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	42.26	0.00	42.26	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	हरिना पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण	अनुसूची VII के मद सं. (x)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	17.49	0.00	17.49	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

14.	हरसुडीह बस्ती में जल आपूर्ति की व्यवस्था	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद	02 वर्ष	4.84	0.00	4.84	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में आधारभूत संरचनात्मक विकास कार्य	अनुसूची VII के मद सं. (ii)	हाँ	झारखंड	धनबाद		7.23	0.00	7.23	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	नगरिकला उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शौचालयों का निर्माण	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ	झारखंड	धनबाद		5.86	0.00	5.86	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	टीबी पोषण बास्केट का वितरण	अनुसूची VII के मद सं. (i)	हाँ		धनबाद		24.89	0.00	24.89	नहीं	सी आई एन आई	सीएसआर 00000 494
18.	चालू परियोजनाओं के लिए जीएसटी व्यय						11.86	0.00	11.86			
							362.80	70.90	291.90			



परिशिष्ट - || वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सीआईएल द्वारा वित्तपोषित बीसीसीएल के कमांड क्षेत्र में एस एंड टी/आर एंड डी परियोजनाओं की स्थिति

	साआइएल द्वारा वित्तपापित बासासाएल के कमांड क्षेत्र में एस एंड टा/आर एंड डा पारपाजनाओं का स्थित					
क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (लाख रू.)	स्थिति	
क.	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजना					
1	शुष्क और रासायनिक बेनिफेसीकरण के माध्यम से निम्न श्रेणी के भारतीय कोयले का उन्नयन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/09/ 2021 कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी खडगपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2024	144.30 ₹ आई आई टी खडगपुर - 121.89 ₹ सीएमपीडी आईएल 22.41 ₹	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य कोयले के स्थूलतर आकार के लिए शुष्क सज्जीकरण प्रौद्योगिकी (एयर डेंस मीडियम फ्ल्युडाइज्ड बेड सेपरेटर) विकसित करना है, इसमें स्वच्छ कोयले की अधिकतम प्राप्ति और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए बारीक कणों को फ्रोथ फ्लोटेशन के साथ उपचारित किया जाएगा। बीसीसीएल में समर्थित: 30.10.2020 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -संस्थान में लिटरेचर समीक्षा की गई -रिएक्टर सेटअप का डिजाइन और निर्माण हो गया है।	
2	कार्बन मूल्यों के प्रतिलाभ के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडलिंग और बारीक कण (फाइन्स) का प्रभावी उपयोग परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/11/ 2021 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडी आईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	144.02₹ एनएमएल जमशेदपुर - 126.52 ₹ सी एम पी डी आइ एल- 14.50 ₹	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य है:- i. कोकिंग कोल वाशरियों के मिडलिंग से लगभग 18% राख पर धुले कोयले की प्राप्ति की संभावना का पता लगाना ii. कार्बन रिकवरी को बढ़ाने के लिए 18% राख वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोसेस फ्लोशीट विकसित करना iii. धुले उत्पाद के सतह की नमी को कम करना बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के पहले चरण के लिए पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल से प्रत्येक टन मिडलिंग और फाइन्स के नमूने एकत्र किए जाते हैं। -दूसरे चरण के लिए, दहीबाड़ी वाशरी (1.6 एमपीटीए) से नमूने एकत्र किए जाएंगे। इसके अलावा दहीबाड़ी वाशरी से नमूने एकत्र करने के लिए 2 टन डब्ल्यूसीपी के लिए पी1 जरी किया गया था।	
3	माडलिंग और सिम्युलेशन विश्लेषण के माध्यम से सीआइएल के अंतर्गत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/02/10/	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	264.04 ₹ एन एम एल जमशेदपुर 169.54₹ सीएमपीडी आइएल 94.50 ₹	परियोजना का उद्देश्य कोयला धुलाई, सिम्युलेशन विश्लेषण करने और कोल वाशिंग संयंत्र की दक्षता में सुधार के लिए इष्टतम मानदंडों का अनुमान लगाने में इकाई संचालन (क्रशिंग, क्लासीफिकेशन, ग्रेविटी सेपरेशन,	

	2021 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल				फ्लोटेशन) के लिए स्टेडी स्टेट प्लांट स्केल मॉडल विकसिकत करना है। बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के लिए मुनीडीह वाशरी को चुना गया है। -प्रयोगशाला स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है
4	जैव-स्कंदक का उपयोग करके कोल वाशरी उत्प्रवाह से महीन कणों को पृथक करना और प्राप्त करना परियोजना कोड: सीआईएल/ आरएंडडी/ 02/13/2022 कार्यान्वयन एजेंसी:आईआईटी आईएसएम, धनबाद	15 मार्च, 2022	14 मार्च, 2024	54.87 ₹ आइआइटी आइएसएम 54.87₹ बीसीसीएल- शून्य	इस परियोजना का उद्देश्य -भारतीय कोयला में राख का अत्यधिक (35-40%) अशुद्दियाँ होती है, जिसके सज्जीकरण/वाशिंग से वाशरी उत्प्रवाह निकलता है। इसमें अन्य अशुद्धियों के साथ ही कोयले के बारीक कणों की उच्च सांद्रता होती है।  निक्षेपण के पश्चात उत्प्रवाह को ताजे पानी के साथ कोयला धुलने के लिए पुन: प्रवाहित किया जाता है।  यदि कोयला चूर्ण पुन: प्राप्त हो जाता है तो यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि सफाई क्षमता में भी सुधार होगा और अतिरिक्त ताजे पानी का प्रयोग कम होगा। बीसीसीएल समर्थित: 25.06.2021 सीआइएल से अनुमोदित- 06.09.2021 -परियोजना के लिए मुनीडीह तथा दहीबाड़ी कोल वाशरी वाशरी को चुना गया है   -नमूने बीसीसीएल से एकत्र किए गए

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (लाख रू.)	उद्देश्य व स्थिति
ख.	एमओसी एस एंड टी परियोजना				
1.	भू-भौतिकीय तकनीक का उपयोग करते हुए भूमिगत कोयला खदानों में अगम्य पुराने कार्यस्थलों में माइनिंग इंडयुस्ड सब- सरफेस कैविटि और जलभराव वाले क्षेत्रों में होने वाले खतरे का अध्ययन प्रोजेक्ट कोड- एमटी- 173 कार्यान्वयन एजेंसी- आइआइटी आइएसएम, धनबाद	15 मार्च, 2021	14 मार्च, 2023	199.96 ₹ आइआइटी आइएसएम- 199.96₹ ईसीएल-शून्य	इसका उद्देश्य भू-भैतिकीय तकनीक जैसे भूकंपीय टोमोग्राफी, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और क्रॉसहोल टोमोग्राफी का उपयोग कर भूमिगत कोयला खदानों में अगम्य पुराने कार्यस्थलों में माइनिंग इंडयुस्ड सब- सरफेस कैविटि और जलभराव वाले क्षेत्रों में खतरे का अध्ययन करना है। एमओसी से अनुमोदित 10.03.2021 बीसीसीएल समर्थित: 17.02.2022 -ईसीएल में लगभग 25 मी. की गहराई के लिए काम किया गया था। * बीसीसीएल में लगभग 50 मी. की गहराई के लिए कार्य किया जाना है।



					* परियोजना की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
2.	कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के संवेदनशील और चुनिंदा अन्वेषण के लिए मल्टीवाल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स (एमडब्ल्यूसीएनटी) का वृत्रिमूलक एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक डिपोजिशन परियोजना कोड : एमटी -177 क्रियान्वयन एजेंसी: अमेटी यूनिवर्सिटी	15 अक्टूबर, 2022	14 अक्टूबर, 2024	₹ 41.39 अमेटी - ₹41.39 बीसीसीएल -शून्य	परियोजना का उद्देश्य कोल माइन मीथेन (सीएमएम) की संवेदनशील और चयनात्मक पहचान के लिए एक मल्टीवॉल कार्बन नैनोट्यूब (एमडब्ल्यूसीएनटी) विकसित करना है  बीसीसीएल समर्थित : 10.02.2022. एमओसी से अनुमोदित : 12.10.2022 - संस्थान में एमडब्ल्यूसीएनटी आधारित नैनोकम्पोजिट्स का संश्लेषण और वर्णन किया जा रहा है।
3.	CO2 कैप्चर करने के लिए के लिए के लिए छिद्रपूर्ण अवशोषक विकसित करने के लिए कोयला गंगू का उपयोग। क्रियान्वयन एजेंसी: आईआईटी, कानपुर।		22 दिसंबर, 2024	₹ 84.73 आई आई टी कानपुर - ₹ 84.73 बीसीसीएल- शून्य	परियोजना का उद्देश्य कोल गंगू का उपयोग करके कम लागत वाले छिद्रपूर्ण ठोस शोषक और कार्बन कैप्चर के लिए उपयुक्त रासायनिक संशोधक का विकास करना है। बीसीसीएल समर्थित: 26.07.2022. एम ओ सी से अनुमोदित 23.12.2022. - नमूने एकत्र करने के लिए पीआई जारी किया गया है।

## आर एंड डी परियोजना जहां बीसीसीएल के लिए समर्थन पत्र प्रदान किया गया है तथा सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा है-

क्र.सं	. परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तावक	बीसीसीएल द्वारा समर्थित	अभ्युक्ति
1.	एस एंड टी परियोजना: ओपनकास्ट बेंच फायर का आकलन और उससे निपटने के लिए विस्तृत रोबोटिक तकनीक	सीएसआईआर- सीएमईआरआई, सीएसआईआर- सीआईएमएफआर	17.02.2022	एमओसी में समीक्षा।
2.	एस एंड टी परियोजना: उच्च राख वाले कोयले (राख सामग्री > 40%) का मूल्य वर्धित लागत प्रभावी स्वच्छ ईधन में सह-पायरोलिसिस और थर्मो-उत्प्रेरक रूपांतरण।	आईआईटी, आईएसएम	04.07.2022	एमओसी में समीक्षा।
3.	एस एंड टी परियोजना: कोल नेचुरल फ्रैक्चर का व्यापक मूल्यांकन और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, CO <sub>2</sub> फ्रैक्चरिंग और सीबीएम उत्पादन पर उनके प्रभाव।	आईआईटी, आईएसएम	07.03.2023	एमओसी में समीक्षा।

# विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित, अनुसंधान एवं विकास का अध्ययन करने के लिए बीसीसीएल से ली गई अनुमित-

क्र.सं	. परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तावक	बीसीसीएल द्वारा समर्थित	अभ्युक्ति
1.	झरिया कोलफील्ड के क्षेत्रों में लैम्प्रोफायर डाइक्स/सिल्स का नमूना।	आईआईटी, आईएसएम	21.09.2022	बीसीसीएल खदानों से नमूने एकत्र किए गए।
2.	सतही कोयला खदानों में एचईएमएम ऑपरेटरों पर पूरे शरीर पर कंपन जोखिम - विभिन्न योगदान कारकों का आकलन	आईआईटी, बीएचयू	11.11.2022	डीएसटी (एसईआरबी) द्वारा वित्त पोषित। बीसीसीएल के ब्लॉक-2 क्षेत्र में फील्ड जांच की गई।
3.	"कोयला खदान श्रमिकों की कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एर्गो-ह्यूमन मॉडल की जांच"	आईआईटी आईएसएम	21.10.20 22 10.02.2023 को समय 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया	डीएसटी (एसईआरबी) द्वारा वित्त पोषित। मूनीडीह यूजी, एनएकेसी, महेशपुर यूजी, बस्ताकोला ओसीपी और एना ओसीपी में फील्ड जांच किया गया था।

#### ओवर बर्डन से रेत निकालने वाले संयंत्र के प्रतिष्ठापन की स्थिति:

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कोल कंपनियों को ओबी के लाभकारी उपयोग के लिए निदेश दिए हैं। इस संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी अनुषंगियों में ओबी से रेत निकालने वाले संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बीसीसीएल के दामोदा ओसीपी, बरोरा क्षेत्र में ओबी से रेत संयंत्र लगाने के लिए साइट के रूप में चयन किया गया है:-

- ✔ सीएमपीडीआइएल द्वारा बिल्ड ऑपरेट (बीओ) के आधार पर एक मॉडल एनआइटी तैयार किया गया था, जिसे सीआइएल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा 01.02.2022 को बीसीसीएल को सूचित किया गया था। मॉडल दस्तावेज को कस्टमाइज किया गया एवं बीसीसीएल उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया गया था।
- इसके लिए एनआईटी जारी किया गया था और सफल बोलीदाता को एलओए जारी किया गया था, लेकिन पार्टी कार्यप्रदर्शन
  प्रतिभूति जमा करने में विफल रही, इस प्रकार बोली रद्द कर दी गई और कर्ता पर आवश्यक कार्रवाई की गई।
- ✓ दिनांक 28.01.2023 बोली को खोली गई।
- ✓ निविदा समिति ने प्रकार्य निदेशकों की मंजूरी और एलओए जारी करने की सिफारिश की है।



# परिशिष्ट - ||| कॉरपोरेट गवर्नेंस 2022-23 पर रिपोर्ट

#### 1. कॉरपोरेट दर्शन

बीसीसीएल विधि, नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्य, नैतिक व्यवहार पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट गवर्नेस के लिए वचनबद्ध है।

### 2. निदेशक मंडल

बीसीसीएल के संस्थागत अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के खंड 31 (ग) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

#### 3. बोर्ड का गठन

31 मार्च 2023 तक, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, 4 कार्यात्मक निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

#### 4. बोर्ड की बैठक:

वर्ष 2022-23 के दौरान 11 (ग्यारह) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई,जो इस प्रकार है:

क्रम सं.	बोर्ड बैठकों की सं.	बैठक की तारीख
01	388वीं बैठक	18.04.2022
02	389वीं बैठक	06.05.2022
03	390वीं बैठक	18.06.2023
04	391वीं बैठक	30.07.2022
05	392वीं बैठक	12.09.2022
06	393वीं बैठक	24.09.2022
07	394 वीं बैठक	03.11.2022
08	395वीं बैठक	06.12.2022
09	396 वीं बैठक	24.01.2023
10	397 वीं बैठक	08.02.2023
11	398वीं बैठक	17.03.2023

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों और एजीएम की उपस्थित का विवरण निम्न है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	2022-23 के दौरान बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	गत वार्षिक आमसभा में उपस्थित रहे या नहीं
1	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	11	हाँ
2	श्री आनंदजी प्रसाद	गैर - कार्यकारी निदेशक	11	हाँ
3	श्री देबाशीष नंदा	गैर - कार्यकारी निदेशक	07	नहीं
4	श्री बी वीरा रेड्डी	गैर - कार्यकारी निदेशक	04	हाँ
5	श्री नरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	03	हाँ

6	श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ
7	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ
8	श्री सत्यब्रत पांडा	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ
9	श्री राम कुमार राय	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ
10	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	निदेशक	04	हाँ
11	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक	11	हाँ
12	श्री उदय ए कावले	निदेशक	07	नहीं
13	श्री हर्ष नाथ मिश्रा	निदेशक	04	नहीं
14	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	निदेशक	03	नहीं

टिप्पणी: वर्ष 2022-23 के दौरान श्री समीरन दत्ता,अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल ने निदेशक (वित्त,अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 11 बोर्ड बैठक तथा निदेशक (कार्मिक, अतिरिक्त प्रभार) के रूप में 02 बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

#### 5. लेखा परीक्षा समिति:

#### (क) गठन

बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के अनुसरण में किया गया है। बीसीसीएल की लेखापरीक्षा समिति में पाँच स्वतंत्र निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, एक कोल इंडिया से नामित निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति का अध्यक्ष होता है। 31 मार्च 2023 तक, लेखा परीक्षा समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप-समिति) में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	स्थिति
1	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष
2	श्री आनंदजी प्रसाद	सदस्य
3	श्री देबाशीष नंदा	सदस्य
4	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य
5	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य
6	श्री राम कुमार राय	सदस्य
7	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य
8	श्री उदय ए कावले	सदस्य

समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षक आमंत्रित किए जाते हैं। निदेशक (कार्मिक) ने भी अपने निदेशालय से संबंधित किसी भी विषय पर आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। जब समिति को कोई जरूरी जानकारी देनी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता हैं।

#### ख)लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र:

- i) कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;
- ii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी:
- iii) वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट;
- iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
- v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;



- vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
- vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

## ग. लेखा परीक्षा समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की नौ बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं .	लेखापरीक्षा समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
01	129वीं बैठक	18.04.2022
02	130 वीं बैठक	06.05.2022
03	131 वीं बैठक	18.06.2022
04	132 वीं बैठक	29.07.2022
05	133 वीं बैठक	12.09.2022
06	134 वीं बैठक	03.11.2022
07	135 वीं बैठक	06.12.2022
08	136 वीं बैठक	24.01.2023
09	137 वीं बैठक	17.03.2023

## सदस्यों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिए जाने का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	03
2	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष	06
3	श्री आनंदजी प्रसाद	सदस्य	09
4	श्री बी वीरा रेड्डी	सदस्य	02
5	श्री देबाशीष नंदा	सदस्य	05
6	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य	09
7	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	सदस्य	03
8	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य	09
9	श्री राम कुमार राय	सदस्य	09
10	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	09
11	श्री उदय ए कावले	सदस्य	05

टिप्पणी: श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक(का.) ने आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखा परीक्षा समिति की 03 बैठकों में भाग लिया। श्री मुरलीकृष्ण रमैया,निदेशक(का.) तथा श्री राकेश कुमार सहाय, निदेशक(वित्त) ने आमंत्रित तथा स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखा परीक्षा समिति की 01-01 बैठक में भाग लिया।

#### 6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 17.03.2023 (शुक्रवार) को स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गयी।

#### 7. व्हीसिल ब्लोअर नीति :

बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया। परन्तु 18.06.2022 को आयोजित बीसीसीएल की 390 वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल की संशोधित व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुरूप इसे संशोधित और अनुमोदित किया गया है। नई नीति बीसीसीएल की वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है।

# 8. जोखिम प्रबंधन समिति

#### जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठक आयोजित की गई:

क्र. सं.	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक	बैठक की तारीख
01	9वीं बैठक	06.12.2022
02	10वीं बैठक	16.03.2023

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

SI No	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री सत्यब्रत पांडा	अध्यक्ष	02
2	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	02
3	श्री उदय ए कावले	सदस्य	02
4	श्री हर्ष नाथ मिश्रा	सदस्य	01
5	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	सदस्य	01

#### 9. अधिकार प्राप्त उप-समिति:

### (क) ईएससी (टी) की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ईएससी (टी) की छ: बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्न है:

क्र. सं.	ईएससी (टी) की बैठकों की सं.	बैठक की तिथि
01	26 वीं बैठक	18.04.2022
02	27 वीं बैठक	30.07.2022
03	28 वीं बैठक	12.09.2022
04	29वीं बैठक	06.12.2022
05	30 वीं बैठक	24.01.2023
06	31वीं बैठक	08.02.2023

ईएससी (टी) की बैठक में भाग लेने वाले का सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:



क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईएससी (टी) की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री आनंदजी प्रसाद	अध्यक्ष	06
2	श्री नरेन्द्र सिंह	सदस्य	01
3	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	सदस्य	03
4	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	06
5	श्री उदय ए कावले	सदस्य	04

# 10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

# सीएसआर समिति की बैठक और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की पांच बैठकें क्रमशः 18.06.2022, 20.07.2022, 05.12.2022, 23.01.2023 और 16.03.2023 को आयोजित की गई थीं:

क्र. सं.	ईएससी (टी) बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
01	30वीं बैठक	18.06.2022
02	31वीं बैठक	20.07.2022
03	32वीं बैठक	05.12.2022
04	33वीं बैठक	23.01.2023
05	34वीं बैठक	16.03.2023

सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	01
2	श्रीमती शशि सिंह	अध्यक्ष	04
3	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य	01
4	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	04
5	श्री उदय ए कावले	सदस्य	03
6	श्री हर्ष नाथ मिश्रा	सदस्य	02
7	श्री मुरलीकृष्ण रमैया	सदस्य	01
8	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	सदस्य	02

#### 11. आम सभा की बैठक:

पिछले 3 वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	बैठक स्थल
2021-22	26.07.2022	10.30 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2020-21	04.08.2021	10.00 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2019-20	07.08.2020	10.00 पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

#### 12. बीसीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

बीसीसीएल के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड और उसके नॉमिनी के पास हैं।

## 13. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत नियम (8)(5)(iiiक) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक का विवरण:

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई:

- 1.श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक;
- 2.श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक;
- 3.श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक; तथा
- 4.श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप-नियम 5 (iiiक) के संदर्भ में, 01.012.2019 को यथा संशोधित, बोर्ड की राय है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के पास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता, सत्यनिष्ठा और अनुभव है।

उपर्युक्त नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने खुद को आईआईसीए के साथ पंजीकृत कर लिया है, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 6 की उप-धारा 1 (ख) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा में उपस्थित होना / उत्तीर्ण होना बाकी है।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़े गए उप नियम 4 के संदर्भ में , 18.12.2020 तक यथासंशोधित, श्रीमती शिश सिंह, स्वतंत्र निदेशक तथा श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक 2022-23 के दौरान उक्त नियमों के आई आईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा क्रमशः उत्तीर्ण की।

हालांकि, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक, को ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है क्योंकि वह एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 579 (ई) दिनांक 19.08.2021 द्वारा जारी कंपनी नियम 6(4) (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता नियम) के दूसरे प्रावधान के अनुसार जिसे 10 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है, उसे ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा से छूट दी गई है।



# परिशिष्ट - IV प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

#### I. औद्योगिक संरचना एवं विकास

बीसीसीएल, सीआईएल की अनुषंगी कंपिनयों में से एक, कोयला खनन और संबद्ध गितविधियों में संलग्न है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल- एक मिनीरल पीएसयू) कोकिंग कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है जो कि कोयले खनन और संबद्ध गितविधियों में संलग्न है और भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक है। इसकी खदानें झारखंड स्थित झिरया कोलफील्ड में 273 वर्ग किलोमीटर और रानीगंज कोलफील्ड, झारखंड (19 वर्ग किलोमीटर ) तथा पिश्चम बंगाल (13 वर्ग किलोमीटर ) 32 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इसके प्रमुख उत्पाद रन ऑफ माइन (ROM) कोयला, धुला हुआ कोयला और धुला हुआ विद्युत कोयला (WPC) और अन्य वाशरी उप उत्पाद हैं। कोकिंग कोल एवं गैर कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के समय परंपरागत रूप से निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक विधि से चलायी जा रही छोटी-छोटी असंगठित कोयला खदानें इस कंपनी को विरासत के तौर पर मिली। इनका संचालन ऊपरी सतह तक ही सीमित था, जिसके कारण इसके भूमिगत पुराने कार्यस्थल में आग लगने तथा पानी भर जाने की समस्या आम थी। इस कोयला क्षेत्र में आबादी का घनत्व काफी अधिक है और यहां टाउनिशप, महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क, राष्ट्रीय-राजमार्गों और राज्य- राजमार्गों सिहत सड़कों की भी बहुलता है। इस कारण से यहां कोयले का उत्खनन करना, खनन इंजीनियरों के लिए बेहद जिटल एवं चुनौती पूर्ण है। किंतु खनन क्षेत्र में इस कंपनी का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। बीसीसीएल अपने कुल कोयला उत्पादन का लगभग 85%, कोकिंग कोल के रूप में करता है। बीसीसीएल में मुख्य रूप से दो प्रकार के कोकिंग कोल का उत्पादन होता है- प्राइम कोकिंग कोल (PCC) और मध्यम कोकिंग कोल (MCC), जिसमें कम वाष्पशील पदार्थ मौजूद होता है। कुल कोकिंग कोल के उत्पादन में प्राइम कोकिंग कोल (MCC) की मात्रा 10% और मध्यम कोकिंग कोल (MCC) की मात्रा 90% होती है।

#### II. ताकत और कमजोरी

	ताकत (एस)	कमजोरी (डब्ल्यू)
	आयात समता मूल्य से बहुत ही कम मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने की क्षमता सुरक्षित बाजार वाले प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र स्रोत। 40 मि.मी. के दायरे में कोयला संसाधनों का केंद्रीकरण।	<ul> <li>अतीत में अवैज्ञानिक खनन</li> <li>कोयला-धारित क्षेत्र घनी आबादी अवस्थित हैं, ज्यादातर अनिधकृत निवासियों द्वारा खनन गतिविधि की सुचारू प्रगति में बाधा उत्पन्न किया जाता है।</li> </ul>
•	ऊपर स्तर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले और नीचे स्तर में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की मौजूदगी	<ul> <li>बड़ी संख्या में विरासत में मिली छोटी यूजी खदानें मशीनीकरण के बहुत मुश्किल हैं।</li> </ul>
•	बहुतायत में भंडार की सिद्ध श्रेणी इसलिए उचित योजना बनाई जा सकती है	<ul> <li>आग एवं जलजमाव से प्रभावित मल्टी-सीम कार्यक्षेत्र की उपस्थिति</li> </ul>
•	मास्टर प्लान के माध्यम से कोयला धारित क्षेत्र के ऊपरी संरचनाओं के मार्ग परिवर्तन करने की कार्रवाई जारी है	<ul> <li>श्रमशक्ति के तर्कसंगत पुनर्नियोजन में ट्रेड यूनियनों द्वारा उत्पन्न बाधाएं</li> </ul>
•	ऊपरी खंड विकसित। एक बार भूमि उपलब्ध हो जाने पर उत्कृष्ट श्रेणी के कोयले का आसानी से खनन किया जा सकता है।	<ul> <li>बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि की अनुपलब्धता</li> <li>महत्वपूर्ण सतह सुविधाओं के नीचे आंशिक रूप से पुराने एवं खड़े</li> </ul>
•	अच्छी सड़क/रेल कनेक्टिविटी के साथ अनुकूल भौगोलिक स्थिति	खंभें हैं।
•	कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच बढ़ती जागरूकता सकारात्मक मानसिकता की ओर ले जाती है	<ul> <li>सीएस और आरएस खितयान में विभिन्न प्रविष्टियां जिसके कारण अनावश्यक कानूनी परेशानी और भूमि अधिग्रहण में देरी होती है</li> <li>खनन से उत्पन्न परिचालन सुरक्षा जोखिम</li> </ul>
•	सीएमएम और सीबीएम उत्पादन के लिए संभावित क्षेत्र/भंडार	

# III. अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
<ul> <li>लंबी अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में आसानी से उपलब्ध एक संपूर्ण बाजार ।</li> <li>मास्टर प्लान के क्रियान्वयन पर जारी किए गए प्राइम कोकिंग कोल से विदेशी मुद्रा बचाने की क्षमता होगी</li> <li>इस्पात क्षेत्र में कोकिंग कोल के बाजार की स्थित अनुकूल है क्योंकि अंतरराट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही है और देश मुश्किल से अर्जित विदेशी मुद्रा को इसके लिए वहन नहीं कर सकता है।</li> <li>रियायती खदानों का परिसंपत्ति मुद्रीकरण।</li> <li>भूमि बैंक मुद्रीकरण।</li> <li>सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।</li> <li>खान पर्यटन के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का अवसर।</li> <li>कोयला आधारित मीथेन ब्लॉकों की पहचान</li> </ul>	<ul> <li>खनन उद्देश्य के लिए एलए एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने में असमर्थता।</li> <li>मास्टर प्लान के निष्पादन में किसी प्रकार के विलंब होने पर कोई राष्ट्रीय आपदा की घटना घट सकती है, जो जीवन और संपत्तियों के साथ-साथ लंबे समय तक कंपनी के संचालन को भी खतरे में डाल सकती है।</li> <li>कोयला सीम का स्वत:स्फूर्त ताप।</li> <li>सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों के विस्थापन के कारण परियोजना शुरू होने में देरी</li> </ul>

## IV. खंडवार या उत्पादवार प्रदर्शन

# कच्चे कोयले का उत्पादन प्रदर्शन

2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान बीसीसीएल की कच्चे कोयले का उत्पादन, उत्पादकता तथा उठाव (आफटेक) प्रदर्शन:

क्र.	6	,		2022-23		2021-22	गत वर्ष की तु	लना में वृद्धि
सं	विवरण	इकाई	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	वास्तविक	शुद्ध	(%)
i)	कच्चा कोयला (खदान के प्रकार के	अनुसार)						
	यूजी	मि.टन	1.0	0.686	68.57	0.81	-0.12	-14.88%
	ओसी	मि.टन	31.0	35.493	114.49	29.71	5.79	19.48%
	कुल	मि.टन	32.0	36.179	113.06	30.51	5.67	18.58%
ii)	कोयले के प्रकार के अनुसार							
	कोकिंग कोल	मि.टन	29.925	33.716	112.67	29.04	4.67	16.10%
	नन कोकिंग कोल	मि.टन	2.075	2.463	118.70	1.47	0.99	67.55%
		मि.टन	32.0	36.179	113.06	30.51	5.67	18.58%
iii)	ओबी हटाई (आर/एच के अलावा)	घन मी.	130.00	114.109	87.776	105.37	9.10	8.64%
iv)	उत्पादकता (ओएमएस)							
	यूजी	टन	0.27	0.19	69.84	0.24	-0.02	-8.33%
	आसी	टन	6.49	8.72	134.43	7.53	1.08	14.37%
	समग्र	टन	3.78	4.75	125.50	4.16	0.79	18.99%
v)	कोयले का उठाव	मि.टन	32.00	35.53	111.03	32.25	3.28	10.16%



## कोयला धुलाई एवं वाशरी उत्पादों का कार्य प्रदर्शन

स्टील सेक्टर को धुले हुए और सीधे फीड कोयले की आपूर्ति 2021-22 में 11.72 के मुकाबले 2022-23 में 14.22 लाख टन थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में (+) 21.30% की वृद्धि को दर्शाता है। वाशरी को कच्चा कोयला 44.20 लाख टन (एलटी) से अधिक हो गया है, जो पिछले 17 वर्षों में सबसे अधिक है।

(मिलियन टन)

Пест	2022-23		2021-22		2020-21	
प्रकार	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
उत्पादन						
धुला कोयला (सी)	1.862	1.434	1. 691	1 .209	0.684	0.750
धुला पावर कोयला	3.855	2.485	3.246	1.817	1.021	1.507
कुल	5.717	3.918	4. 937	3.026	1.705	2.257
धुले हुए कोयले की आपूर्ति		1.4221		7.48		8.35

## V. दृष्टिकोण

## क. उत्पादन का दृष्टिकोण (प्रोडक्शन आउटलुक)

- े बीसीसीएल में 2016-17 से प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन में गिरावट दिख रही है परंतु 2021-22 में गिरावट रूक गयी है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष पर्याप्त प्रगतिशील वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2016-17 में कोयला उत्पादन 37.04 मिलियन टन से घटकर 2020-21 के दौरान 24.66 मिलियन टन हो गया, लेकिन वर्ष 2021-22 में 30.51 मिलियन टन उत्पादन किया गया, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 36.18 मिलियन टन हो गया।

वर्ष 2016-17 से 2024-25 के दौरान परिकल्पित और हासिल उत्पादन वृद्धि

प्रकार	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
यूजी	1.68	1.08	0.9	1.04	0.61	0.81	0.686	1.425	2.68
विभागीय ओसी	11.62	9.73	9.96	7.72	7.52	8.37	9.653	9.260	9.50
हायर किए गए ओसी	23.74	21.8	20.18	18.97	16.53	21.34	25.840	30.315	32.82
कुल ओसी	35.36	31.53	30.14	26.69	24.05	29.71	35.493	39.575	42.736
कुल	37.04	32.61	31.04	27.73	24.66	30.51	36.179	41.00	45.00

## ख. विपणन दृष्टिकोण (आउटलुक)

- वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच ''आत्मिनर्भर भारत'' के तहत उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई जरूरतों सहित इस्पात उपभोक्ताओं के लिए घरेलू धुले कोयले की अधिक जरूरत है।
- नई वाशरियों के प्रतिस्थापन के साथ रिजेक्ट्स का अंबार एक बहुत बड़ी समस्या है और इस जगह की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि इस तरह के रिजेक्ट्स को बिजली घरों या दूसरे उपभोक्ताओं को परस्पर सहमत मूल्य या अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाए।
- तर्कसंगत मूल्य के साथ दूर वाले रिजेक्ट्स के उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता।
- ै ग्राहकों से अनुमानित ऑफ-टेक प्रतिबद्धता के अनुरूप खदान उत्पादन में वृद्धि।

#### ≻ ई-ऑक्शन

- एक मासिक ई-ऑक्सन कैलेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।
- ई-ऑक्सन में कुल बोली मात्रा का 100% उठाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है, तदनुसार क्षेत्रों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

- समय पर विक्रय आदेश जारी करने तथा डिस्पैच बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की परेशानीमुक्त उठाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) तैयार किया गया है।
- बाजार में बढ़ी हुई मांग के साथ, स्पॉट ई-ऑक्सन में पिछले कुछ वर्षों में अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है।
- उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से उपभोक्ता बैठक का आयोजन करना।
- एफएसए उपभोक्ताओं को गुणवघ्त्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक और विक्रय प्रबंधक को संवेदनशील बनाया जा रहा है तथा सड़क मार्ग से 100% उठाव को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- लंबे अंतराल के बाद, सेल के लिए धुले कोयले की आपूर्ति के लिए एमओयू मूल्य को यथोचित स्तर तक बढ़ा दिया गया है जबिक अन्य आरआइएनएल जैसे इच्छुक उपभोक्ता उच्च बोली मूल्य पर धुले कोयले को लेने आगे आये।
- सेल जैसे विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को धुले हुए पावर कोयले के प्रेषण को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विभिन्न वाशरियों में वर्तमान उच्च स्टॉक का परिशोधन करने में मदद करेगा और यह दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए ज्यादा जगह भी बनाएगा।

## ग. सतत विकास संबंधी दृष्टिकोण

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की पर्यावरण प्रबंधन अवधारणा है, जिसे बीसीसीएल के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा समर्पित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता है।

स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी परिसर में सोलर पावर एनर्जी के प्रतिष्ठापन पर बल दिया जा रहा है और उस दिशा में कई पहल की गई है जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र देखा जा सकता है। इसी प्रकार, कंपनी अत्याधुनिक 6 नई वाशरियां स्थापित कर रही है जो या तो चालू है या पूरा होने के विभिन्न चरणों में है जो कि स्वच्छ कोयले के उत्पादन में लंबा रास्ता तय करेंगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकेगा।

## VI. जोखिम एवं खतरे

- 1. भूमि अधिग्रहण के कारण सामने आने वाली चुनौतियाँ,
- 2. झरिया कार्य योजना का कार्यान्वयन,
- 3. घाटे में चलने वाली विरासत खदानें,
- 4. प्रौद्योगिकी उन्नयन और उपकरण उपयोग,
- 5. पर्यावरण और वन कानून का अनुपालन,
- 6. कोयले से असंगत प्राप्ति के कारण राजस्व में गिरावट,
- 7. सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और प्राकृतिक संसाधनों के विस्थापन के कारण परियोजना शुरू होने में देरी
- 8. खनन से उत्पन्न परिचालन सुरक्षा जोखिम
- 9. दिनांक 31.03.2020 को देंय 5% संचयी, गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों के मोचन और संबंधित लाभांश के कारण जोखिम

# VII. विविधता और मूल्य संवर्धन:

- > सीबीएम
- सीबीएम मूल रूप से 95% मीथेन और शेष मात्रा से थोड़ा अधिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और कार्बनडाइऑक्साइड से बना है।
   आमतौर पर खनन उद्योग में मार्श गैस के रूप में जाना जाता है। यह कोयला सीम का एक अंतर्निहित हिस्सा है जो इसमें अवशोषित होता है और यह वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है।
- सीबीएम का निष्कर्षण प्रमुख रूप से निम्नांकित लाभ प्रदान करता है:-
- प्राकृतिक गैस की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व सृजन के अवसर।
- यह सरकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बिजली के लिए स्वच्छ ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और वातावरण में मीथेन (एक ग्रीनहाउस गैस) के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के अनुरूप है।
- इन-सीटू मीथेन का निष्कर्षण कोल डिपोजिट के खान-क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।
- कोयला भंडार में मीथेन के गैसीकरण के कारण कोयला निकालने की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त लाभ नजर आते हैं। इससे आग एवं विस्फोट के खतरे की संभावना कम हो गई क्योंकि मीथेन को पहले ही निकाला जा चुका है, जिससे खदान के वेंटिलेशन में सुधार हुआ है।



# 🗡 बंद कोयला खदानों का मुद्रीकरण

संभावित बोलीदाताओं के माध्यम से बंद कोयला खदानों का मुद्रीकरण अच्छी मात्रा में राजस्व प्राप्त करने का अवसर खोल सकता है जो लंबे समय में कंपनी की स्थिरता में योगदान देगा। इस दिशा में, चार (4) बंद हो चुकी खदानों, अर्थात, पीबी प्रोजेक्ट, सालनपुर-एकेजीसी, लोयाबाद कोयला खदान, खरखरी को पहले ही उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में दिया जा चुका है। यदि यह उद्यम सफल होता है, तो यह न केवल कंपनी बल्कि स्थानीय आबादी के लिए भी अवसर पैदा करेगा।

# भू-अधिग्रहण- एक बड़ा मुद्दा

- समय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कुछ पैचों का उत्पादन प्रभावित हुआ।
- सीएस और आरएस खतियान में भिन्न-भिन्न प्रविष्टियां अनावश्यक कानुनी पचड़े और भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण बनती है।
- एलए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि और निहित भूमि को स्थानीय लोगों द्वारा ऑनर नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले को न्यायपालिका में ले जाया गया, जिससे भौतिक कब्जे के लिए काफी लंबा समय लगा।
- कोयले के भंडार को अनलॉक करने के लिए डीसी लाइनों को स्थानांतरित करना प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन जनता के दबाव के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

# क्षमता में वृद्धि

क्षमता (1 अप्रैल को) (सीएमपीडीआई द्वारा यथा निर्धारित) बीसीसीएल के उत्पादन की तुलना में							
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24							
क्षमता (मि.टन)	40.406	39.586	36.696	44.53			
उत्पादन (मि. टन)	24.66	30.511	36.179	लागू नहीं			
क्षमता उपयोग का %	71.77	83.265	98.59	लागू नहीं			

# बीसीसीएल की क्षमता में वृद्धि हेतु अपनाये गए दो आयामी दृष्टिकोण

# 1. अल्पकालिक क्षमता वृद्धि योजना:- छोटे एच-एचईएमएम पैचों के माध्यम से कम अवधि में उत्पादन बढ़ाएं-

	वार्षिक क्षमता (एमटीवाई) 2023-24	2024-25 के लिए यथानुपात क्षमता (एमटी)
भाड़े पर लिए गए एचईएमएम (सीएमपीडीआई के अनुसार)	30.37	33.33
विभागीय ओपनकास्ट (सीएमपीडीआई के अनुसार)	12.76	14.01
कुल ओपेनकॉस्ट	43.13	47.34
कुल अंडरग्राउंड	1.40	1.54
कुल क्षमता	44.53	48.88

#### VIII. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कॉरपोरेट शासन को उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए हमारी कंपनी के पास एक बेहतरीन स्थापित एवं मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं। निर्बाध निर्णय के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन विस्तृत रूप से किया गया है। संचालन दक्षता की निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। यह लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर नजर रखती है। कंपनी का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी के नव नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

#### IX. संचालन कार्य प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

वित्त वर्ष 2022-23 में, कंपनी का कर पूर्व लाभ ₹ 502.88 करोड़ था और शुद्ध लाभ ₹ 645.01 करोड़ था, जो लाभप्रदता में 162.86% एवं 477.86% की वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले वर्ष के क्रमशः कर पूर्व लाभ ₹ 191.31 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 111.62 करोड़ अधिक है।

वर्ष के दौरान लाभप्रदता में ऐसी वृद्धि का प्रमुख कारण निम्नलिखित कारकों को माना जा सकता है:-

• पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री की मात्रा में 9.06% की वृद्धि मुख्य रूप से परिचालन दक्षता और अनुकूल कारोबारी माहौल में वृद्धि के कारण हुई।

वित्तीय प्रदर्शन और विश्लेषण पर विस्तृत चर्चा निम्नलिखित है।

#### क. कुल आय

कंपनी की कुल आय में संचालन एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व शामिल है। कुल आय के उपर्युक्त दो मदों के तहत, कंपनी के प्रमुख राजस्व में कोयले की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य संचालन राजस्व जैसे ग्राहकों से प्राप्त सरफेस परिवहन शुल्क (एसटीसी), निकासी सुविधा शुल्क, बैंकों में साविध जमा पर अर्जित ब्याज, आदि शामिल हैं। पिछले वर्ष ₹ 10579.83 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आय ₹ 13698.25 करोड़ है, जिसमें 29.48% की एक की भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 3.25 मिलियन टन ऑफटेक में वृद्धि की वजह से हुई है (वित्त वर्ष 2020-21 में 32.28 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 35.53 मिलियन टन)। आय के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

#### 1. संचालन से प्राप्त राजस्व

#### क. कोयले की बिक्री

बिक्री की मात्रा में वृद्धि और अनुकूल मूल्य भिन्नता के कारण कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री राजस्व में भारी वृद्धि हासिल की है। हमारे कच्चे कोयले की बिक्री की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 2.42 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कोयले की आवश्यकता में वृद्धि और उच्च औसत प्राप्ति दर है। कंपनी ने एफएसए कोयले के तहत 29.54 मिलियन टन और ई-नीलामी मार्ग के तहत 1.57 मिलियन टन की आपूर्ति की और एफएसए बिक्री से ₹8447.24 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और ई-नीलामी के तहत कोयला खरीदने वालों से ₹1129.55 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। चालू वर्ष के दौरान धुले हुए कोयले और अन्य उप-उत्पादों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। धुले हुए कोयले और अन्य उप-उत्पादों की बिक्री से ₹2756.55 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ था, जो मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में वृद्धि और औसत बिक्री प्राप्ति में वृद्धि के कारण अर्जित किया गया।

#### ख. अन्य संचालन राजस्व:

## लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क

अन्य संचालन राजस्व का अधिकांश अंश ग्राहकों से वसूल किए गए सरफेस परिवहन शुल्क के मद से है। प्रेषण स्थलों तक कोयले की ढुलाई के लिए दूरी एवं तदनुरूप दरों के विभिन्न स्लैबों के तहत कंपनी द्वारा परिवहन लागत शुल्क लगाया जाता है। वसूले गए लोडिंग एवं परिवहन शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) पिछले वर्ष ₹ 496.778 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 733.19 करोड़ था। यह वृद्धि प्रेषण की मात्रा में वृद्धि और प्रेषण की उच्च लीड के कारण हुई थी।

#### निकासी सुविधा शुल्क

रैपिड लोडिंग व्यवस्था के माध्यम से किये प्रेषण (डिस्पैच) को छोड़कर, सभी प्रेषण पर ₹ 60 प्रति टन के हिसाब से निकासी सुविधा शुल्क लगाया जाता है। पिछले वर्ष ₹ 185.50 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान निकासी सुविधा शुल्क (सभी लेवियों को शुद्ध) के मद में कुल राजस्व ₹ 214.40 करोड़ था। यह वृद्धि प्रेषण की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई थी।

#### 2. अन्य आय

वर्ष के दौरान, अन्य आय वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 451.97 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 417.32 करोड़ हो गई। इस राशि में अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज, ठेकेदारों/ग्राहकों से वसूला गया जुर्माना और उन प्रावधानों/देनदारियों को वापस लिखना शामिल है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।

#### ख.व्यय

व्यय के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्नलिखित है:

#### क.) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय कुल लागत में सबसे बड़ा घटक है और यह कुल लागत का लगभग 55.76% है। वर्ष के दौरान कर्मचारी हित लागत पिछले वर्ष ₹ 5788.32 करोड़ की तुलना में ₹ 7358.12 करोड़ था।

यह वृद्धि गैर-अधिकारी वेतन संशोधन, वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए में वृद्धि आदि के लिए लंबित NCWA-XI के प्रावधान के कारण थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, स्थानांतरण आदि के कारण कर्मचारियों की संख्या में 1878 की शुद्ध कमी हुई है।



#### ख.) संविदात्मक व्यय

संविदात्मक व्यय में मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किया गया कोयला, बालू तथा अन्य सामग्रियों का परिवहन शुल्क, बैगन लोडिंग संचालन से संबंधित ठेकेदार खर्च, हैवी अर्थ मोविंग मशीनरी से कोयला निष्कर्षण तथा ओवरबर्डन हटाने की गतिविधियों के लिए हायरिंग शुल्क और तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किये गए अन्य विविध कार्यों की लागत से संबंधित व्यय शामिल है, जैसे खानों के आस-पास हाँल रोड का रखरखाव तथा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि।

संविदात्मक व्यय 21.88% यानी ₹429.24 करोड़ बढ़ गया। वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1962.11 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 2391.35 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वाशरी में धुलाई शुल्क में वृद्धि और डीजल वृद्धि, वेतन वृद्धि जैसे कारकों के कारण संविदात्मक व्यय में वृद्धि हुई।

### ग.) वित्त लागत

उधारियां (र करोड में)

		( , , , , , ,
	31.03.2023	31.03.2022
ब्याज खर्च		
डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	55.69	48.60
समूह के भीतर पार्क फंड	-	-
फेयर वैल्यु परिवर्तन (कुल)	-	-
अन्य उधारियाँ	-	29.15
कुल	55.69	77.75

### घ.) स्टिपिंग गतिविधि समायोजन

स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (संदर्भ 2.19) के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक मिलियन टन तथा उससे अधिक मुल्य क्षमता वाली खदानों के लिए गणना की जानी है। स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मुल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोल) पर ली जाती है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात-भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन होता है। वर्तमान में पांच खदानों में ऐसा समायोजन किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक आंकडे इस प्रकार है:

			31.03	.2023	31.03	.2022
	मानक स्ट्रिपिंग रेशियो	वर्तमान स्ट्रिपिंग रेशियो	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एसीयूएम)	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एलसीयूएम)
एएमपीसी, बरोरा क्षेत्र	1.87	1.43	19.03	27.16	14.36	18.07
एकेडब्लूएमसी, कतरास क्षेत्र	2.60	2.18	38.28	83.35	41.95	87.12
गोलकडीह, बस्ताकोला क्षेत्र	4.04	3.00	27.26	81.88	25.94	102.25
दहीबारी बसंतीमाता ओसीपी, सीवी क्षेत्र	3.03	1.77	6.16	10.91	7.82	21.22
समामेलित एनटी/एसटी कुजामा, लोदना क्षेत्र	3.87	2.50	60.50	151.19	38.15	110.38
कुल			151.23	354.49	128.22	339.04

#### ङ.) अन्य व्यय

वर्ष के दौरान अन्य व्यय ₹ 165.54 (19.15%) बढ़ गया है। यह वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 864.36 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹1029.90 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष में मुख्य रूप से दरों एवं करों, विलंब शुल्क, किराया शुल्क, सीएमपीडीआईएल और सुरक्षा शुल्क के कारण अन्य खर्चों में वृद्धि हुई है।

# च. नकदी प्रवाह (सारांश)

(र करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को स	माप्त वर्ष के लिए
	2023	2022
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	617.33	48.67
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	1641.84	3300.23
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(1601.61)	(582.07)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(70.94)	(2149.50)
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में परिवर्तन (कुल वृद्धि/कमी)	(30.71)	568.66

# छ. शुद्ध-संपत्ति

दिनांक 31.03.2023 को कंपनी की शुद्ध-संपत्ति (+) ₹ 3771.24 करोड़ थी।

- X. मानव संसाधन में भौतिक विकास, औधोगिक संबंध के फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या सहित यह मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।
- XI. पर्यावरणीय बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण यह मुख्य रिपोर्ट में शामिल है।

#### XII. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर के लिए एक अलग परिशिष्ट दिया गया है।



# परिशिष्ट - V





(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग) धनबाद-826005 (झारखंड)

CIN No. U10101972GOI000918

# मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

सेवा में, निदेशक मंडल बीसीसीएल, धनबाद।

एतद्द्वारा, 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों के प्रमाणन के आधार पर, वित्तीय कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होने के नाते मैं समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), और राकेश कुमार सहाय, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल, यह प्रमाणित करता हूँ कि:-

- क. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- i. इन विवरणों में वस्तुतः कोई भी असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;
- ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2023 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्त आंतरिक नियंत्रणों या संचालन की किमयों के संबंध में भी लेखा परीक्षकों तथा लेखा समिति के समक्ष खुलासा करते हैं, यदि कोई हो तो, तािक वे इस बात से अवगत रहें और इन किमयों को दर करने हेत् उचित कदम उठा सकें।
- घ. हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-
- i. संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है,
- ii. इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
- iii. हमें निम्नलिखित के अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी के किसी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने की जानकारी नहीं है:क.लोदना क्षेत्र के एक टेंडर में निविदा समिति सदस्य द्वारा एल-1 निविदाकर्ता के पक्ष में कार्य देने की सिफारिश के बाद भी मनमाने ढंग से बीसी एवं एफसी निरस्त करने में अनियमितता। दिनांक 26.05.2022 को विजिलेंस केस नं. CB/01/2022 पंजीकृत है।
- क. लोदना क्षेत्र के एक टेंडर में निविदा समिति सदस्य द्वारा एल-1 निविदाकर्ता के पक्ष में कार्य देने की सिफारिश के बाद भी मनमाने ढंग से बीसी एवं एफसी निरस्त करने में अनियमितता। दिनांक 26.05.2022 को विजिलेंस केस नं. CB/01/2022 पंजीकृत है।
- ख. पूर्वी एरिया में बीसीसीएल के क्वार्टर के हैंडओवर और टेकओवर में गड़बड़ी पाई गई। दिनांक 17.06.2022 को विजिलेंस केस नं. CB/02/2022 पंजीकृत है।
- ग. तीन निजी कोयला ट्रांसपोर्टरों द्वारा जनवरी, 2021 से मई, 2021 की अवधि के दौरान फीडर ब्रेकर के माध्यम से कुईयां ओसीपी के विभिन्न कोयला डंपों से सीके साइडिंग तक कोयला परिवहन के कार्य में अनियमितताएं। दिनांक 22.09.2022 को विजिलेंस केस नं. CB/04/2022 पंजीकृत है।
- घ. ठेके के नियम एवं शर्तों का कथित उल्लंघन और ईपीएफ की सही राशि जमा नहीं करने का आरोप। दिनांक 07.12.2022 को विजिलेंस केस नं. सीए/01/2022 पंजीकृत है।

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीसीसीएल

स्थान: धनबाद दिनांक: 24.04.2023

# परिशिष्ट - VI

# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, भारत कोकिंग कोल के सदस्य	
एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट	
अभिमत	
हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, इसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र,उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सिहत), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इन्हें अब 'एकल वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) सम्मिलत हैं। इसमें कंपनी के क्षेत्र/इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 17 (सत्रह) यथा, (1) बरोरा क्षेत्र, (2) ब्लॉक-2 क्षेत्र, (3) गोविन्दपुर क्षेत्र, (4) कतरास क्षेत्र, (5) सिजुआ क्षेत्र, (6) कुसुन्डा क्षेत्र, (7) पी. बी. क्षेत्र, (8) बस्ताकोला क्षेत्र, (9) लोदना क्षेत्र, (10) पूर्वी झरिया क्षेत्र, (11) सी वी क्षेत्र, (12) दाहीबाड़ी वाशरी, (13) पश्चिमी झरिया क्षेत्र, (14) वाशरी डिवीजन, (15) मधुबन कोल वाशरी, (16) माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा (17) भूली टाउनशिप क्षेत्र में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए किया गया लेखा परीक्षण विवरण भी शामिल है।	
हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष को लाभ व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी प्रवाह अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाए और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है।	
अभिमत के लिए आधार	
हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	

	स्वतंत्र लेखा परीक्षक व	<b>ती रिपोर्ट</b>	प्रबंधन की टिप्पणी
ह ह ए र	<b>ग्हत्वपूर्ण मामले</b> इम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित क ह) व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं के तह हिष्ट / समाधान जिसका वित्तीय विवरणों पर परि केया जा सकता है। इपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित	त एसी किसी शेष राशि से संबंधित लंबित णामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं	व्यापार प्राप्तियों का समाधान निरंतर होता है। लंबित समाधान में तेजी लाने के प्रयास किए गए हैं।
1	गुख्य लेखा परीक्षा मामले		
1 1 7 7 8	मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वेवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्व अमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इन पर हम अमने इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं आने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को नीचे प्र		
क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
1.	स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन	मूललेखा परीक्षा प्रक्रिया	
	ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले की सीम तक पहुंचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान मलबा सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को हटाया जाना आवश्यक है । मलबा हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपेंग' के रूप में जाना जाता है। ओपनकास्ट खानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक (तकनीकी रूप से अनुमानित) इस तरह के खर्चों को उठाना पड़ता है।  इसलिए एक नीति के रूप में, खदान से राजस्व प्राप्त होना शुरू होने के बाद स्ट्रिपेंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस एकाउंट के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खदान के लिए एक मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक की क्षमता वाले खदानों में, स्ट्रिपेंग की लागत का मूल्यांकन तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपेंग अनुपात (OB: COAL) पर किया जाता है।  बैलेंस शीट तारीख में स्ट्रिपेंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस के कुल शेष को गैर-प्रचलित प्रावधान/अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां जैसा भी मामला हो शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपेंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दिखाया गया है।	<ul> <li>स्ट्रिपिंग समायोजन के सिक्रय आंकड़ों को प्राप्त कर जाँच किया कि वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए गए खर्चों की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया।</li> <li>जाँच की गयी कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की गयी और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला गया।</li> <li>विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर खर्चों के औचित्य के विवरण का परीक्षण किया।</li> <li>जांच की गई कि स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के लिए इस्तेमाल की गई लेखांकन नीति और प्रबंधन के निर्णय उचित हैं।</li> <li>अपनायी गयी प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट पाया है।</li> </ul>	

	स्वतंत्र लेखा परीक्षक व	प्रबंधन की टिप्पणी	
ял. - स	मुख्यलेखा परीक्षा मामले  रिकार्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना करने के तौर पर माना जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गयी मात्रा के बीच विचरण अनुमेय सीमा के भीतर है। हालाँकि, जहाँ विचरण ऊपर की अनुमेय सीमाओं से परे है, मापी गई मात्रा को माना जाता है।  वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि तथा टिप्पणी 21 का विवरण देखें	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	त्रवया वर्गा । इ.च्युजा
2.	ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व  राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान, चिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन संव्यवहार मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान अभिज्ञात राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए पैमाने का औचित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।  एकल वित्तीय विवरणों के लिए संदर्भ सं. 38.15.(1) देखें	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया  हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:  • नये राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया।  • ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन कर राजस्व स्ट्रीम पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया तथा उन राजस्व स्ट्रीम संबंधी वर्तमान अविध में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया।  • राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया एवं प्रासंगिक प्रकटीकरण की संपूर्णता तथा गणितीय विशुद्धता का आकलन किया।  हमने यह पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के आकलन एवं निर्णयों को आय के अभिज्ञान में उचित है।	
3.	अनिश्चित कर स्तरों का मूल्यांकन कंपनी के पास विवादित मामलों सहित मूर्त अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए 38.4.(a) संदर्भ का अवलोकन करें।	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:-     आस्थिगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्प्राप्ति तथा वर्तमान कर प्रावधान संबंधी नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं डिजाइन का मूल्यांकन किया।	

	स्वतंत्र लेखा परीक्षक व	प्रबंधन की टिप्पणी	
क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
		अनिश्चित कर स्थिति के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रावधानों की वैधता एवं पर्याप्तता पर विचार किया गया, मूल्यांकन के आधार की जांच करना और प्रासंगिक पत्राचार और कानूनी सलाह की समीक्षा करना, जहां उपलब्ध हो, इसमें प्रासंगिक कर अधिकरण में समान मामले से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध हो।      आस्थगित कर संपत्ति के समर्थन में पर्याप्त आगामी कर योग्य आय उत्पन्न करने की	
		संभावना सहित प्रबंधन के पूर्वानुमान और प्राकल्लन की उपयुक्तता का आकलन किया।	
		उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया के आधार पर हमने वर्तमान और आस्थिगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के विषय में प्रबंधन के आकलनों की पृष्टि करने के लिए पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किया।	
Ц		, , , ,	
4	कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना दायित्व का मूल्यांकन	मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमारे लेखा प्रक्रियाओं में शामिल है:-	
	परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन, बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है जो दायित्व को मापने, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने तथा संबंधित बीमांकिक लाभ हानि की गणना करने के लिए आवश्यक है।	<ul> <li>लागू गाइडेंस नोट के अनुसार (कटौती दर, मुद्रास्फिति दर, मृत्यु दर) लागू मूल मान्यताओं का मूल्यांकन किया।</li> <li>कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का मूल्यांकन किया।</li> </ul>	
	कंपनी में परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में कटौती दर, मुद्रास्फीति दर तथा मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं।	बीमांकिक पुर्वानुमान का अनुमोदन तथा समीक्षा पर नियंत्रण तथा भौतिक बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता व एकरूपता तथा विशेषज्ञों की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया।	
	कंपनी समुचित पूर्वानुमान और दायित्व की गणना में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन के अतिरिक्त है तथा परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में	<ul> <li>निर्धारित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के विषय में प्रबंधन से चर्चा की गई और यदि पुर्वानुमान में कोई विसंगति थी तो उसका आकलन किया गया।</li> <li>भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विवरणों में</li> </ul>	
	आकलन की एक उच्च डिग्री है क्योंकि यह मान्यताओं की पूर्वाधारणाओं के अनुरूप है। एकल वित्तीय वक्तव्यों के लिए 38.3 के टिप्पणी देखें।	कंपनी के प्रकटीकरण की उपयुक्तता सत्यापित है। सम्मिलित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन संबंधी प्रबंधन द्वारा किया गया पुर्वानुमान उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित है।	
Ш			

	स्वतंत्र लेखा परीक्षक व	ती रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
_ ((.	-		
ि	वेत्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	के अलावा अन्य जानकारी	
वं		नए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट	
3	गौर उसके अनुबंध, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान व विका	स और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और	
ि	वेश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण	और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।	
ि	नेदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपो	र्ट, अनुसंधान और विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन और	
प्र	बंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट	की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गयी है और	
उ	म्मीद की जाती है कि इस लेखा रिपोर्ट की तिथि के बाद ह	में उपलब्ध होगी।	
ि	वेत्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नह	ीं करती है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन	
	नेष्कर्ष नहीं देते हैं।		
	वेत्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम	**	
	पलब्ध हो जाएं, तो इन्हें पढ़ें और ऐसा करके विचार करें वि		
₹	प्प से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमार	ा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।	
3	नब हमें निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएस	। अार रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और	
R	बंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुए और हमने इन्हें ए	गढ़ा,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री	
1	ालत है, तो हमें इस मामले को संबंधित व्यक्ति (those c	harged with governance) के पास ले जाना होगा	
3	भौर स्वीकार्य कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू कार्रव	ग्राई के बारे में बताना होगा।	
ि	वेत्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:		
	प्पनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की ध		
	ल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक औ	27	
	ननुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाब		
	दर्शन, कुल आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्र	•	
	त्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी ।		
	र्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्या		
	वेत्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंत ग्नुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकर		
	न्तुरक्षण जा वित्ताय विवरणा का तयारा आर प्रस्तुताकर स्तुत करें, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प	· · ·	
*	रपुर कर, कारार्जनावाचन के आवजाता के जानुलय व	नात राजा राजाचा चा अनुरंपाच साम्मारास छ।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है।	
वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा स्वीकार्य, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा का चालू प्रतिष्ठान आधार पर प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या कोई वास्तविक विकल्प न होने का इरादा रखता हो। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेश मंडल भी जिम्मेदार हैं।	
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व	
हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक खातों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा वित्तीय गलितयों (होने पर) का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यिद, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो। एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम:	
<ul> <li>वित्तीय विवरणों की गलितयों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलितयों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलितयों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतिरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।</li> <li>इन परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के प्रासंगिक . आंतिरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतिरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावशीलता है।</li> </ul>	
<ul> <li>उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।</li> </ul>	
• प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई मैटेरियल अनिश्चिततामौजूद है, तो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों में संबंधित डिस्क्लोजर के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे डिस्क्लोजर अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं।हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
• डिस्क्लोजर सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है।	
मैटिरियलिटी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि (मैग्नीट्र्युड ऑफ मिसस्टेटमेंट) है, जो कि वैयक्तिक या समेकित रूप से संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गयी त्रुटि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिएमात्रात्मक मैटिरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से (those charged with governance)अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञातअन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्रव समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा तथ्योंके बारे में सूचित करते हैं।	
हम जिम्मेदार लोगों को एक विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं।	
जिम्मेदार लोगों को सूचित किए गए मामले में, हम वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, का निर्धारण करते हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में जन हित मामले के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले को नहीं दिया जाना चाहिए।	
अन्य मामले हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 17 क्षेत्र/इकाइयों के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को वित्तीय विवरणों में दी गयी जानकारी के अनुसार इन क्षेत्र/इकाइयों की कुल संपत्ति ₹ 5,763.86 करोड़ तथा कुल आय ₹ 13,576.17 करोड़ दर्शायी गयी है। इन क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण क ्षेत्र/इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन क्षेत्रों/इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त क्षेत्र / इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारे मंतव्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है।	
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट	
1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमनेअनुलग्नक – I में लेखा की सुझायी कार्यप्रणाली के अनुपालन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेश एवं अतिरिक्त निर्देशों और इसके बाद हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर एक विवरण दिया है। यह विवरण कंपनी	

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

#### प्रबंधन की टिप्पणी

- के क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को उनके लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में शामिल करके तैयार किया गया है।
- 2. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हम अनुलग्नक - II में लेखा के तहत वर्ष के लिए लागू सीमा के क्रम सं.3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।
- 3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों कोप्राप्त किया,जो हमारे लेखा के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए श्रेष्ठ थे।
- ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसारउपयुक्त बही-खाता को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह हमारे द्वारा इन बही-खता की जांच से प्रतीत होता है तथा लेखा प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित रिटर्न को हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्र/इकाइयों से प्राप्त किया है।
- ग. क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षितकंपनी के क्षेत्र / इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने इन पर सही तरीके से काम किया है।
- घ. बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण के प्रासंगिक बही खाते और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रों/इकाइयों से प्राप्त रिटर्न से तालमेल रखते हैं।
- ङ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए।
- च. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E) दिनांक 05-06-2015, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) सरकारी कंपनी पर लाग् नहीं होती
- छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक – III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय हमारी जानकारी और ऑडिट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण:
- i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार 38.4.(a) नोट का संदर्भ लें;
- ii कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी मूर्त त्रुटि नुकसानदेह थी - एकल वित्तीय विवरण के नोट 38.4.(e).ii का संदर्भ लें।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना	
iv. आवश्यक थी।	
(क) प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा खातों दिये	
गए टिप्पणियों के अलावा, कोई धन अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है अथवा निवेश नहीं किया	
गया है (ना ही उधार-धनराशि या ना ही शेयर प्रीमियम या ना ही किसी अन्य स्रोत से) अथवा किसी	
अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, विदेशी संस्थाओं में ("मध्यस्थ या सीधे तौर पर")	
लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश किया	
गया है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी	
तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं;	
   (ख)प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों	
में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), विदेशी	
संस्थाओं से ("फंडिंग पार्टियां") लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निधि	
प्राप्त नहीं की गई है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी,	
सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं; और	
(ग) उक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने इन परिस्थितियों में इसे उचित एवं उपयुक्त माना है;	
हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) एवं (ख) के	
तहत की गई घोषणा में कोई तथ्यात्मक विवरण गलत है।	
v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषित या भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए	
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।	
vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खातों का रखरखाव करने के लिए कंपनी (लेखा)	
नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने	
की सुविधा है तथा यह कंपनी पर दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है और तदनुसार, 31 मार्च,	
2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 का	
नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	
I	

# कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 302081E

# (सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार,

सदस्यता सं. ४०२२०३

यूडीआईएन- 23402203BGROLN1131

तारीख : 24.04.2023

स्थान : धनबाद

# कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

# राकेश कुमार सहाय

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2023 स्थान : धनबाद



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-I

वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निदेश तथा अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के विवरण पर लेखा रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' के पैरा 1में संदर्भित जैसा कि कंपनी के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया है।

# परिशिष्ट-क: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी ने 1 अगस्त 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी परंपरागत पुरानी प्रणाली 'कोल-नेट' की जगह एक नये ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर - 'एसएपी' को अपना लिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस एप्लिकेशन में कंपनी की गहन आवश्यकताओं को पूरा करने, व्यवसायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं।	कंपनी ने 1 अगस्त, 2021 से चरणबद्ध तरीके से सैप (SAP) प्रणाली को अपना लिया है। सैप (SAP) में सभी लेन-देन के लिए उचित सावधानी बरती जाती है, और इसलिए पता लगाने योग्य कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होता है।
2) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता केकारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का पुनर्गठन / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वितीय प्रभाव को बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखा परीक्षा किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	वित्तीयवर्ष 2022-23 के दौरान मौजूदा ऋण या छूट के मामले / ऋण को बट्टे-खाते में डालना/ऋण/ब्याज इत्यादि के पुनर्गठन के इन मामले नहीं देखे गए हैं।	वित्तीय विवरणों में प्रकट करने के अलावा कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जेआरडीए के तहत कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त ₹ 1.75 करोड़ को छोड़कर केंद्रीय / राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं हुआ है। इस राशि को इसकी नियम एवं शर्तों के अनुसार समुचित तरीके से प्रयोग किया गया।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

### कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार.

सदस्यता सं. 402203

यूडीआईएन- 23402203BGROLN1131

तारीख: 24.04.2023

स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ डीआइएन - 10122335

तारीख: 24.04.2023

स्थान : धनबाद

# अनुलग्नक-ख : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

	4. 11 of 4. 14. 2015 4. of 3.0 4. 115 (5) 4. 1161. of	वित्तीय विवरणों पर की गई
विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या येलो बुक की दृष्टि से कोयला स्टॉक की माप की गयी है? क्या फिजिकल स्टॉक मापी रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शा के साथ जुड़ी है? वर्ष के दौरान तैयार किया गया यदि कोई, नया हीप है तो क्या उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त किया गया है?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हीप के कोयला स्टॉक की माप समोच्च नक्शा के अनुसार किया जा रहा है। कोल स्टॉक डंप को कोलियरी द्वारा निर्धारित स्थलों पर बनाया जाता है, इसके लिए अग्रिम रूप से कोयले की डंपिंग से पहले समोच्च प्लान तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में छोटे स्टॉक जिसकी रेखागणितीय आकृति जटिल है और वे समोच्च नक्शा/लेवल सेक्शन का प्रयोग करते हुए मापनके लिए उपयुक्त नहीं है, को परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है, चाहे ऐसे स्टॉक का समोच्च नक्शा प्लान हो तोभी। स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च प्लान के साथ होती है। वाशरी के लिए स्लरी रिजेक्ट्स और मिडलिंग का स्टॉकबीसीसीएल द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पहले से ही वाशरी के प्रारंभ होने के समय से ही तैयार किया जा रहा है। हीप, विशेष तौर पर रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के, का आकार और आकृति बड़ी होती है। सभी आकार एवं आकृति के हीप का समोच्च नक्शानहीं है, उनको परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान बनाए गए नए हीपों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
2) क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/विखंडित/पुनर्संरचना के वक्त संपत्ति एवं पिरसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया? यदि हाँ तो क्या संबंधितअनुषंगी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है ?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीसीसीएल के किसी भी क्षेत्र का विलय/बिखंडन/पुनर्संरचना करने का कोई मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3) क्या सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बना कर रखा गया है। साथ ही खाता की निधि के उपयोग की भी जांच होती है।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के लिए खदानवार अलग-अलग एस्क्रो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एस्क्रो खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए दंड पर विधिवत तरीके से विचार किया गया और लेखा-जोखा दिया गया है।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2023 को लगाए गए अवैध खनन के कारण कोई मांग नहीं की गई है। यद्यपि, डब्ल्यू पी (सी) सं. 114/2014 सामान्य उपबंध बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2017 को दिए गए फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/खदानों/कोलियरियों से संबंधित ₹ 17344.46 करोड़ की डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालत एवं कानूनी राय से प्राप्त निर्णय के आधार पर उपर्युक्त मांग को खारिज कर दिया गया है। इसे लेखा की अतिरिक्त टिप्पणियों में सं. 38.4.(a).ii. में उपयुक्त रूप से दिखाया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
5) क्या कोलनेट पोर्टल से सैप (SAP) में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/ प्रमाणन किया गया है।	आज की तारीख तक कोल-नेट पोर्टल से सैप (SAP) में डेटा के स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन नहीं किया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार,

सदस्यता सं. 402203

यूडीआईएन- 23402203BGROLN1131

तारीख : 24.04.2023 स्थान : धनबाद कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ डीआइएन - 10122335

> तारीख : 24.04.2023 स्थान : धनबाद



## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II।

[हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं" पैरा-2 में निर्दिष्ट है]

#### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन का जबाव हमारी राय में ऐसी समुचित जांच-पड़ताल एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें दी गई सूचना/जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में: क) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरणों एवं स्थिति को शामिल करते हुए तथ्यात्मक विवरण संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का रखरखाव कर रही है। (ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों के संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का उचित रखरखाव कर रही है; ख)कंपनी ने उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है और उक्त सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पायी गई है। ग)वित्तीय विवरणी में घोषित सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को विधिवत रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-क्या प्रमोटर. सकल धारित अवधि नाम से निदेशक संपत्ति का जहां उपयुक्त आयोजित या उनके कंपनी के नाम पर नहीं होने का मूल्य विवरण हो, सीमा का रिश्तेदार (र करोड़ में) इंगित करें या कर्मचारी हैं 1. बीसीसीएल के कब्जे में कुल 18682.95 हेक्टेयर (फ्रीहोल्ड और अन्य भूमि) में से, 17840.084 हैक्टेयर भूमि फ्री होल्ड भूमि और 842.111 हेक्टेयर अन्य भूमि है। 2. कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण और श्रम कल्याण संगठन सहित केंद्रीय चिकित्सालय के साथ चार अन्य अस्पतालों, भारत सरकार के माईस रेस्क्यू केवल कंपनी स्टेशनों, सेल की चार वाशरियों, पूर्व के कोल बोर्ड एवं सेंट्रल झरियाँ द्वारा सीधे परियोजनाओं के अधिग्रहण के समय भारत सरकार द्वारा कंपनी को 16692.629 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित किया गया। कोयला खान खरीदे जाने के पूर्ण विभिन्न (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 सहित कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं स्वामित्व 128.80 मामले में लागू नहीं तिथियां विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज का वाली भृमि (1147.455 प्रश्न कानून में नहीं उठता है, क्योंकि इसका अधिकार, स्वामित्व एवं हित पूरी हेक्टेयर) तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत निहित है और कंपनी को हस्तांतरित भूमि का प्रयोग, एक सरकारी कंपनी के नाते बीसीसीएल द्वारा किया जाता है। 3. अन्य सभी अधिग्रहीत भूमि का स्वामित्व विलेख कंपनी के पास है और उसका दाखिल-खरिज भी केंपनी के पक्ष में हो चुका है, फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित होने के कारण यह प्रक्रियाधीन है। 838.247 हेक्टेयर भूमि अन्य भूमि की श्रेणी में है, जिसे कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973, कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। लोयाबाद स्टेशन पर 3.864 हेक्टेयर रेलवे भूमि विभिन्न को मार्च 2022 से 35 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई है। अन्य भूमि लाग् नहीं 33.21 लाग् नहीं तिथियां

#### प्रबंधन का जबाव

- घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है या लंबित है।
- (ii) (क) कंपनी के पास उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित स्टॉक है। स्टॉक के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पायी गई है।
  - (ख)वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की असुरक्षित कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। ऐसे प्रतिबंधों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

बैंक का नाम	स्वीकृत सीमा (कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण/ अल्पकालिन ऋण	31.03.2023 तक बकाया'
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	₹ 850.00 करोड़	शून्य
एक्सिस बैंक लिमिटेड	₹ 200.00 करोड़	शून्य
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	₹ 50.00 करोड़	शून्य

\*वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है।

हालांकि, वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान कंपनी को मौजूदा संपत्ति के ज़ामानत के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से 5 करोड़ से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई थी।

- (iii) वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया गया है अथवा कोई सुरक्षित या असुरक्षित गारंटी अथवा जमानत अथवा किसी प्रकार के ऋण की मंजूरी या ऋण के रूप में अग्रिम, नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii)(a) से 3(iii)(f) लागू नहीं है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के एवज में किसी ऋण की मंजूरी नहीं दी है अथवा निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दी है अथवा कोई जमानत नहीं दी है।। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iv) लागू नहीं होता है।
- (v) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे जमा माना जाय। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) लागू नहीं होता है।
- (vi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप- धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नियत किया है और हमारी राय में कंपनी निर्दिष्ट के रूप में उक्त खातों एवं रिकॉर्डों को तैयार कर उसका रखरखाव कर रही है।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया उचित प्राधिकारों के पास जमा करने में नियमित है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक सांविधिक देय का ऐसा कोई बकाया नहीं है, जो भुगतेय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि का बकाया हो।
  - (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का कोई वास्तविक बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है। फिर भी, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, वस्तु एवं सेवाकर एवं मूल्य वर्धित कर के जिन बकाये को कंपनी द्वारा विवाद के मद में जमा नहीं किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:



प्रबंधन का जबाव

क्र.सं.	अधिनियम का नामसं.	देय राशि की प्रकृति	मांग राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण, जहां विवाद लंबित है
			179.98	2019-20	एओ, धनबाद
			0.05	2017-18	एसीआईटी, धनबाद
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/टीडीएस/ टीसीएस	24.91	2010-2021	जेसीआईटी टीडीएस धनबाद
	1701		37.48	2014-15 से 2019-20	सीआईटी धनबाद
			45.89	2007-08 से 2016-17	सीआईटी (ए) टीडीएस
			52.24	2007-08 से 2019-20	सीआईटी (ए) धनबाद
			548.82	22006-07 से 2013-14	आईटीएटी, रांची
	जेवैट (JVAT) अधिनियम, 2005 व्याग्वंद वैट		2.23	2012-13	एसीसीटी
			157.12	2007-08 से 2020-21	डीसीसीटी
2		अधिनियम, 2005 झारखंड वैट	229.50	1999-00 से 2016-17	जेसीसीटी
	शारखंड बंट	46.95	2006-07 से 2012-13	सीसीटी/ अपील	
			0.27	2016-17	ट्रिब्यूनल रांची
3	बीएसटी (BST) अधिनियम, 1959	बिहार सेल्स टैक्स	11.34	1980-81 से 2006-07	अपीलीय अदालत
			0.66	2011-12 से 2014-15	एसीसीटी
	सीएसटी (CST)		131.48	1980-81 से 2019-20	डीसीसीटी
4	अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	311.98	1999-2000 से 2019-20	जेसीसीटी
		17.14	1979-80 से 2010-11	सीसीटी/ अपील	
			0.53	2011-12 से 2014-15	ट्रिब्यूनल रांची
5	डब्ल्यूबी पीई (WB PE) अधिनियम, 1973 और डब्ल्यूबी आरईपी (WBREP) अधिनियम, 1976	ग्रामीण शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा उपकर	13.46	1995-96 से 2007-08	डब्ल्यूबी ट्रिब्यूनल

#### प्रबंधन का जबाव

क्र.सं.	अधिनियम का नामसं.	देय राशि की प्रकृति	मांग राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण, जहां विवाद लंबित है
	एमएमआरडी (MMRD) अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	171.98	1977 से 2014-15	प्रमाणन अधिकारी, धनबाद
6			4.47	2005-06	कोयला मंत्रालय
			166.59	1979-80 से 2012-13	झारखंड उच्च न्यायालय
			1.40	1994-95 से 2006-07	सुप्रीम कोर्ट
	ईडी (ED) अधिनियम, 1948	बिजली शुल्क	7.43	2002-03 से 2016-17	डीसीसीटी
7			16.09	2006-07 से 2016-17	जेसीसीटी धनबाद
			6.61	2005-06 से 2017-18	सीसीटी, रांची
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	4.95	2014 से मार्च, 2017	सेस्टेट कोलकाता
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	46.96	11 मार्च से जून, 2018	आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), रांची
9			211.32	2021-22	ट्रिब्यूनल
			7.53	मार्च, 86 से 2015-16	झारखंड उच्च न्यायालय
10	एसजीएसटी (SGST) अधिनियम, 2017	जीएसटी	188.01	2017-18	झारखंड उच्च न्यायालय
12	होल्डिंग टैक्स	होल्डिंग टैक्स	252.23	2015-16	झारखंड उच्च न्यायालय
	कुल		2,897.61		

<sup>(</sup>viii) कंपनी को ऐसे लेन-देन से संबंधित कोई मामला नहीं मिला है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया था।

#### प्रबंधन का जबाव

- (ix)(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है।
  - ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में घोषित नहीं किया गया।
  - ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और न ही वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण था। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) (c) लागू नहीं होता है।
  - घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है। तद्रुसार, आदेश का पैरा  $3(\mathrm{ix})(\mathrm{d})$  लागू नहीं होता है।
  - ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है:
  - च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।
- (x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है। तदन्सार, आदेश का पैरा 3(x) (ए) लाग् नहीं होता है।
  - (ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
  - (ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पायी गई। तथापि सतर्कता विभाग ने दिनांक 05-04-2023 के अपने पत्र के जिरए कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए धोखाधड़ी के निम्नलिखित मामलों की जानकारी हमें दी है, जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

क्र.सं.	केस सं./ एफआईआर नं.	केस के विवरण	
1.	दिनांक 26.05.2022 को पंजीकृत CB/01/2022	लोदना क्षेत्र के एक टेंडर में निविदा सिमिति सदस्य द्वारा एल-1 निविदाकर्ता के पक्ष में कार्य देने की सिफारिश के बाद भी मनमाने ढंग से बीसी एवं एफसी निरस्त करने में अनियमितता।	
2.	दिनांक 17.06.2022 को पंजीकृत CB/02/2022	पूर्वी एरिया में बीसीसीएल के क्वार्टर के हैंडओवर और टेकओवर करने में अनियमितता।	
3.	दिनांक 22.09.2022 को पंजीकृत CB/04/2022	तीन निजी कोयला ट्रांसपोर्टरों द्वारा जनवरी, 2021 से मई, 2021 की अवधि के दौरान फीडर ब्रेकर के माध्यम से कुईयां ओसीपी के विभिन्न कोयला डंपों से सीके साइडिंग तक कोयला परिवहन के कार्य में अनियमितताएं।	
4.	दिनांक 07.12.2022 को पंजीकृत CA/01/2022	ठेके के नियम एवं शर्तों का कथित उल्लंघन और ईपीएफ की सही राशि जमा नहीं करने का आरोप।	

कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

- (ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत रिपोर्ट के संबंध में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है / हमारे संज्ञान में नहीं आई है, जैसा कि केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा निर्धारित फॉर्म एडीटी- 4 में दायर किया जाना है।
- (ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xi)(क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xii) संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और वित्तीय विवरणों आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक है;

#### प्रबंधन का जबाव

- (xiii) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;
  - (ख) फरवरी, 2023 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया।
- (xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xv) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,  $1934~(1934~{
  m fm}~2)$  की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
  - (ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है;
  - (ग) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(c) लागू नहीं होता है।
  - <sup>(घ)</sup> कंपनी ने समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी का समूह नहीं बनाया है;
- (xvi) कंपनी को चालू एवं पिछले वित्त वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है।
- (xvii)) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xviii) लाग् नहीं होता है।
- (xviii) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी राय है कि लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। अत: कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को एक वर्ष की अवधि के अंदर जब भी कोई देय हो तो वह अपनी मौजूदा देनदारियों को अदा करने में सक्षम है।
  - हम घोषणा करते हैं कि इस रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों के आधार पर हमारी रिपोर्टिंग और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त/मुक्त कर दी जाएंगी, जैसे और जब वे देय हों।
- (xix) (क) कंपनी के पास चालू परियोजनाओं के अलावा कोई परियोजना नहीं है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दसरे प्रावधान का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।
  - (ख) चल रही परियोजना के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में से अव्ययित शेष सीएसआर राशि को बैलेंस शीट की तारीख में स्थानांतरित नहीं किया है। इस तरह के हस्तांतरण के लिए समय अवधि के बाद से हमारी रिपोर्ट की तारीख तक अर्थात वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन, हमारी रिपोर्ट की तारीख तक नहीं बीते हैं।
- (xx) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश का पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार,

सदस्यता सं. ४०२२०३

यूडीआईएन- 23402203BGROLN1131

तारीख: 24.04.2023

स्थान : धनबाद

कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआइएन - 10122335

तारीख: 24.04.2023

स्थान : धनबाद



# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भारत को किंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक-III [हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं'' के अनुच्छेद 3(छ) का अवलोकन करें] कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस तिथि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।	
इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप ,इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।	
ा परीक्षकों का दायित्व	
हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों।	
हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं।	
हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण संबंधी राय देने के आधार के लिए पर्याप्त और उचित हैं।	
	हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस विधि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।  रिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रचंधन का दायित्व  इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में अंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुस्वण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप, इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं तुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करते हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।  परीक्षकों का दायित्व  हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने को है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने को है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।  परीक्षकों का दायित्व  हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के अनुस्तर हो और होतों हो यो स्थानित के अपेक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुस्तर आतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा कि अपिकतम स्वीक्तय परीक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूर लेखा हो हा चारी किए गए जो अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूर लेखा हो हा चान हो

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:	
हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं।	
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं	
7 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। भावी अविधयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त होने अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं।	
अभिमत/राय	
हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां 31 मार्च, 2023 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक केआवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं।	

# कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 302081E

# (सीए अरविन्द कुमार)

साझेदार, सदस्यता सं. 402203

यूडीआईएन- 23402203BGROLN1131

तारीख : 24.04.2023 स्थान : धनबाद

# कृते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

राकेश कुमार सहाय

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ डीआइएन - 10122335

तारीख : 24.04.2023 स्थान : धनबाद





# परिशिष्ट - VI

#### भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

# भारतीयलेखापरीक्षाऔरलेखाविभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), कोलकाता OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL) पुरानानिजाममहल, 234/4 आचार्यजगदीशचन्द्रबोसरोड, कोलकाता। -





संख्या: सीएआर/सीसीएल/एसीआडिट/जेसीआरएल/2022-23/100

दिनांक: 23.06.2023

सेवा में, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद-826005

विषय: 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करता हूँ।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नः यथोपरि।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23 जून, 2023

(अतुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक, अंकेक्षण (कोयला)

कोलकाता

पुराना निजाम महल,234/4 आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता। - 700 020,234/4, A. J. C. BOSE ROAD,KOLKATA-700020

दु॰ भा॰ Phone: 91-33-22875380/ 033-22815784, 033-22877165, 033-22900314 ईमेल E-mail: dgacoalkol@cag.gov.in फ़ैक्स FAX: 300-22800062, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2023 हेतु भारत कोिकंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर, इस अधिनियम की धारा 143 के तहत अपनी राय व्यक्त करने के लिए जवाबदेह हैं। यह उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के माध्यम व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

# क. लाभप्रदता पर टिप्पणी लाभ एवं हानि खाते का विवरण स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन ₹ 701.30 करोड़

उपर्युक्त में बीसीसीएल की बस्ताकोला परियोजना की स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के ₹ 73.44 करोड़ सम्मिलित हैं। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए ओवरबर्डेन हटाने प्रति घन मीटर की लागत पर आने के समय, बीसीसीएल ने विस्फोटक की लागत और ओवरहेड के कम लागत पर विचार नहीं किया था। विस्फोटक और वास्तविक ओवरहेड1 की लागत पर आधारित ओवरबर्डेन हटाने की प्रति घनमीटर सही लागत पर विचार करते हुए ₹ 93.47 करोड़ राशि की स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन को लाभ व हानि विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन को कम बताया गया और ₹ 20.03 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया।

<sup>1.</sup> ओवरहेड लागत को ₹ 66.81 करोड के स्थान पर ₹ 50.84 करोड दिखाया गया।



ख. प्रकटन पर टिप्पणी

वर्तमान परिसंपत्ति : अन्य चालु परिसंपत्ति (टिप्पणी-11) ख.1

इनप्ट टैक्स क्रेडिट प्राप्य : ₹ 1323.29 करोड़

भारतीय लेखा मानक-01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तृत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में की गई धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) के तहत वस्तुओं के विवरण को अधिसूचित किया, जिसके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमित नहीं दी जाएगी, जहां ऐसे माल की आउटपुट आपुर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर के कारण क्रेडिट जमा हुआ है। उपर्युक्त सूची में कोयला शामिल नहीं था।

अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमित दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर करों की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, सिवाय इसके कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जानी थी।

बीसीसीएल ने 1,323.29 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि दिखाई है, जिसमें से ₹1,098.31 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित हैं और शेष ₹ 224.98 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित हैं, जिस पर बीसीसीएल रिफंड का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

उत्पादन यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है, जबिक इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य का संचय होता है। बीसीसीएल ने वर्ष 2017-18 के लिए 133.93 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है। तथापि, कर प्राधिकारियों द्वारा सहायक चालानों/दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई थी। बीसीसीएल द्वारा रिफंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया था। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, बीसीसीएल पिछले वर्षों के लिए टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी/संचय का मामला बीसीसीएल द्वारा उच्च प्राधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है।

न तो बीसीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों/रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट और उपर्युक्त तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरण का खुलासा किया है, जो इंड एएस-01 का उल्लंघन है। सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के अभिन्न अंग तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।

# ख. लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-38) टिप्पणी संख्या (4) (एफ) (i) (ii) का संदर्भ लें।

भारतीय लेखा मानक -01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी थी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है, यह आगे निर्धारित करता है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो, के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण माना जाता है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

कपूरिया ब्लॉक से कोयले के विकास और निष्कर्षण के लिए अनुबंध बीसीसीएल (जनवरी 2021) द्वारा रद्द कर दिया गया था और इस मुद्दे को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने (जनवरी 2021) 53.98 करोड़ रुपये की चार बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाने और अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के खाते में भुनाई गई राशि स्थानांतरित करने का आदेश दिया। बीसीसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोटों में निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण किए हैं:

- हालांकि 34.79 करोड़ रुपये की केवल दो बैंक गारंटी भुनाई गई हैं, बीसीसीएल ने गलत तरीके से खुलासा किया कि 41.20 करोड़ रुपये की तीन बैंक गारंटी भुनाई गई हैं।
- ii) बीजी के खिलाफ 37.76 करोड़ रुपये के अग्रिम को गलत तरीके से 38.23 करोड़ रुपये के रूप में दर्शाया गया है।
- iii) यद्यपि, कानूनी मामला वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, यह गलत उल्लेख किया गया था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है।
- iv) यह खुलासा किया गया था कि उपर्युक्त संविदागत कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 650 करोड़ रुपये की लागत को न्यायालय के निर्णय के बाद निष्पादन बीजी के साथ समायोजित किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि बीसीसीएल के पास कोई निष्पादन बीजी उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त के अलावा, आपूतकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों से 716.47 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को नोटों के अंतर्गत 489.90 करोड़ रुपए के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया था।

इस प्रकार, नोट 38 के तहत उपर्युक्त अतिरिक्त प्रकटीकरण में उपरोक्त सीमा तक कमी है।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक की ओर से

(अतुल प्रकाश)

प्रधान निदेशक, अंकेक्षण (कोयला)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता दिनांक : 23 जून, 2023



# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का जवाब 2022-23

# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन का जवाब वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुरक लेखापरीक्षा के दौरान, नियंत्रक एवं क. लाभप्रदता पर टिप्पणी महालेखापरीक्षक को स्ट्रिपेंग गतिविधि समायोजन की गणना में लाभ एवं हानि खाते का विवरण निम्नलिखित विसंगति मिली। इस पर प्रबंध का जवाब निम्नलिखित स्ट्रिपंग गतिविधि समायोजन ₹ 701.30 करोड़ उपर्युक्त में बीसीसीएल की बस्ताकोला परियोजना की स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के ₹ 73.44 करोड़ सम्मिलित हैं। स्ट्रिपिंग क्षेत्र ने स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन की गणना के लिए गतिविधि समायोजन के लिए ओवरबर्डेन हटाने प्रति घन मीटर विस्फोटक और ओवरहेड लागत को ध्यान में नहीं रखा था। की लागत पर आने के समय, बीसीसीएल ने विस्फोटक की इस मामले पर अगले वित्तीय विवरण में विचार किया जाएगा। लागत और ओवरहेड के कम लागत पर विचार नहीं किया था। विस्फोटक और वास्तविक ओवरहेड की लागत पर आधारित ओवरबर्डेन हटाने की प्रति घनमीटर सही लागत पर विचार करते हुए ₹ 93.47 करोड़ राशि की स्ट्रिपेंग गतिविधि समायोजन को लाभ व हानि विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप स्ट्रिपेंग गतिविधि समायोजन को कम बताया गया और ₹ 20.03 करोड का लाभ अधिक बताया गया।

विभागाध्यक्ष (वित्त) महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी निदेशक (वित्त)

# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का जवाब

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
लाभ एवं हानि खाते का विवरण स्ट्रिपंग गतिविधि समायोजन ₹ 701.30 करोड़ ख. प्रकटन पर टिप्पणी ख.1वर्तमान परिसंपत्ति : अन्य चालू परिसंपत्ति (टिप्पणी-11) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य : ₹ 1323.29 करोड़ भारतीय लेखा मानक-01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में की गई धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर	इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में प्राप्त किया गया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि बिना किसी समय सीमा के भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि जीएसटी अधिनियम के उपयोग को प्रतिबंधित करता हो।  मूल्य संशोधन, कोयले पर जीएसटी दर में परिवर्तन आदि जैसे आंतरिक और बाह्य विभिन्न कारक हैं, जिस पर जीएसटी टैक्स इनपुट क्रेडिट का उपयोग भविष्य में परिवर्तित हो सकता है और वर्तमान में इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।  इस प्रकार इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की कोई सीमा नहीं है, कंपनी संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेषित कर सकती है। वापसी का हिस्सा, यदि कोई हो, भी समय-समय पर सिक्षित होता है।  यद्यपि अनुपालन के दृष्टिकोण से उत्तरवर्ती वित्तीय विवरणों में प्रकटन की आवश्यकता, सही व पारदर्शी रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा।

# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का जवाब

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधानों के अनुसार रिफंड के रूप में अनुमित दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर करों की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हुआ है, सिवाय इसके कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।	
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई 2022 की अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमित नहीं दी जानी थी।	
बीसीसीएल ने 1,323.29 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि दिखाई है, जिसमें से ₹1,098.31 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अविध से संबंधित हैं और शेष ₹ 224.98 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अविध से संबंधित हैं, जिस पर बीसीसीएल रिफंड का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।	
उत्पादन यांनी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है, जबिक इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य का संचय होता है। बीसीसीएल ने वर्ष 2017-18 के लिए 133.93 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है। तथापि, कर प्राधिकारियों द्वारा सहायक चालानों/दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई थी। बीसीसीएल द्वारा रिफंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया था। हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, बीसीसीएल पिछले वर्षों के लिए टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और समय के साथ टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी/संचय का मामला बीसीसीएल द्वारा उच्च प्राधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है।	
न तो बीसीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों/रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट और उपर्युक्त तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरण का खुलासा किया है, जो इंड एएस-01 का उल्लंघन है। सूचित निर्णय लेने में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के अभिन्न अंग तथ्यों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई।	

विभागाध्यक्ष (वित्त) महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी निदेशक (वित्त)



# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का जवाब

# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन का जवाब 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर ख.2लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी-38) अतिरिक्त टिप्पणी में प्रासंगित तथ्य दिए गए हैं; फिर भी जैसा कि टिप्पणी संख्या (4) (एफ) (i) (ii) का संदर्भ लें। लेखा परीक्षा से पता चला कि प्रकटन में कुछ असंगति थीं। भारतीय लेखा मानक -01 के अनुसार, एक इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करनी थी जो वित्तीय विवरणों में कहीं और प्रस्तत नहीं की अतिरिक्त टिप्पणियों में अनजाने में हुई ऐसी टंकण त्रृटियों, जिनकी गई है, लेकिन उनमें से किसी की समझ के लिए प्रासंगिक है, यह वजह से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, को अगले वित्तीय विवरण आगे निर्धारित करता है कि अतिरिक्त प्रकटीकरण, जब आवश्यक में सुधार लिया जाएगा। हो, के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण माना जाता है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तृत करता है। कप्रिया ब्लॉक से कोयले के विकास और निष्कर्षण के लिए अनुबंध बीसीसीएल (जनवरी 2021) द्वारा रद्द कर दिया गया था और इस मुद्दे को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने (जनवरी 2021) 53.98 करोड़ रुपये की चार बैंक गारंटी (बीजी) को भुनाने और अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के खाते में भुनाई गई राशि स्थानांतरित करने का आदेश दिया। बीसीसीएल ने वित्तीय विवरणों के नोटों में निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण किए हैं: हालांकि 34.79 करोड़ रुपये की केवल दो बैंक गारंटी भुनाई गई हैं, बीसीसीएल ने गलत तरीके से खुलासा किया कि 41.20 करोड़ रुपये की तीन बैंक गारंटी भुनाई गई हैं। बीजी के खिलाफ 37.76 करोड़ रुपये के अग्रिम को गलत तरीके से 38.23 करोड़ रुपये के रूप में दर्शाया गया है। यद्यपि, काननी मामला वर्तमान में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. यह गलत उल्लेख किया गया था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है। iv) यह खुलासा किया गया था कि उपर्युक्त संविदागत कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 650 करोड़ रुपये की लागत को न्यायालय के निर्णय के बाद निष्पादन बीजी के साथ समायोजित किया जाएगा। तथापि. तथ्य यह है कि बीसीसीएल के पास कोई निष्पादन बीजी उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त के अलावा, आपूतकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों से 716.47 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त प्रतिभृतियों को नोटों के अंतर्गत 489.90 करोड़ रुपए के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया इस प्रकार, नोट 38 के तहत उपर्युक्त अतिरिक्त प्रकटीकरण में उपरोक्त

विभागाध्यक्ष (वित्त) महाप्रबंधक (वित्त)/प्रभारी निदेशक (वित्त)

सीमा तक कमी है।

# परिशिष्ट - VIII

# सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट फॉर्म नंबर -एमआर -3 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, सदस्य मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद-826005 झारखंड, भारत	
हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (जिसे बाद में "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है, सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।	
कंपनी की लेखा बहियों, कागजात, मिनट्स बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान रिपोर्ट की है। इसके तहत सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं, जो कि इस प्रकार की और इसके बाद की रिपोर्टिंग के अधीन हैं:	
हमने (1) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लेखा बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है।	
(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;	
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम <b>(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं);</b>	
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके के तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम (समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);	
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);	
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश	



सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 <b>(समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है);</b>	
(ख)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;	
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);	
(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है):	
(ङ)भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इिक्वटी) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है):	
(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);	
(छ)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 <b>(समीक्षाधीन</b> अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);	
(ज)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 <b>(समीक्षाधीन</b> अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);	
हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच की है:	
(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक:	
(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है);	
(iii) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून निम्नलिखित हैं:	
क) कोयला खान अधिनियम, 1952	
ख) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884	
ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004	
घ) कोयला खान विनियम, 2017 ङ) मजदुरी संदाय (खान) नियम, 1956	
च) कोयला खान पेंशन योजना, 1998	
छ) कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974	
ज) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966	
झ) खान शिशु गृह नियम, 1961	
ञ) खान बचाव नियम, 1985	
ट) कोयला खान पिटहेड स्नान नियम, 1946 ठ) मातृत्व लाभ (खान और सर्कस) नियम, 1963	
(ड) विस्फोटक नियम, 2008	
(ढ) खनिज रियायत नियम, 1960	
(ण) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948	
(त) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957	
(थ) अवितरित मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1989	
(द) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय विद्युत नियम, 1956	

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
(ध) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियमावली, 1986 (न) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016	
(प) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (फ) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (ब) सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम	
समीक्षाधीन अविध के दौरान, कंपनी ने अिधनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।	
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त को छोड़कर, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में सभी परिवर्तन, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के उचित अनुपालन में किए गए थे।	
सभी निदेशकों को बोर्ड समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए जाते हैं, कार्यसूची पर कार्यसूची और विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।	
बहुमत से निर्णय लिया जाता है, जबिक असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कैप्चर किया जाता है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।	
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।	
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के पास निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं / कार्रवाइयां थीं जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा।	
कृते मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सचिव (आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)	
नयन हांडा हिस्सेदार एफसीएस नंबर: 11993 सीपी नंबर: 18686 UDIN: F011993E000491230	
स्थान: दिल्ली दिनांक: 23.06.2023	
नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो 'परिशिष्ट - क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।	



# परिशिष्ट – क

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, सदस्यगण, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद, झारखंड-826005 सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए- 1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।  2) हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।	
3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।	
<ul> <li>4) जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।</li> <li>5) कॉर्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।</li> </ul>	
6) फार्म एमआर-3 में हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दाखिल किए गए पुस्तकों, कागजात, फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में उक्त विनियमों की आवश्यकताओं का पालन और अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा विभिन्न फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों को दाखिल करने के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न प्राधिकरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता है। हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री की शुद्धता और कवरेज को सत्यापित नहीं किया है।	
7) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।	
कृते मेहता एण्ड मेहता, कंपनी सचिव (आईसीएसआई यूनिक कोड P1996MH007500)	
नयन हांडा हिस्सेदार एफसीएस नंबर: 11993 सीपी नंबर: 18686 UDIN: F011993E000491230	
स्थान: दिल्ली दिनांक: 23.06.2023	



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) सीआईएन:U10101972GOI000918 सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकतएं) विनियम, 2015 का नियम 33 31.03.2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अनअंकेक्षित परिणाम का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

क्र.	तिमाही की स			ही की समाप्ति पर		वर्ष की समाप्ति पर	
प्र <sup>7</sup> . सं.	विवरण	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.202	31.03.2021	
		अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	
1	परिचालन से राजस्व:						
	(क) बिक्री (वैधानिक शुल्क के बाद)	3,641.22	3,013.00	2,760.78	12,333.34	9,445.58	
	(ख) अन्य परिचालन राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद)	284.70	249.02	204.15	947.59	682.28	
	परिचालन से राजस्व (क + ख)	3,925.92	3,262.02	2,964.93	13,280.93	10,127.86	
2	अन्य आय	138.73	64.98	122.28	417.32	451.97	
3	कुल आय (1 + 2)	4,064.65	3,327.00	3,087.21	13,698.25	10,579.83	
4	व्यय:						
	(क) खपत सामग्री की लागत	256.38	263.07	233.96	989.82	634.63	
	(ख) तैयार माल/ चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	(161.41)	(50.86)	(287.33)	(23.53)	229.13	
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	2,424.36	1,759.51	1,417.89	7,358.12	5,788.32	
	(घ) विद्युत व्यय	50.12	60.02	46.21	239.88	244.10	
	(ङ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	10.89	0.12	0.77	13.36	2.99	
	(च) मरम्मत	54.23	19.81	58.55	117.11	144.64	
	(छ) संविदात्मक व्यय	630.41	620.66	571.55	2,391.35	1,962.11	
	(ज) वित्त लागत	15.41	13.06	19.81	55.69	77.75	
	(झ) मूल्यहास / परिशोधन / हानि	101.47	68.49	124.45	304.11	315.48	
	(ञ) प्रावधान	0.88	4.81	17.03	18.26	36.57	
	(ट) बहे खाते		-	(2.14)	-	-	
	(ठ) स्ट्रिपंग एक्टिवटी एडजस्टमेंट	285.89	219.56	146.74	701.30	88.44	
	(ड) अन्य व्यय	323.79	207.91	210.61	1,029.90	864.36	
	कुल व्यय (क से ड)	3,992.42	3,186.16	2,558.10	13,195.37	10,388.52	
5	कर से पहले लाभ (हानि) (3-4)	72.23	140.84	529.11	502.88	191.31	
6	कर व्यय	(138.32)	(85.08)	151.51	(142.13)	79.69	
7	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (5-6)	210.55	225.92	377.60	645.01	111.62	
8	अन्य व्यापक आय						
	(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	10.47	25.69	101.83	(179.94)	98.01	
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गींकृत नहीं किए जाएंगे	2.63	6.47	25.63	(45.29)	24.67	
	कुल अन्य व्यापक आय (i-ii)	7.84	19.22	76.20	(134.65)	73.34	
9	<b>कुल व्यापक आय / (हानि) (7 + 8)</b>	218.39	245.14	453.80	510.36	184.96	
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000 / - प्रत्येक)	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	
11	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹1000 / - प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)	-	-	•			
	क) बेसिक	45.21	48.51	81.08	138.50	23.97	
	ख) डाइल्यूट	45.21	48.51	81.08	138.50	23.97	
12	उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)	10.25	9.69	10.42	36.18	30.51	
13	ऑफटेक (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)	9.42	8.98	9.22	35.53	32.28	
14	ओबीआर (घन मीटर में)	27.07	29.87	30.33	111.47	106.12	



हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार एम. संख्या - 402203

दिनांक: 24.04.2023 स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता) (राकेश कुमार सहाय) निदेशक (वित्त) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एवं सीएफओ डीआईएन- 10122335 डीआईएन-08519303

(आनंद प्रताप सिंह) (बी. के. पारूई) विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी) कंपनी सचिव



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) 31.03.2023 को तुलन-पत्र

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी	वर्ष के स	वर्ष के समापन पर	
	संख्या	31.03.2023	31.03.2022	
परिसंपत्तियां				
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2,904.18	2,331.73	
(ख) पूंजीगत जारी कार्य	4	1,299.83	1,447.35	
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	155.36	167.13	
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1	15.68	-	
(ङ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	6.2	-	18.58	
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	7	-	-	
(ii) <del></del>	8	-	-	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	705.86	607.18	
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां		1,055.81	867.08	
(ज) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	10	620.85	349.91	
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (क)		6,757.57	5,788.96	
वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)	12	1,029.06	978.45	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	7	79.72	-	
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	1,251.15	1,037.01	
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	14	586.62	617.33	
(iv) अन्य बैंक जमा शेष	15	567.58	7.24	
(v) <b></b>	8	-	-	
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	58.98	36.31	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां		168.57	151.44	
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	2,817.51	2,549.23	
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		6,559.19	5,377.01	
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		13,316.76	11,165.97	

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी	प्पणी वर्ष के सम	
	संख्या	31.03.2023	31.03.202
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	4,657.00	4,657.0
(ख) अन्य इक्विटी	17	(872.87)	(1,383.2
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		3,784.13	3,273.7
गैर-नियंत्रित ब्याज		_	,
कुल इक्विटी (क)		3,784.13	3,273.7
देयताएं			
गैर-मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	_	
(ii) पट्टा देयताएं		153.79	156.
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	296.51	283.
(ख) प्रावधान	21	2,112.98	1,535.:
(ग) आस्थगित कर देयताएं			
(घ) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	22	149.82	474.
कुल गैर-मौजूदा देयताएं (ख)		2,713.10	2,449.
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	-	
(ii) पट्टा देयताएं		58.85	43.9
(iii) व्यापार देय -	19		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		13.57	25.4
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		899.34	774.
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,448.40	1,507.0
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	1,968.63	2,058.2
(ग) प्रावधान	21	2,430.74	1,032.
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		6,819.53	5,442.2
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		13,316.76	11,165.9

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

एम. संख्या - 402203

दिनांक: 24.04.2023

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(राकेश कुमार सहाय) (समीरन दत्ता) निदेशक (वित्त) अध्यक्ष-सह-प्रबंध एवं सीएफओ निदेशक एवं सीईओ डीआईएन-08519303 डीआईएन- 10122335

(आनंद प्रताप सिंह) विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी) (बी. के. पारूई)

कंपनी सचिव



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी	वर्ष के समापन पर	
	संख्या	31.03.2023	31.03.202
परिचालनों से प्राप्त आय			
क. बिक्री (वैधानिक लेवी के बाद)			
ख.अन्य परिचालन राजस्व (वैधार्निक लेवी के बाद)	24	12,333.34	9,445.
(I)परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)	24	947.59	682.
(II)अन्य आय		13,280.93	10,127.
(III)कुल आय (I+II)	25	417.32	451.
		13,698.25	10,579.
(IV)खर्चे			
खपत सामग्री की लागत	26	989.82	634.
तैयार माल / जारी कार्य की सूची में परिवर्तन			
कर्मचारी लाभ व्यय	27 28	(23.53)	229.
बिजली खर्च	20	7,358.12	5,788
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	20	239.88	244
मरम्मत	29	13.36	2.
संविदात्मक व्यय	30	117.11	144
वित्त लागत	31	2,391.35	1,962
मूल्यहास/परिशोधन/हानि	32	55.69	77.
प्रावधान	22	304.11	315
बट्टे खाते में	33	18.26	36
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	34	701.20	00
अन्य व्यय	2.5	701.30	88.
कुल व्यय (IV)	35	1,029.90	864.
युर्ग ज्यम (17)		13,195.37	10,388.
(V)असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)		502.88	191.
(VI)असाधारण मर्दे		-	
(VII)कर से पहले लाभ (V-VI)		502.88	191
(VIII)कर व्यय	36		
वर्तमान कर		1.31	
आस्थगित कर		(143.44)	79.
कुल कर व्यय (VIII)		(142.13)	79.
(IX)अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		645.01	111.
(X)अन्य व्यापक आय	37		
क (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(179.94)	98.
घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		(45.29)	24
ख (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	
घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	
कुल अन्य व्यापक आय		(134.65)	73.

(₹ 'करोड़ में)

		टिप्पणी	वर्ष के समापन पर	
		संख्या	31.03.2023	31.03.2022
(XI)	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		510.36	184.96
	<b>लाभ संबंधित:</b> कंपनी के मालिकों से		645.01	111.62
	अनियंत्रित ब्याज से		645.01	- 111.62
	अन्य व्यापक आय संबंधित: कंपनी के मालिकों से		(124.65)	72.24
	कपना के मालिका स अनियंत्रित ब्याज से		(134.65) - (134.65)	73.34 - 73.34
	कुल व्यापक आय संबंधित:			
	कंपनी के मालिकों से अनियंत्रित ब्याज से		510.36	184.96 -
(XII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी परिचालन के लिए): (₹में)		510.36	184.96
	(1) बेसिक (2) डाइल्यटेड		138.50 138.50	23.97 23.97
(XIII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए): (र में) (1) बेसिक			_
(VIV)	(2) डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी और बंद परिचालन के लिए ): (र में)		-	-
(AIV)	(1) बेसिक		138.50	23.97
	(2) डाइल्यूटेड		138.50	23.97

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार	बोर्ड की ओर से		
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी	(समीरन दत्ता)	(राकेश कुमार सहाय)	
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष-सह-प्रबंध	निदेशक (वित्त)	
फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E	निदेशक एवं सीईओ	एवं सीएफओ	
	डीआईएन-08519303	डीआईएन- 10122335	
(सीए अरविन्द कुमार)			
साझीदार			
एम. संख्या - 402203			
	(आनंद प्रताप सिंह)	(बी. के. पारूई)	
दिनांक: 24.04.2023	विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)	कंपनी सचिव	

स्थान: धनबाद



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) नकद और नकद समतुल्य के प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि के तहत) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2	023	31.03	31.03.2022	
1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :					
कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) :		502.88		191.31	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:					
(i) मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय		304.11		315.4	
(ii) ब्याज और लाभांश आय		(66.69)		(23.30	
(iii) वित्त लागत		55.69		76.9	
(iv) (लाभ)/संपत्ति की बिक्री पर हानि		(2.31)		(0.18	
(v) देयता और प्रावधान वापस लिखा गया		(240.80)		(331.43	
(vi) व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		16.16		23.2	
(vii) अन्य प्रावधान		2.10		13.3	
(viii) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		701.30		88.4	
वर्तमान/गैर-वर्तमान आस्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ		1,272.44		353.8	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:					
(i) व्यापार प्राप्य (भत्तों का शुद्ध)		(214.14)		1,967.7	
(ii) इन्वेंटरी		(50.61)		209.4	
(iii) ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		(322.93)		13.2	
(iv) वित्तीय और अन्य देयताएं		862.87		1,192.9	
(v) व्यापार देय		112.65		(408.2	
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		1,660.28		3,328.9	
आयकर भुगतान / वापसी		(18.44)		(28.7)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)		1,641.84		3,300.2	
2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(944.73)		(638.3	
(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		8.98		(5.7	
(iii) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में जोड़ (-)/कमी (+)		12.68		(4.2	
(iv) बैंक जमा में आय/(निवेश)		(654.73)		43.0	
(v) म्युचुअल फंड, शेयरों आदि में आय/(निवेश)		(79.72)			
(vi) निवेश से ब्याज		48.30		23.2	
(vii) म्यूचुअल फंड से ब्याज / लाभांश		7.61			
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी (ख)	(	1,601.61)		(582.0	
3.वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :					
(i) चुकौती/उधार में वृद्धि		-		(2,052.0	
(ii) वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(55.69)		(66.7	
(iii) पट्टा देयता का पुनर्भुगतान		(15.25)		(30.6	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (ग)		(70.94)		(2,149.5	



(₹' Crore)

विवरण	31.03.2023	31.03.2	31.03.2022	
( I ) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख +ग)	(30.7)	)	568.66	
(II) अवधि के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य:				
क. आरम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य	617.3	3	48.67	
( III ) अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य:				
क. अंतिम नकद एवं नकदी समतुल्य	586.6	2	617.33	
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-14)				
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	586.6	2	617.33	
नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी-14)	586.6	2	617.33	
बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी-18 का फुटनोट 2 देखें)		-	-	

(कोष्ठक के सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या - 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

एम. संख्या - 402203

दिनांक: 24.04.2023

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता) (राकेश कुमार सहाय)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डीआईएन-08519303 निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन- 10122335

(आनंद प्रताप सिंह) विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी) (बी. के. पारूई)



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) 31.03.2023 को वर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

# क. इक्विटी शेयर पूंजी 31.03.2023 को

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	01.04.2021 तक बकाया शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 को पुनर्वयक्त बकाया शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00	-	4,657.00

# 31.03.2022 को

विवरण	01.04.2020 को बकाया शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनर्वयक्त बकाया शेष	वर्ष के दौरान इक्क्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00	-	4,657.00

# ख. अन्य इक्विटी 31.03.2023 को

(₹ 'करोड़ में)

	आरक्षित औ			गौर अधिशेष	•	परिभाषित लाभ		
विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	संयोजित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 को बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	(1,383.23)
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि त्रुटियाँ								
01.04.2022 को पुनर्व्यक्त बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	(1,383.23)
कुल व्यापक लाभ	-	-	-	-	-	645.01	(134.65)	510.36
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान इज़ाफ़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-	-	-	-	-	-	-
बाय बैक पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2023 को बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,026.75)	12.89	(872.87)



# 31.03.2022 को

(₹ 'करोड़ में)

			आरक्षित और अधिशेष			•	परिभाषित लाभ	
विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	संयोजित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 को बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	(1,568.19)
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 को पुनर्व्यक्त बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	(1,568.19)
कुल व्यापक लाभ	-	-	-	-	-	111.62	73.34	184.96
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	ı	
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान इज़ाफ़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-	-	-	-	-	=	-
बाय बैक पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2022 को बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	(1,383.23)

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

एम. संख्या - 402203

दिनांक: 24.04.2023

स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)

(राकेश कुमार सहाय)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन-08519303

डीआईएन- 10122335

(आनंद प्रताप सिंह) विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी) (बी. के. पारूई)

कंपनी सचिव



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

# टिप्पणी 1: कॉरपोरेट जानकारी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक मिनीरत्न लोक उपक्रम कंपनी है और यह 100% कोल इंडिया (भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी) की एक अनुषंगी कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद- 826005 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा, की स्थापना 1972 में झिरया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में अवस्थित कोयला खदानों से कोकिंग कोल उत्खनन के लिए की गयी थी। 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद दुर्लभ कोकिंग कोल के स्रोतों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था। तब से यह कंपनी प्रमुख रूप से झारखंड राज्य एवं आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। देश में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादक होने के कारण इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।





# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
(टिप्पणी-2)

# 1.1. वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय पिरसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें);
- पिरभाषित लाभ योजनाएं- उचित मुल्य पर मापी गयी योजनागत पिरसंपत्तियां (पिरभाषित लाभ योजनाओं पर लेखांकन नीति देखें);
- लागत पर वस्तु-सूची या एनआरवी, इनमें से जो भी कम हो (इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति देखें)।

# 1.2 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

# 2. वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

- क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वस्ली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,
- ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,
- ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा
- घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

# कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

- क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो
- ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;
- ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा
- घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

# 3. राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 115, निर्माण अनुबंध से संबंधित भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व की मान्यता को अधिगृहीत करता है और यह इसके ग्राहक-अनुबंध से प्राप्त सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ने ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व प्राप्त करने के लिए लेखा हेतु एक पांच-स्तरीय मॉडल को स्थापित किया है और यह आवश्यक है कि राजस्व की उस राशि को मान्यता देने पर विचार किया जाय, जिसमें ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के विशेषज्ञों को विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो सके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ('बीसीसीएल' या 'कंपनी') ने अंगीकरण की पूर्वव्यापी विधि को अपनाते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अंगीकृत किया है।

भारतीय लेखा मानक 115 में आवश्यक है कि प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मानक एक अनुबंध के प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

# ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड, भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार ग्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

# चरण 1: अनुबंध की पहचान:

# ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

- क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हों;
- ख) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;
- ग) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;
- घ) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हो, और
- ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतिरत की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी प्रतिफल एकत्र करे जिसका कि उसे अधिकार है। प्रतिफल राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। प्रतिफल राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, राहत, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या समान मदों के लिए हकदार हो सकती है।

# अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जा सकता है:



- क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;
- ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली प्रतिफल-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या
- ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

# अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में लेखांकित कर सकती है:

- क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाए और
- ख) यदि अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो कंपनी के वचन दिए गए अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री
- ग) कीमतों तथा किसी विशेष अनुबंधों की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन प्रदर्शित करती है।

# चरण 2: कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को निम्न में से किसी को अंतरित करने के लिए प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है या तो:

- क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समृह) या
- ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक समान तरीका है।

# चरण 3: लेन-देन कीमत का निर्धारण

लेन-देन का कीमत का निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों तथा इसकी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पक्षों की ओर से वसूली की गई राशियों को छोड़कर, हकदार होने की आशा करती है।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय प्रतिफल;
- परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कलन
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक की मौजूदगी
- गैर-नकदी प्रतिफल
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी प्रतिफल राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी के विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के की विषयवस्तु के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबिक इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती। कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अविध के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

# चरण 4: लेनदेन की कीमत का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

# चरण 5: राजस्व को पहचानना:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

- क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।
- ख) यदि कंपनी के निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो।
- ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धित का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अविध के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।



कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतिरत ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगित के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगित को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

- क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है
- ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है
- ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया है
- घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल होता है
- ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब अनुबंध में कोई भी पक्ष (पार्ची) कार्य-निष्पादन कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) में अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पाद और ग्राहक के भुगतान के संबंध पर निर्भर करता है। कंपनी प्रतिफल के लिए किसी बिना शर्त अधिकार को अलग से प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

# अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के प्रतिफल भुगतान करने या भुगतान देय से पहले वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके कार्य-निष्पादन करती है तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान सशर्त रूप में की जाती है।

## कारोबार प्राप्य:

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी प्रतिफल राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, प्रतिफल राशि के बकाया भुगतान से पूर्व केवल कुछ समय बीतना अपेक्षित हो)।

# अनुबंध दायित्व:

एक अनुबंध दायित्व वह बाध्यता है जिसमें किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतिरत करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका हो। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतिरत करने से पहले प्रतिफल का भुगतान कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में पहचान करेगी लेकिन जब भुगतान हो गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

## ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

## लाभांश:

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

# अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से देर से वसूली होने पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की सुनिश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

# 4. सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

# 5. पट्टे (भारतीय लेखा मानक 116)

एक अनुबंध तब एक पट्टा होता है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयाविध के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग के नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

# कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभिक तिथि को पट्टेदार उन पट्टा दायित्व का माप पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करेगा जो उस तिथि को अदा नहीं किये गये हैं। इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबिक लीज़ देयता को पट्टा दायित्व पर ब्याज प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि को बढ़ाकर; किये गये पट्टा भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि घटा कर; तथा किसी पुनः आंकलन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि का पुनर्माप करके मापा जाता है

# पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित नहीं करता है।

# परिचालन पट्टे-

परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रयोग से लाभ कम होता है।



# वित्त पट्टे-

एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद, पट्टा अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमे पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो।

# 6.बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समृह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समृह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पुरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

# संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

भृमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमुल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल है:-

- क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।
- ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेत् सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।
- ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य हास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सिहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य हास विधि को मूल्य हास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यहास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

# अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित) : परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो

बिल्डिंग 3-60 वर्ष 3-10 वर्ष सड़कें 3-9 वर्ष द्र संचार 15 वर्ष रेलवे साइडिंग 5-30 वर्ष संयंत्र एवं उपकरण 3 वर्ष कंप्युटर एवं लैपटॉप कार्यालय के उपकरण : 3-6 वर्ष फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं : 10 वर्ष : 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपदा, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।



वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई संपत्तियों पर मूल्य हास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एण्ड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है। उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

# भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

# 8.खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं बंदीकरण दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को प्रतिबंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपित्त का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपित्त की पहचान उसी अविध में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपित्त (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कित किया गया है) को पीपीई . में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है। कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमित के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

# 9. अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अन्वेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;

- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नम्ना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चों के साथ इन खर्चों को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

## 10. विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

# व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

- (क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा
- (ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा
- (ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है। उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।



# 11. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतिरक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त पिरसंपित्तयों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बिल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अविध में खर्च हुआ है, उस अविध में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष पिरसंपित्तयों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष पिरसंपित्तयों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान पिरशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष पिरसंपित्त हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सिहत किसी अप्रत्यक्ष पिरसंपित्त के लिए हानिकरण अविध एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अविध की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा पिरसंपित्त में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए पिरशोधन अविध अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष पिरसंपित्तयों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

जैसा और जब भी होअनुसंधान और विकास को एक व्यय के रूप में माना जाता है।

# 12. परिसंपत्तियों का हास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अविध के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी पिरसंपित में कमी या क्षित हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी पिरसंपित की वसूली योग्य राशि पिरसंपित अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत पिरसंपित्त के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि पिरसंपित्त नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे पिरसंपित्त जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

# 13. निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यहास होता है।

# 14. वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को मृजित करता है।

# 14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

# 14.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थित में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

# 14.1.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI) के जरिए।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

# 14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें प्री होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- (क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा
- (ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्ते नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज (एसएसपीआई) का एकमात्र भगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धित का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

# 14.1.2.2 एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- (क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और
- (ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।



# 14.1.2.3. एफ वी टी पी एल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेज के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पुरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफ वी टी पी एल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमित केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

# 14.1.2.4. मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लाग् हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समृह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया गई है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-श्र" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्र व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

# 14.1.2.5. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मुल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

- (क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभृतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है.
- (ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,
- (ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और
- (घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण"अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

# 14.2. वित्तीय देयताएं

# 14.2.1. प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

# 14.2.2. परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है:

# 14.2.2.1. लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशिंयल इंस्ट्रमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मुल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।।

# 14.2.2.2. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धित का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।।

# 14.2.2.3. मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतिरत कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।



# 14.3. वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपित्तयों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपित्तयों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इिक्वटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपित्तयां इिक्वटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपित्तयां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपित्तयों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपित्तयों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अविध की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है:

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/ मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता हैं।

# 14.4. वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

# 15. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

## 16. कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है ''आयकर पूर्व लाभ'' से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संजानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थिगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की पिरसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य पिरसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थिगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

### 17. कर्मचारियों को लाभ

### 17.1. अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समापन लाभों के अलावा) हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

### 17.2. नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

### 17.2.1. परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित-अंशदायी योजना एक नियोजन पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी अथवा संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अविध में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अविध के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।



### 17.2.2. परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मुल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसुली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

### 17.3. अन्य दीर्धकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, नियोजन पश्चात लाभों और सेवांत लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल होती हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले नहीं होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि के विवरण में मान्य किया जाता है:

- (क) सेवा लागत
- (ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज
- (ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन

### 18. विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

### 19. स्ट्रिपंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदानों से खनन मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमित सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

### 20. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

### 20.1. कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धित के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

### 20.2. स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स /उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।



### 20.3. अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पताल में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

### 21. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

### 22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यकता होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पृष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह द्रस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

### 23. प्रति शेयर उपार्जन

अविध के दौरान बकाये इिक्वटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इिक्वटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इिक्वटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इिक्वटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

### 24. निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

### 24.1. निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

### 24.1.1. लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

क)प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और ख)उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क)समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख)ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मुल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्नोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान सिमतियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

### 24.1.2. सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।



01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

### 24.1.3. परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मुल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मुल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

### प्राक्कलन एवं अनुमान 24.2.

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

### 24.2.1. गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मुल्य इसकी वसुली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मुल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मुल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

### 24.2.2. कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

### 24.2.3. परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ लाभ योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और दायित्वों का वर्तमान मुल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मुल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है।

### 24.2.4. वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सिक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सिहत सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट /प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

### 24.2.5. विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

### 24.2.6. खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

### 25. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

क	सीजीयू (CGU)	नकद उत्पाद इकाई
ख	डीसीएफ (DCF)	रियायती नकदी प्रवाह
ग	एफवीटीओसीआई (FVTOCI)	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ	एफवीटीपीएल (FVTPL)	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	जीएएपी (GAAP)	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च	इंडस्ट्रीज़ एएस (Ind AS)	भारतीय लेखा मानक
छ	ओसीआई (OCI)	अन्य व्यापक आय
ज	पी एंड एल (P&L)	लाभ व हानि
झ	पीपीई (PPE)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट	एसपीपी आई (SPPI)	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ	ईआईआर (EIR)	प्रभावी ब्याज दर



# **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद** एक मिनी रत्न कंपनी)

# वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

उपकरण
औरउ
संयंत्र
संपत्ति,
••
3
टेप्पणी
ųΞ

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	और उपक	भ्या													(र 'करोड़ में)
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भूमि पुनस्थोपना / साइट बहाली लागत	भवन (पानी कजलपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नींचर और जुड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	अप्रयुक्त परिसंपत्तियां	अन्य	म् १
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2021 को	111.53	2.07	279.68	371.20	1,958.59	3.03	75.37	12.33	30.72	5.94		264.80	45.81	0.88	3,161.95
परिवर्धन	3.00	26.46	14.16	29.04	254.01	182.75	08.9	1.21	16.41	15.24	,	229.67	9.44		788.19
विलोपन / समायोजन	0.82	(0.82)	(19.96)	(2.19)	(94.11)	12.81	0.19	2.01	(5.07)	0.33			(5.90)		(111.89)
31 मार्च 2022 को	115.35	27.71	273.88	398.05	2,118.49	198.59	82.36	15.55	42.06	21.51		494.47	49.35	0.88	3,838.25
1 अप्रैल 2022 को वर्ष के समापन	115.35	27.71	273.88	398.05	2,118.49	198.59	82.36	15.55	42.06	21.51		494.47	49.35	0.88	3,838.25
परिवर्धन	13.45	5.50	11.41	424.11	309.96	1.67		2.89	5.15	39.56	1	72.90	8.64	1	895.24
विलोपन / समायोजन		,	(2.82)		(113.29)	(0.37)		(0.53)	(3.66)	(0.20)	,	0.10	(6.77)	1	(127.54)
31 मार्च 2023 को	128.80	33.21	282.47	822.16	2,315.16	199.89	82.36	17.91	43.55	60.87	٠	567.47	51.22	0.88	4,605.95
संचित मूल्यहास और															
नुक्रसान															
1 अप्रैल 2021 को		1.04	89.15	89.92	927.87	0.94	10.01	6.04	14.89	3.13		133.02	1.08		1,277.09
वर्ष के लिए प्रभार		0.07	16.87	14.79	147.22	25.29	29.9	1.90	7.17	3.86		57.74	-	•	281.58
क्षति			5.72	٠		'				•		5.73	1.60	1	13.05
विलोपन/ समायोजन	•		,	2.11	(72.78)	(0.03)	0.03	60.0	(3.01)	(90.0)		8.45	-	•	(65.20)
31 मार्च 2022 को		1.11	111.74	106.82	1,002.31	26.20	16.71	8.03	19.05	6.93		204.94	2.68	•	1,506.52
1 अप्रैल 2022 को		1.11	111.74	106.82	1,002.31	26.20	16.71	8.03	19.05	6.93	,	204.94	2.68	•	1,506.52
वर्षे के लिए प्रभार	•	0.72	86.61	20.85	157.42	37.72	4.11	1.95	6.67	8.63	'	32.44	0.01	'	290.50
क्षति	•		,	0.15	0.48	'		,	0.02	0.04	,	6.11	-	•	08.9
विलोपन / समायोजन	٠		,	٠	(101.72)	(0.01)	٠	(0.02)	(3.62)	•		3.42	(0.10)	•	(102.05)
31 मार्च 2023 को	٠	1.83	131.72	127.82	1,058.49	63.91	20.82	96.6	22.12	15.60	-	246.91	2.59	•	1,701.77
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2023 को	128.80	31.38	150.75	694.34	1,256.67	135.98	61.54	7.95	21.43	45.27	-	320.56	48.63	0.88	2,904.18
31 मार्च 2022 को	115.35	26.60	162.14	291.23	1,116.18	172.39	65.65	7.52	23.01	14.58	•	289.53	46.67	0.88	2,331.73



# टिप्पणी

### भूमे: न

- भूमि सुधार / साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खदान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
- कंपनी के स्वामित्व वाली लगभग 436.667 एकड़ भूमि गंभीर रूप से अतिक्रमित क्षेत्र है जिसमें से कुछ हिस्से का कब्बा वापस ले लिया गया है, जिसके परिमाणीकरण प्रगति पर है।

3. अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।	रुपनी के नाम	पर नहीं हैं।			
संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर*/ निदेशक या कर्मचारी का रिश्तेदार# है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	128.8	केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1132.37 हेक्टेयर)	लामू नहीं	विविध	। बोसीसीएल के कब्बे में 18682.195 हेक्टेयर की कुल (फ्रीहोल्ड और अन्य भूमि) में से 17840.084 हेक्टेयर भूमि फ्री होल्ड तथा 842.111 हेक्टेयर अन्य भूमि है।  2. कोयला खबानों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ केन्द्रीय अस्पताल और चार अन्य अस्पतालों, भारत सरकार के खान बचाव केन्द्रों सहित कोयला खन श्रम कल्याण संगठन के अधिप्रहण के लिए अधिप्रहात 16692.629 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि, सेल के चार बाशिसों, पूर्वतर्ती कोल बोर्ड और केन्द्रीय श्रीरया परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतित करा, दिया गया है। कोयला खान (पर्यूपकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयलाधारित क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिपृश्वित भूमि परिवर्तन का कानूनी प्रश्न नहीं उठता, चूकि इसका अधिकार, हक और हित पूर्ण केन्द्र सरकार में निहित है, जो किए एक सरकारी कंपनी के स्था में उत्पावर्तित हैं। वहां कानूनी औपचारिकताओं के अधिवार यह प्रगति के अधीन है।
अन्य भूमि	33.21	लागू नहीं	लामू नहीं	विविध तारीखें	838.247 हेक्टेयर भूमि एग्रीमेंट वाली है। लोयाबाद स्टेशन पर 3.864 हेक्टेयर रेलवे भूमि दिनांक 22 मार्च, 2022 के लीज एग्रीमेंट के माध्यम से है।

अन्य भीमें में ₹ 25.29 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 25.09 करोड़) की उपयोग के अधिकार की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2023 तक उस पर संचित परिशोधन 💌 0.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 0.06 करोड़) है।

'इसमें स्टेंड बाय इक्विपमेंट और स्टोर तथा कलपुजें शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।'

### वाहनः

"इसमें रू 52.72 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 13.25 करोड़) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2023 तक उस पर संचित परिशोधन र 🛚 1.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष रु. 62 करोड़ ) है।" रेलवे साइडिंग्स

"इसमें रू 23.24 करोड़ (पिछले वर्ष रू 23.24 करोड़) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2023 तक उस पर संचित परिशोधन रू 3.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रू 3.32 करोड़) है।"

# "इसमें र 181.42 करोड़ (पिछले वर्ष र 181.42 करोड़) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2023 तक उस पर संचित परिशोधन र 60.47 करोड़ (पिछले वर्ष र 24.19 करोड़ ) है।"

.. माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा कोयला श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपर्युक्त इकाइयों के हस्तांतरण के समय लेखा- मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।

2. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर की गई संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण किया गया है। (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्य वार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर जमीन छोड़कर , मूल्यहास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

# मूल्यहास / हानि:

- 1. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, र 6.80 करोड़ (पिछले वर्ष र 13.05 करोड़) की निरंतर घाटे वाली खदानों में हानि को लाभ और हानि के विवरण में लाया गया है।
- 2. बर्ष के दौरान प्रभारित मुल्यहास में विकास के चरण में खदानों के लिए ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़ रुपये) की अवधि के दौरान पुंजीकृत मुल्यहास भी शामिल है।





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)

(₹ 'करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल 2021 को वर्ष के समापन पर	725.80	342.56	48.08	321.12	-	1,437.56
परिवर्धन	50.90	294.07	38.85	192.42	-	576.24
पूंजीकरण / विलोपन	(28.62)	(261.00)	(4.28)	(234.63)	-	(528.53)
31 मार्च 2022 को	748.08	375.63	82.65	278.91	-	1,485.27
1 अप्रैल 2022 को वर्ष के समापन पर	748.08	375.63	82.65	278.91	-	1,485.27
परिवर्धन	64.66	398.19	49.04	163.06	-	674.95
पूंजीकरण / विलोपन	(421.40)	(321.72)	(0.67)	(78.86)	-	(822.65)
31 मार्च 2023 को	391.34	452.10	131.02	363.11	-	1,337.57
संचित प्रावधान और नुक़सान						
1 अप्रैल 2021 को	6.55	23.33	0.33	17.43	-	47.64
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-
क्षति	0.49	0.99	0.41	0.44	-	2.33
विलोपन /समायोजन	(2.57)	(1.09)	(0.03)	(8.36)	-	(12.05)
31 मार्च 2022 को	4.47	23.23	0.71	9.51	-	37.92
1 अप्रैल 2022 को वर्ष के समापन पर	4.47	23.23	0.71	9.51	-	37.92
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-
क्षति	2.24	0.99	0.41	0.27	-	3.91
विलोपन /समायोजन	-	(0.67)	-	(3.42)	-	(4.09)
31 मार्च 2023 को	6.71	23.55	1.12	6.36	-	37.74
शुद्ध वहन राशि						
31 मार्च 2023 को	384.63	428.55	129.90	356.75	-	1,299.83
31 मार्च 2022 को	743.61	352.40	81.94	269.40	-	1,447.35

### टिप्पणी:

- पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत प्रदर्शित "विकास" पूर्ण होने वाले प्रतीक्षित कार्यों से संबंधित है।
- 2. नूनीडीह और भूली सिहत भीमकनाली टाउनिशप के ₹5.21 करोड़ मूल्य के "A" टाइप माइनर्स क्वार्टरों पर कब्जा किया जा रहा है और ये आवास उपयोग में हैं लेकिन मध्यस्थता / मुकदमे बाजी के कारण पूंजीकरण नहीं किया जा सका है। हालांकि, खातों में मूल्यहास की दर से आवश्यक प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। 31.03.2023 को संचित प्रावधान ₹2.01 करोड़ ( पिछले वर्ष ₹1.93 करोड़) है।

## पूंजीगत-कार्य प्रगति (CWIP) क) 31.03.2023 को पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

प्रगति पर परियोजनाएं:	पूंजीगत व	<b>जर्य प्रगति</b> में	राशि से संबं	धेत अवधि	
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)	48.30	46.49	59.28	237.27	391.34
संयंत्र और उपकरण	87.64	78.68	72.90	212.88	452.10
रेलवे साइडिंग्स	60.85	36.24	12.58	21.35	131.02
विकास	121.49	116.55	22.93	95.64	356.61
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
विकास:					
कपूरिया परियोजना	-	-	-	6.50	6.50
कुल	318.28	277.96	167.69	573.64	1,337.57

### ख ) 31.03.2022 को प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के लिए समय सारणी:

		पूरा ह	होने से संबंधि	त अवधि	
प्रगति पर परियोजनाएं:	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक 606.92 202.78 21.35 88.96  2.21 6.50	कुल
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)	52.27	41.56	45.12	606.92	745.87
संयंत्र और उपकरण	90.44	26.34	56.07	202.78	375.63
रेलवे साइडिंग्स	39.34	16.46	5.50	21.35	82.65
विकास	128.82	46.16	8.47	88.96	272.41
अन्य	-	-	1	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)					
ब्लॉक-2 क्षेत्र में टाउनिशप, गार्ड रूम,माइनर क्वार्टर का उन्नयन	-	-	-	2.21	2.21
विकास:					
कपूरिया परियोजना	-	-	-	6.50	6.50
कुल	310.87	130.52	115.16	928.72	1,485.27

### ग ) 31.03.2023 को अतिदेय पूंजीगत-कार्य प्रगति (समय या लागत के संबंध में)

		पूरा होने से	संबंधित अवधि	प्रे <sub>.</sub>
प्रगति पर परियोजनाएं:	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित):				
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	48.66			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	14.92			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	-			
संयंत्र और उपकरण				
जोगता में फीडर ब्रेकर				0.66
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	53.03			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाँथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	6.75			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	12.22	10.38		
रेलवे साइडिंग:				
महेशपुर साइडिंग में सीएचपी-कम-साइलो		34.92		
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	51.45			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाँथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	24.71			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		11.53		
विकास:				
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	36.33			
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाँथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	14.55			
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	1.19			
अन्य				
कुल	263.81	56.83		0.66



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 को	417.88
परिवर्धन	17.77
विलोपन / समायोजन	(250.00)
31 मार्च 2022 को	185.65
1 अप्रैल 2022 को	185.65
परिवर्धन	0.91
विलोपन / समायोजन	(12.68)
31 मार्च 2023 को	173.88
संचित प्रावधान और नुक़सान	
1 अप्रैल 2021 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षकि	18.52
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 को	18.52
1 अप्रैल 2022 को	18.52
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2023 को	18.52
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2023 को	155.36
31 मार्च 2022 को	167.13

### टिप्पणी:

### (क) अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	अन्वेषण ए	वं मल्यांकन में	राशि के संबंध	में अवधि	
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
ई एंड ई परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं:	22.74	80.28	-	52.34	155.36
अस्थायी रूप से निलंबित ई एंड ई परियोजनाएं	-	-	18.52	-	18.52
					-
योग	22.74	80.28	18.52	52.34	173.88

### (ख) अतिदेय पूंजीगत-कार्य प्रगति (समय या लागत के संबंध में)

	जिस अवधि में परिज	ानाएं पूर्ण होंगी	•	
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक
ई एंड ई परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं:				
सिंगारा एवं कपूरिया ब्लॉक, प. झरिया	-	-	46.49	-
ब्लॉक VIII, बस्ताकोला	-	•	6.85	-
योग	-	•	53.34	-





# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसंपत्तियां

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:			<u> </u>
1 अप्रैल 2021 को	_	-	_
परिवर्धन	_	_	_
विलोपन / समायोजन	_	_	_
31 मार्च 2022 को	_	_	_
1 अप्रैल 2022 को	-	_	-
परिवर्धन	18.58	_	18.58
विलोपन / समायोजन	-	_	-
31 मार्च 2023 को	18.58	<u>.</u>	18.58
संचित परिशोधन और नुक़सान		_	
1 अप्रैल 2021 को	-	-	_
वर्ष के लिए प्रभार	_	-	_
क्षति	_	-	_
विलोपन / समायोजन	-	-	_
31 मार्च 2022 को	-	-	_
1 अप्रैल 2022 को	_	_	_
वर्ष के लिए प्रभार	2.90	_	2.90
क्षति	-	_	-
विलोपन / समायोजन	_	_	_
31 मार्च 2023 को	2.90	_	2.90
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2023 को	15.68	-	15.68
31 मार्च 2022 को	_	-	_



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6.2 : विकास प्रक्रिया के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

T)	विकासाधीन ईआरपी
सकल वहन राशि:	
1 अप्रैल 2021 को	18.58
परिवर्धन	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 को	18.58
1 अप्रैल 2022 को परिवर्धन	18.58
विलोपन / समायोजन	(18.58)
31 मार्च 2023 को	-
संचित परिशोधन और नुक़सान 1 अप्रैल 2021 को	
	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 को	-
1 22 2000 -	
1 अप्रैल 2022 को र्क के किन्स करन	-
वर्ष के लिए प्रभार क्षति	-
विलोपन / समायोजन	-
विलापन / समायाजन 31 मार्च 2023 को	-
31 <b>পাল 2023 জা</b>	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2023 को	
31 मार्च 2022 को	18.58
0. 11 2022 m	10.30

### टिप्पणी:

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

### (क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में राशि के संबंध में अवधि						
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल		
चाल् परियोजनाएं							
विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-		
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:							
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-		
योग	-	-	-	-	-		

### (ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में अतिदेय (समय या लागत के संबंध में)

	To be completed in					
	1 वर्ष से कम 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष					
विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	-	-	-	-		
योग	-	-	-	-		





# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 7: निवेश

	इकाइयों की संख्या	प्रति इकाई	वर्ष के स	मापन पर
	इकाइया का संख्या	एनएवी/एफवी	31.03.2023	31.03.2022
अन्य निवेश				
कोआपरेटिव शेयरों में निवेश				
सुरक्षित बॉण्डों में निवेश				
कुल				
गैर-उद्भृत निवेशों की कुल राशि:				
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:				
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:				
वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
एसबीआई लिक्विड फंड	1,81,020.26	3,523.30	63.78	-
बड़ौदा बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	37,551.99	2,595.47	9.75	-
केनरा रोबेको लिक्विड फंड	13,788.95	2,696.71	3.72	
यूनियन लिक्विड फंड	11,395.58	2,169.45	2.47	-
एसबीआई ओवरनाइट फंड	13.08	3,649.25	-	
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बॉण्डों में निवेश)			-	
कुल			79.72	
गैर-उद्भृत निवेशों की कुल राशि:			79.72	
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	
गैर-उद्धृत निवेशों का उचित मूल्य (एनएवी):			79.72	



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8: ऋण (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के सुमापन पर				
	31.03.2023		31.03.2022		
गैर-वर्तमान					
संबंधित पक्षों को ऋण					
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-		
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-		
- क्रेडिंट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-		
- खराब साख	-		-		
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-		
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण					
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-		
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-		
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-		
- खराब साख	-		=		
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-		
कुल		-			

(₹' Crore)

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
उधारकर्ता का प्रकार	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

(₹' Crore)

गैर-वर्तमान				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		ı	
- खराब साख	=			
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		-		-

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2023 को		31.03.2	022 को
उधारकर्ता का प्रकार	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	_





(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2023	3	31.03.202	2
गैर-वर्तमान				
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के बैंक जमा <sup>'</sup>		0.01		-
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना2	687.19		592.81	
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	687.19	-	592.81
प्रतिभूति जमा	14.79		14.23	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	0.67	14.12	0.67	13.56
अन्य जमा एवं प्राप्य	4.54		0.81	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं और प्राप्यों के लिए भत्ता	-	4.54	-	0.81
कुल		705.86		607.18

### टिप्पणी:

1. बैंक जमाओं के अंतर्गत 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएं आती हैं।

### 2. खदान बंदी योजना के तहत बैंक के पास जमा:

क. खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से दिशानिर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार खदान बंदी योजना के आवधिक परीक्षण के अनुसार एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंदी के प्रावधान के लिए टिप्पणी 21.1 देखें)।

(₹ 'करोड़ में)

ख. एस्क्रो खाते के जमाशेष का मिलान	31.03.2023	31.03.2022
एस्क्रो खाते में आरंभिक तारीख को जमाशेष	592.81	516.09
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जमा राशि	69.81	66.86
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गयी ब्याज	24.57	17.33
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजन	0.00	0.00
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	0.00	7.47
अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में जमाशेष	687.19	592.81

3. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर					
	31.03.2	31.03.2023		.2022			
वर्तमान							
आईआईसीएम के साथ बकाया शेष		(0.01)		(0.91)			
अर्जित ब्याज		10.88		0.10			
प्रतिभूति जमा	-		-				
घटाएं : संदिग्ध प्रतिभूति जमाओं के लिए भत्ता	-	-	-	-			
अन्य जमा और अन्य प्राप्य 1	53.06		42.07				
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	4.95	48.11	4.95	37.12			
कुल		58.98		36.31			

### टिप्पणी:

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 10 : अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड में)

		वर्ष के सम	गपन पर	
	31.03	.2023	31.03	.2022
(I) पूंजीगत अग्रिम	367.62		116.89	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	4.40	363.22	4.40	112.49
(ii) अन्य जमा और अग्रिम	0.14		0.36	
घटाएं : संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ता	-	0.14	-	0.36
(iii) प्रगतिशील खदान बंदी के लिए व्यय'		257.49		237.06
(iv) संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम		-		-
कुल		620.85		349.91

### टिप्पणी:

1. खदान बंदी के लिए होने वाले व्यय, इस उद्देश्य के लिए रखे गए एस्क्रो खाते से प्राप्त िकए जाने हैं। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की ब्लॉक अविध के लिए ₹ 234.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 220.94 करोड़ रुपये) और वर्ष 2018-19 से 2022-23 की ब्लॉक अविध के लिए ₹ 212.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 99.23 करोड़ रुपये) को प्राप्य-योग्य के रूप में बुक किया गया। ब्लॉक वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए खदान बंदी खर्चों की लेखा परीक्षा सीसीओ द्वारा आईआईईएसटी, शिवपुर के माध्यम से की गई है। लेखापरीक्षित राशि में से ₹ 39.23 करोड़ की राशि जो अभी तक सीसीओ से प्राप्त नहीं हुई है, को बर्ष 2018-19 से 2022-23 की ब्लॉक अविध के लिए बुक की गई 50% बुकिंग (परिवर्तन का शुद्ध), यानी 106.38 करोड़ के साथ वर्तमान के तहत दिखाया गया है। इसके अलावा, ₹ 43.88 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक ₹ 36.42 करोड़ रुपये) अभी तक सीसीओ से प्राप्त हो चुका है।



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

			वर्ष के स	मापन पर	
		31.03	.2023	31.03	.2022
(क)	सांविधिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	158.18		45.10	
	घटाएं : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए भत्ता	-	158.18	-	45.10
(ख)	अन्य जमा और अग्रिम	1,192.25		1,413.91	
	घटाएं : अन्य संदिग्ध जमाओं और अग्रिमों के	1.82	1,190.43	1.10	1,412.81
	लिए भत्ता				
( <del>1</del> )	प्रगतिशील खान बंद करने के खर्च 1		145.61		39.23
(घ)	इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		1,323.29		1,052.09
	कुल		2,817.51		2,549.23

### टिप्पणी:

- प्रगतिशील खदान बंद करने पर होने वाले खर्च के लिए टिप्पणी 10.1 देखें।
- 2. निदेशकों से बकाया राशि के लिए टिप्पणी 38(7)(च) देखें
- 3. उपर्युक्त अन्य जमा एवं अग्रिमों में अतिरिक्त सीएसआर शामिल है (टिप्पणी- 29 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक देखें)।





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

(₹ 'करोड़ में)

			वर्ष के स	मापन पर	
		31.03.	2023	31.03.	2022
क.	कोयले का स्टॉक	920.97		897.95	
	विकास के तहत कोयला1	13.49		0.15	
	कोयले का स्टॉक (शुद्ध) ं		934.46		898.10
ख.	भंडार और पुर्जों का स्टॉक (शुद्ध)	83.87			
	जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	1.18		71.87	
	भंडार और पुर्जों का शुद्ध स्टॉक '		85.05	1.18	73.05
η.	केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक		5.76		4.17
घ.	कर्मशाला और प्रेस कार्य और अन्य		3.79		3.13
	कुल		1,029.06		978.45

### टिप्पणी:

- 1. एनएलडब्ल्यू मधुबन वाशरी में परीक्षण के लिए पड़े हुए कोयले के मूल्य को दर्शाता है।
- 2. मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या 2.20 -"इन्वेंट्री" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, देखें।
- 3. कोयले का स्टॉक ₹ 294.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 304.00 करोड़ रुपये) के प्रावधान का समायोजन है।
- 4. स्टोर्स और पुर्जों का स्टॉक ₹ 64.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 76.96 करोड़ रुपये) के प्रावधान का समायोजन है।



# **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद** एक मिनी रत्न कंपनी)

4 Ģ टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक 31.03.2023 को वर्ष के समापन पर

'करोड़ में)
(₹ 'क
ਜ ਸ੍ਰ <u>ੇ</u>
मात्रा लाख टन में)
(मात्रा
गदन, उठाव (आफटक) आर आतम स्टाक का विवरण
라 타
स्टाक
भातम
आर्
2C <del>4</del>
<u>ह</u> हु
उठाव
त्न,
6
स्टाक
राभक
न् आन
ापन प
-

तालिका: क

	क्रम स्टॉक		गैर-बिक्री र	गैर-बिक्री योग्य स्टॉक	बिक्री योग्य स्टॉक	1. 1
	मात्रा	मल्य	मात्रा	मध्य	मात्रा	मध्य
1. 01.04.2022 को आरंभिक स्टॉक	21.32	408.27	0.01	,	21.31	408.27
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	•	0.33	1	(0.33)	•
2.	361.79	10,962.29	-	1	361.79	10,962.29
3. उप-योग	383.11	11,370.56	0.34	1	382.77	11,370.56
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	311.09	9,576.79	_	1	311.09	9,576.79
(ख) नाशारियों में खपत	44.20	1,313.13	_	ı	44.20	1,313.13
(ग) निजी खपत/सीडब्ल्युआईपी	-	-	_	ı	-	-
4. उप योग (4)	355.29	10,889.92	-	1	355.29	10,889.92
5. ब्युत्पन स्टॉक (3-4)	27.82	480.64	0.34	ı	27.48	480.64
6. मापा गया स्टॉक	27.56	474.04	0.34	1	27.22	474.04
7. अंतर (5-6)	0.26	09.9	_	I	0.26	09.9
8. अंतर का विवरण:						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	0.20	2.94	1	ı	0.20	2.94
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.46	9.54	1	1	0.46	9.54
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	1	_	1	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	1	-	1	-	-
9. 31.03.2023 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक	27.82	480.64	0.34	ı	27.48	480.64

1. उत्पादन में कच्चे कोयले की मात्रा में 185.00 टन जब्त किया गया कोयला शामिल है।

# **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद** एक मिनी रत्न कंपनी)

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक

तालिका : ख

31.03.2023 को वर्ष के समापन पर आरंभिक स्टॉक, उत्पादन, उठाव (ऑफटेक) और अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा लाख टन में) (१ 'करोड़ में)

		कच्चा कोयला	कोयला		ည်း	धुला हुआ / स्लेटी पत्थर रहित कोचला	ग्त्थर रहित कोच	ला			, the state of the	<b>#</b>
विवरण	कोकिंग	केंग	गैर-क	गैर-कोकिंग	भे	कोकिंग	गैर-कोकिंग	क्रिंग	<u>ए</u> हुन	ב ב	मा लुद्धार	5
	मात्रा	मुल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मुल्य	मात्रा	मुल्य
आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	20.76	403.01	95.0	5.26	1.12	42.76	0.18	2.07	59.26	749.00	81.88	1,202.10
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	0.01	-	ı	-	ı	1	-	ı	ı	-	0.01	-
बिक्री योग्य आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	20.75	403.01	95.0	5.26	1.12	42.76	0.18	2.07	59.26	749.00	81.87	1,202.10
बिक्री योग्य स्टॉक का समायोजन	(0.33)	ı	ı	,	ı	1	,	ı	ı	-	(0.33)	-
उत्पादन (जब्त किए गए कोयला सहित)	337.16	10,451.41	24.63	510.88	14.35	1,696.76	-	-	31.29	1,014.90	407.43	13,673.95
उठाव (ऑफटेक): प्रेषण	291.74	9,156.67	19.35	420.12	14.22	1,689.26	1	ı	32.03	1,067.29	357.34	12,333.34
वाशरी के लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	39.89	1,235.25	4.31	77.88	1	1	1	ı	ı	1	44.20	1,313.13
निजी खपत / सीडब्ल्यूआईपी	-	1	1	1	1	-	-	-	-	0.27	,	0.27
कुल उठाव (ऑफटेक)	331.63	10,391.92	23.66	498.00	14.22	1,689.26	-	-	32.03	1,067.56	401.54	13,646.74
अंतिम स्टॉक/ लेखा बही में स्टॉक	25.95	462.50	1.53	18.14	1.25	50.26	0.18	2.07	58.52	696.34	87.43	1,229.31
कमी / अधिशेष (- / + 5 % से ऊपर)	1	ı	ı	1	,	1	•	•	1	1	,	ı
बिक्री योग्य अंतिम स्टॉक	25.95	462.50	1.53	18.14	1.25	50.26	0.18	2.07	58.52	696.34	87.43	1,229.31

		31.03.2023 को			31.03.2022 को	
उत्पाद् का नाम	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य
कच्चा कोयला	480.64	96:0	479.68	408.27	96.0	407.31
धुला हुआ कोयला	52.33	8.94	43.39	44.83	88.88	35.95
अन्य उत्पाद	696.34	284.95	411.39	749.00	294.16	454.84
कॅं	1,229.31	294.85	934.46	1,202.10	304.00	898.10



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के स	मापन पर	
	31.03.	.2023	31.03.	2022
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां ं				
- सरक्षित, उत्तम प्रवत्ति के⁴	6.67		6.67	
- असरक्षित, उत्तम प्रवित के <sup>5</sup>	1,244.48		1,030.34	
घर से डिस्ट्रमोडेखा रेपेसहिल पूर्ण किलए छट	-		-	
- खराब साख	362.40	1,613.55	378.57	1,415.58
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए  छृट	362.40	362.40	378.57	378.57
कुल		1,251.15		1,037.01

### टिप्पणी:

- 2 निदेशकों से बकाया राशि के लिए टिप्पणी 38(7)(च) देखें।
- 3 उपर्युक्त व्यापार प्राप्य ₹ 95.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹187.07 करोड़ रुपए) की राशि के कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान का समायोजन है।
- 4 व्यापार प्राप्य- सुरक्षित: ₹ 6.67 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.67 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी के समक्ष सुरक्षित हैं।"
- 5 व्यापार प्राप्तियां: अच्छी माने जाने वाली असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों में संबंधित वैधानिक देयता बकाया के साथ बाजार शुल्क के कारण सेल से प्राप्य ₹ 139.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹126.81 करोड़) की राशि शामिल है। सेल ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में कई आधारों पर बाजार शुल्क की ऐसी मांग के संबंध में एक याचिका दायर की है।

### 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

	ले	न-देन दिनांक से नि	म्न अवधियों के	लिए बकाया		
विविरण	6 वर्ष से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे जाने वाले	1,103.10	19.63	9.93	6.78	111.71	1,251.15
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छे समझे जाने वाले	-	-	1	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित "	30.32	18.04	76.30	57.96	179.78	362.40
कुल	1,133.42	37.67	86.23	64.74	291.49	1,613.55
गैर बिल बकाया	30.32	18.04	76.30	57.96	179.78	362.40
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	2.68%	47.89%	88.48%	89.53%	61.68%	22.46%

### 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

	ले	न-देन दिनांक से नि	ोम्न अवधियों के	लिए बकाया		
विविरण	6 वर्ष से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
(I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे जाने वाले	880.02	40.93	6.89	5.12	104.05	1,037.01
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छे समझे जाने वाले	-	-	•	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	86.91	23.46	8.02	86.64	173.54	378.57
कुल	966.93	64.39	14.91	91.76	277.59	1,415.58
गैर बिल बकाया						
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	86.91	23.46	8.02	86.64	173.54	378.57
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	8.99%	36.43%	53.79%	94.42%	62.52%	26.74%



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समा	पन पर
		31.03.2023	31.03.2022
(क)	बैंकों में जमा शेष		
	- जमा खातों में	63.00	545.00
	- चालू खातों में	-	
	ब्याज के साथ (सीएलटीडी)	22.74	8.30
	गैर-ब्याज के साथ	4.90	41.35
	- नकद क्रेडिट खातों में	33.70	-
(ख)	भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
(ग)	प्राइमरी डीलरों के साथ आईसीडी	420.00	
(ঘ)	हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	0.08	-
(ङ)	हस्तगत नकदी	-	-
(च)	भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
(छ)	भारत के बाहर हस्तगत नकदी	42.20	22.68
	कुल	586.62	617.33

### टिप्पणी:

- 1. नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तगत और बैंक नकदी, स्वीप खाते तथा बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाएं शामिल है।
- 2. ईएमडी पूल खाते के समक्ष एक्सिस बैंक में पड़े  $\neq$  0.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष  $\neq$  0.31 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
- 3. जीईएम पूल खाते के समक्ष भारतीय स्टेट बैंक में पड़े ₹ 41.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 22.37 करोड़ रुपए) शामिल हैं।"
- 4. प्राथमिक व्यापारियों के साथ आईसीडी 7 से 15 दिनों के बीच मूल परिपक्वता के साथ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं।





(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	(
	31.03.2023	31.03.2022
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खाते	560.00	
- विशेष उद्देश्य के लिए जमा खाते	7.58	7.24
- खदान बंदी योजना	-	-
- चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- शेयरों की वापसी खरीद (बाय-बैक) के लिए एस्क्रो खाता	-	-
- अदत्त लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	567.58	7.24

### टिप्पणी:

- 1. अन्य बैंक बैलेंस में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता की सावधि जमाएं एवं अन्य बैंक जमाएं शामिल हैं।
- 2. विशिष्ट प्रयोजन के लिए जमा खातों में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में विभिन्न बैंकों के पास गिरवी रखी गई ₹ 3.75 करोड़ की सावधि जमा (उपार्जित ब्याज सहित) राशि शामिल है।
- 3. कीमत में अंतर के कारण 01.03.2006 से 30.03.2006 की अविध के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को विभिन्न बैंकों में अलग-अलग पिरपक्वता अविध के लिए अलग-अलग ब्याज दर पर साविध जमा के रूप जमा िकया गया था। अंतिम पिरपक्वता राशि ₹ 3.73 करोड़ (अर्जित ब्याज ₹ 0.10 करोड़ को छोड़कर) को दिनांक 02.11.2022 को यूको बैंक में 7.20 % वार्षिक ब्याज दर पर साविध जमा के रूप में पुनः जमा कर दिया गया। उक्त साविध जमा पर अर्जित ब्याज और 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के बीच का अंतर जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भविष्य में देय हो सकता है, की राशि 3.50 करोड़ को 31.03.2023 तक आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर		
	31.03.2023	31.03.2022	
<u>अधिकृत</u>			
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 5,10,00,000 (गत वर्ष 5,10,00,000) इक्विटी शेयर <sup>2</sup>	5,100.00	5,100.00	
	5,100.00	5,100.00	
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)			
1. ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 2,03,30,126 इक्विटी शेयर	2,033.01	2,033.01	
2. नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 2,62,39,874 (गत वर्ष 2,62,39,874) इक्विटी शेयर3	2,623.99	2,623.99	
कुल	4,657.00	4,657.00	

### टिप्पणी:

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौराम % में परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)	46570000	100	0.00

- 2. वर्तमान अविध के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (100%) द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विवरण के लिए, टिप्पणी संख्या 38.15.n: पूंजी संरचना में प्रिवर्तन टेखें।
- 3. कंपनी के पास केवल ₹ 1000 / प्रति शेयर अंकित मूल्य के एक वर्ग के इिक्वटी शेयर हैं। इिक्वटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में मतदान अधिकारों के हकदार हैं। "
- 4. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समंजन:-"

विविरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2019 को बकाया शेष	2,11,80,000	2118.00
जोड़ें: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने के कारण जारी किए गए शेयर	2,53,90,000	2539.00
31.03.2020 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बदलाव	-	-
31.03.2021 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 का बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 का बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

	अन्य	रिजर्व				
	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी आरक्षित निधि	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2021 को शेष	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	(1,568.19)
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 को पुनर्विवर्णित शेष	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	(1,568.19)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	111.62	73.34	184.96
विनियोग	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-		-	
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	
31.03.2022 को शेष	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	(1,383.23)
01.04.2022 को शेष	-	-	140.99	(1,671.76)	147.54	(1,383.23)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की						
त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	645.01	(134.65)	510.3
विनियोग	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	
धारित आय से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	_	-	
इक्विटी शेयर की बायबैक	-	-	-	_	-	
बायबैक पर कर				_	-	
31.03.2023 को शेष	_	_	140.99	(1,026.75)	12.89	(872.87



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 18 : उधारियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के स	मापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-मौजुदा		
मियादी ऋण		
- बैंकों से	-	1
- अन्य पक्षों से	_	1
संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट स्विधा - बैंकों से अन्य ऋण <sup>1-3</sup>	-	-
	-	1
अन्य पक्षों से	-	-
लंबी अवधि के उधारियों की वर्तमान परिपक्वता	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

### टिप्पणी:

- 1. कार्यशील पूंजी में एचडीएफसी बैंक से ₹ 850.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2000.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
- 2. आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.00 करोड़) की अल्पाविध ऋण स्वीकृत सीमा (असुरक्षित)। इसमें से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
- 3. कार्यशील पूंजी में एक्सिस बैंक से ₹ 200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 200.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
- 4. निदेशकों या अन्य द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।
- 5. 31.03.2023 को कोई सुरक्षित ऋण नहीं है।
- 6. सभी डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं असुरक्षित हैं.





(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 19: व्यापार देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2023	31.03.2022
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	13.57	25.40
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा'	899.34	774.86
कुल	912.91	800.26

### टिप्पणी:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	31.03.2023	31.03.2022
1. मूलधन और ब्याज राशि भुगतान के लिए शेष, लेकिन बकाया नहीं	13.57	25.40
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ-साथ भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
3. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	1
4. अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और भुगतान के लिए बाकी	-	-
5. आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज के रूप में बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं हो जाती।	-	-

### 1. 31.03.2023 को व्यापार देयताओं की कालक्रम अनुसूची

	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
विविरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	13.57	0.00	-	-	13.57
(ii) अन्य	726.68	95.27	18.50	58.89	899.34
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-
(iv) गैर बिल देयताएं	-	-	-	-	-
कुल	740.25	95.27	18.50	58.89	912.91

### 2. 31.03.2022 को व्यापार देयताओं की कालक्रम अनुसूची

	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया				
विविरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	25.40	-	-	-	25.40
(ii) अन्य	659.82	41.99	5.06	67.99	774.86
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	_	-	-	-
(iv) गैर बिल देयताएं	-	-	-	-	-
कुल	685.22	41.99	5.06	67.99	800.26



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के स	मापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	290.32	276.83
अन्य	6.19	6.88
कुल	296.51	283.71

वर्तमान		
निम्नलिखित के साथ चाल् खाता		
- सी आई एल	395.46	371.01
- आई आई सी एम	-	-
अदत्त लाभांश	395.46	371.01
प्रतिभूति जमा	118.95	180.45
अग्रिम धन	76.64	35.65
पूंजीगत व्यय	50.00	93.58
कर्मचारी लाभों के लिए दायित्व	761.13	822.63
अन्य1	46.22	3.69
कुल	1,448.40	1,507.01

### टिप्पणी:

1. उपरोक्त अन्य में खर्च न हुआ सीएसआर व्यय भी शामिल है (टिप्पणी- 29 सीएसआर व्यय का अनुलम्नक देखें)





(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 21 : प्रावधान

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समा	पन पर
	31.03.2023	31.03.2022
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	601.63	627.26
- अवकाश नकदीकरण	420.31	404.25
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	301.33	458.62
- अन्य कर्मचारी लाभ	40.33	42.13
अन्य प्रावधान	1,363.60	1,532.26
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	528.10	483.35
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन1	221.28	(480.02)
अन्य	-	-
कुल	2,112.98	1,535.59

### टिप्पणी:

### टिप्पणी: 1. साइट पुनर्स्थापना/खदान बंदी के लिए प्रावधान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि सुधार एवं संरचनाओं के विघटन के लिए कंपनी के दायित्व में सतह एवं भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च करना भी शामिल है। आवश्यक कार्य करने के लिए, भविष्य के नकद व्यय की राशि एवं समय की विस्तृत गणना एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान बंद करने, साइट पुनर्स्थांपन एवं संरचनाओं के विघटन के लिए दायित्व का अनुमान किया जाता है। खदान बंद करने का व्यय अनुमोदित खदान समापन योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के अनुमानों को बढ़ाया जाता है और फिर (@ 8%) की दर से छूट दी जाती है, जो पैसे के समय मूल्य एवं जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। छूट का प्रभाव स्थिर रहने; वित्तीय व्यय के रूप में मान्य व्यय बनाने के कारण प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ जाता है। खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में एक एस्क्रो खाता खोला गया है। (नोट देखें - 9)

2. भूमि बहाली / स्थल पुनर्स्थापना/ खदान बंदी का समंजन	31.03.2023	31.03.2022
आरंभिक तारीख को साइट बहाली प्रावधान का सकल मूल्य	483.35	482.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान पूंजीकरण / समायोजन के लिए प्रावधान	11.41	14.16
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए छूट शुल्क की समाप्ति	39.88	37.62
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान समायोजन	6.54	43.35
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	0.00	7.47
समापन तिथि पर खदान बंद करने का प्रावधान	528.10	483.35

(₹' Crore)

	As a	As at	
	31.03.2023	31.03.2022	
वर्तमान			
कर्मचारी लाभ			
- उपदान (ग्रेच्युटी)	331.65	279.45	
- अवकाश नकदीकरण	63.61	42.62	
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	32.51	27.82	
- अनुग्रह राशि	327.80	286.95	
- प्रदर्शन आधारित भुगतान (पीआरपी)	202.51	156.21	
- अन्य कर्मचारी लाभ	1,472.66	239.73	
	2,430.74	1,032.78	
अन्य प्रावधान			
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	-	-	
अन्य	-		
कुल	2,430.74	1,032.78	

1. वेतन एवं मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के गैर-अधिकारियों के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA-XI) को अंतिम रूप देने के लिए प्रति कर्मचारी (गैर-अधिकारी) ₹19,100/- प्रतिमाह की दर से ₹ 1446.91 करोड़ का अनुमानित प्रावधान को मान्य किया गया है।





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 22 : अन्य गैर-मौजुदा देयताएं

(₹ 'करोड में)

	वर्ष के स	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2023	31.03.2022	
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	147.56	471.56	
आस्थगित आय <sup>। व 2</sup>	1.98	2.75	
अन्य	0.28	1	
कुल	149.82	474.31	

### टिप्पणी:

- 1. पूर्वी झिरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 1.37 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे साइडिंग को पूंजीकृत िकया गया है। तदनुसर अब तक ₹ 0.18 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता को अन्य आय के माध्यम से वर्ष दर वर्ष आधार पर परिशोधित िकया गया है। रिपोर्ट अविध के दौरान रेलवे साइडिंग के लिए रु. 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए) की अनुपातिक राशि को अन्य के माध्यम परिशोधित िकया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष राशि में से ₹ 0.09 करोड़, जिसे अगले एक वर्ष के दौरान समायोजित िकया जाएगा, को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।"
- 2. पश्चिमी झिरया क्षेत्र में टेली-मॉनिटिरंग और मैन-राइडिंग सिस्टम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 4.71 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। टेली-मॉनीटिरंग प्रणाली को पूंजीकृत कर दिया गया है और तदनुसार अब तक टेली-मॉनीटिरंग से संबंधित पूंजीगत सहायता में से ₹ 3.14 करोड़ रुपए को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अन्य आय के माध्यम से आबंटित किया गया है। मैन-राइडिंग प्रणाली अभी भी पूंजीगत जारी कार्य के अंतर्गत है और तदनुसार इससे संबंधित पूंजीगत सहायता आस्थिगित आय के अंतर्गत पड़ी हुई है। चालू वर्ष के दौरान, टेली-मॉनीटिरंग प्रणाली के विरुद्ध ₹0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) की आनुपातिक राशि को अन्य आय के माध्यम से पिरशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष राशि में से ₹ 0.69 करोड़, जिसे अगले एक वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 23 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समाप	पन पर
	31.03.2023	31.03.2022
वैधानिक बकाया <sup>। एवं 2</sup>	850.27	816.54
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	1,102.16	1,150.94
उपकर समानीकरण खाता3	14.86	61.09
अन्य देयताएं 4	1.34	29.69
कुल	1,968.63	2,058.26

#### टिप्पणी:

- 1. सांविधिक देय शुद्ध प्राप्य और देय के बाद है।
- 2. सांविधिक देय राशि में 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ₹ 171.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 150.44 करोड़) का बाज़ार शुल्क शामिल है, जिसमें (i) जनवरी-मार्च 2023 की अविध के दौरान ₹ 32.32 करोड़ की कुल देनदारी, सेल (SAIL) को छोड़कर और (ii) सेल से मार्च 2023 तक बाजार शुल्क की वसूली न की गई राशि ₹ 139.42 करोड़ राशि जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, शामिल है।
- 3. सीवी क्षेत्र (पं.बं. भाग) के मामले में, पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला आधारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर मूल्यांकित और पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली के संबंध में ₹ 14.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.02 करोड़) की देय राशि शेष है जिसे उपकर समतुल्यीकरण खाते के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 4. टिप्पणी-22 के फ़ुटनोट 1 और 2 देखें।





(एक मिनी रत्न कंपनी)

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के सम	ापन पर	वर्ष के सग	गपन पर
		31.03.2		31.03.	
क.	कोयला की बिक्री	16,337.56		12,867.34	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	4,004.22		3,421.76	
	बिक्री- ग़ुद्ध (क)		12,333.34		9,445.58
ख.	अन्य परिचालन से राजस्व				
	बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		-		-
	लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	774.24		521.74	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	41.05	733.19	24.96	496.78
	निकासी सुविधा शुल्क	225.26		194.82	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	10.86	214.40	9.32	185.50
	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) ख		947.59		682.28
	परिचालन से राजस्व (क + ख)		13,280.93		10,127.86

#### टिप्पणी:

- 1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत निष्पादन बिल प्रोत्साहन के रूप में ₹ 577.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 76.40 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
- पार्टियों को जारी किए गए/जारी किए जा रहे डेबिट/क्रेडिट नोट के कारण, ग्रेड के उन्नयन/(गिरावट) से कच्चे कोयले की बिक्री में ₹ (90.71) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (80.60) करोड़) वृद्धि/(कमी) हुई है।
- 3. कच्चे कोयले की बिक्री में 15.70 लाख टन (गत वर्ष 13.55 लाख टन) की ई-नीलामी की मात्रा और ₹ 607.62 करोड़ (गत वर्ष ₹ 196.25 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
- 4. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल समायोजन) के कारण ₹ 91.67 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ (63.83) करोड़) की वृद्धि/(कमी) हुई है।
- 5. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी संख्या-38) में मद सं 15.i.iv के तहत दर्शाया गया है।



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
ब्याज से आय।	59.08	22.56
सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश आय	-	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2.31	0.18
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर वृद्धि-लाभ	7.61	-
पट्टा किराया	0.03	4.63
देयता / प्रतिलेखन प्रावधान	240.80	331.99
उचित मूल्य परिवर्तन	0.11	-
विविध आय2	107.38	92.61
कुल	417.32	451.97

- 1. उत्पाद शुल्क वापसी पर ब्याज ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.74 करोड़) शामिल
- 2. इसमें ₹ 0.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 0.52 करोड़) की आस्थगित आय (पूंजीगत अनुदान) का परिशोधन शामिल है।"

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 26: खपत की गई सामग्री की लागत

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
विस्फोटक	531.99	280.22
टिंबर / लकड़ी	0.54	0.29
तेल और स्नेहक	372.85	286.96
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जे	46.59	31.30
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	37.85	35.86
कुल	989.82	634.63





(एक मिनी रत्न कंपनी)

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 27 : तैयार माल,/चालू कार्य की माल-सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
कोयले का आरम्भिक स्टॉक	898.10	1,126.84
राजस्व में लाया गया स्टॉक	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	920.97	898.10
कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)	(22.87)	228.74
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	3.13	3.52
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	3.79	3.13
कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)	(0.66)	0.39
कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क + ख) {कमी/ (वृद्धि)}	(23.53)	229.13

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹' Crore)

	वर्ष के स	मापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03	.2023	31.03.2022
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित) '		5,670.31	4,504.03
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		1,404.23	1,056.19
कर्मचारी कल्याण व्यय		283.58	228.10
कुल	,	7,358.12	5,788.32

#### टिप्पणी:

1. एनसीडब्ल्यूए- XI के प्रावधान के लिए टिप्पणी सं. 21 (अन्य कर्मचारी लाभः वर्तमान) को देखें।



(एक मिनी रत्न कंपनी)

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 29: कॉरपोरेट सामाजिक व्यय (सीएसआर) व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
सीएसआर व्यय	13.36	2.99
कुल	13.36	2.99

#### टिप्पणी:

#### क. सीएसआर व्यय का गतिविधि-वार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):

(₹' Crore)

भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	9.30	2.82
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	3.88	0.17
लैंगिक समानता और सामाजिक एवंआर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा झेली जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	
पर्यावरणीय स्थिरता	-	
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	
सशस्त्र बलों के विरष्ठों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	_	
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.18	
मलिन बस्तीक्षेत्र का विकास	-	
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	
कुल	13.36	2.99

#### ख. व्यय करने हेतु सीएसआर और सीएसआर व्यय खंड-वार विवरण

क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	6.10	4.93
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	11.42	4.93
ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिप्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	11.42	2.99

ग. चल रही परियोजना के अलावा खर्च न की गयी राशि [धारा 135(5)]

00.00	00.00	00'0	0.00	000	गल रही परियोजना के अलावा खर्च न की गयी राशि
		आवश्यक राशि	गई राशि		
सान्न	गई साश	के लिए	के भीतर जमा की	5 6 1 2 2 2	
श्रेष	खर्च की	खर्च करने	निर्दिष्ट निधि में 6 माह	ي	
अंतिम	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अनुसूची VII की		
(र 'करोड़ में)	)				ા. થેલ રહી પારવાળની જે ઝેલાવા છાથે ન જો નથી શારા [ચરા 135(5)]

घ. अधिक खर्च की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्ष-वार विवरण	प्रारंभिक शेष राशि	वर्षे के दौरान खर्चे की जाने वाली राशि	यू यू यूरा खर्च की गई सांश	अंतिम शेष राशि
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00

ड़. खर्च न की गयी चालू परियोजना [धारा 135(6)]

	<u>e</u>			वर्ष के दौ	वर्ष के दौरान खर्च	4	1
	प्रारामक	રાષ શાશ	वर्ष के दौगन	की गड़	की गई राशि	सायम	।व रा।श
वर्ष-वार विवरण	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अत्यागन काने में	खर्च की जाने वाली सिश	कंपनी के बैंक	अलग सीएसआर अव्ययित	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित
		अन्यव्य खारा म		खात स	खाते से		खाते में
2022-23	0.00	1.94	11.42	8.50	1.94	2.92	-
2021-22	0.00	0.00	4.93	2.99	0.00	0.00	1.94
कुल	-	1.94	16.35	11.49	1.94	2.92	1.94

च. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

	आरंभिक शेष	अवधि के दौरान े े े	वर्ष के दौरान े	अंतिम
		जाड़ा गया रााश	समायाजन	श्रेष
सीएसआर खर्चों की देयता के लिए प्रावधान (अन्य व्यापार देव में शामिल - टिप्पणी संख्या 19)	7.50	4.86	2.36	10.00

छ. मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और खर्च किए गए सीएसआर व्यय का मिलान

	2022-23	77-1707
खर्च किए गए सीएसआर व्यय	10.44	2.99
घटाएः वर्षे के दौरान अग्रेनीत/(उपयोगित) आधिक्य	1	•
जोड़ें: चालू परियोजनाओं पर अव्ययित सीएसआर व्यय	2.92	-
जोड़ें: चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर अन्ययित सीएसआर व्यय	1	•
लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त राशि	13.36	2.99



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 30: मरम्मत

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
भवन	44.57	34.94
संयंत्र एवं मशीनें	67.62	105.59
अन्य	4.92	4.11
कुल	117.11	144.64

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
	22611	220.22
परिवहन शुल्क	336.11	320.32
वैगन लदाई	31.48	19.33
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1,751.16	1,431.49
अन्य संविदात्मक कार्य	272.60	190.97
कुल	2,391.35	1,962.11





(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 32: वित्तीय लागतें

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
ब्याज खर्चे		
छूट का विवरण	55.69	48.60
समूह के अंदर पार्क की गई धनराशि	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत	-	29.15
कुल	55.69	77.75

### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 33: प्रावधान

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
संदिग्ध ऋण	16.16	23.21
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.72	-
भंडार एवं पुर्जे	1.38	13.36
अन्य	-	-
कुल	18.26	36.57



(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

	वर्ष के सम	वर्ष के समापन पर		वर्ष के समापन पर	
	31.03.	2023	31.03	.2022	
_					
संदिग्ध ऋण	-		16.58		
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-	16.58	-	
संदेहास्पद अग्रिम	-				
घटाएं:- पहले दिया गया	-	_		-	
अन्य	-		-		
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-	-	-	
कुल		-		-	





# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 35 : अन्य खर्चे

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
यात्रा खर्च	14.02	4.56
प्रशिक्षण व्यय	8.04	5.25
टेलीफोन एवं डाक	10.25	2.16
विज्ञापन एवं प्रचार	3.12	1.15
माल भाड़ा प्रभार	33.82	28.32
विलम्ब शुल्क	21.94	11.72
सरक्षा व्यय	359.54	312.33
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	36.18	30.51
सीएमपीडीआई को परामर्श शुल्क	56.23	17.73
कान्नी खर्च	5.60	2.10
परामर्श शुल्क	2.43	2.51
कम/ अधिक भराई शुल्क	55.58	71.62
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/अप्रयुक्तता पर हानि	1.73	2.49
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
- लेखा-परीक्षण शुल्क हेतु	0.44	0.44
- कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.02	0.02
- अन्य सेवाओं हेतु	-	-
- खर्चो की प्रतिपूर्ति हेतु	0.21	0.17
आंतरिक एवं अन्य लेखा-परीक्षा खर्चे	3.38	3.18
पुनर्वास पर व्यय	21.34	19.39
पट्टा किराया	40.12	26.41
दरें एवं कर	265.50	248.76
बीमा	1.71	1.14
विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	2.96	1.81
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	12.13	5.43
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-
पर्यावरणीय और वृक्षारोपण व्यय	3.52	7.76
शेयरों के बायबैक पर खर्च	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.08	0.04
विविध खर्चे	70.01	57.36
कुल	1,029.90	864.36



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी)

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 36: कर व्यय (₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2023	31.03.2022
चालू वर्ष	1.31	-
आस्थगित कर	(143.44)	79.69
पहले के वर्ष	-	1
कुल	(142.13)	79.69

#### टिप्पणी:

दिनांक 31.03.2023 के लिए भारतीय घरेलू कर दर से गुणित कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2023	31.03.2022
कर से पहले लाभ / (हानि)	502.88	191.31
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	25.17%	25.17%
आयकर व्यय	1.31	-
घटाएं: आयकर से मुक्त आय	-	-
घटाएं: कर प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनुमत खर्च	-	
जोड़ें: कर प्रयोजनों के लिए गैर-कटौती योग्य खर्च	-	
जोड़ : पूर्व के वर्षों के लिए समायोजन	-	=
जोड़ : आस्थगित कर देयता / (संपत्ति)	(143.44)	79.69
लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया आयकर व्यय	(142.13)	79.69
प्रभावी आयकर दर:	-28.26%	41.65%

### आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित है:

	31.03.2023	31.03.2022
आस्थगित कर संपत्ति:		
व्यापार प्राप्य, दावों, आदि से संबंधित।	134.52	164.52
कर्मचारी लाभ	788.71	259.73
अन्य (कर योग्य हानि सहित)	387.49	549.95
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति (क)	1,310.72	974.20
आस्थगित कर देयता:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	100.89	40.66
अन्य	108.73	91.13
कुल आस्थगित कर देयता (ख)	209.62	131.79
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति (ग) (क-ख)	1,101.10	842.41
घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन [डीटीएल(+)/डीटीए(-)]	(45.29)	24.67
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (ग+घ)	1,055.81	867.08





(एक मिनी रत्न कंपनी)

#### वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां टिप्पणी 37: अन्य व्यापक आय

		वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
		31.03.2023	31.03.2022
(क)	(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		
	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(179.94)	98.01
		(179.94)	98.01
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन <sup>2</sup>	(45.29)	24.67
		(45.29)	24.67
	कुल (क)	(134.65)	73.34
(ख)	(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाने वाले मदों से		
	संबंधित आयकर		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	(134.65)	73.34

- 1. ग्रेच्युटी के लिए ₹ (196.07) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 196.18 करोड़ रुपये) और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए ₹ (10.87) करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 98.17 करोड़) के लिए शामिल है।
- 2. परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्निधारण पर आयकर में 31.03.2023 को समाप्त वर्तमान अविध के लिए ₹ 0.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) और 31.03.2023 को समाप्त वर्तमान अविध के लिए आस्थिगित कर परिसंपित /(देयता) ₹ (45.29) करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 24.67 करोड़) शामिल हैं।"



(एक मिनी रत्न कंपनी)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां (टिप्पणी 38)

1. उचित मूल्यांकन (भारतीय लेखा मानक 113)

# (क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन/दस्तावेज

(₹ 'करोड़ में)

		31 मार्च, 2023			31 मार्च,	2022
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति					- 1	
निवेश :						
सुरक्षित बांड						
अनुषंगी कंपनी में						
अधिमान शेयर						
म्युचुअल फंड	79.72			0.00		
<b></b>			0.00			0.00
जमा एवं प्राप्य			764.84			643.49
कारोबारी प्राप्य			1251.15			1037.01
नकद और नकद समतुल्य			586.62			617.33
अन्य बैंक शेष			567.58			7.24
वित्तीय देयताएं						
उधारियां			0.00			0.00
पट्टा देयताएं			212.64			200.28
व्यापार देनदारियां			912.91			800.26
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि			485.91			492.93
अन्य देनदारियां			1259.00			1297.79

# ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों में निर्धारित निर्णय और अनुमानों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं (क) उचित मूल्य पर मान्यता एवं मूल्यांकन (ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकन और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए कंपनी अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका में निम्नलिखित है।



(₹ 'करोड़ में)

उचित मल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2022		
उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियां-	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
म्युचुअल फंड	79.72			0.00		
वित्तीय देनदारियां						
अगर कोई मद हैं तो						

(₹ 'करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय		31 मार्च, 202	3	,	31 मार्च, 2022	2
परिसंपत्तियां एवं देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां		1	'		1	
निवेश						
अधिमान शेयर						
म्युचुअल फंड						
<b></b>			0.00			0.00
जमा और प्राप्य			764.84			643.49
प्राप्य योग्य व्यापार			1251.15			1037.01
नकद और नकदी समकक्ष			586.62			617.33
अन्य बैंक शेष			567.58			7.24
वित्तीय देनदारियां						
उधारियां			0.00			0.00
पट्टा देयताएं			212.64			200.28
व्यापार देनदारियां			912.91			800.26
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि			485.91			492.93
अन्य देनदारियां			1259.00			1297.79

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में उद्भृत मूल्यों से प्राप्त मूल्यांकित वित्तीय साधनों को भी शामिल किया है। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है, जिसमें उद्भृत मूल्य और समापन एनएवी का उपयोग कर इसके मूल्य को जाना जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो नमूदार बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करते हैं, का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण उचित मूल्य के लिए सभी प्रविष्टियां आवश्यक है तो एक साधन देखा जाता हैं, यह साधन स्तर 2 में शामिल है।

स्तर 3: यदि एक या इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो यह साधन स्तर 3 में शामिल है। यह मामला गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के स्तर 3 में शामिल है।

### ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपकरणों की उद्धृत बाजार की कीमतों का उपयोग
- शेष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग कर किया जाता है।

### घ) उचित मूल्य का मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किया जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किसी भी उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया हैं।

### इ) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन

व्यापार प्राप्तियां, अल्पाविध जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देय के अल्पकालिक प्रकृति के कारण इन्हें इनके उचित मूल्यों के बराबर ही माना जाता है।

कंपनी यह मानती है कि "प्रतिभूति जमा" में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप होगा और संविदा हेतु आवश्यक रकम का प्रतिधारण वित्तीय प्रावधानों अतिरिक्त कारणों के लिए होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, कंपनी के हित के लिए अपेक्षित है, तािक संविदा के तहत अपने दाियत्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल रहने वाले ठेकेदार से निपटा जा सके। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रांजेक्शन लागत को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में विचार किया जाता है और उसके बाद परिशोधित लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: किसी सिक्रय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारित मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया जाता है। किसी विधि का चयन करने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अविध के अंत में उपयुक्त धारणाएं बनाने के लिए कंपनी अपने निर्णय का उपयोग करती है।

#### 2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

### क. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का पक्ष में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकद और सीधे अपने परिचालन से प्राप्त होने वाले नकदी समकक्ष को शामिल किया गया हैं।

कंपनी ने बाजार के जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। कंपनी के विरष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन देखरेख करते हैं। कंपनी के विरष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधन को इन जोखिम से अवगत कराया है। कंपनी के विरष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम सिमित द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो वित्तीय जोखिमों पर परामर्श देने के साथ-साथ कंपनी के लिए उचित एवं शासकीय वित्तीय जोखिम से भी अवगत कराती है। यह जोखिम सिमित निदेशक मंडल यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हो रही है और यह वित्तीय जोखिम कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के आलोक में चिह्नित, मूल्यांकित एवं प्रबंध की जा रही है। निदेशक मंडल ने इन प्रत्येक जोखिमों की प्रबंधकीय व्यवस्था की समीक्षा की है और इसपर अपनी सहमित व्यक्त की है, जिसका सारांश निम्नलिखित है।

कंपनी ने बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। इस टिप्पणी में इक्विटी के जोखिम के स्रोतों को परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि इन जोखिमों का प्रबंध कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा और वित्तीय विवरणी में इस बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव होगा।



जोखिम	उजागर का स्रोत	मूल्यांकन	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियों, परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन	एजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधारी और अन्य देनदारियां	आवधिक नकद प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और उधार लेने की सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा विनिमय	भविष्य वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और आईएनआर में शामिल नहीं की गई देनदारियों	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से घड़ी और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

- ख. कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश कवर करने वाली पालिसियों के लिए लिखित सिद्धांतों को उपलब्ध कराती है।
- ग. ऋण जोखिम: ऋण जोखिम नकद और नकदी समकक्ष, परिशोधित लागत और बैंकों और वित्तीय संस्थानों साथ-साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होती है।

#### i. ऋण जोखिम प्रबंधन:

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसे विनियामक प्रभार) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

# ii. ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):

जैसा कि एनसीडीपी (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के ग्राहकों के साथ कानूनी रूप से उचित वितरण व्यवस्था बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया है। हमारे ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत उपयोगी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (PPUs) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया गया है।
- गैर-विद्युत उद्योगों के उपभोक्ताओं (कैप्टिव पॉवर प्लांट CPPs)) के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs), और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs)

#### iii. ई-नीलामी योजना:

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

#### घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान:

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / खराब क्रेडिट संपत्ति के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि उपलब्ध कराती है। (टिप्पणी-13, व्यापार प्राप्तियां देखें।)

### महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

### ड.) तरलता जोखिम

विवेक पूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि की उपलब्धता। अंतर्निहित कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी द्वारा राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट के तहत उपलब्धता बनाए रखने में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी के तरलता की स्थिति (आहरित नहीं की गई निम्नलिखित उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकद और नकदी समकक्ष पर नज़र रखता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति एवं सीमा के अनुसार कंपनी को स्थानीय स्तर पर संचालित करने वाले समूहों में किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक अनुषंगी कंपनी की बैंक उधारी को बैंकों के कंसोर्टियम के अंदर कोयले का स्टॉक, स्टोर तथा स्पेयर पार्ट्स एवं बुक ऋण के एवज में चार्ज बनाकर सुरक्षित किया गया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए उपल्ब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण सीमा 335.00 करोड़ रुपए है, जिसमें फंड आधारित सीमा 140 करोड़ रुपए तथा गैर फंड आधारित सीमा 195.00 करोड़ रुपए है। एचईएमएम के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए कंसोर्टियम के बाहर 2500 करोड़ रुपए फंड आधारित सीमा तथा 5310 करोड़ रुपए गैर फंड आधारित सीमा निर्धारित की गयी थी। सीआईएल उस सीमा तक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है, जिस हद तक ऐसी सुविधा वास्तव में सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती है।

#### i. वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित नहीं की गई उधार सुविधाएं उपलब्ध है:

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2023	31.03.2022
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही है (ओवरड्राफ्ट सुविधाएं)	1100.00	2250.00
एक वर्ष से परे समाप्त हो रही है (बैंक ऋण)	0.00	0.00

#### ii. वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण निम्नलिखित है। तालिका में प्रकटित राशि संविदात्मक गैर-मूल्यांकित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण 12 महीने के अंदर जमा शेष पिछले शेष के बराबर है।



(₹ 'करोड़ में)

31.03.2023 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 5 वर्ष तक	कुल
उधारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय पट्टा के तहत दायित्व	14.71	14.72	29.42	58.78	95.01	212.64
व्यापार देनदारियां	912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	912.91
अन्य वित्तीय देनदारियां	680.37	76.51	691.52	58.98	237.53	1744.91
कुल	1607.99	91.23	720.94	117.76	332.54	2870.46
31.03.2022 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 5 वर्ष तक	कुल
उधारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय पट्टा के तहत दायित्व	12.22	12.22	19.49	48.82	107.53	200.28
व्यापार देनदारियां	800.26	0.00	0.00	0.00	0.00	800.26
अन्य वित्तीय देनदारियां	1150.55	136.73	219.73	10.85	272.86	1790.72
कुल	1963.03	148.95	239.22	59.67	380.39	2791.26

### च) बाजार जोखिम

### i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित हो सकती है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम नगण्य माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और इसके जोखिम पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। कंपनी के एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में कार्यान्वित किया जाता है।

### ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा में ब्याज दर के बदलाव से होता है, जिसे कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम में प्रकट किया गया है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा को स्थिर दर पर बनाए रखना है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभृतियों के विविधीकरण का उपयोग कर इस जोखिम का प्रबंधन करती है।

### छ) पुंजी प्रबंधन

कंपनों के एक सरकारी संस्था होने के नाते वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नलिखित है:

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर पूंजी	4657.00	4657.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

#### 3. कर्मचारी लाभ: मान्यता एवं मापन (भारतीय लेखा मानक-19) (टिप्पणी 21 एवं 28)

#### क. परिभाषित लाभ योजना

#### i. ग्रच्युटी (उपदान)

कंपनी, ग्रेच्युटी के लिए नियोजन उपरांत पात्र कर्मचारियों को एक परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्यूटि स्कीम) प्रदान करती है। यह ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्तपोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा-अविध पूरी कर ली हो, वे कंपनी से अलग होते समय ग्रेच्युटी भुगतान की रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसकी गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के यथा संशोधित प्रारूप के तहत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (महीने में 15 दिन/26 दिन \* अंतिम आहरित वेतन एवं महंगाई भत्ता \* पूर्ण सेवा-वर्ष) के बराबर, अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ तक होगी। ग्रेच्युटी योजना से संबंधित तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपित्त रिपोर्टिंग अविध के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपित्तयों का उचित मूल्य घटा है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धित का उपयोग कर परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापी लाभ एवं हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे सीधे तौर पर दसरे व्यापकआय (ओसीआइ) में घटित होते हैं।

#### ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति अथवा चिकित्सकीय आधार पर कंपनी की सेवा से अलग होने अथवा कॉमन कोल कैडर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने अथवा समय-समय पर प्रतिपादित एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने पर अधिकारियों एवं उनके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक ''सीआइएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्किम (सीपीआरएमएसई)'' नामक सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना है, जिसका लाभ एक निर्धारित सीमा तक देश में मौजूद कंपनी-अस्पतालों/पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट/अधिवास में प्राप्त किया जा सकता है। सीआईएल और उसकी अनुषंगियों की सेवाओं से त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों को इसकी सदस्यता नहीं प्रदान जाती है। कुछ निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर जिनके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके पति या पत्नी के लिए संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से पूरे जीवन काल में प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि की सीमा ₹ 25 लाख है। इस योजना को सीआइएल द्वारा सामूहिक स्तर पर संचालित एक ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे मात्र इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

### iii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- कर्मचारी (सीपीआरएमएसई-एनई)

कंपनी द्वारा वेतन समझौता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (CPRMSE-NE) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त अथवा कंपनी द्वारा चिकित्सकीय आधार पर सेवामुक्त अथवा समय-समय पर तैयार एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अथवा 57 वर्ष या उससे अधिक आयु में कंपनी की सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को और कर्मचारी के मृत्यु के मामले में, उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को केवल देश के अंदर तथा एक निर्धारित व्यय-सीमा तक की शर्त के आधार पर कंपनी के अस्पतालों/ सूचीबद्ध अस्पतालों में ऑउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों द्वारा अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग अधिकतम ₹ 8 लाख तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना का वित्तपोषण सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से समूह स्तर पर किया जाता है, जो केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। CPRMSE-NE के मौजूदा कर्मचारियों को छोड़कर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व का निर्धारण किया जाता है, जो चालू वर्ष से शुरू होता है।



#### ख) परिभाषित अंशदायी योजनाएं:

#### भविष्यनिधि एवं पेंशन:

कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पात्र कर्मचारियों के वेतन से पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अर्थात मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का क्रमश: 12% एवं 7% कटौती कर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

#### ii. सीआइएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को पोस्ट-एंप्लायमेंट अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है, जिसे ''सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007'' (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। एनपीएस का संचालन समृह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका गठन पुरी तरह से इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी (सीपीआरएमएसई) अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान सहित, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिकतम 30% ट्रस्ट में योगदान करे। मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 6.99% के वर्तमान नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण हेतु प्रभारित किया जा रहा है।

#### ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

#### अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई माह के पहले अर्धवार्षिकी आधार पर अनुपात में 30 दिनों का अर्जित अवकाश (ई एल) तथा 20 दिनों का एचपीएल प्रदान करती है। सेवाकाल के दौरान, 75% जमा ईएल शेष, अधिकतम 60 दिनों तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है। सेवाकाल के दौरान संचित किए गए एचपीएल को नकदीकरण करने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल एवं एचपीएल को एक साथ नकदीकरण किया जा सकता है, जो एचपीएल रूपांतरण के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश (ईएल) के नकदीकरण के हकदार हैं तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता तथा वीआरएस के कारण सेवामुक्त होने की स्थिति में शेष अवकाश या 150 दिन, इनमें से जो भी कम हो, को नकदीकरण करने की अनुमति है। इसलिए, ईएल की देनदारियों को कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान तथा सेवनिवृत्ति के बाद निपटान करने की उम्मीद की जाती है। अत: उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा संबंधी किए जाने वाले अपवादित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मुल्य के तौर पर मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार मुनाफा का उपयोग कर लाभ में छूट दी जाती है जिसमें संबंधित बाध्यता की शर्तों के अनुसार शर्तें होती है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

#### ii) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएल)

वेतन-समझौते के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी के पास श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिपॉजिट लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत एक लाइफ कवर योजना है, जिसे "लाइफ कवर स्कीम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड" (एलसीएल) के तौर पर जाना जाता है। दिनांक 01.01.2017 तक इस योजना के तहत ₹ 1,25,000/- की राशि का भुगतान किया गया है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा योजना के तहत देयता का वहन किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

#### iii) सेटलमेंट एलाउंस

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, दिनांक 31.10.2010 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले एनसीडब्लूए के कर्मचारियों को सेटलिंग भत्ते के तौर पर एकमुश्त ₹ 12000/- की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

#### iv) ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस (जीपीएआइएस)

कंपनी ने अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक सामुहिक बीमा योजना ली है, जिसे ''कोल इंडिया एक्सक्यूटिव ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस स्कीम'' (जीपीएआइएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआइएस दुनिया भर में सभी प्रकार की घटनाओं को 24 घंटे कवर करती है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

#### v) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, कर्मचारी 4 वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार अपने ''गृह नगर'' तथा एक बार ''भारत भ्रमण'' की यात्रा के लिए हकदार हैं। गृह नगर तथा भारत भ्रमण के लिए क्रमश: ₹ 8000/- तथा ₹ 12000/- की राशि दी जाती है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

### vi) खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से यदि खदान में किसी कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन को मुआवजे के रूप में ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं, परिभाषित अंशदायी योजनाएं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित हैं:

#### (i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा

#### (ii) गैर-वित्तपोषित

- जीवन बीमा योजना
- सेटलुमेंट भत्ता
- सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत एल टी सी
- खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2023 को कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

मद	01 अप्रैल, 2021 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान	वृद्धि / (हास) प्रावधान	31 मार्च, 2023 को अंतिम बीमांकिक प्रावधान
उपदान (ग्रेच्युटी)	3134.11	82.51	3216.62
<del></del>	559.63	206.76	766.39
सेटलमेंट भत्ता	25.84	(-)1.80	24.04
एलटीसी / एलटीसी / आरआरएफ	35.75	(-)0.94	34.81
चिकित्सा लाभ (अधिकारी)	206.34	3.36	209.70
चिकित्सा लाभ (कर्मचारी)	498.14	(-)1.96	496.18
कुल	4459.81	287.93	4747.74



## बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित), छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित) हेतु कर्मचारी लाभ के लिए बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: -

### 31.03.2022 को उपदान (ग्रेच्युटी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

# तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	95.73	120.65
पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	95.73	120.65
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	52.27	71.01
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	148.00	191.66
ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	268.02	(-)210.90
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(-)102.00	10.69
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	166.02	(-)200.21
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	3.05	4.03
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	169.07	(-)196.18
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	95.73	120.65
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	52.27	71.01
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	169.07	(-)196.18
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
परिभाषित लाभ लागत	317.07	(-)4.52
घ. निम्नलिखित के संबंध में अनुमान		
छूट दर	7.30%	6.80%
वेत्र वटि दा	अधिकारी: 9%	अधिकारी: 9%
वेतन वृद्धि दर	कर्मचारी: 6.25%	कर्मचारी: 6.25%

# तालिका 2 : शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

	_	(₹ 'करोड़ में)
विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)3216.62	(-)3134.11
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	2268.93	2227.40
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)947.69	(-)906.71
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)906.71	(-)906.71
ख . शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)906.71	(-)1162.05
सेवा लागत	(-)95.73	(-)120.65
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)52.27	(-)71.01
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	169.07	196.18
नियोक्ता योगदान	276.10	180.77
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	70.05
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)947.69	(-)906.71
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%



# तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	3134.11	3420.28
वर्तमान सेवा लागत	95.73	120.65
डीबीओ पर ब्याज लागत	200.22	219.69
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	268.02	(-)210.90
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(-)102.00	10.69
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)379.46	(-)426.30
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	3216.62	3134.11
ख. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2227.40	2258.23
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	147.94	148.68
नियोक्ता योगदान	276.10	180.77
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(-)3.05	(-)4.03
भुगतान किया गया लाभ	(-)379.46	(-)356.25
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2268.93	2227.40

# तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च , 2024	343.54
31 मार्च, 2025	376.34
31 मार्च, 2026	363.62
31 मार्च, 2027	372.30
मार्च 31, 2028	365.98

31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033	1510.43
10 वर्ष से परे	2423.46
ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	62.30
3.51 ma, 2025 an time girl aith orang artify orangen manning artify	02.30
ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	7 years
घ. 31 मार्च, 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व	2540.83
ड0. 31 मार्च, 2023 को योजना की संपत्ति की जानकारी	%age
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%
च. 31 मार्च, 2023 का वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार विवरण	
वर्तमान में दायित्व	331.65
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	2884.97
31 मार्च, 2023 तक दायित्व	3216.62

# तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
31 मार्च, 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	3216.62
क. छूट दर	
31 मार्च, 2023 तक छूट दर	7.30%
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)96.08
प्रतिशत प्रभाव	-3%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	102.00
प्रतिशत प्रभाव	3%



विवरण	(₹ 'करोड़ में)
ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2023 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	34.87
प्रतिशत प्रभाव	1%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)37.47
प्रतिशत प्रभाव	-1%

## ii. समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही दर्ज किया जा चुका है। पूर्वोक्त योजना के प्रबंधन के लिए न्यासियों के साथ एक ट्रस्ट डीड में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2023 को उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	2227.40	2258.23
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	276.10	180.77
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	161.31	144.65
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी द्वारा लिया गया शुद्ध प्रीमियम	16.41	16.90
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी ग्रेच्युटी फंड	365.06	339.35
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष	2283.34	2227.40

iii.31.03.2023 को छुट्टी नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

## तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क.लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	140.03	95.21
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	140.03	95.22
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	20.36	32.14
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	20.56	(-)26.67
लाभ-हानि में मान्य लागत	180.95	100.68

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	72.36	(-)28.33
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(-)32.20	2.49
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	40.16	(-)25.84
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(-)19.60	(-)0.83
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	0.00	0.00
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	140.03	95.21
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	20.36	32.14
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	0.00	0.00
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	20.56	(-)26.67
परिभाषित लाभ लागत	180.95	100.68
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

# तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)766.39	(-)559.63
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	433.57	112.76
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)332.82	(-)446.87
परिसंपत्ति उच्चतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
शृद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)332.82	(-)446.87
ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)446.87	(-)592.22
सेवा लागत	(-)140.03	(-)95.21
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)20.36	(-)32.14
बीमांकिक (हानि)/लाभ	(-)20.56	26.67
नियोक्ता योगदान	295.00	196.01
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.00	50.02
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)332.82	(-)446.87

(₹ 'करोड़ में)

ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.30%	6.80%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

# तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	559.63	604.35
वर्तमान सेवा लागत	140.03	95.21
डीबीओ पर ब्याज लागत	37.68	36.24
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	72.36	(-)28.33
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(-)32.20	2.49
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)11.10	(-)150.33
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	766.39	559.63
ख. परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	112.76	12.13
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	17.32	4.10
नियोक्ता योगदान	295.00	196.01
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	19.60	0.83
भुगतान किया गया लाभ	(-)11.10	(-)100.31
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	433.58	112.76

# तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2024	65.89
31 मार्च, 2025	76.10
31 मार्च, 2026	79.04
31 मार्च, 2027	77.65
मार्च 31, 2028	74.37

31 मार्च, 2029 से 31 मार्च, 2033	327.41
10 वर्ष से परे	1010.42
क.31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	151.63
ख.परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 years
ग.31 मार्च, 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व	482.57
घ.31 मार्च, 2023 तक योजना की संपत्ति की जानकारी	%age
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%
ङ.31 मार्च, 2023 को वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार (ब्रेकअप) विवरण	
वर्तमान में दायित्व	63.61
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	702.78
31 मार्च, 2023 तक दायित्व	766.39

# तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
डीबीओ 31 मार्च, 2023 को आधार अनुमानों पर आधारित है	766.39
क. छूट दर	
31 मार्च, 2023 तक छूट दर	7.30%
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)29.81
प्रतिशत प्रभाव	-4%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	32.20
प्रतिशत प्रभाव	4%



Particulars	(₹'Crore)
ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2023 को वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	32.14
प्रतिशत प्रभाव	4%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)30.04
प्रतिशत प्रभाव	-4%

#### iv. अवकाश नकदीकरण वित्त पोषण

कोल इंडिया बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकास नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए 13 नवंबर, 2015 को संपन्न 322वीं बैठक में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों को अवकास नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया की न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान को अपनाने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव अर्थात 'नई समूह अवकाश नकदीकरण नकद संचय योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए बीसीसीएल कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण देयता का वित्तपोषण शुरू कर दिया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹'Crore)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष राशि	112.76	12.13
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	695.00	196.01
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	15.56	4.93
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी को भुगतान किया गया निवल शुल्क	0.85	0.31
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी की गई निधि	540.00	100.00
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	282.47	112.76

v. 31.03.2023 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

# तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. लाभ एवं हानि (पी एंड एल)		
वर्तमान सेवा लागत	16.68	15.61
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	306.34
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	16.67	321.95
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	27.34	24.56
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	44.02	346.51

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	58.22	79.21
	(-)42.68	37.13
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	15.54	116.34
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छट दर से कम	(-)4.67	(-)18.17
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्य हानियां	10.87	98.17
		_
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	16.68	321.95
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	27.34	24.56
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	10.87	98.17
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
परिभाषित लाभ लागत	54.89	444.68
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.30%	6.80%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%

# तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

(₹'Crore)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)705.88	(-)704.49
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	333.23	218.05
वित्त पोषित स्थिति [अधिशोष/(घाटा)]	(-)372.65	(-)486.44
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)372.65	(-)486.44
ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)486.44	(-)215.72
सेवा लागत	(-)16.68	(-)321.95
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)27.34	(-)24.56
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(-)10.87	(-)98.17
नियोक्ता योगदान	168.67	96.16
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	0.00	77.80
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
(अनावरण)	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)372.66	(-)486.44
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	7.30%	6.80%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	0.00%



# तालिका 3: लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड में)

		(र कराइ म)
विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	704.49	319.65
वर्तमान सेवा लागत	16.68	15.61
डीबीओ पर ब्याज लागत	45.32	34.62
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	306.34
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	58.22	79.20
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	32.80
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	(-)42.68	4.34
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लॉभ	0.00	0.00
भुगतान किया गयाँ लाभ	(-)76.14	(-)88.07
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	705.88	704.49
ख. परिसंपत्तियों के उचित मृल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मुल्य	218.05	103.93
्र अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	17.97	10.06
नियोक्ता योगदान	168.67	96.17
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	4.67	18.16
भुगतान किया गया लाभ	(-)76.14	(-)10.27
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	333.22	218.05

# तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2023	33.67
31 मार्च, 2024	37.96
31 मार्च, 2025	42.08
31 मार्च, 2026	45.81
मार्च 31, 2027	49.25
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	283.08
10 वर्ष से परे	1540.58
ख. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	12 years
ग. 31 मार्च, 2022) को उपार्जित लाभ दायित्व	705.88

# तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
31 मार्च, 2022 के अनुमानों पर आधारित डीबीओ	705.88
क. छूट दर	
31 मार्च, 2022 तक छूट दर	7.30%
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)38.79
प्रतिशत प्रभाव	-5%
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	42.68
प्रतिशत प्रभाव	6%

# vi. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ अनुदान 31.03.2022 को निधि की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	218.05	103.93
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	168.67	96.17
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	22.89	28.22
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए निवल शुल्क	0.00	0.00
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान निकाली गई निधि	37.57	10.27
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	372.04	218.05

- 4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (भारतीय लेखा 37)
  - क.) आकस्मिक देयताएं
  - i. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया





क्र. सं.	विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
1.	01.04.2022 को आरंभिक	2161.51	1103.59	0.00	620.17	3885.27
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2.15	240.29	0.00	1262.58	1505.02
3.	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे					
	क. ओपनिंग बैलेंस से	541.73	68.20	0.00	1.87	611.80
	ख. वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग. वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख)	541.73	68.20	0.00	1.87	611.80
4.	31.03.2023 को अंतिम	1621.93	1275.68	0.00	1880.88	4778.49

विवरण		आकस्मिक देयता	
		31.03.2023 को	31.03.2022 को
	आयकर	889.38	1334.77
	बिक्री कर : सीएसटी	461.79	556.07
केन्द्रीय सरकार	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	265.81	2652
	सेवा कर	4.95	4.95
	उप कुल	1621.93	2161.51
	बिक्री कर : वैट	447.41	496.49
	जीएसटी	188.01	0.04
	रॉयल्टी	344.44	315.79
राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण	होल्डिंग टैक्स	252.23	252.23
	कॉमन कॉज केस के खिलाफ	30.13	22.80
	मुआवजा बिजली शुल्क	13.46	16.28
	अन्य सांविधिक बकाया	1275.68	1103.59
	(आरई/पीई उपकर) उप -योग	0.00	0.00
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	उप- योग	0.00	0.00
अन्य	कंपनी के खिलाफ मुकदमा मुकदमेबाजी के तहत	689.92	487.82
31:4	मध्यस्थता कार्यवाही	1129.78	71.12
	विविध (भूमि)	61.18	61.23
	उप कुल	1880.88	620.17
	कुल योग	4778.49	3885.27

कंपनी को यथोचित उम्मीद है कि कंपनी के खिलाफ कानूनी विवादों/मुकदमों में सभी दावों/सूट (अन्य कंपनियों द्वारा दायर मुकदमा सहित) का जब अंततः निष्कर्ष निकलेगा और निर्धारण होगा तो कंपनी के परिचालन के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

- ii. 2014 के डब्ल्यूपी (सिविल) 114 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जुर्माना- सामान्य कारण मामलाः कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2014 डब्ल्यू पी (सी) नं. 114 के जिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/ खानों/ कोलियरियों के संबंध में ₹ 17344.46 करोड़ के मांग नोटिस जारी किए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि कोयला का उत्पादन या तो पर्यावरण संबंधी अनुमित, वन संबंधी अनुमित, परिचालन के लिए स्वीकृति के बिना किया गया और बिना अनापित्त प्रमाण पत्र/स्थापन सहमित के किया गया है अथवा इन अनुमितयों के तहत दी गई उत्पादन की अनुमोदित सीमाओं से ज्यादा उत्पादन किया गया है। उपरोक्त मांग नोटिसों का निष्पादन खिनज रियायत नियम, 1960 के नियम 55(5) के तहत एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित शक्ति के प्रयोग में अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तदनुसार, उपरोक्त राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। एमएमडीआर अधिनियम ,1957 की धारा 30 के तहत जेएस एंड आरए द्वारा निर्गत एक आदेश (03.11 .2022) को कंपनी की 20 परियोजना /खानों /कोलियरी सम्बन्धी 9641.56 करोड़ रूपये की राशि की मांग नोटिसों के सामान प्रकृति के हैं,जिसे एमएमडीआर अधिनियम , 1957 की धारा 30 के तहत संशोधन प्राधिकरण द्वारा पहले ही अलग कर दिया गया है | इसी पर विचार करते हुए इन मांग नोटिसों को रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए आकस्मिक देयता के तौर पर मान्य नहीं किया है |
- iii. क्षेत्रों के कोयला स्टॉक के कमी पर राजस्व से संबंधित कई प्रमाणन मामले, जिला खनन अधिकारी (डी.एम.ओ.) के कार्यालय में प्रमाणन अधिकारी के समक्ष लंबित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला खनन अधिकारी को यह निदेश दिया है कि मुद्रास्फीति से हुई कमी, चोरी एवं कोयले उत्पादन की ओवर रिपोर्टिंग आदि के निर्धारण के बाद ही मांगे गये राजस्व की देय राशि को तय करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में, प्रमाणन मामले से संबंधित उक्त राशि को डी.एम.ओ. द्वारा अभी संशोधित/ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः इस लेखा में इसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु उपर्युक्त में दर्शाए गयी आकस्मिक देयता में यह विचारित है।
- iv. कैप्टिव पावर प्लांट (पश्चिमी झरिया क्षेत्र) के लीज समझौते विवाद के कारण, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही (2014-15 के लीज रेंट बकाये का पहली तीमाही के लिए सेवा कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है) से 2015-16 की तीसरी तिमाही (कंपनी को दिनांक 15.12.2016 को संयंत्र सौंपा गया) तक ₹ 1.06 करोड़ के सेवा कर की राशि को आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया गया है।
- ∨ कंपनी ने धनबाद नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹ 252.23 के डिमांड नोटिस के खिलाफ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 में रिट याचिका सं. WP (T) 3583 दायर की है, और चूंकि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसे होल्डिंग टैक्स की मद के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

#### vi. विवादित प्राप्य / देय खाता डीएलएफ

मधुबन कोल वाशरी द्वारा डीएलएफ़ को (i) रिजेक्ट तथा (ii) स्टार्टअप/बैक-अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के एवज में डीएलएफ से प्राप्तियां है। इसके अलावा डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से मधुबन कोल वाशरी को प्राप्त विद्युत के लिए डीएलएफ को विद्युत ऊर्जा लागत देय है। इस स्तर पर देय/प्राप्य ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया है चूंकि रिजेक्ट की कीमत/गुणवत्ता तथा इस विषय में सीपीपी द्वारा कम गारंटी विवाद होने के कारण मामला न्यायालयाधीन (एक मामला धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में) है। तदनुसार, इस स्तर पर शुद्ध बकाया पर देय ब्याज ₹ विद्युत का लेखांकन नहीं किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2023 तक 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डीएलएफ को शुद्ध देय ब्याज ₹ 37.17 करोड़ (मार्च, 2022 तक ₹ 33.54 करोड़) बनता है और इसे आकस्मिक देयता में मान्य किया गया है।

#### क) कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्तमान परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार के विरूद्ध	262.14	261.08

#### ख) कंपनी द्वारा जारी साख-पत्र

विवरण	राशि		
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	
बैलेंस शीट की तारीख तक बकाया	5.87	10.52	

### घ) प्रतिबद्धता

## i. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि		
	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	
पूंजीगत लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।			
क) भूमि	0.00	1.26	
ख) भवन इमारत	84.28	203.32	
ग) संयंत्र और मशीनरी	20.78	195.24	
घ) अन्य	443.66	659.91	

### ii. राजस्व / अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि		
	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक	
राजस्व/ अन्य लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित			
शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।			
क) भाड़े के एचईएमएम	9978.23	10780.39	
ख) कोयला परिवहन	456.99	336.99	
ग) अन्य	98.58	88.68	
,			

#### ड.) प्रावधान

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान दीर्घावधि/लघु अवधि के प्रावधानों में परिवर्तन/बदलाव का विवरण निम्नानुसार है: -

### i. निम्नलिखित के लिए गैर-वर्तमान प्रावधान:

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1 अप्रैल 2022क आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान/जोड़	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2023 तक अंत शेष
21	ग्रेच्युटी	627.26	0.00	25.63	601.63
21	अवकाश नकदीकरण	404.25	16.06	0.00	420.31
21	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	458.62	0.00	157.29	301.33
21	अन्य कार्मिक लाभ	42.13	0.00	1.80	40.33
21	भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी	483.35	51.29	6.54	528.10
21	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
21	स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन	(-)480.02	701.30	0.00	221.28
9&10	संदिग्ध पूंजी अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य जमा - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5.07	0.00	0.00	5.07
9&10	संदिग्ध जमा और प्राप्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00

8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (हानि सहित)	18.52	0.00	0.00	18.52
4	पूंजी डब्ल्यूआईपी (हानि सहित)	37.92	3.91	4.09	37.74
3	परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की हानि	95.68	6.80	0.00	102.48
	कुल	1692.78	779.36	195.35	2276.79

II) कंपनी ने वार्षिक संविदात्मक गुणवत्ता (एसीक्यू) के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए कोयला उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते के रूप में दीर्घकालिक करार किया है। इस ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत एसीक्यू के 90% से ऊपर कोयला आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है और 90% / 80% / 60% से नीचे कोयले की आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जैसा भी मामला हो। प्रोत्साहन एवं दंड का निर्धारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अंत में/उपभोक्तावार किया जाएगा। कंपनी ने लंबे समय के लिए कोई भी यौगिक अनुबंध नहीं किया है।

#### III) .निम्नलिखित के लिए वर्तमान प्रावधान

(₹ 'करोड़ में)

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1 अप्रैल 2021 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान/जोड़	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2022 तक अंत शेष
21	ग्रेच्युटी	279.45	52.20	0.00	331.65
21	अवकाश नकदीकरण	42.62	20.99	0.00	63.61
21	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	27.82	4.69	0.00	32.51
21	अनुग्रह राशि	286.95	289.64	248.79	327.80
21	पीआरपी	156.21	113.33	67.03	202.51
21	अन्य कार्मिक लाभ	239.73	1232.93	0.00	1472.66
21	भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कोयले की गुणवत्ता में अंतर	187.07	88.66	180.33	95.40
13	खराब और संदेहास्पद ऋण	378.57	16.16	32.33	362.40
12	माल-सूची- कोयला स्टॉक सूची	304.00	0.00	9.15	294.85
12	माल-सूची- स्टोर एवं पुर्जों की स्टॉक सूची	76.96	1.38	13.48	64.86
11	संदिग्ध अग्रिम, जमा और प्राप्तियां - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	1.10	0.72	0.00	1.82
9	संदिग्ध जमा और दावे- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.95	0.00	0.00	4.95
8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1985.43	1820.70	551.11	3255.02

#### च) कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिभूतियां

I) कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों आदि से प्राप्त निम्नलिखित निधि आधारित/गैर-निधि-आधारित प्रतिभूति है, जिसका लेखांकन नहीं किया गया है।



(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूति की प्रकृति	राशि				
જ્રા. લ.	ज्ञातिका प्रकृति	31.03.2023 को	31.03.2022 को			
1	बैंक गारंटी	489.90	1279.60			
2	साख पत्र	56.50	14.00			
3	एनएससी	0.22	0.15			
4	एफडीआर/टीडीआर	6.65	1.52			

II) अप्रैल 2012 में मेसर्स एएमआर-बीबीबी कंसोर्टियम को "कपुरिया ब्लॉक के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेज द्वारा कपूरिया ब्लॉक से कोयले की निकासी के लिए टर्नकी आधार पर 2.0 एमटीवाई के न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन" के लिए एक ठेका दिया गया था। उक्त अनुबंध 21.01.2021 को रद्द कर दिया गया है और मेसर्स एएमआर बीबीबी कंसोर्टियम की तीन प्रदर्शन बैंक गारंटी को बीसीसीएल द्वारा ₹ 41.20 करोड़ का नकदीकरण किया गया है। कंपनी के पास ₹ 38.23 करोड़ का बकाया पूंजी अग्रिम था जिसे नगद बैंक गारंटी के विरुद्ध समायोजित किया गया है और ₹ 2.97 करोड़ की शेष राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार के पास दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के अनुसार जमा कर दी गई है। उक्त राशि ₹ 2.97 करोड़ को लेखा बहियों में न्यायालयों में जमा के रूप में दर्शाया गया है। एक बैंक गारंटी को बैंक द्वारा ₹ 12.78 करोड़ का नकदीकरण किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के निर्देशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया है। अत: ₹ 15.75 करोड़ (₹ 2.97 करोड़ + ₹ 12.78 करोड़) की कुल राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रिजस्ट्रार के पास जमा है। पश्चिमी झरिया क्षेत्र के शीर्ष "विकास" (सीडब्ल्यूआईपी नोट -4) के तहत डीपीआर के लिए भुगतान की गई राशि 6.50 करोड़ आईसीसी, जहां मध्यस्थता मामला दायर किया गया है, के परिणाम के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी के खिलाफ समायोजित की जाएगी।

#### 5. संचालन भाग (ऑपरेटिंग सेगमेंट): (भारतीय लेखा मानक 108)

भारतीय लेखा मानक 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के संदर्भ में, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान आंतरिक निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है तािक सेगमेंट को संसाधन आवंटित किए जा सकें और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। भारतीय लेखा मानक 108 के संदर्भ में निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी का प्रधान निर्णायक मंडल है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन क्षेत्र में काम करती है; और अन्य सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, कंपनी के लिए कोई अन्य ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हैं।

निम्नलिखित ग्राहक के साथ लेनदेन की राशि राजस्व का 10 प्रतिशत या कंपनी के राजस्व से अधिक:-

ग्राहक क्र. सं.	अवधि के दौरान कोयले की बिक्री की राशि	कुल बिक्री का प्रतिशत (%)	
1	4317.33	25.03%	
2	2206.26	12.79%	
3	2059.28	11.94%	

#### 6. प्रति शेयर आय (भारतीय लेखा मानक-33) लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ 'करोड़ में/शेयरों की संख्या)

विवरण	निरंतर परिचालन से लाभ			
विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		
टैक्स के बाद लाभ / (हानि)	645.01	111.62		
घटाएं : अधिमानी शेयर धारक को आरोप्य लाभ	0.00	0.00		
इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ	645.01	111.62		

बकाया इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	46570000	46570000
रुपए में प्रति शेयर आधारित और मिश्रित आय (अंकित मूल्य ₹ 1000)	138.50	23.97

#### 7. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय एएस-24)

#### क) नियोजन उपरांत लाभ कोष:

- 1. कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
- 2. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
- 3. कोल इंडिया सुपरनेशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
- 4. कर्माचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना संशोधित
- 5. सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

#### संबंधित पार्टियों की सूची निम्नलिखित है:-

नाम	पदनाम	प्रभावी	
श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	28.12.2021; जारी	
श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	18.07.2019 से 14.04.2023	
श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन	निदेशक (कार्मिक)	01.06.2020 से 31.07.2022	
श्री हर्ष नाथ मिश्र	निदेशक (कार्मिक)	01.11.2022 से 22.02.2023	
श्री मुरली कृष्ण रमैया	निदेशक (कार्मिक)	23.02.2023; जारी	
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/ओपी)	05.02.2022; जारी	
श्री उदय ए कावले	निदेशक (तकनीकी/पीएंडपी)	22.08.2022; जारी	
श्री राकेश कुमार सहाय	निदेशक (वित्त)	14.04.2023; जारी	
लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019 से 09.07.2022	
श्री बी. वीरा रेड्डी	अंशकालिक निदेशक [निदेशक (तकनीकी) सीआईएल]	24.02.2022 से 23.08.2022	
श्री देबाशीष नंदा	अंशकालिक निदेशक [निदेशक (बीडी) सीआईएल]	23.08.2022; जारी	
श्री आनंदजी प्रसाद	अंशकालिक निदेशक (परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित)	03.01.2022; जारी	
श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी	
श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी	
श्री सत्यब्रत पंडा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी	
श्री राम कुमार रॉय	स्वतंत्र निदेशक	31.03.2022; जारी	
श्री बी.के. पारुई	कंपनी सचिव	30.08.2013; जारी	

## ख) प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों को भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित विवरण :

(₹ 'करोड़ में)

क्र.सं.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव को भुगतान	31-03-2023	31-03-2022
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	2.53	1.55
ii)	सेवा उपरांत लाभ	1.62	0.55
iii)	अन्य दीर्घावधि लाभ	0.00	0.00
iv)	सेवा समाप्ति लाभ	0.00	0.00
v)	शेयर आधारित भुगतान	0.00	0.00
	कुल	4.15	2.10

# ग) 31 मार्च, 2023 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के उपदान (ग्रेच्युटी), अर्जित अवकाश (ईएल), एचपीएल का बीमांकिक मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का नाम	ग्रेच्युटी		अवकाश		कुल	
	त्रपुळ त्रवयवाय आयवाा(या वा वा	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22	31.03.23	31.03.22
1	श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.17	0.16	0.27	0.27	0.44	0.43
2	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तक./संचालन)	0.20	0.19	0.31	0.00	0.51	0.19
3	श्री उदय अनंत कावले, निदेशक (तक./योजना व परियोजना)	0.15	0.19	0.32	0.00	0.47	0.19
4	श्री मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (कार्मिक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	श्री बी. के. पारुई, कंपनी सचिव	0.16	0.16	0.26	0.25	0.42	0.41
	कुल	0.68	0.71	1.16	0.63	1.84	1.34

#### घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को नाम-वार भुगतान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है:-(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.		बैठक	शुल्क
જા. લ.	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
1.	ले. ज. नरेंद्र सिंह	0.17	0.05
2.	श्रीमती शशि सिंह	0.044	0.02
3.	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	0.050	0.01
4.	श्री सत्यब्रत पंडा	0.046	0.01
5.	श्री राम कुमार रॉय	0.040	0.01
	कुल	0.194	0.10

#### ङ) 31.03.2022 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों पर बकाया शेष:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्ति योग्य राशि	शून्य	शून्य

छ) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

#### ज) समूह के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेन-देन

सीआइएल ने अपनी अनुषंगियों के साथ सौदा किया है, जिसमें एपेक्स शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, अनुषंगियों द्वारा रखे गए धन पर ब्याज, आइआइसीएम शुल्क तथा चालू खाता के माध्यम से अन्य अनुषंगियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

#### (i) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(₹ 'करोड़ में)

				अन्य सेवाएं					बकाया
संबंधित पार्टी का नाम	संबंधित पार्टी को ऋण	संबंधित पार्टी से ऋण	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास प्रभार	अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	आईआई सीएम प्रभार	कोई अन्य	चालू खाता शेष (देय) / प्राप्य	शेष राशि (देय) / प्राप्य
सीआईएल	0.00	0.00	36.18	21.34	0.00	0.00	0.00	(395.46)	0.00
आईआई सी एम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	0.00	(0.01)	(0.75)
सीएमपी डीआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04	0.00	(35.28)

#### (ii) सीएमपीडीआईएल का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	राशि			
	लाभ और हानि का विवरण					
1		3	78.86			
2		4	47.81			
3	पूंजीगत व्यय	5	0.00			
4		6.1	0.00			
5		6.2	0.00			
6	सीएमपीडीआईएल व्यय	35	56.23			
7	पर्यावरण व्यय	35	0.00			
8	अन्य शीर्ष (कृपया स्पष्ट करें)		लागू नहीं			
	तुलन पत्र					
1	पूंजीगत व्यय के लिए भुगतेय	20	11.96			
2	भुगतेय व्यापार	19	23.32			
3	अन्य शीर्ष (कृपया स्पष्ट करें)		लागू नहीं			

#### 8. आयकर (भारतीय लेखा मानक-12) (टिप्पणी 36 एवं 37)

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए म्युचुअल फंड की बिक्री पर हुए पूंजीगत लाभ के कारण होने वाले कर व्यय के लिए 1.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए शुद्ध आस्थिगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के लिए ₹ 188.73 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया है।



#### 9. पट्टे (भारतीय लेखा मानक-116) (टिप्पणी 25)

- क) कंपनी (वाशरी निर्माण प्रकोष्ठ) ने धनबाद मंडल के अंतर्गत 5 एमटीपीए पीइएच पर प्राइवेट साइडिंग के निर्माण एवं परिचालन के लिए लीज एग्रीमेंट दिनांक 12.06.2020 के तहत लगभग 10.647 एकड़ की रेलवे भूमि 01.04.2017 से 31.03.2053 तक 35 वर्षों के लिए ली थी। दिनांक 07.08.2019 को इस सबंध में ₹ 23.24 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था।
- ख) कंपनी (सिजुआ क्षेत्र) ने दिनांक 22.03.2022 से 35 वर्षों के लिए आद्रा मंडल के अंतर्गत लोयाबाद स्टेशन पर कोयले में लगी आग को नियंत्रित करने हेतु ओपेनकास्ट परियोजना के लिए दिनांक 22.03.2022 को हुए पट्टा- समझौता के माध्यम से लगभग 9.55 एकड़ रेलवे की भूमि ली थी, जिसके लिए दिनांक 22.03.2022 को ₹ 25.09 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।
- ग) कंपनी ने वाहनों/दूरसंचारों को किराए पर लेने के लिए पट्टा समझौता किया है। यह पट्टा समझौता 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं: (₹ 'करोड में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं. एवं मद	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1.	सकल वहन राशि	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	52.72 181.42	13.25 181.42
2.	प्रगतिशील परिशोधन	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	11.74 60.47	3.62 24.19
3.	लिखित मूल्य	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	40.98 120.95	9.63 157.23
4	पट्टा देयता	बी/एस फेस (पट्टा देयता)	212.64	200.28
5	वित्तीय लागत	नोट सं. 32 (छूट की समाप्ति)	15.81	10.98

पट्टे की अवधि के दौरान कुल भावी न्यूनतम देय पट्टा राशि ₹ 212.64 करोड़ है। इस भावी देय पट्टा भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1.	एक साल बाद नहीं	58.85	43.93
2.	एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों से कम	115.93	97.64
3.	तीन वर्षों से अधिक और पट्टे की अवधि तक	37.86	58.71
	कुल	212.64	200.28

#### घ) पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर संयंत्र

दिनांक 18 मार्च, 2010 को हुए पट्टे समझौते के अनुसार ₹ 6.60 करोड़/प्रतिवर्ष (कर सिहत) की दर से पट्टेदार मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राइवेट लि. से पिश्चमी झिरया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पट्टा किराया वसूली जाने वाली थी। यह पट्टा 20 वर्षों के लिए मान्य था, किंतु पट्टेधारी ने टैरिफ मूल्य आदि और इस पावर प्लांट के पिरचालन को बंद करने के साथ-साथ पट्टे के किराए संबंधी विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के निर्णय के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर, 2015 को यह प्लांट कंपनी को सौंप दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, बकाया लीज रेंट वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 6.60 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 4.67 करोड़ (15 दिसंबर, 2015) का लेखांकन नहीं किया गया।

#### 10. बीमा और वृद्धि दावा

प्रवेश/अंतिम विवरण के आधार पर बीमा और वृद्धि दावा का लेखांकन किया गया हैं।

#### 11. वित्तीय विवरणों में बनाए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/नहीं चलने वाले/अप्रयुक्त भण्डार, प्राप्य दावे, अग्रिम, संदेहपूर्ण ऋण आदि के लिए लेखा में बनाए गए प्रावधानों को संभावित हानि को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

#### 12. चाल् परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपतियां और गैर मौजूदा निवेश के अलावा अन्य परिसंपतियां सामान्य रूप से व्यवसाय में वसूली मूल्य हैं, जो कम से कम उस राशि के बराबर है, जिसमें वह वर्णित है।

#### 13. वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है वहां अनुमानित दायित्व दी गई है।

#### 14. बकाया शेष पृष्टीकरण

शेष राशि पुष्टि/पुनर्मिलान नकदी और बैंक की शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों और कुछ ऋण एवं अग्रिमों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देयताओं की शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखा जाता है।

#### 15. ਕਿਕਿੰध

#### क) कंपनी द्वारा न्यायालय में दायर दावे

कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के विरूद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक व्यावहारिक मुकदमा (2013 का जीए नंबर 2797/ 2013 का सी.एस. नं. 11) दायर किया गया है, जो इस बात के लिए है कि (i) यह कंपनी यह घोषित करे कि वह अपने वर्तमान कार्यालय परिसर 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001., कोलकाता की कानूनी मालिक है (ii) यह घोषित करें कि मकान मालिक के रूप में और इसमें रहने वाले पट्टेधारियों की बीच कोई संबंध नहीं है और (iii) कंपनी पहले ही न्यायिक आदेद्रा पर किराए आदि के रूप में ब्याज सिहत ₹ 187.74 करोड़ का भुगतान मैसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (भुगतान कार्यालय, मुखयालय) का ₹ 0.04 करोड़ की राशि के दावे से संबंधित कुछ और मामला न्यायालय में लंबित है।

#### ख) तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र का बकाया शेष

पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की देनदारियां परीक्षण/ जांच के अधीन हैं। इसी तरह, तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र के अग्रिम, जमा और दावे इत्यादि भी सत्यापन/ जांच के अधीन है। परीक्षा/ जांच / सत्यापन / संवीक्षा के परिणाम के आधार पर, देनदारियों का प्रतिलेखन या भुगतान कर दिया जाएगा और उसी तरह अग्रिम आदि को समायोजित कर दिया जाएगा या बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

#### ग) पी. बी. क्षेत्र में विलय किए गए तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन प्रबंधन, कोयला खदानों की पिरसंपितयों की भौतिक सत्यापन का काम को उस पर दिए गए के अवलोकन को देखते हुए पी. बी. क्षेत्र में विलय की गई तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की कोलियरी/ इकाइयों और उसके संपित्त रिजस्टर / संयंत्र कार्ड आदि का मिलान करने के लिए इस काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को सौंपा गया था। इस फर्म ने अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर यह जानकारी दी है कि सकल ब्लॉक को बढ़ाकर ₹ 9.63 करोड़ बताया गया है और विलय की तारीख को मूल्यहास प्रावधान के लिए खातें में ₹ 16.06 करोड़ दिखाया गया है। लेकिन इस फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस सूचित सीमा के तहत वर्तमान परिसंपित्तयों (प्राप्त) के भौतिक शुद्ध मूल्य की मुद्रस्फीति हुई है, यहां पर कोई विकल्प नहीं है, किंतु सकल मूल्य, मूल्यहास एवं लेखा में उसी रूप में दर्शाया गया शुद्ध मूल्य के अंकेक्षित आंकड़ों पर विचार करने के लिए इन्हें वास्तविक परिसंपित्तयों के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रबंधन ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

#### घ) पर्वतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान का अधिग्रहण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान (बोकारो) का आवंटन दिनांक 31.03.2015 को रह कर दिया गया और इसके बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी डीओ संख्या 13016/36/2015-सीए-III दिनांक 31.03.2015) के प्रावधानों के संदर्भ में तथाकथित खदान नामित अभिरक्षक यानी 'अध्यक्ष, कोल इंडिया' को सौंप दी गई। अध्यक्ष, सीआईएल ने सीआईएल की ओर से कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को अधिकृत किया (सीआईएल/सीएच/सीयूएसटीओडीआइएएन/ 27/1608, दिनांक 31.03.2015) है। तदनुसार, परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान को बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है (कंपनी सचिव, बीसीसीएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या बीसीसीएल:सीएस:एफ-17 (ए), दिनांक 03/04/2015)।

अब, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन No.13016 / 77/2015-CA-III दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से परबतपुर (केन्द्रीय) कोयले की खान को मेसर्स सेल को आवंटित कर दिया गया है और मनोनीत अभिरक्षक यानी सीआइएल के अध्यक्ष को यह परामर्श दी गई थी कि वे इसे सेल को सौंप दें। तदनुसार जैसा कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने पत्र सं बीसीसीएल/जीएम/ईजेए2016/1429 दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से पृष्टि की है। इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसके साथ हैंडओवर एवं टेकओवर की रिपोर्ट भी संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने इस दौरान एक अभिरक्षक होने के नाते इस खदान के रखरखाव पर अब तक 28.07.2016 तक ₹ 5.08 करोड़ (पावर बिल ₹ 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य पर ₹ 1.04 करोड़) खर्च कर चुकी है, जिसे लेखा में 'प्राप्य योग्य' के रूप में लिखा गया है। यह राशि खदान में पड़े कोयले के स्टॉक से बिक्री आय से समायोज्य है।

यह अद्यतन किया जाता है कि बीसीसीएल के ₹ 5.08 करोड़ के दावा के विरूद्ध, एसएआइएल (सेल) ने भी खदान से जल निकासी के लिए ₹ 17.00 करोड़ का दावा किया है. जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

पुन: भारत सरकार ने भारत के गजट (F. No. CBA2-13016/1/2018-CBA2 दिनांकित 13 फरवरी, 2020) में अधिसूचना के माध्यम से पर्बतपुर सेंट्रल कोल माइन के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए अध्यक्ष, सीआइएल को नियुक्त किया है। अध्यक्ष, सीआइएल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को खिनज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार उक्त खदान के प्रबंधन एवं संचालन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

तदनुसार, परबतपुर (सेंट्रल) कोयला खदान को कंपनी के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और महाप्रबंधक (पूर्वी झरिया क्षेत्र), बीसीसीएल को पर्वतपुर सेंट्रल कोल माइन को अपने अधिकार में लेने और तत्काल प्रभाव से इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। (कंपनी के निदेशक (तक.), परि. एवं यो. द्वारा निर्गत प्राधिकरण पत्र सं: BCCL/D(T)P&P/F-83(B)/2020/45 दिनांकित 03.03.2020)।

अभिरक्षक के रूप में दूसरी बार खदान का स्वामित्व लेने की तिथि से 31 मार्च , 2022 तक, कंपनी ने संरक्षक के रूप में खदानों के रखरखाव पर ₹ 30.26 करोड़ खर्च किए हैं, जिसे वित्तीय विवरणों में 'प्राप्य' के रूप में दर्ज किया गया है।

#### ड.) मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के दौरान राजस्व एवं सेस पर उत्पादन शुल्क

पूर्व में, कंपनी रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थी, लेकिन सीआईएल की सलाह पर, कंपनी ने 01.03.2011 से 28.02.2013 की अविध के लिए ₹ 73.99 करोड़ का भुगतान जारी किया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क के नियमित बिलिंग के अलावा, पूर्व अविध के लिए उपभोक्ताओं पर ₹ 78.10 करोड़ के पूरक बिल बनाए गए थे। कंपनी ने अब तक (31.03.2023 तक) ₹ 73.15 करोड़ की वसूली की है और शेष राशि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वह ₹4.95 करोड़ है। अप्राप्त राशि अधिकतर ई-नीलामी उपभोक्ताओं की है, जिसमें से 17 उपभोक्ताओं ने कंपनी द्वारा ₹0.28 करोड़ की मांग का न्यायालय में विरोध किया है। 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 4.95 करोड़ की राशि के सामने ₹ 4.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

#### च) योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर

सीएमपीडीआइएल/सीआइएसएफ/एमएसटीसी/एम-जंक्शन इत्यादि जैसे कुछ सेवा प्रदाताओं को मुख्यालय में किए गए भुगतान के संबंध में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंजीकरण के अभाव में सेनवेट क्रेडिट (अक्टूबर, 2013 तक) प्राप्त करने हेतु योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर, कंपनी के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में वितरित नहीं किया जा सका। इसके बाद अधिसूचना सं. 21/2014 सीइ(एन टी) दिनांकित 11.07.2014 के माध्यम से छ: माह बाद सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगने के कारण बाद में अधिसूचना सं. 6/2015 सीइ (एन टी) दिनांकित 01.03.2015 के तौर पर संशोधित किया गया था। पूर्वोक्त सेनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के कारण सीएजी ने एक ज्ञापन दिया जो बाद में मसौदा पैरा में परिवर्तित हो गया। हालांकि हमारे टैक्स सलाहकार के परामर्श से मामले का विश्लेषण/ पुनरीक्षण किया गया था, जिसने अंतत: यह सामने आया कि इस तथ्य के कारण सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की गुंजाइश थी कि (i) सेनवेट क्रेडिट के लाभ पर प्रतिबंध केवल आउटपुट सेवाओं के निर्माता या प्रस्तुत करने वाले के लिए लागू था न कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रिव्यूट पर और (ii) बराबर यह माना गया कि कार्यविधिक आधार पर सेनवेट क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब माल और सेवाओं पर क्रेडिट सैद्धांतिक रूप से क्रडिट के उपयुक्त थे। तदनुसार अक्टूबर, 2013 तक ₹ 30.48 करोड़ की राशि सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया, साथ ही 2013-14 तथा 2014-15 की शेष अविध को वर्तमान विवरणियों (सितंबर, 2016 के ईआर 1 तथा अप्रैल-सितंबर, 2016 का एसटी 3) के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद विभाग के क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को पूरे तथ्यों का खुलासा करने की सचना के साथ प्राप्त किया गया है।

₹ 30.48 करोड़ की सेनवेट क्रेडिट राशि को ईआर-1 रिटर्न में आगे बढ़ाया गया था और बाद में दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद जीएसटी टीआरएएन-01 के सीजीएसटी क्रेडिट में शामिल किया गया था और अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त राशि का जीएसटीआर-3बी रिटर्न में पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

#### छ) मास्टर प्लान के तहत निधि

कंपनी को आग से निपटने और कंपनी पट्टाधृत भूमि में कोयला धारित क्षेत्र/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बने मास्टर प्लान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से निधि प्राप्त होती है। यह कंपनी आग से निपटने और कंपनी के आवासों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। बीसीसीएल अपने स्वयं के पूंजीगत बजट से बीसीसीएल कर्मचारियों को अग्नि-संकटग्रस्त और कोयला-धारित क्षेत्रों से गैर-कोयला धारित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रहा है और इसे लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकित कर रहा है।

झिरया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) बीसीसीएल आवासों में नहीं रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड जेआरडीए को दिया जाता है और इस तरह के अग्रिम (नोट-11 में अन्य जमा और अग्रिम के तहत प्रदर्शित) के साथ-साथ संबंधित निधि, दोनों को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक जेआरडीए को ₹ 111.21 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹ 428.86 करोड़) की राशि अग्रिम दी गई है और समायोजन के लिए जेआरडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षाधीन है।

31 मार्च, 2023 को मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति निम्नलिखित है(स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि के तहत नोट-22 में दर्शाया गया है):

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	471.56	287.28
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	1.75	197.48
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	325.75	13.20
अप्रयुक्त निधि का अंत शेष	147.56	471.56

#### ज) बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन

पुराने/अनिलंक्ड/ स्थिर /अदावी/अप्राप्त देयताओं/अग्रिम आदि के लिए क्षेत्र प्रबंधन द्वारा अनुमोदित 'अदेय'/'गैर-वसूली योग्य' के रूप में निम्नलिखित प्रितिलेखन / बट्टे खाते में डालने को वर्तमान अविध के वित्तीय विवरणों में माना गया है। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा संबंधित प्रावधान को बट्टे खाते में डालने तथा प्रतिलेखन करने को मंजूरी दी गई थी।

(₹ 'करोड में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	प्रतिलेखन व	डाली गयी / की गयी राशि ान वर्ष)	प्रतिलेखन व	डाली गयी / की गयी राशि वर्ष)
1	प्रतिलेखन : (क) देयताएं/प्रावधान (ख) प्रगतिशील खदान बंदी व्यय बहे खाते :	25	113.99 126.81	240.80	331.99 0.00	331.99
2	(क) संदिग्ध अग्रिम (ख) अन्य	34	0.00 0.00	0.00	16.58 0.00	16.58
3	संबंधित प्रावधान का प्रतिलेखन: (क)संदिग्ध अग्रिम (ख)अन्य	34	0.00 0.00	0.00	16.58 0.00	16.58
	लाभप्रदता पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव	•		240.80		331.99



#### झ) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (भारतीय लेखा मानक-115)

- i. जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तो अन्य दावों का हिसाब लगाया जाता है। तदनुसार, भूली टाउन प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्त होने वाले हाउस रेंट के उप-न्यायिक मामले में, राजस्व का नकद आधार पर हिसाब लगाया जाता है।
- ii. कर प्राधिकरणों से ब्याज के साथ-साथ धनवापसी/समायोजन का हिसाब अंतिम आकलन/ धनवापसी के आधार पर किया जाता है।
- iii. अंतिम नुकसान के आधार पर तरल क्षति और दंड की वसूली का हिसाब लगाया जाता है।

#### iv. अलग-अलग राजस्व जानकारी

ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व का निर्धारित अंतर निम्नलिखित है:

(₹ 'करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वस्तु या सेवा के प्रकार		
कोयला	12333.34	9445.58
अन्य	0.00	0.00
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	12333.34	9445.58
ग्राहकों के प्रकार		
विद्युत क्षेत्र	8077.29	7090.69
गैर-विद्युत क्षेत्र	4256.05	2354.89
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	12333.34	9445.58
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	8966.44	7243.12
ई-नीलामी	1553.11	1120.90
अन्य	1813.79	1081.56
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	12333.34	9445.58
वस्तु या सेवा का समय		
एक ही समय पर माल/सेवा का स्थानांतरण	12333.34	9445.58
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	12333.34	9445.58

#### ञ) अनुपात

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	अंतर (विसंगति)
1	वर्तमान अनुपात	0.96	0.99	-2.65%

वर्तमान अनुपात कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने से संबंधित निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।

2 ऋण-इक्विटी अनुपात 0.00 0.00 NA

डेट-टू-इक्विटी अनुपात में किसी कंपनी के कुल कर्ज की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी किया जाता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी की बैलेंस शीट में देखा जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।

 3
 ऋण सेवा कवरेज अनुपात
 16.98
 6.20
 173.77%

ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज एवं किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है।

ऋण सेवा के लिए उपार्जन = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यहास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन, जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

ऋण सेवा = ब्याज एवं पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्अदायगी

"कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

 
 4
 इक्विटी अनुपात पर वापसी
 18.28
 3.51
 420.93%

यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। इस अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा शेयर-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह शेयर-धारकों के लिए अर्जित प्रतिशत लाभ को भी मापता है। इस अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ घटाव अधिमानी लाभांश (यदि कोई हो तो)) को औसत शेयरधारक के शेयर (इक्विटी) से विभाजित की जाती है।

 इन्वेंटरी कारोबार अनुपात
 13.46
 9.33
 44.28%

इस अनुपात को स्टॉक कारोबार अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत अथवा अवधि के दौरान बिक्री तथा अवधि के दौरान औसत धारित इन्वेंटरी के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिससे कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंटरी कारोबार अनुपात की गणना बेची या बिक्री की गई वस्तुओं की लागत को औसत इन्वेंटरी से विभाजित करके की जाती है।

औसत इन्वेंट्री = (आरंभिक + अंतिम शेष / 2)

जब इन्वेंट्री के आरंभिक एवं अंतिम शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो इस अनुपात की गणना COGS या बिक्री को इन्वेंट्री के अंतिम शेष से विभाजित करके की जा सकती है।

6 व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात 12.46 5.53 125.25%

यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है।

व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य लेखा



शुद्ध क्रेडिट बिक्री, सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री लाभ घटाने के बाद प्राप्त होता है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार तथा प्राप्य बिल शामिल हैं।

औसत व्यापार देनदार = (आरंभिक + समापन शेष / 2)

जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, आरंभिक एवं समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो इस अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।

7 व्यापार देय कारोबार अनुपात 5.57 3.83 45.22%

यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध ऋणदाताओं को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध ऋणदाताओं को भुगतान करने हेतु नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत ऋणदाताओं से विभाजित करके की जाती है।

व्यापार देय कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय

शुद्ध क्रेडिट खरीद, सकल क्रेडिट खरीद में से खरीद रिटर्न घटाने के बाद प्राप्त होता है

जब क्रेडिट खरीद, व्यापार ऋणदाताओं के आरंभिक एवं समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो इस अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार ऋणदाताओं के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।

8 शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात 3.26 2.89 12.96%

यह किसी कंपनी के अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: समान अवधि के दौरान शुद्ध बिक्री को कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित करके की जाती है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी

शुद्ध बिक्री की गणना, कुल बिक्री घटाव बिक्री रिटर्न करके की जाएगी।

कार्यशील पूंजी की गणना, वर्तमान परिसंपत्तियों घटाव वर्तमान देनदारियां करके की जाएगी।

9 शुद्ध लाभ अनुपात 5.23 1.18 342.56%

यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ एवं बिक्री के बीच संबंध को मापता है।

शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री

कर के बाद शुद्ध लाभ होगा।

शुद्ध बिक्री की गणना, कुल बिक्री घटाव बिक्री लाभ करके की जाएगी।

 10
 नियोजित पूंजी पर लाभ
 14.76
 8.22
 79.60%

नियोजित पूंजी पर लाभ, ऋण धारकों एवं इक्विटी धारकों दोनों के लिए लाभ अर्जित करने में कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। उच्च अनुपाल, इस बात को दर्शाता है कि लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी द्वारा नियोजित की जा रहीं पूंजी में अधिक दक्षता है।

आरओसीई (ROCE) = ब्याज एवं कर से पहले आय / नियोजित पूंजी

नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता

11 निवेश पर प्रतिफल 17.05 3.41 399.93%

निवेश पर लाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है, जिसका उपयोग कंपनी द्वारा किये गए निवेश-लागत पर प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। इस अनुपात का अधिक होना, अधिक अर्जित लाभ को दर्शाता है।

#### ट) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखा प्राक्कलन और त्रुटियों में परिवर्तन (भारतीय लेखा मानक 8)

कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुरूप है।

#### ठ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएं (भारतीय लेखामानक 10)

रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन या गैर-समायोजन की कोई घटना नहीं हुई।

#### ड) पूंजीगत संरचना में बदलाव

वर्तमान अविध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी (100%) में कोई उतार-चढ़ाव नहीं है। पूर्ववती 5% गैर परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय पूर्विधिकार शेयरों पर ₹ 888.65 करोड़ का सांकेतिक लाभांश बकाया नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही थी।

#### ढ)हाल ही की लेखांकन उद्गघोषणाएँ

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी नियमों (कंपनी लेखा मानक) के नये मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को एमसीए ने कंपनी संशोधन नियम,2023 में संशोधन किया। इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अविध है। संशोधन निम्नलिखित हैं :-

भारतीय लेखा मानक 1 –िवत्तीय विवरणों की प्रस्तुति –संशोधन के लिए संस्थाओं को अपने महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखा नीतियों को प्रकट करने की जरुरत है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय लेखा मानक 8- लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन, और त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को अलग करने में संस्थाओं की मदद करने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किए हैं। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखा मानक 12 – आय कर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को कम कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेटिंग अस्थायी अंतर को बताते हैं। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

#### ह) कच्चे माल की कुल खपत (टिप्पणी 12)

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष		31.03.2022	को समाप्त वर्ष			
	रकम उपभोग का कुल%		रकम	उपभोग का कुल%			
	1. वर्ष के दौरान वाशरियों में कच्चे कोयले की खपत						
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00			
स्वदेशी	1313.13	100.00	989.22	100.00			

#### त) कोयले के स्टॉक का विवरण (कच्चा कोयला, धुला हुआ कोयला और अन्य उत्पाद)

(₹ ' करोड़ एवं मात्रा मीट्रिक टन में)

	31.03.2023 क	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		तो समाप्त वर्ष के लिए
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक	8.19	1202.10	10.25	1545.79
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	(0.04)	0.00	0.00	0.00
उत्पादन	40.74	13673.95	34.15	10091.76
बिक्री	35.73	12333.34	32.64	9445.58
खुद की खपत	0.00	0.27	0.01	0.65
वाशरी कोयला के लिए प्रयुक्त कोयला	4.42	1313.13	3.56	989.22
(कमी) / अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	8.74	1229.31	8.19	1202.10

#### त) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछली अवधि के आंकड़े पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित नहीं किए गए हैं।

थ) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कॉरपोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाता है। टिप्पणी सं. 3 से 23, 31 मार्च, 2023 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा है और टिप्पणी सं. 24 से 37, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियों का दर्शाता है।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. - 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार

एम. सं.- 402203

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डीआईएन- 08519303

(राकेश कुमार सहाय)

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

डीआईएन- 10122335

(आनंद प्रताप सिंह) दिनांक: 24.04.2023

स्थान: धनबाद



# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद (एक मिनी रत्न कंपनी) अन्य विवरण (संलग्नक)

#### टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ 'करोड़ में)

	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	31.03.2023	31.03.2023
कोयले की बिक्री से सांविधिक उगाहियों का विवरण		
रॉयल्टी	1,310.41	1,073.66
वस्तु एवं सेवाकर	685.01	555.98
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	1,429.34	1,305.40
कोयले पर उपकर	13.19	19.59
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	26.05	21.49
जिला खनिज फाउंडेशन	390.81	322.08
बाजार कर	115.12	92.31
प्रबंधन शुल्क	3.18	2.87
अन्य उगाहियां (कोविड उपकर)	31.11	28.38
कुल	4,004.22	3,421.76

#### टिप्पणी 28: कर्मचारी लाभ पर व्यय

वेतन, मजदूरी, भत्तों, बोनस आदि का विवरण		
वेतन, मजदूरी, भत्तों, बोनस आदि	4,043.70	3,902.85
एनसीडब्ल्युए -11 के प्रावधान	1,223.64	223.27
अनुग्रह	289.64	287.50
पीआरपी	113.33	90.41
कुल	5,670.31	4,504.03

भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान का विवरण		
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	739.70	662.94
उपदान	210.39	191.66
छुट्टी नकदीकरण	388.90	100.68
सेवानिवृत्त कर्मियों पर चिकित्सा व्यय	51.34	83.73
सेवारत कर्मियों पर चिकित्सा व्यय	13.90	17.18
कुल	1,404.23	1,056.19

(₹ 'करोड़ में)

	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	31.03.2023	31.03.2023
कर्मचारी कल्याण व्यय का विवरण		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति	3.01	3.38
स्कूलों और संस्थाओं को अनुदान	5.39	2.49
खेल एवं मनोरंजन	1.22	0.87
कैंटीन और शिशुगृह	0.03	-0.03
विद्युत-टाउनशिप	201.20	193.28
बस, एम्बुलेंस आदि का भाड़ा प्रभार	2.21	0.72
अन्य कर्मचारी लाभ	70.52	27.39
कुल	283.58	228.10
सकल योग	7,358.12	5,788.32

## कोयले की गुणवत्ता में भेद के लिए वर्ष के दौरान जारी क्रेडिट/डेबिट नोट

वर्ष के लिए वर्ष के दौरान जारी क्रेडिट नोट	-	3.08
पूर्व वर्षों के लिए वर्ष के दौरान जारी क्रेडिट नोट	125.63	149.97
वर्ष के दौरान जारी कुल क्रेडिट नोट	125.63	153.05
वर्ष के लिए वर्ष के दौरान जारी डेबिट नोट	-	-
पूर्व वर्षों के लिए वर्ष के दौरान जारी डेबिट नोट	34.92	72.45
वर्ष के दौरान जारी कुल डेबिट नोट	34.92	72.45

### मूल्यहास/परिशोधन/क्षतिपूर्ति की सुलह

टिप्पणी-3 के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	290.50	281.58
टिप्पणी-3 के अनुसार वर्ष के दौरन क्षतिपूर्ति	6.80	13.05
टिप्पणी-4 के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	-
टिप्पणी-4 के अनुसार वर्ष के दौरन क्षतिपूर्ति	3.91	2.33
टिप्पणी-5 के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	-
टिप्पणी-5 के अनुसार वर्ष के दौरन क्षतिपूर्ति	-	18.52
टिप्पणी-6.1 के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	2.90	-
टिप्पणी-6.1 के अनुसार वर्ष के दौरन क्षतिपूर्ति	-	-

#### (₹ 'करोड़ में)

	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	31.03.2023	31.03.2023
टिप्पणी-6.2 के अनुसार वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	-
टिप्पणी-6.2 के अनुसार वर्ष के दौरन क्षतिपूर्ति	-	-
कुल (क)	304.11	315.48
लाभ व हानि विवरण के अनुसार मूल्यहास/परिशोधन/क्षतिपूर्ति (ख)	304.11	315.48
विकासशील चरण में खदानों में वर्ष के दौरान पूंजीकृत मूल्यहास (ग)	-	-
अंतर (क-ख-ग)	-	-

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. - 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)

साझीदार एम. सं.- 402203

दिनांक: 24.04.2023 स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(वीरेंद्र शर्मा) विभागाध्यक्ष (वित्त) केंद्रीय लेखा एवं कराधान

(आनंद प्रताप सिंह) विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)











# भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद - 826005, झारखंड www.bcclweb.in